खण्ड-480, अंक-6
मंगलवार, 29 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(19 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: o :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.26 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य . .	1-5
सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर ध्यानाकर्षण . .	7
प्रश्नोत्तर . .	7-25
सुश्री उमा भारती की सदन में लगातार अनुपस्थिति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न . .	25
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें . .	26-27
जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी के कम्हरिया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	27
हमीरपुर जनपद के मौदहा तहसील में खारे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए पानी की टंकी एवं टैंकरों से जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	27-28
कानपुर नगर में बाबू पुरवा बाजार में हुए भीषण अग्निकाण्ड में निर्धन लोगों की 150 छोटी-बड़ी दुकानें जल जाने के कारण पीड़ित दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	28
मथुरा शहर के कतिपय मार्गों पर पुल एवं ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	28-29
बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मुण्डेरवा, रामपुर मार्ग पर बढ़या चौराहे से धौरहरा गोचना मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	29
विधान सभा क्षेत्र जफराबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर की तैनाती एवं दवायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	30
जनपद फतेहपुर की तहसील खागा व फतेहपुर में बालू का अवैध खनन रोके जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	30
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत खरगपुर-अर्जुनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	31
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन ग्राम मझली पट्टी में भीषण अग्निकाण्ड के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने एवं इलाज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	31
जिला सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड सरसावां के यमुना नदी के किनारे बसे ग्रामों में बांध एवं ठोकरों/टक्करों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	32

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पंचशील नगर में गढ़मुक्तेश्वर में पवित्र गंगा नदी के किनारे पर पौराणिक स्थल पूढ संकरटीला में घाट का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	32
जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में परिवहन व्यवस्था को सुधारे जाने एवं एक वातानुकूलित बस लखनऊ से सिद्धार्थनगर के मध्य चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	32-33
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ब्लाक नानौता में कृष्णा नदी पर पड़ने वाले दो ग्रामों गुडम्ब व रायचन्दा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	33
गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में महेवा से तरकुलानी तक मलौली बन्धे को बरसात में कटने से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	33
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में फायर स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	34
जनपद मथुरा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बलदेव में कतिपय मार्गों के मरम्मत/पुनर्निर्माण में हुये घोटाले की जांच व पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	34
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें . .	34-35
भारत सरकार द्वारा सहस्त्राब्दि संकल्प के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बजट धनराशि व्यय न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . .	35-37
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 (सदन के पटल पर रखा गया) . .	37
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें . .	38-52
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) व अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत) . .	52-90
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) . .	90-119
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) . .	119-124
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) व अनुदान संख्या 77-श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) . .	124-133

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) . .	133-158
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 25-गृह विभाग (कारागार) एवं अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) . .	159-179
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें . .	179-181
जनपद मथुरा के वृन्दावन में उपमण्डी समिति शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य . .	182-183
जनपद श्रावस्ती में अपराधिक तत्वों द्वारा अनुसूचित जाति के जोगी पुत्र दूबर पर जानलेवा हमला करने वालों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) . .	184
जनपद फतेहपुर में स्थित उपकेन्द्रों की विद्युत् क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य . .	184-185
गाजियाबाद के पटेलनगर एवं अन्य क्षेत्रों में सीवर जाम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य . .	185
लखनऊ मध्य क्षेत्र के नाले लबालब भरने एवं चोक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य . .	185-186
जनपद अमेठी स्थित टिकरिया सीमेन्ट फैक्ट्री से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में श्री गायत्री प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य . .	186-187
जनपद चित्रकूट के मऊ मानिकपुर में तेज तूफान आने के कारण विद्युत पोल एवं तार टूटने के कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द होने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य . .	188
जनपद आजमगढ़ के ग्राम टैनी में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बहादुर सिंह यादव नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य . .	188-189
प्रदेश में उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी को समयबद्ध रूप से पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य . .	189-190
जनपद अयोध्या, फैजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नया मास्टर प्लान न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य . .	191-193

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-336

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
10. अताउररहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
23. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीरनगर
30. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
35. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द सिंह कुंवर, श्री — गोण्डा
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
44. इकबाल, श्री — बिजनौर
45. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
46. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
48. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
50. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
51. उदयराज, श्री — उन्नाव
52. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
53. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
54. उमाशंकर, श्री — बलिया
55. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
56. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
57. ओम कुमार, श्री — बिजनौर

58. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
59. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
60. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
61. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
62. कामेश्वर, श्री देवरिया
63. काली चरन सुमन, श्री आगरा
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
66. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्या, श्री कौशाम्बी
69. कैलाश, श्री गाजीपुर
70. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
71. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
72. गंगा, श्री कुशीनगर
73. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
74. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
75. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
76. गायत्री प्रसाद, श्री क्षत्रपति शाहूजी महाराज नगर
77. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
78. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
79. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
80. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
81. गोमती यादव, श्री लखनऊ
82. गोरख पासवान, श्री बलिया
83. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
84. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
85. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
86. जगतम्बा, श्री मिर्जापुर
87. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
88. जगपाल, श्री सहारनपुर
89. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
90. जफर आलम, श्री अलीगढ
91. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
92. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ
93. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
94. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
95. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
96. जाहीद बेग, श्री संत रविदास नगर (भदोही)
97. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
98. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
99. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
100. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
101. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
102. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
103. दलजीत सिंह, श्री बांदा
104. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
105. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
106. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
107. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
108. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
109. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
110. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
111. धर्मराज, श्री बाराबंकी
112. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
113. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
114. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
115. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
116. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
117. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
118. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
119. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री प्रतापगढ़
120. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
121. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
122. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
123. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
124. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
125. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
126. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
127. पीतमराम, श्री पीलीभीत
128. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
129. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
130. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
131. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
132. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर

133. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
134. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
135. प्रभुदयाल बाल्मीकि, श्री मेरठ
136. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
137. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
138. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
139. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
140. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
141. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
142. फेरन लाल, श्री ललितपुर
143. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
144. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
145. बदलू खां, श्री उन्नाव
146. बाबू खां, श्री हरदोई
147. बाबूलाल, श्री गोण्डा
148. बावन सिंह, श्री गोण्डा
149. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
150. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
151. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
152. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
153. बैजनाथ, श्री मऊ
154. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
155. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
156. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
157. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
158. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
159. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
160. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
161. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
162. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
163. मनबोध, श्री दवेरिया
164. मनीष रावत, श्री सीतापुर
165. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
166. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
167. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
168. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
169. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
170. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
171. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
172. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
173. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
174. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
175. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
176. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
177. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
178. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
179. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
180. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
181. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
182. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
183. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
184. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
185. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
186. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
187. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
188. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
189. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
190. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
191. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
192. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
193. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
194. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
195. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
196. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
197. यासर शाह, श्री बहराइच
198. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
199. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
200. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
201. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
202. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
203. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
204. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
205. रणजीत सुमन, श्री एटा
206. रमेश चन्द्र, श्री मिर्जापुर
207. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
208. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ

209. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
210. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
211. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
212. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
213. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
214. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
215. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
216. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
217. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
218. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
219. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
220. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
221. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
222. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
223. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
224. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
225. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
226. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
227. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
228. राम करन आर्य, श्री बस्ती
229. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
230. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
231. राम गोविन्द, श्री बलिया
232. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
233. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
234. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
235. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
236. राम मगन, श्री बाराबंकी
237. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
238. राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
239. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
240. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
241. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
242. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
243. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
244. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
245. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
246. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
247. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
248. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
249. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
250. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
251. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
252. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
253. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
254. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
255. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
256. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
257. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
258. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
259. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
260. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
261. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
262. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
263. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
264. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
265. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
266. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
267. विजय सिंह, श्री रामपुर
268. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
269. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
270. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
271. विशम्बर सिंह, श्री बांदा
272. वीरपाल राठी, श्री बागपत
273. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
274. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
275. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
276. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
277. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
278. शमीमूल हक, श्री मुरादाबाद
279. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
280. शाकिर अली, श्री देवरिया

281. शारदा प्रताप शुक्ल, श्री लखनऊ
282. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
283. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
284. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
285. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
286. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
287. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
288. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
289. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
290. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
291. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
292. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
293. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
294. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
295. संजय कपूर, श्री रामपुर
296. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
297. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
298. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
299. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
300. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
301. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
302. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
303. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
304. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
305. सन्तराम, श्री जालौन
306. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
307. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
308. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
309. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
310. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
311. सियाराम सागर, डा0 बरेली
312. सीमा, श्रीमती जौनपुर
313. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
314. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
315. सुधाकर, श्री मऊ
316. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
317. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
318. सुनील कुमार लाल, श्री लखीमपुर खीरी
319. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
320. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
321. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
322. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
323. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
324. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
325. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
326. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
327. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
328. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
329. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
330. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
331. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
332. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
333. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
334. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
335. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
336. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा

नोट :-राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) भी सदन में उपस्थित थे।

सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर ध्यानाकर्षण

[माननीय अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर]

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इधर देखें, सरकार छुट्टी पर है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, कैबिनेट मंत्री तो बैठे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सरकार यहां से वाक-आउट कर गयी, बहिर्गमन कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं विधान परिषद् भी है, हो सकता है वहां हों। कई कैबिनेट मंत्री यहां बैठे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सरकार यहां से चली गयी, जानकारी कर लें कहां गयी, कहां नहीं गयी ?

श्री प्रमोद तिवारी-

वैसे तो तकनीकी रूप से सरकार है लेकिन हम सिर्फ आपको सदन के प्रति गम्भीरता दिखा रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

नत्थी (क)

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना

*1-श्री सुरेश राणा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

राज्य सरकार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु सतत् प्रयत्नशील है तथा इस हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं।

पशुपालन विभाग द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं-

(1) कृत्रिम गर्भाधान की योजना।

(2) पशुओं के बांझपन निवारण की योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर प्रदान किया। इस जवाब से ही बड़ा स्पष्ट नजारा देखने को मिलता है कि सरकार दुग्ध उत्पादन के प्रति कितनी गम्भीर है। जवाब में आया है कि दुग्ध उत्पादन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की योजना, पशुओं के बांझपन निवारण की योजना, इन दोनों योजनाओं की चर्चा की गयी है। इन दोनों योजनाओं में भी कितना झोल है और वास्तविकता की धरातल पर कितनी लापरवाही है। जहां तक कृत्रिम गर्भाधान की बात है तो सीड कन्टेनर किसी भी केन्द्र पर उपलब्ध नहीं है। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से यही जानकारी चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितने केन्द्रों पर सीड कंटेनर उपलब्ध हैं और दूसरा जो मुख्य सवाल है कि वर्तमान में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अन्दर दुधारू पशुओं का कटान बड़ी मात्रा में हो रहा है और आज हालत यह है कि एक अच्छा खासा दूध देने वाला जो पशु है उसकी जो कीमत है, उससे ज्यादा कीमत अवैध कटान वाले लोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहते हैं, उसी का कारण है कि बड़ी मात्रा में अवैध पशु कटान हो रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कोई उपाय किया है ? दूसरा सवाल यह है कि.....

श्री अध्यक्ष-

एक-एक सवाल पूछिये।

श्री पारस नाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश गांवों का प्रदेश है और पशुपालन का काम गांवों में अधिक हुआ करता है। यह भी बताना चाहूंगा कि पूरे देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि गांवों में जो जानवर पाले जा रहे हैं, पशुपालक हैं उनके पास संसाधन न होने के कारण निम्न उत्पादन के जानवर हैं। दूसरे प्रान्तों में अच्छे नस्ल के दुधारू जानवर हैं। दुधारू जानवर हैं लेकिन अधिक संख्या होने के कारण हमारे यहां दुग्ध उत्पादन अधिक हो रहा है। माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है। दुग्ध उत्पादन में मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि उनकी चिन्ता से हम सहमत हैं। लेकिन यह प्रदेश कानून व्यवस्था से चलता है। ला एण्ड आर्डर गृह विभाग का काम हुआ करता है और गृह विभाग समय-समय पर अपने अधिकारियों को यह जो कटान हो रहे हैं चाहे गोबंश के कटान हों या हमारे स्लाटर हाउस हों इनके रोकने के लिए और इनको समाप्त करने के लिए समय-समय पर मीटिंगे और सरकारी कार्यक्रम चलते हैं। पशुधन विभाग भी समय-समय पर इस बात की कोशिश करता है कि दुधारू जानवरों का कटान न हो और दुधारू जानवरों में जो बांझपन है मैंने यह योजना इसलिए बताई कि बांझपन का कार्यक्रम हम शिविरों के माध्यम से चलाते हैं और जो जानवर हरा चारा न पाने के कारण बीमारी के कारण बच्चा देने में असफल हो जाते हैं उन जानवरों का इलाज होता है उससे भी हम दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जैसा माननीय सदस्य ने कंटेनरों की बात कही है कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम हमारी विभागीय संस्थायें भी चलाती हैं और पैरावेटों के माध्यम से पैरावेट उसे कहते हैं जो न्याय पंचायत स्तर पर बेरोजगार हमारे जवान हैं उनको हम चार महीने का प्रशिक्षण देकर टीकाकरण का कृत्रिम गर्भाधान का और बन्ध्याकरण का प्रशिक्षण देते हैं इन पैरावेटों के माध्यम से भी यह कार्यक्रम चलाते हैं और उनकी जो मांग होती है सीमन से लेकर कंटेनर से लेकर जो भी मांग होती है वह हम पूरा करने का काम करते है। यदि माननीय सदस्य को कहीं इस बात

की जानकारी हो कि फलां केन्द्र पर कंटेनर की कमी है कंटेनर नहीं है तो हम उसको दिखवाकर इनको सूचना भिजवा देंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री सुरेश राणा-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक विषय पर इन्होंने कहा कि गृह विभाग का काम है तो जिस स्पीड से अवैध कटान हो रहा है तो मुझे तो लगता है कि पांच दस साल बाद विभाग की समाप्ति की ओर हो जायेगा। बहुत तेजी से पशुओं के कटान हो रहे हैं और यह चिन्ता का विषय है। विभाग को भी इस पर चिन्ता करनी चाहिए। जहां तक पशुओं के बांझपन की बात मंत्री जी ने कही तो मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं आज सुबह ही बहुत से विशेषज्ञों से वार्ता हुई। कम से कम 50 प्रतिशत अच्छी नश्ल की गायें आज बांझपन की शिकार हैं। उनका कोई उपाय नहीं है। अभी सरकार ने जो एक पाइलेट प्रोजेक्ट चलाया है हीट करने के लिए तीन इंजेक्शन देते हैं कभी एक इंजेक्शन दे दिया और जब दूसरी की आवश्यकता हुई तो हास्पिटल का डाक्टर गायब वह प्रासेस बीच में ही रह जाता है। कहीं न कहीं लापरवाही के कारण आज 50 प्रतिशत अच्छी नश्ल के पशु बांझपन के शिकार हैं। सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पराग के केन्द्र गांव में बनाये थे आज सब केन्द्र बन्द हैं इस कारण स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान मजबूर हैं उन्हें पूरी तरह से स्थानीय दूधियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उसका परिणाम यह है कि दूधिया मनमाने ढंग से रेट वसूली कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम है कि जो कीमत मिल रही है दुग्ध उत्पादक को उससे कहीं ज्यादा खर्चा दुग्ध उत्पादन करने में आ रहा है। क्या सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कोई योजना बनाई है जो क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से चल सके। मंत्री जी ने अभी भी कहा है और पहले भी अपने भाषण में कहा था कि दुग्ध उत्पादन में हम बहुत आगे हैं। प्रथम स्थान पर हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वह पशुओं का दूध है या कैमिकल दूध है। चूंकि मैं अभी यहां स्टेट गेस्ट हाउस में हूं। पिछले 20-25 दिनों से रह रहा हूं मैंने हमेशा एक गिलास दूध की मांग की कि एक गिलास दूध मिल जाय। पिछले 25 दिनों में एक भी गिलास दूध लखनऊ के वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस में नहीं मिला है। धीरे से मेरे कान में कहा गया है कि शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी का उत्तर तो आ जाने दीजिये। आपको इजाजत नहीं है जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री पारस नाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने चिन्ता व्यक्त किया है कि एक गिलास भी दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है। अगर हम इनकी चिन्ता से पूरे सदन को जोड़ें तो कोई गलत नहीं होगा। यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि एक गिलास दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है क्योंकि इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि मिलावट होगी। शुद्ध दूध में पहले पानी मिलाया जाता था अब केमिकल मिलाया जा रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता। इसको हम तसलीम करते हैं। लेकिन खाद्य एवं रसद औषधि नियंत्रक इस व्यवस्था को देखने के लिए बनाये गये हैं और समय-समय पर इसकी चेकिंग भी हुआ करती है। यह सही है कि पशुपालक, मैं भी गांव का रहने वाला हूं सम्भवतः हमारे सम्मानित सदस्य के

पास उतने जानवर नहीं होंगे जितनी हमने पाला है और गाय, भैंस और बकरी यह तीन ऐसी वैरायटियां हैं जो दूध के उत्पादन में काम देती हैं और अगर हम इनकी संख्या देखें तो जो दूध उत्पादन के लिए हैं तो 190.97 लाख हमारे पास गाय हैं, 264.40 लाख हमारे पास भैंसे हैं और 148.29 लाख हमारे पास बकरियां हैं और मुख्य रूप से यह तीनों ऐसे जानवर हैं जिनसे हम दूध का उत्पादन करते हैं। हमने इसको तसलीम किया कि उत्तर प्रदेश में गरीबी है और गांव का आदमी अपने पशुओं को समय-समय पर उसके रख-रखाव का, खिलाने-पिलाने का इंतजाम नहीं कर पाता जो आवश्यकता है इसलिए उसके अन्दर बीमारी भी होती है, बांझपन होता है और उनका दूध कम हो जाता है। अगर दूसरी तरफ माननीय सदस्य जानना चाहें तो यह भी हम तसलीम करते हैं कि तीन ऋतुओं का यह देश और प्रदेश है और 3 ऋतुओं में गर्मी, जाड़ा और बरसात। गर्मी में अपने आप दूध की कमी हो जाया करती है और इसको हम तसलीम करते हैं। देहाती कहावत है कि गर्मी में ढाक के पात में भी दूध नहीं रहता है। उसमें कमी आ जाती है। बरसात में जब हरा चारा पैदा होता है, थोड़ा पानी बरसता है तो जानवर को गर्मी से राहत मिल जाती है तो दूध बढ़ जाता है। हम इस बात को नकार नहीं रहे हैं कि आज की तारीख में जो दुधारू जानवर को पालने वाले पशुपालक है, उनके सामने बड़ा संकट है। उस संकट को हम तसलीम करते हैं, हम प्रयास करेंगे अभी तो हमको आये हुए बहुत कम दिन हुए हैं। हमारी एक नीति भी बन रही है और उस नीति के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई नई ऐसी नीति पैदा करें कि और अधिक दूध हम पैदा कर सकें, यह हमारी नीति है।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अलीगढ़ की सेन्ट्रल डेरी फार्म के संबंध में दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं हिन्दुस्तान में वह नम्बर वन पर थी।

श्री अध्यक्ष-

दूध के बारे में प्रश्न करें।

श्री दलवीर सिंह-

दूध के बारे में पूछ रहा हूं। इसके दो संस्थान क्रीम मक्खन बेचने के लखनऊ में भी थे और दिल्ली में भी थे।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं है। आप बैठें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हर जवाब के सवाल में उन्होंने तस्लीम किया। कोई प्रश्न ऐसा नहीं बचा कि उन्होंने तस्लीम न किया हो, लेकिन समाधान नहीं बताया। चूंकि सरकार से तो हमें समाधान चाहिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूं बांझपन की बात आपने बताई, आप भी पशुपालक हैं, क्या बिल्कुल कमरे में बन्द होकर या खूंटे में बंधकर, कोई गाय या भैंस स्वस्थ्य रह सकती है। आज समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जितने भी पशुचर थे, गांव चकबन्दी विभाग द्वारा भी छोड़े गये और विभाग द्वारा भी छोड़े गये, निशानी नहीं बची किसी

चीज की, जब व्यवस्था हुई विभिन्न सरकारों ने इसको किया कि पशुचर छोड़े गये और हैं नहीं, तो हम और आप कितना भी बात कहें, पशुधन कैसे स्वस्थ रहेगा खासतौर से दुधारू पशु का, जब तक घूमेगा नहीं, चरेगा नहीं, कसरत उसकी नहीं होगी तब तक बांझपन की समस्या बनी रहेगी। आज पशुपालक के सामने समस्या यही है कि एक बार खरीद लायेगा गाय भैंस को दुबारा उसका क्या करे उसके पास समस्या यह है। जो समस्या चली आ रही है परम्परागत तरीके से, आप जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं तो क्या उस बारे में कुछ सरकार नीति बनायेगी ?

श्री पारस नाथ यादव-

यह हमारे वरिष्ठ सदस्य और हमारे नेता भी हैं हम इस बात को मानते हैं। बड़ी अच्छी बात कही, विशेषकर जो पशुओं को चरने के लिए या उनको टहलने के लिए उनकी कसरत के लिए हम चारागाह की व्यवस्था किया करते है। दूसरे प्रान्तों में अधिक चारागाह छोड़े गये हैं यह हकीकत है इसको भी कई प्रान्तों में मध्य प्रदेश, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक देखा है। हमारे यहां विगत पांच सालों में चारागाहों पर कब्जा करने का अभियान चला उसको नाकारा नहीं जा सकता है। जितनी भी सरकारी जमीन थी उसको अपनी जमीन मानकर लोगों ने बड़ी तेजी से कब्जा किया। हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार कृत संकल्प है कि हम इन चारागाहों को, हमारा जो तालाब है, हमारा जो भीठा है, इसमें जो अवैध रूप से कब्जा हो रहा है उसको बाहर करेंगे। विशेषकर जो शहरों में पशु पालने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत कठिनाई है वह अपने मकान में ही जानवर को पाले रखते हैं, और उस जानवर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। मैं भी जब गांव से शहर में आ गया तो मैंने देखा जो स्थितियां हैं, तो थोड़ा बाहर निकलकर जमीन को लेना पड़ा ताकि जहां उनको बांधा जाये उनको फ्री छोड़ा जाये, तो यह हकीकत है, माननीय सदस्य ने कहा कि यह हर बात को तसलीम कर रहे हैं तस्लीम तो हम, आपको करना पड़ेगा। इतने बड़े सदन में हम बैठे हैं और सम्मानित जनता ने हमको चुनकर भेजा है। उस धरातल को जानना पड़ेगा। पूर्वजों ने एक कहावत कही है कि जाकै पैर फटे न बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। हम हर पीड़ा को जानते हैं इसलिए तसलीम करते हैं। आप सवाल करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आप उससे अलग हैं आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों में चारागाह पर कब्जा करने वाले लोगों से चारागाह खाली करायें। यह हम पूरे सदन के लोगों से अनुरोध करेंगे। यह सरकार कृत संकल्प है दुग्ध विकास के लिए और पशुओं के रख-रखाव के लिए और उस पर गलत काम करने वालों को रोकने के लिए।

(सुरेश राणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। 20 मिनट हो गये हैं।

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

प्रदेश में कृषि उत्पादों पर वैट समाप्त करने की मांग

*4-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कृषि कार्य से सम्बन्धित उत्पादनों पर वैट टैक्स समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री फरीद महफूज किदवई)-

वैट व्यवस्था में राज्यों के वित्त मंत्रियों की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा वैट की दर के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के अनुरूप ही प्रदेश में अधिकांश कृषि उत्पादों पर वैट की दरें निर्धारित हैं। अधिकांश कृषि उत्पादों पर वैट की दरें कई राज्यों के समतुल्य हैं। प्रदेश में गेहूं, धान, चावल व तिलहन पर 4 प्रतिशत की दर से तथा दलहन पर 1 प्रतिशत की दर से वैट देय है। ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा, कोदो, जौ, कूटू, रामदाना, सांवा, मंडुआ, काकुन, मंझारी (अंकरी), हरी सब्जियां एवं सभी प्रकार के बीज वैट से मुक्त हैं। उक्त एवं राज्य की वित्तीय आवश्यकता तथा सीमित संसाधन के दृष्टिगत प्रदेश में कृषि उत्पादों पर वैट समाप्त करने का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पष्ट प्रश्न है क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य से सम्बन्धित उत्पादनों पर वैट टैक्स समाप्त करने पर सरकार विचार करेगे ? मंत्री जी ने जबाव दिया है जो मैंने नहीं पूछा वह उत्तर दिया है मैंने तो वैट टैक्स समाप्त करने की बात कही है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें लिखा तो है कि अधिकांश कृषि उत्पादों पर वैट की दरें निर्धारित हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

कृषि कार्य से सम्बन्धित उत्पादनों पर वैट टैक्स समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न का जवाब मेरे पास आया है वह देख लें। मान्यवर, यह प्रदेश 70 प्रतिशत कृषि पर आधारित है। और जो 70 प्रतिशत किसान है उसको अन्नदाता कहा जाता है आज उस अन्नदाता के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है इस प्रदेश में वह इतना शोचनीय है, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप मेरे प्रश्न को जरा पुनः पढ़ लें जो मैने कहा है, तब मैं सप्लीमेंटरी पूछूँगा।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो प्रश्न से सम्बन्धि है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, कृषि से सम्बन्धित प्रश्न है। मैं उसी अन्नदाता पर आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें वैट से क्या मतलब है।

श्री पूरन प्रकाश-

उस अन्नदाता की क्या हालत हो रही है। 15-15 दिन से गेहूँ पड़ा है चाहे वारिश आ रही हो, अपने प्रश्न से बाहर नहीं जा रहा हूँ। मान्यवर कृषि उत्पादन से सम्बन्धित कीटनाशक दवायें आती हैं जिसमें चार परसेंट टैक्स और सरचार्ज एक परसेन्ट वैट में वसूला जा रहा है। इसी के साथ ही जितने कृषि से सम्बन्धित यंत्र हैं चाहे वह कल्टीवेटर है चाहे थ्रेसर है खेत में पानी डालने के लिए चाहे इंजन है सब पर वैट वसूला जा रहा है। मान्यवर, किसान कृषि से सम्बन्धित ट्रैक्टर अपने घर को गिरवी रखकर लाता है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने सारे टैक्स खत्म कर दिए थे।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे ख्याल से उपकरण की बात कर रहे हैं। उत्पादनों और उपकरणों में अन्तर है। उत्पादन का मतलब प्रोडक्ट और उपकरण का मतलब इन्स्टूमेंट, मेरे ख्याल से पूरन प्रकाश जी खेती में प्रयोग होने वाले उपकरणों की बात कर रहे हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य से सम्बन्धित उपकरण जो हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, जो खेती से पैदा हुआ, वह उत्पादन है और आपका सवाल है कि सम्बन्धित उत्पादनों पर जैसे गेहूँ, सब्जी आदि और आप जो बात कर रहे हो, जैसे ट्रैक्टर है या अन्य उससे सम्बन्धित उपकरण हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मेरा प्रश्न कृषि से सम्बन्धित है, मैं फिर दोहराता हूँ कि कृषि से सम्बन्धित जो इन्स्टूमेंट्स हैं, उन पर सरकार वैट समाप्त करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप उपकरण के बारे में पूछ रहे हैं, क्या मंत्री जी, इसका उत्तर आपके पास है ?

श्री फरीद महफूज किदवई-

अध्यक्ष जी, जो सवाल पूछा गया है, उसका उत्तर मेरे पास है और मान्यवर, इतना बता दूँ कि आप जो किसान की बात कर रहे हैं, आपके सिर्फ इतने सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, जो आप अन्नदाता की बात कर रहे हैं, अन्नदाता पर कोई टैक्स नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, सरकार ने यह कहा कि वैट वही है जो सारे प्रान्तों में है, सहमति है। यह जो इन्ट्री टैक्स लगता है, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन जीन्स पर जैसे चावल, तिलहन इत्यादि हैं, जिसकी चर्चा की गई है, इन पर प्रदेश का इन्ट्री टैक्स कितना लगता है और यह बता दें कि यह इन्ट्री टैक्स केवल उत्तर प्रदेश में लगता है या अन्य प्रदेशों में भी लगता है ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, क्या इसकी सूचना आपके पास है ?

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, इन्ट्री टैक्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बताया कि कोई इन्ट्री टैक्स नहीं है।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, अन्य प्रदेशों में जैसे हरियाण है, जो उपकरण कृषि में प्रयोग होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह उपकरण का सवाल ही नहीं हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका समाधान हो जाए। मंत्री जी, उत्पादन और उपकरण दोनों बहुत मजबूत शब्द है और मान्यवर, उत्पादन तभी होगा, जब उपकरण होंगे तो उत्पादन और उपकरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं मंत्री जी को विवश नही करूँगा, मैं जानता हूँ कि उत्पाद के बारे में पूछा गया है, पर उत्पादन तो तभी होगा, जब उपकरण होंगे। माननीय सदस्य की मंशा है कि कृषि कार्यों के लिए, खेती के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, क्या उन पर वैट कम करेंगे ? यदि आपके पास सूचना हो तो दे दीजिए अन्यथा माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं उन्हे उपलब्ध करा दीजिएगा।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल के मैदान बनाये जाने की जानकारी

*5-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार प्रदेश के सभी गांवों में खेल के मैदान बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद, युवा कल्याण मंत्री (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

जी हाँ।

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक खेल मैदान का विकास किया जाना है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान का विकास किया जाना है। क्या अभी तक प्रदेश में खेल मैदानों का विकास शुरू हो गया है, यदि हाँ तो कितने खेल मैदान पंचायत स्तर पर विकसित कर दिये गये हैं और एक खेल मैदान विकसित करने में कुल कितना खर्चा आ रहा है और

उस खर्चे में भारत सरकार का कितना हिस्सा है और प्रदेश सरकार का कितना हिस्सा है ? यह स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी विकास किया जाना है। अभी शुरू नहीं हुआ है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

तो यह कब तक शुरू हो जाएगा।

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

मान्यवर, खेल मैदान का कार्य पाइका योजना के माध्यम से शुरू हो गया है और वित्तीय वर्ष 2008-09 में 5203 ग्राम पंचायत पाइका केन्द्र एवं 82 क्षेत्र पंचायत पाइका केन्द्र चयनित किये गये। तथा इनको विकसित करने हेतु 66.8641 करोड़ की धनराशि ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दे दें कि युवा और खेलकूद मंत्रालय के लिए उन्होंने हमारे बहुत वरिष्ठ साथी श्री कामेश्वर जी को चुना है, जो देखने में खिलाड़ी लगते हैं, बात से खिलाड़ी लगते हैं और जिनको देखकर ही बड़ा आकर्षित होते है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि इस समय प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बड़ा नाम कमा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो खेल के मैदान है, जो अब तो रह नहीं गये हैं। इनकी एक स्टेडियम की स्कीम थी शुरू में, मिनी स्टेडियम ग्रामीण स्टेडियम की, तो क्या मिनी स्टेडियम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हुए सरकारी नौकरियों में क्या व्यवस्था करेंगे कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो सके। जिससे वह प्रोत्साहित हो सकें जैसा हरियाणा या अन्य प्रदेशों ने किया है। क्या खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में कुछ आरक्षण करने का प्राविधान करेंगे। जो प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों।

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

भारत सरकार जो मिनी स्टेडियम के लिए अनुदान दिया करती थी वह योजना बंद कर दी है। इसलिए मिनी स्टेडियम का निर्माण बंद हो चुका है और हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को अच्छा अवसर मिले और उन्हें नौकरी मिले। हमारे माननीय सदस्य बहुत ही निकट के हैं। इससे पहले इन्होंने अपना रिश्तेदार बनाने में भी यह धोखा खाये थे। (हंसी) यह बार-बार धोखा खाते रहते हैं।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, हमने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि एक खेल के मैदान पर कुल कितना खर्चा आ रहा है और उसमें भारत सरकार कितना पैसा दे रही है और उत्तर प्रदेश सरकार कितना पैसा दे रही है।

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

जो पाइका द्वारा खेल का मैदान स्वीकृत किया जा रहा है उस योजना में 75 प्रतिशत केंद्रांश है और 25 प्रतिशत राज्यांश है, ग्राम पंचायत स्तर पर पाइका केंद्र संचालन हेतु 1.20 लाख की धनराशि दी जाती है जिसमें 1.00 लाख रुपये पूंजीगत अनुदान है तथा 10 हजार रुपये वार्षिक अधिग्रहण अनुदान एवं 10 हजार रुपये वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान है।

श्री हुकुम सिंह-

अभी मान्यवर, जब मंत्री जी ने कहा कि रिश्तेदारी चुनने में भी इन्होंने बड़ी गलती की। वह एक-दो साल में ही गलती की है या पुरानी गलती है। अगर एक-दो साल की है तो मैं मान जाऊंगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ कि आज देश में बहुत प्रतिभायें निकलकर आ रही हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ खिलाड़ी हैं, जिन्होंने नेशनल लेविल पर क्रिकेट खेल में अपना नाम और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मैदान ग्रीन पार्क जिसका नाम है जो कानपुर में स्थित है, जो विश्व विख्यात मैदान है, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ कि क्या ग्रीन पार्क में, विगत कई वर्षों से वहां पर इण्टर नेशनल मैच नहीं हो रहे हैं, बन्द कर दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश की और यह जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट कमेटी है इनके आपस के विवाद के कारण मान्यवर बन्द कर दी गयी। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ग्रीन पार्क में इण्टर नेशनल स्तर का क्रिकेट का मैच वहां पर कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप यह प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार प्रदेश के सभी गांवों में खेल के मैदान बनाये जाने पर विचार करेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, खेल के मैदान में सब कुछ जायज है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा नहीं है, आप इस सम्बन्ध में अलग से सवाल लगा लीजिए।

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, प्रश्न में गांवों के खेल के मैदान की बात की गयी है और महाना जी नगर की बात कर रहे है, महाना जी अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो बता दें, गुरु जी अच्छे कोच भी रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं, यह मेरे आगे.आगे चलें, मुझे रास्ता बतायें, मुझे साथ जाने में कोई प्राब्लम नहीं है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आज ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभायें निकल करके आगे आ रही है, खासतौर से कबड्डी और कुश्ती जैसे खेलों में, मैं

आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी और कुश्ती जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई नीति या ट्रेनिंग सेण्टर या कोच बनायेगा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर सेण्टर स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

मान्यवर, पाइका योजना के अन्तर्गत कुश्ती और कबड्डी में प्रशिक्षण की व्यवस्था हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठिये, हां अनुग्रह जी आप क्या कहना चाहते है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में है, श्रीमन्, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम को हटाकर एक नया निर्माण करने का आदेश दिया था, जो अभी तक लम्बित है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अनुग्रह जी आप बैठ जायं, यह प्रश्न ही नहीं है।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि नये ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम नहीं बनाये जायेंगे, ठीक है न बनायें, लेकिन जो मिनी ग्रामीण स्टेडियम अभी तक बनाये गये है ग्राम ब्लाक स्तर पर उनकी जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है। खासतौर से मैं बताना चाहूँगा मा0 अध्यक्ष जी कि 2008 में मैं जब लोक सभा सदस्य था, मैंने अपनी सांसद निधि को पूरा खर्च करके ग्रामीण मिनी स्टेडियम बनवाया, लेकिन आज उस स्टेडियम की बहुत बुरी दुर्दशा है, तो ऐसे स्टेडियम को साफ करने के लिए उनका विकास करने के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है और जो इसके लिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी है उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, विगत पांच वर्षो में जो दुर्दशा हुई है स्टेडियम की और खेलों की उनके सुधार की दिशा में हम लोग बहुत तेजी से प्रयासरत हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का समय समाप्त नहीं हुआ है, समय है, लेकिन प्रश्न ही नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है, मान्यवर, अगर प्रश्नकाल समाप्त हो गया है, तब मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न नहीं है, मा0 अखिलेश सिंह जी क्या पूछना चाहते हैं आप।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी जो यश भारती पुरस्कार दिया जा रहा है नई सरकार के द्वारा क्या खिलाड़ियों को भी इसमें किया गया है और यदि शामिल है तो किस खेल के शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब छोड़िए। इसे रहने दीजिए। अब मा0 अखिलेश सिंह जी आप बैठ जाइए।

अतारांकित प्रश्न

श्री वीर पाल राठी-

1-[दिनांक 18-6-12 के अतारांकित प्रश्न सं0 114 द्वारा उत्तरित]

जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र में हाई स्कूल व इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

2-श्री अली युसूफ अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खेड़ा टाण्डा व दोंकपुरी टाण्डा में कोई सरकारी हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज न होने के कारण क्षेत्रीय छात्र एवं छात्राओं को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सरकारी कालेज खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (अखिलेश यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत ग्रामों से 05 किमी0 की परिधि में 05 अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित है।

जनपद बहराइच के डायट में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

3-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के डायट शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी हां। दो सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। प्रवक्ता के पद रिक्त हैं।

जी हां। उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली 2010 में संशोधन की कार्यवाही गतिमान है। नियमावली में संशोधनोपरान्त लोक सेवा आयोग के माध्यम से रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट-नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया में बेसिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराने की जानकारी

4-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील बैरिया में बेसिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी हां। जनपद बलिया के तहसील बैरिया में मात्र दस प्राथमिक एवं तीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में है, जहां अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करा दिया गया है। बजट उपलब्धता के अनुसार।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया में घाघरा नदी के किनारे से बालू खनन को रोकने की मांग

5-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा खैराखास, तहसील बेल्थरा रोड, जनपद बलिया में घाघरा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर बालू ठेकेदारों द्वारा उपजाऊ भूमि से बालू खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से बालू खनन करने के दोषियों को दण्डित किये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया में स्टेडियम बनवाने की मांग

6-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत बैरिया तहसील में स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

वित्तीय वर्ष 2012-13 से ग्रामीण स्टेडियम की योजना समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 होमगार्ड्स एवं पी0 आर0 डी0 विभाग द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने की जानकारी

7-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगार नौजवानों को होमगार्ड एवं पी0आर0डी0 की ट्रेनिंग कराकर रोजगार से जोड़ने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

जी नहीं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स एक स्वयंसेवी संगठन है जिसका मूल उद्देश्य निष्काम सेवा है। होमगार्ड्स संगठन के लिए भारत सरकार द्वारा 1,17,009 संख्या निर्धारित है। संगठन में समाज के ऐसे व्यक्तियों को मात्र तीन वर्ष के लिए रोल पर लिया जाता है, जो स्वयं अपना कोई व्यवसाय करते हों। उक्त अवधि के पश्चात यदि कोई होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में विभाग में रहना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति पर उसके पिछले तीन वर्षों की सेवा व उपयुक्तता के आधार पर विभाग में बनाये रखने का निर्णय लिया जाता है। जब कभी उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है, तो उन्हें शासन द्वारा निर्धारित देय ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्था नहीं है।

इसी प्रकार पी0आर0डी0 विभाग भी रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्था नहीं है।

ऐसी स्थिति में बेरोजगारों को होमगार्ड एवं पी0आर0डी0 की ट्रेनिंग कराकर रोजगार से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है ; और न ही राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना है।

8-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[दिनांक 18-6-12 के अतारांकित प्रश्न सं0 113 द्वारा उत्तरित]

जनपद बहराइच में प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूलों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग

9-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति का मानक क्या है ? जनपद बहराइच के कितने प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूनों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जनपद के सभी स्कूलों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

क्र0सं0	मद	मानक	मानक
1	2	3	4
1	पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए	प्रवेश किए गए बालक	शिक्षकों की संख्या

1	2	3	4
		साठ तक	दो
		61 से 90 तक	तीन
		91 से 120 तक	चार
		121 से 200 तक	पांच
		150 बालको से अधिक	पांच स0अ0, एक प्र0अ0
		200 बालकों से अधिक	छात्र शिक्षक अनुपात (प्र0अ0 को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।
ख	छठी कक्षा से आठवी कक्षा के लिए	कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो :-	
		1-विज्ञान और गणित	
		2-सामाजिक अध्ययन	
		3-भाषा	
		(2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए एक शिक्षक	
		(3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां	
		1-एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक	

जनपद बहराइच में शिक्षकों की कमी के कारण मानक के अनुसार शिक्षक नियुक्त नहीं हैं। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बाधित है।

यथाशीघ्र

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 इलाहाबाद के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन करने की मांग

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2009 के अन्तर्गत टी0जी0टी0 एवं पी0जी0टी0 में कितने लोगों का चयन वर्ष 2010 में किया गया तथा उसमें से कितने चयनित लोगो को नियुक्ति प्रदान की गई तथा कितने अभी शेष हैं ? शेष लोगों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2009 के माध्यम से विज्ञापित प्रवक्ता (पी0जी0टी0) सामान्य जाति के 145, पिछड़ी जाति के 300, अनुससूचित जाति के 398, कुल 843 पदों तथा प्रशिक्षित स्नातक (टी0जी0टी0) सामान्य जाति के 1671, पिछड़ी जाति के 1514, अनुसूचित जाति के 2472, अनुसूचित जनजाति के 05, कुल 5662 पदो के प्रति

चयन चयनबोर्ड द्वारा किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक के 61 तथा प्रवक्ता के 19 पदों पर चयनित अभ्यर्थी अभी तक कार्यभर ग्रहण नहीं कर सके हैं।

चययनित अभ्यर्थी का समायोजन उसी विज्ञापन, जिसमें उसका चयन हुआ हो, में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति किया जा सकता है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से समायोजन पर रोक है।

जनपद मेरठ के विकास खण्ड सरधना के ग्राम भंभोरी को शहीद गांव का दर्जा दिये जाने की मांग

11-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड सरधना के ग्राम भंभोरी ने आजादी की लड़ाई में विशेष भाग लिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गाांव को शहीद गांव का दर्जा दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में शहीद स्तम्भों/स्मारकों का निर्माण, प्रतिमाओं की स्थापना कराने की कार्यवाही की जाती है। किसी गांव को शहीद गांव का दर्जा दिये जाने की शासन स्तर पर कोई नीति निर्धारित नहीं है।

मेरठ में बाल विकास एवं पुष्टाहार वितरण हेतु जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश

12-संगीत सिंह सोम-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार योजनान्तर्गत मेरठ जनपद में बच्चों को वितरण हेतु भेजा गया पुष्टाहार किसानों के पशु खा रहे हैं जिस कारण सरकारी योजना का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मेरठ में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजनान्तर्गत पुष्टाहार के वितरण में अनियमितताओं की कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी है। बच्चों को वितरित किये जाने वाले पुष्टाहार का दुरुपयोग न हो तथा बच्चों को गुणवत्तायुक्त पुष्टाहार का वितरण सुनिश्चित हो, इसके लिए जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद बहराइच के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जानकारी

13-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में कुल कितने शासकीय तथा अनुदानित हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज हैं तथा उनमें स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार जनपद बहराइच के उक्त कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बहराइच में कुल 16 शासकीय एवं 28 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है-

	शासकीय		अशासकीय सहायता प्राप्त	
	प्रवक्ता	एल0टी0	प्रवक्ता	एल0टी0
सृजित	66	154	159	477
रिक्त	29	106	51	148

जी हां।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर शासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। स्नातक वेतन क्रम के महिला शाखा के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन की कार्यवाही मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा की जा चुकी है तथा पुरुष शाखा के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में अनुमति दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जा रही है। विद्यालय में उपलब्ध छात्र संख्या के अनुरुप रिक्त पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के किसानों द्वारा अपने घरेलू उपयोगार्थ खेत से मिट्टी खोदने के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को वापस लेने की जानकारी

14-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों द्वारा अपने घरेलू उपयोगार्थ अपने निजी खेत से मिट्टी खोदने पर खनन ऐक्ट का उल्लंघन माना जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि इस प्रकार के मुकदमें जनपद बुलन्दशहर में कितने किसानों पर विगत 05 वर्षों में दायर हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मुकदमों को वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

भारत सरकार के असाधारण गजट अधिसूचना संख्या 7/5/99 एम वी-11 दिनांक 08-2-2000 द्वारा बांधों, सड़कों, रेल मार्गों, भवनों के निर्माण के लिए भराई या समतल करने के उद्देश्य से प्रयुक्त मिट्टी को उप खनिज की श्रेणी में घोषित किया गया है। किसानों द्वारा अपने निजी खेत के समतलीकरण में खुदाई करने पर मिट्टी उप खनिज की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए निजी खेत से मिट्टी खोदने पर खनिज ऐक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाता हैं।

विगत 05 वर्षों में खनन अधिनियम के अन्तर्गत 17 अभियोग अवैध खनन करने वाले ठेकेदार/माफिया व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत हुए हैं। किसानों द्वारा अपने घरेलू उपयोगार्थ निजी खेत से मिट्टी खोदने पर खनन ऐक्ट के उल्लंघन करने पर गत 05 वर्षों में कोई वाद जनपद बुलन्दशहर में योजित नहीं हुआ हैं और न ही कोई विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अब चूंकि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है और इसकी घोषणा हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

जब प्रश्न ही नहीं हैं, तो प्रश्नकाल खत्म है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था के माध्यम से एक जिज्ञासा है। मान्यवर, यह सदन बहुत संपन्न सदन है। यहां बहुत वरिष्ठ और बहुत से युवा साथी भी हमारे आयें हैं। आदरणीय कलराज मिश्र जी जब आते हैं तो सदन अपने को सम्मानित महसूस करता है, वरिष्ठ लोग हैं, पर मेरी आँखें पहले दिन से तरस रही हैं मान्यवर, मैंने सुना था कि सदन में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और युवा कल्याण का जो विभाग चल रहा था, भारत सरकार में ....

श्री अध्यक्ष-

यह कौन सा प्रश्न है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कौन सी व्यवस्था है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आदरणीय कलराज जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस सदन में दर्शन तो करा दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह एक साधारण सी बात है। इसमें कौन सी दिक्कत है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप उनसे बात कर लीजिए। अगल-बगल में बैठे हैं, बात कर लीजिए। यह कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है, मान्यवर, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा। मान्यवर, मैं आग्रह कर लूंगा। मान्यवर, आप भी प्रयास करें। मान्यवर, मैं जब भी कोई बात उठाता हूँ तो राजस्व मंत्री अपना खसरा-खतौनी लेकर खड़े हो जाते हैं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 प्रमोद तिवारी जी ने ठीक कहा कि राजस्व मंत्री खसरा-खतौनी के साथ आ ही गये हैं। मैं तो खसरा.खतौनी उनके ही पक्ष में दिखाना चाहता था, इनको आपत्ति है तो नहीं दिखाऊंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपत्ति नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यद्यपि किसी सदस्य को सदन में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करने की कोई परंपरा नहीं है मान्यवर। मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा था कृपया बात तो सुने। मान्यवर, हमारा एक सदस्य कितने दिनों तक सदन में नहीं आयेगा और अधिकतम कितने दिनों के बाद उसकी उपस्थिति होगी, इसके बारे में नियमों में मान्यवर, व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

हां, नियमों में प्राविधान है।

श्री अम्बिका चौधरी-

तो, श्रीमन्, उस व्यवस्था के दृष्टिगत अगर कोई सदस्य इस बात से चिंतित है, तो मान्यवर, यह निरर्थक प्रश्न नहीं है। यद्यपि आप बाध्य नहीं कर सकते लेकिन अगर प्रमोद तिवारी जी चाहते हैं, की कोई ऐसा सम्मानित है कि जिसके आने से सदन का सम्मान बढ़ता हो, तो मैं समझता हूँ कि सदन की भावना के अनुसार मान्यवर, आप अपनी पीठ से, चाहे सीधे निर्देश न दे लेकिन आप उनके प्रश्न के माध्यम से ही बात आ जायें। अगर सदन में वह आएयें तो अच्छी बात होगी और अच्छा लगेगा और इसमें आप अपनी व्यवस्था जो उचित समझें दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजस्व मंत्री जी, इसमें नियमों में व्यवस्था है कि कोई मा0 सदस्य आयेगा तो कितने दिन आयेगा और नहीं आयेगा तो कितने दिनों के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। तो यह सदस्य के ऊपर निर्भर करता है। यह पीठ का काम नहीं है कि कब आएगा और कब जायेगा। इसमें हमारा कोई वश नहीं है वह जब चाहे आये जब चाहें न आये। नियमों के अनुसार अगर ज्यादा दिन हो जायेंगे अनुपस्थिति के तो यह सदस्यता का सवाल है। इसलिए इस पर कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री कलराज मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, आदरणीय तिवारी जी ने कुछ अपेक्षा व्यक्त की है, आदरणीया उमा जी के यहां आगमन के बारे में तो मैं उनकी भावना को उनके पास पहुंचा दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हम बहुत आभारी रहेंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 जून, 2012 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें 16 सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

1-श्री सन्त प्रसाद-जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी के कम्हरिया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में 2-साध्वी निरंजन ज्योति-हमीरपुर जनपद के मौदहा तहसील में खारे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए पानी की टंकी एवं टैंकरों से जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में 3-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-कानपुर नगर मे बाबूपुरवा बाजार में हुए भीषण अग्निकांड में निर्धन लोगों की 150 छोटी-बड़ी दुकानें जल जाने के कारण पीड़ित दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में 4-श्री प्रदीप माथुर- मथुरा शहर के कतिपय मार्गों पर पुल एवं ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में 5-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मंडेरवा रामपुर मार्ग पर बडया चौराहे से धौरहरा, गोचना मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में 6-श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-विधान सभा क्षेत्र जफराबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर की तैनाती एवं दवायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में 7-श्री लक्ष्मी कान्त निषाद-जनपद फतेहपुर की तहसील खागा व फतेहपुर में बालू का अवैध खनन रोके जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में 8-श्रीमती रजनी तिवारी-जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत खरगपुर अर्जुनपुर मार्ग पर राम गंगा नदी पर पैन्टूल पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 9-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन ग्राम मझली पट्टी में भीषण अग्निकाण्ड के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने एवं इलाज कराये जाने के सम्बन्ध में। 10-डा धर्म सिंह सैनी-जिला सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड सरासावा के यमुना नदी के किनारे बसे ग्रामों में बांध एवं ठोकरो/टक्करो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 11-श्री मदन चौहान-जनपद पंचशील नगर में गढ़मुक्तेश्वर में पवित्र गंगा नदी के किनारे पर पौराणिक स्थल पूढ संकरटीला में घाट का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। 12-श्री विजय कुमार-जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में परिवहन व्यवस्था को सुधारे जाने एवं एक वातानुकूलित बस लखनऊ से सिद्धार्थनगर के मध्य चलाये जाने के सम्बन्ध में। 13-श्री प्रदीप चौधरी-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ब्लाक ननौता में कृष्णा नदी पर पड़ने वाले दो ग्रामों गुडम्ब व रायचन्द के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। 14-श्री विजय बहादुर यादव-गोरखपुर ग्रामीण में महेवा से तरकुलानी तक मलौली बन्धे को बरसात में कटने से बचाये जाने के सम्बन्ध में। 15-श्री संजय कपूर-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में फायर स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में। 16-श्री पूरन प्रकाश-जनपद मथुरा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बल्देव में कतिपय मार्गों के मरम्मत/पुनर्निर्माण में हुए घोटाले की जांच व पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

1-श्री मदन गोपाल वर्मा, 2-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, 3-श्री शेर बहादुर सिंह, 4-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, 5-श्री मुकुट बिहारी वर्मा, 6-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 7-श्री अगयश राम सरन वर्मा, 8-श्री दलजीत सिंह, 9-श्री आरिफ अनवर हाशमी, 10-श्री रामहेत भारती, 11-श्री काली चरन सुमन, 12-श्री राजेश त्रिपाठी, 13-डा0 धर्मपाल सिंह, 14-श्री वेदराम भाटी, 15-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल।

श्री अध्यक्ष-

अनुपस्थित मा0 सदस्यों के स्थान पर, श्री संजय कपूर तथा श्री पूरन प्रकाश की सूचना को स्वीकार किया जाता है। यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)।

जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी के कम्हरिया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के खजनी विधान सभा के दक्षिण सीमा पर घाघरा नदी बहती है। घाघरा नदी का कम्हरिया घाट 4 जनपद एवं 4 कमिश्नरी के संगम स्थल पर है। यहाँ पर पीपे का पुल कुछ महीनों के लिए बनता है। इस वर्ष समय से पहले उसे भी हटा दिया गया। इस घाट पर पक्का पुल बन जाने से (1) आजमगढ़ जनपद-आजमगढ़ मण्डल (2) अम्बेडकरनगर जनपद फैजाबाद मण्डल (3) संत कबीरनगर जनपद बस्ती मण्डल (4) गोरखपुर जनपद गोरखपुर मण्डल आवागमन में काफी सुविधा के साथ ही बहुत कम दूरी भी तय करनी होगी।

मान्यवर, यह घाट गोरखपुर-शाहगंज मार्ग पर स्थित है। गोरखपुर एवं संतकबीरनगर के लोगों को इलाहाबाद जाने के लिये लगभग 70-80 किमी0 दूरी कम हो जाती है। इसका धार्मिक, व्यवसायिक तथा सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोग है। भारत चीन युद्ध में इस घाट का विशेष महत्व था। प्रदेश एवं देश में इस कम्हरिया घाट पर पक्के पुल का बनना अति आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कम्हरिया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

हमीरपुर जनपद के मौदहा तहसील में खारे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए पानी की टंकी एवं टैंकरों से जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*साध्वी निरंजन ज्योति-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत मौदहा तहसील में खारे पानी की समस्या के कारण जनमानस को 2-3 किमी0 दूर नदियों से पानी लाकर जीवन यापन करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पड़ रहा है। इसमें प्रमुख रूप से ग्राम चादी, भमई, छानी, बक्छा, लेवा, छोटा लेवा, पासुन, खैर, भैसखरी, सिजवाही, टिकरी, कपसा, इचौली सहित अनेकों ग्रामों का पानी खारा है जिसके कारण इन ग्रामों के हजारों परिवार 2-3 किमी0 दूर नदियों से पानी लाने को बाध्य हैं। यहाँ काफी समय से टंकी के माध्यम से जलापूर्ति किये जाने की मांग की जा रही है, परन्तु अभी तक शासन एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण टंकी द्वारा जलापूर्ति न होने से क्षेत्र की जनता में असन्तोष व्याप्त है जिसका संक्षिप्त निदान जनपदीय प्रशासन द्वारा टैंकरों द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना सम्भव है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पेयजल की समस्या के समाधान करने की मांग करती हूँ।]

कानपुर नगर में बाबूपुरवा बाजार में हुए भीषण अग्निकाण्ड में निर्धन लोगों की 150 छोटी-बड़ी दुकानें जल जाने के कारण पीड़ित दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय, जनपद कानपुर नगर में दिनांक 26-04-2012 को बाबूपुरवा बाजार में हुए भीषण अग्निकाण्ड में सभी वर्गों के निर्धन लोगों की 150 छोटी बड़ी दुकानें जल कर स्वाहा हो गयीं। इस अग्निकाण्ड में पूरी तरह से सब कुछ जल कर राख हो गया। पीड़ित दुकानदारों को आज तक कोई भी आर्थिक सहायता न तो जिला प्रशासन द्वारा दी गयी और न शासन द्वारा कोई सहायता दी गयी। पीड़ित दुकानदारों का सब कुछ जल कर नष्ट हो जाने के कारण उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है, उनके सामने आय का कोई स्रोत नहीं रह गया है। पीड़ित दुकानदारों को उनकी रोजी रोटी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अग्निकाण्ड में पीड़ित दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

मथुरा शहर के कतिपय मार्गों पर पुल एवं ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना

*श्री प्रदीप माथुर-

[महोदय, मथुरा शहर में वृन्दावन, छटीकरा, राधाकुण्ड मार्ग पर राजकीय सेतु निगम, उ0प्र0 द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य पिछले 5-6 वर्षों से कछुआ गति से चल रहा है, जिसके कारण हजारों यात्रियों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है, क्योंकि निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण बचा हुआ रास्ता भी अत्यन्त ही भयावह स्थिति में क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों, तीर्थयात्रियों को अत्यन्त परेशानी हो रही है। अतः इस रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से श्रीकृष्ण जन्म स्थान जाने वाले मार्ग पर रेलवे का फाटक बन्द होने पर देश विदेश से आये हजारों श्रद्धालु, तीर्थ-यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों को घण्टों इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फाटक बन्द होने पर यात्रियों को एक बार में 5 से 6 घण्टे तक फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है। यह रेलवे लाइन दिल्ली-मुम्बई-कोलकाता जाने वाले मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है। अतः शीघ्र ही कार्यवाही कर गोविन्द नगर रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनवाया जाय। यह स्वीकृत हो चुका है।

मथुरा से अलीगढ़ जाने वाले इस मार्ग पर वर्षों पुराना पुल अत्यन्त ही जर्जर और दयनीय अवस्था में है। इसकी स्थिति अत्यन्त ही भयावह है, यह पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। इस पुल के धराशायी होने से हजारों लोगों की जान-माल की चिन्ता निरन्तर बनी रहती है, क्योंकि इस पुल पर आवागमन में ट्रक, बस, ट्रैक्टर, टैम्पो, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं साइकिल तथा पैदल जाने वाले यात्रियों की संख्या हजारों में है। यह भी अत्यन्त व्यस्ततम मार्ग है। अतः शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग द्वारा इस पुल का (मथुरा-अलीगढ़ मार्ग पर पुल) सुदृढ़ीकरण करवाया जाय।

मथुरा-अलीगढ़ मार्ग पर आवागमन भारी मात्रा में होता है। प्रतिदिन जाम होने की स्थिति में 6-7 घण्टे तक हजारों लोगों को जाम खुलने का इंतजार करना पड़ता है। चूँकि यह पुल जर्जर अवस्था में है, इसलिए इसका सुदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है, जोकि शीघ्र कराया जाना चाहिये। परन्तु इसके समानान्तर एक नये पुल का निर्माण किया जाना नितान्त ही आवश्यक हो गया है। अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग द्वारा उ0प्र0 राज्य सेतु निगम को शीघ्र ही धनराशि अवमुक्त करके मथुरा-अलीगढ़ मार्ग पर समानान्तर नये पुल का निर्माण जनहित में कराया जाय।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मंडेरवा रामपुर मार्ग पर बड़या चौराहे से धौरहरा, गोचना मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[मान्यवर, जनपद बस्ती के मेरे विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम-मुण्डेरवा, रामपुर मार्ग पर बड़या चौराहे से धौरहरा, गोचना तक की सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस सड़क में हजारों लोगों का आवागमन जारी है। सड़क ठीक न होने के कारण आये दिन कोई न कोई दुर्घटनायें होती रहती हैं। जिसके कारण जनमानस में काफी आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क को ठीक कराकर डामरीकरण किये जाने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र जफराबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर की तैनाती एवं दवायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र जफराबाद के प्रा0 स्वा0 केन्द्र नेहरू नगर का है। वर्ष 2010 में निर्माण कराया गया था। जिसमें डाक्टर की तैनाती अभी तक नहीं की गयी और दवा का प्रबन्ध ही किया गया है। वह अस्पताल पर आज तक कोई डाक्टर की तैनाती न होने से वहां मरीज इलाज कराने से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को दूर जाना पड़ता है। जिससे मरीज हालत में दम भी तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति उक्त अस्पताल पर डाक्टर और दवा उपलब्ध कराने की मांग जनता द्वारा बार-बार की जाती है, यह बहुत गम्भीर प्रकरण है और क्षेत्रीय आम जनता से जुड़ा हुआ है।

अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त अस्पताल पर यथाशीघ्र डाक्टर की तैनाती एवं दवा उपलब्ध कराये जाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर की तहसील खागा व फतेहपुर में बालू के अवैध खनन रोके जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लक्ष्मी कान्त उर्फ पप्पू निषाद-

[महोदय, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जनपद फतेहपुर की तहसील खागा व तहसील फतेहपुर के यमुना नदी से संगोली गढ़ा ऐरेई/ओती, कोर्रा कनक में अवैध मौरंग/बालू खनन कार्य किया जा रहा है, प्रतिदिन हजारों ट्रक अवैध मौरंग निकाली जा रही है। प्रति ट्रक 15000/-रु0 लिये जा रहे हैं। बालू माफिया दलजीत सिंह व दलपत सिंह, निवासी कालू कुआं शहर बांदा व अजयराज द्विवेदी, कल्पनाथ दुबे, पीयूष द्विवेदी, निवासी फतेहपुर द्वारा उपरोक्त मौरंग खदानों में अवैध खनन पोकलैण्ड/जे0सी0बी0 मशीनें लगा कर किया जा रहा है तथा नदी की जल धारा को परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को क्षति हो रही है। अजयराज द्विवेदी द्वारा मई, 2012 में जो इन्हीं के उपरोक्त ग्रुप द्वारा अवैध खनन कोर्रा कनक में किया गया था। जिला प्रशासन से मिलकर 2000 घन फिट मौरंग की नीलामी 25 हजार घन फिट बनाकर एक करोड़ तीस लाख की ली गयी है, जिसके नाम पर कोर्रा कनक में यमुना नदी में करीब 75000 घन फिट का अवैध खनन किया गया है। 5 पोकलैण्ड मशीनें तथा ट्रक भरने के लिए 3 जे0सी0बी0 मशीनें दलजीत सिंह की लगी है तथा भण्डारण का लाइसेंस लेकर 50 हजार घन फिट का अवैध भण्डारण शंकरपुरवा पेट्रोल पम्प के पास तथा दतौली में तथा ओती के पास बाग में किया गया है। दैनिक समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं तथा कई बार लोगों द्वारा शासन-प्रशासन में अवैध खनन बन्द कराने तथा उपरोक्त बालू माफियाओं के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कार्यवाही की मांग की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री के निर्देश पर निदेशक भूतत्व खनिकर्म भी मौके पर जाँच करने गये थे, लेकिन मिलीभगत के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर शासन स्तर से कार्यवाही कराने की मांग करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत खरगपुर अर्जुनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती रजनी तिवारी-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना है कि जनपद हरदोई के मेरे विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत खरगपुर अर्जुनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर बड़ा गांव अर्जुनपुर के मध्य पी0डब्लू0डी0 द्वारा पैन्टून पुल की व्यवस्था की जाती है, उक्त पैन्टून पुल लगभग 25 वर्षों से बनाया जा रहा है, परन्तु वर्षा के दिनों में लगभग चार माह तक सम्पूर्ण क्षेत्र दो भागों में बंटकर अव्यवस्थित हो जाता है। राम गंगा नदी के पास बसे क्षेत्रवासियों को जनपद मुख्यालय हरदोई तक लगभग 100 कि0मी0 का सफर वाया फर्रुखाबाद सड़क मार्ग से तय करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल निर्माण करने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों/प्रशासन से अनुरोध किया गया, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि जनहित में उपरोक्त पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन ग्राम मझली पट्टी में भीषण अग्निकाण्ड के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने एवं इलाज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमेश चन्द्र बिन्द-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि दिनांक 15-06-2012 का जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन के अन्तर्गत ग्राम मझली पट्टी धबिया मौजा गांव में भीषण अग्निकाण्ड होने के कारण पचासों घर जल कर राख हो गये हैं। पीड़ित परिवारों का सब कुछ जलकर खत्म हो गया है। काफी संख्या में लोग आग से बुरी तरह जल गये हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इन परिवारों को राजस्व विभाग द्वारा जो अहैतुक सहायता धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। वह उन परिवारों की हानि और वर्तमान महंगाई के दौर में जीवन यापन करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने में कुछ भी नहीं है। उपरोक्त गांव के निवासियों के पास अब न तो खाने के लिए कुछ बचा है और न ही उन्हें रहने हेतु आवास ही रह गये हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से अनुरोध भी किया गया, परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग के साथ-साथ अहैतुक सहायता धनराशि बढ़ाये जाने की भी मांग करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड सरसावां के यमुना नदी के किनारे बसे ग्रामों में बांध एवं ठोकरों/टक्करों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

[महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला सहारनपुर के मेरे निर्वाचन क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड सरसावां के अन्तर्गत यमुना नदी के किनारे पर ग्राम ग्याजुद्दीनपुर आदि स्थित है। वहाँ पर बन्धा न होने के कारण बाढ़/वर्षा के दिनों में यमुना नदी का पानी गांवों के अन्दर तक भर जाता है, तथा बड़े पैमाने पर गांवों की भूमि कटान हो रही है, अगर इस बार वहाँ पर बांध एवं ठोकरों/टक्करों का निर्माण नहीं कराया गया तो पूरा का पूरा गांव यमुना नदी में समा जायेगा। जिस कारण क्षेत्रीय गामीणों/जनता के साथ हमेशा बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से वहाँ पर बन्धा बनाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त गांव पर स्थित यमुना नदी पर बाँध एवं ठोकरों/टक्करों का निर्माण किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद पंचशील नगर में गढ़मुक्तेश्वर में पवित्र गंगा नदी के किनारे पर पौराणिक स्थल पूढ़ संकरटीला में घाट का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर में पवित्र गंगा के किनारे एक पौराणिक स्थल पूढ़ संकरटीला नामक आबादी वाला स्थान है। यहीं पर गुरुकुल कालिज है। दूर-दूर से क्षेत्रीय व बाहर से लोग यहां स्नान करने आते हैं तथा यहीं पर कुछ दूरी पर अन्तिम निवास है। हजारों श्रद्धालु इस पौराणिक शंकरजी के स्थान पर गंगा स्नान करने हेतु आते हैं लेकिन घाट न होने से भारी समस्या होती है। डाल्फिन मछलियों को भी इसी स्थान पर देखा जाता है। अतः इस स्थान का सौन्दर्यीकरण कराना अत्यन्त आवश्यक है। अतः मैं इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय सूचना की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में परिवहन व्यवस्था को सुधारे जाने एवं एक वातानुकूलित बस लखनऊ से सिद्धार्थनगर के मध्य चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय पासवान-

[महोदय अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 303 कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जो काफी पिछड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों की संख्या कम है, और उसमें से अधिकतर बसें बिल्कुल जर्जर हालात में हैं। जो आये दिन खराब होती रहती हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में काफी जनाक्रोश व्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शासन से कार्यवाही/वक्तव्य किये जाने एवं एक वातानुकूलित बस लखनऊ से सिद्धार्थनगर के लिए चलाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ब्लाक ननौता में कृष्णा नदी पर पड़ने वाले दो ग्रामों गुडम्ब व रायचन्दा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ब्लाक ननौता में कृष्णा नदी पर पड़ने वाले दो गांव गुडम्ब व रायचन्दा पड़ते हैं। ग्रामीणों को आने जाने के लिए कोई पुल न होने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में या तो लोगों को तैर कर आना पड़ता है या फिर लगभग 5-6 किमी0 घूमकर आना पड़ता है। जिससे लोगों का काफी समाय एवं धन व्यय होता है। बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आने पर दोनों गांवों का एक दूसरे गांव से सम्पर्क टूट जाता है। ग्रामीणों की उक्त समस्या के निराकरण हेतु उक्त नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे समस्या का समाधान हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रशन पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

गोरखपुर ग्रामीण में महेवा से तरकुलानी तक मलौली बन्धे को बरसात में कटने से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण में महेवा से तरकुलानी तक 30.4 किमी0 की लम्बाई में मलौली बन्धा है जो गोरखपुर की बाढ़ की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बांध है यह बन्धा सन् 1998 में विभागीय लापरवाही की वजह से अजवनिया के पास कट गया था। जिससे गोरखपुर शहर एवं ब्लाक खोरावार के बीसों गांव भरवरिया, कजारपुर, महुई सुधरपुर, बड़गो, झड़वा, फिरवनिया, गायघाट, सिकटौर, लहसरी, राम गढ़ जैसे गांव व शहर के तारामण्डल, शिवपुर कालोनी, सिद्धार्थ इंक्लेव, आजाद नगर, रुस्तमपुर जैसे शहर के लाखों आबादी में तेज गंगा की धारायें बहने लगी थीं जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त व जीना दुर्लभ हो गया था। जिससे कईयों करोड़ों की धनहानि एवं जनहानि हुई थी। उसी प्रकार इस वर्ष भी अगर पड़ोसी राज्य नेपाल ने पानी छोड़ा तो अभी तक बाढ़ खण्ड के द्वारा किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की गयी है। जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं यह लापरवाही सन् 1998 की पुनरावृत्ति न कर दे। जिससे आम नागरिकों का जीना दुर्लभ हो जाय।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। लाखों लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है तात्कालिक है। अतः नियम 301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में फायर स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में फायर स्टेशन न होने की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। यह कृषि प्रधान तहसील है और उ0प्र0 की अधिकतम कृषि की पैदावार करने वाली तहसील है। यहाँ से जनपद मुख्यालय की दूरी लगभग 35 कि0मी0 है तथा प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये की फसल जलकर नष्ट हो जाती है। क्योंकि फायर स्टेशन दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड आने में काफी समय लग जाता है तथा उसका लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ पर फायर स्टेशन खोले जाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है तथा यहाँ पर फायर स्टेशन खोले जाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तथा अस्थायी रूप से यहाँ पर फायर स्टेशन खुलता है। इसकी पत्रावली भी शासन में लम्बित है। यहाँ पर फायर स्टेशन न खोले जाने के कारण जनता में रोष व्याप्त है।

मैं इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बल्देव में कतिपय मार्गों के मरम्मत/पुनर्निर्माण में हुए घोटाले की जाँच व पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा बल्देव में पिछले 2 वर्ष के अन्तराल में गोकुल से बल्देव मार्ग, राया से बल्देव मार्ग, वाया कारब बन्दी मार्ग, राया से सादाबाद मार्ग, बल्देव से नगला आकोश बाया बरौली नगला संजा मार्ग, कंजौली घाट पुल से कासिम पुर मार्ग, जमुना पार लक्ष्मी नगर से महावन मार्ग आदि का प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च करके मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया गया था, जिसमें कि सम्बन्धित इंजीनियरों ठेकेदारों की मिलीभगत से इन उपरोक्त मार्गों में मानक के विपरीत कार्य कराये एवं भारी घोटाला किया गया, जिसके कारण उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण मार्गों की सड़क उखड़ गयी है एवं जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं, सड़क की गिट्टी/पत्थर बाहर निकल आये जिसके कारण लोगों को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है, मार्ग जर्जर होने के कारण जनता में काफी रोष एवं असन्तोष व्याप्त हो गया है।

अतः उपरोक्त जनहित व लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं अविलम्ब उक्त मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने की माँग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

[आज दिनांक 19 जून, 2012 को नियम 300 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की भारत सरकार द्वारा सहस्त्राब्दि संकल्प (एम0डी0जी0) पर बनी सहमति के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बजट का 9 प्रतिशत की धनराशि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व्यय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई कर विद्युत तथा औद्योगिक उत्पादन का कार्य किये जाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने एवं नोवल इकाई बरखेड़ाकला द्वारा कम मूल्य पर गन्ना क्रय किये जाने के सम्बन्ध में, यह नियम-300 में कहाँ आता है, तीसरी श्री अजय कुमार उर्फ लल्लू की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस पर लगी रोक समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में यह नियम-300 में नहीं आती है, आप पढ़ लिया करें। समय क्यों बरबाद करते हैं। चौथी श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहाँपुर के कृषि उद्योग एवं आजादी की लड़ाई में दी गयी कुर्बानियों को देखते हुए जनपद को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, यह नियम-300 में नहीं आती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सुनेंगे तो आ जायेगी, आप ग्राह्यता पर दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, अभी जब भाषण होगा तो कह लीजियेगा।

पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान की माननीय विधायकों को रेलवे कूपन द्वारा आम लोगों की तरह तत्काल आरक्षण सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, यह संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, व्यक्तिगत है, यह आप चैम्बर में मुझसे बात करें। माननीय नेताओं से इस पर बात हुई है, इस पर यहाँ चर्चा भी हुई थी और कमेटी बनी है और उसकी तिथि तय करके रेलवे बोर्ड और सबको बुला करके, माननीय हुकुम सिंह जी ने और कई लोगों ने इस प्रश्न को उठाया था, उसके लिए उन्हें बुलाया जायेगा और बात की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा सहकारी संकल्प के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बजट धनराशि व्यय न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, भारत, भारत के संविधान के अनुसार केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध मान्यवर, पूरी तरीके से एक दूसरे पर सकारात्मक रूप से सहयोग पर आधारित है। मान्यवर, आज जो बजटिंग है, जो आज अंशदान है या जो पूरा धन होता है, किस तरह से किस प्रदेश को आवंटित किया जाय, मान्यवर, जो प्रदेश ज्यादा से ज्यादा केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर लेता है या केन्द्रीय सहायता के माध्यम से विश्व बैंक या अन्य परियोजनाओं से प्राप्त कर लेता है, वहाँ द्रुतगति से विकास होता है। मान्यवर, एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार ने चलाई थी, जिसका नाम है सहस्त्राब्दी विकास संकल्प, जिसे अंग्रेजी में एम0डी0जी0 के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जो मान्यवर, यूनिसेफ का, जो मान्यवर, तमाम विश्व बैंक परियोजनाओं का संकल्प है कि पूरी दुनिया के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधायें मिलें और यह उनका अधिकार भी है। भारत सरकार ने सहस्त्राब्दी विकास संकल्प पर हस्ताक्षर किये हैं, अब भारत सरकार के बाद बहुत से प्रदेश सरकारों को इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके लिये एक मानक है, कंडीशन है कि उन राज्यों को अपने बजट का 9 प्रतिशत शिक्षा और स्वास्थ्य पर देना होगा, जो उनका बजट होगा, जिससे यह लगे कि वह राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सचेत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ लाखों लोग शिक्षा से वंचित हैं, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ कई तरह की बीमारियाँ व्याप्त हैं, रोज प्रश्न उठता है, पूर्वांचल की बिमारियों का, रोज प्रश्न उठता है, तमाम तरह की बीमारियों का, उससे उत्तर प्रदेश ग्रसित है। मेरा कहने का आशय है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के मामले में अभी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत कुछ किया भी गया है। मान्यवर, मैंने बहुत से राज्यों के बजट देखे, जिन्होंने 9 प्रतिशत अपने यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर आवंटित किया है उन राज्यों को वाह्य सहायता के रूप में बहुत धन मिला है और उसके सहारे उन्होंने अपने यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं सिर्फ इतनी व्यवस्था चाहता हूँ कि मान्यवर, यह मिलने वाली धनराशि, जो प्रदेश सरकार के बच्चों को शिक्षा दे देगी, जो स्वास्थ्य से वंचित तबका है उसे स्वास्थ्य दे देगी। लेकिन सहस्त्राब्दी विकास संकल्प का लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब हम 9 प्रतिशत अपना लक्ष्य निर्धारित करें, इसे आप कह सकते हैं कि एक मानक है, जिसे पूरा किये बगैर यह नहीं मिल सकता है। मेरी चिन्ता, मेरी परेशानी बजट देखने के बाद हुई कि यह 9 प्रतिशत नहीं है। मैं औचित्य के माध्यम से यह प्रश्न उठाना चाहता था और चाहता था कि हमारा उत्तर प्रदेश भी सहस्त्राब्दी विकास संकल्प से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करे तथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर वाह्य सहायता को प्राप्त करे, केन्द्र की सहायता को प्राप्त करे। इस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ, मेरा आशय सिर्फ यह है कि हमारे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा धन मिल सके।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कटिबद्ध है और यह बजट हमारा इस बात का सुबूत है कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खास तौर से प्रावधान किये हैं। मैं इस समय जोड़ करके तो प्रमोद तिवारी जी को नहीं बता पाऊँगा कि 9 प्रतिशत है या नहीं है, लेकिन अन्दाजा इस बात का है, जिस तरह से स्कीम्स लाई गई हैं और जैसी घोषणा भी थी समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र में, जिसे लागू किया गया है। 30 हजार रुपया बच्चियों की पढ़ाई के लिये, बच्चों के अन्दर कॉन्फीडेन्स और एतमाद पैदा करने के लिए उन्हें लैपटॉप देने का, उन्हें टैबलेट देने का और सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का, इन सभी चीजों को यदि हम जोड़ेंगे तो अनुमान यह है कि 9 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। इसके बावजूद भी यदि कहीं कमी रहती है तो यह प्रश्न किसी एक राजनैतिक दल का नहीं है बल्कि पूरे सदन और पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मिलनी चाहिये, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये। स्वास्थ्य को लेकर जो पिछले दिनों हुआ है, जिस तरह से लोग जेलों में हैं, जिस तरह से लूट हुई है, जिस तरह से हत्यायें हुई हैं। एक सी0एम0ओ0 की हत्या का तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। जो पहली हत्या हुई थी सी0एम0ओ0 की, वह रामपुर से बरेली राजमार्ग पर तहसील मिलक के लगे सड़क नाले में पहली लाश मिली थी और मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ और अपनी सरकार को भी इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि वह पहली डिप्टी सी0एम0ओ0 की लाश थी, जिसके बारे में आज तक नहीं मालूम कि वह हत्या क्यों हुई थी। इस तरह से जहाँ प्रदेश में स्वास्थ्य के नाम पर लोगों की जाने गईं और यहाँ तक कि जेल में जहाँ हार्ड इन क्रिमिनल अपनी जमानत तुड़वाकर सिर्फ इसलिए कि बाहर उनका दुश्मन उन्हें मार देगा और वह जेल में अपने आपको महफूज समझते हैं लेकिन जहाँ जेल में भी सी0एम0ओ0 और डिप्टी

सी0एम0ओ0 की जान हिफाजत में न हो और वहाँ हत्या हो जाय, ऐसी लोकानूनियत का दौर गुजरा है और उससे जाहिर है कि निपटने में परेशानी तो होगी ही। अभी चन्द दिनों की बात है लेकिन प्रमोद तिवारी जी हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, आपकी भावना बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रखा जायेगा और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी मेरी जानकारी में है कि शिक्षा का बजट 17 प्रतिशत है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं समझा दूँ, 9 प्रतिशत टोटल बजट का नहीं होता, मान्यवर, बजट में किस प्रावधान में शिक्षा के किस हिस्से में लग रहा है। माननीय मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है, वह उसे देख लेंगे, मेरा उद्देश्य यह था कि हमारे उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा केन्द्र और विश्व संगठन की सहायता मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 तिवारी जी को सुना और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

(मा0 सदस्य श्री अजय कुमार ''लल्लू'' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 2 लेने दीजिये। आप नियम से बोलेंगे कि बिना नियम के बोलेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम 300 में सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

आपका नियम 300 में नहीं आता है, इसलिये मैंने नहीं लिया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 (1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक) को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 3, 4, 5 एवं 6 में कुछ नहीं है।

---

†छापा नहीं गया।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 जून, 2012 को नियम 56 में कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई हैं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की गाँधी फैजाम कॉलेज, शाहजहाँपुर में बी0एड0 में तकनीकी कारण बताकर परीक्षार्थियों को परीक्षा की अनुमति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्यरत मानदेय शिक्षकों की सेवायें समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री दीपक पटेल, श्री रोशन लाल वर्मा एवं ठा0 सूरज पाल सिंह की जनपद इलाहाबाद के थाना नवाबगंज में दिनांक 16-06-2012 को मूकबधिर लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह की सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक बहने वाली यमुना नदी में पानी की उपलब्धता के सम्बन्ध में 1994 में हुए एम0ओ0यू0 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पाँचवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री संजय कपूर एवं श्री पंकज कुमार मलिक की प्रदेश में बी0ए0एम0एस0 डिग्री धारक इंटीग्रेटेड चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सा करने पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा रापतपुर, तहसील खजनी में दिनांक 16-06-2012 को हुए अग्निकाण्ड में पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुई :-1. श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री राधेश्याम, श्री गयादीन अनुरागी, श्री विवेक कुमार सिंह एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव, पुनरावृत्ति के कारण निरस्त 2-श्री राम चन्द्र यादव, 3-साध्वी निरंजन ज्योति, 4-श्री जगन प्रसाद गर्ग, 5-कुँवर भारतेन्द्र सिंह, 6-श्री सतीश महाना, 7-श्री अगयश राम सरन वर्मा, 8-श्री मनोज कुमार, 9-श्री अजय कुमार ''लल्लू'', 10-श्री अनीसुर्रहमान, 11-डॉ0 धर्म सिंह सैनी, 12-श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज, 13-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप।

श्री अध्यक्ष-

अजय कुमार लल्लू जी आपका क्या है, इसी से सम्बन्धित है ?

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, वह दूसरा था जो नियम 56 में लगाया था। अहिरौलीदान ग्राम सभा में इस समय नदी से कटान बड़ी तेजी से हो रही है, सैकड़ों घर कट चुके हैं। इसको आज लगा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, जो नियम 300 में लगाया था उसको नियम 56 में लगा दीजिये, यह बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम 56 की सूचना की ग्राह्यता पर आपने बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पिछले वर्ष गाँधी फैजाम कालेज, शाहजहाँपुर में जो कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध है। उसमें 100 विद्यार्थियों को बी0एड0 में प्रवेश करने की अनुमति दी गयी थी, गाँधी फैजाम कालेज के प्रबन्ध समिति और प्रधानाचार्य ने ऐसा बताया। उसी के अनुसार 100 बी0एड0 के छात्रों का प्रवेश अपने यहाँ ले लिया गया। बाद में यह पता चला कि गाँधी फैजाम कालेज को रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली ने केवल 50 विद्यार्थियों को बी0एड0 में प्रवेश देने की अनुमति दी थी, 50 को अनुमति नहीं दी थी। अनुमति की प्रत्याशा में कालेज में एडमीशन तो ले लिया, लेकिन रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय से अनुमति नहीं मिली। बाद में यह मामला और आगे बढ़ा, जब छात्र बहुत आन्दोलित हुए तो 50 जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी थे, उन लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गयी, वे लोग परीक्षा में बैठे, उनको उसके हिसाब से परिणाम आ गया। शेष 50 विद्यार्थियों को आन्दोलन करते हुए काफी समय हो गया। लेकिन उन लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली। मुझे यह भी पता चला है, मैं इस फैक्ट को कन्सील नहीं करना चाहता कि यह मैटर कोर्ट में भी गया है। कल से फिर से परीक्षा होने जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि चूँकि स्टूडेण्ट्स का मामला है, साल भर उन्होंने पढ़ा है, बोनाफाइड स्टूडेण्ट्स हैं, उनका बाकायदा एडमीशन हुआ है, इसलिए उन लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी जाय, ताकि उन लोगों का भविष्य खराब न हो, यह साल खराब न हो। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी करना चाहता हूँ और इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ। पचास छात्रों के भविष्य का मामला है, मैं चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित कर दें कि इस सम्बन्ध में संज्ञान लेकर उनके भविष्य को बचा लें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, बी0एड0 कालेजेज के दाखिलों का गम्भीर मामला है और आये दिन हम लोगों के सामने ये चीजें आती हैं। एप्लाई कर दिया, 100 सीट के लिये, अनुमति मिली 50 सीट की, जो कि 50 सीट की ही मिलती है। क्यों दोगुने दाखिले किये गये ? इसलिये कि कैपीटेशन फीस लेते हैं और अपंग को भी नहीं छोड़ते हैं। अभी दो दिन पहले मैंने मुरादाबाद के कालेज में, डी0आई0ओ0एस0 को भी लिखा है और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को लिखा है और कहा भी है कि 70 प्रतिशत विकलांग लड़की को, उसका एक हाथ नही हैं, उससे भी पैसे माँग रहे हैं। रियायत तो कर नहीं रहे हैं, रियायत चाहते हैं। क्यों आपने 50 दाखिले और कर लिये जब आपको परमीशन नहीं थी। बच्चे तो परेशन होंगे ही। खासतौर से बी0एड0 कालेजेज में ये परेशानी आ रही है क्योंकि उसके आधार पर नौकरियाँ मिल जाती हैं प्राइवेट कालेजेज में, स्कूल्स में या अपने स्कूल खोल लेते हैं बी0एड0 के आधार पर। अब इस बात की भी इजाजत हो गयी है कि अगर एम0एड0 किया हुआ है तो बी0एड0 कालेज में लेक्चरर की नौकरी मिल जाती है, शर्त नहीं है, पी0एच0डी0 होना। पाँच साल का समय देते हैं कि इस बीच में आप पी0एच0डी0 कर लें। तो बी0एड0 कालेजेज की काफी परेशानी आ रही हैं खासतौर से यह भी देखने की जरूरत है कि बी0एड0 कालेजेज बहुत परेशान कर रहे हैं, दाखिलों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और पैसा ले रहे हैं, काफी बड़ी रकम ले रहे हैं। इस पर भी मान्यवर, नजर है। इसे भी रोकने की कोशिश करेंगे। नहीं रुकेगी तो कम करने की कोशिश करेंगे। इस मामले में मैं अलग से जानकारी लेना चाहूँगा। मेरे पास क्योंकि फौरी तौर पर जानकारी नहीं है, इसलिये नहीं मालूम, लेकिन मोटे तौर पर आपके प्रश्न में इसका जवाब था कि आपको 50 की परमीशन मिली है, अभी 100 की परमीशन मिली ही नहीं, लिहाजा जिसकी इजाजत ही नहीं मिली उसके दाखिले क्यों कर लिये। दाखिले ही गलत हुए हैं। जब तक इजाजत न मिल जाय बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, उस वक्त तक दाखिलों का कोई औचित्य नहीं होता है, इसलिये काम रोकने का भी प्रश्न नहीं होता है। खन्ना जी मेरे ख्याल से सहमत होंगे और अपने प्रश्न को वापस लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल से परीक्षा हो रही है, उन्होंने पिक एण्ड चूज के आधार पर 50 लोगों को एलाऊ कर दिया है। इसमें यूनीवर्सिटी वालों से रिकार्ड मंगवा लें। इसमें विद्यालय वालों की तो 100 प्रतिशत गलती है। उनको एडमीशन नहीं लेना चाहिए था। यह 50 छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिये इसका कोई न कोई समाधान तो होना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मेरे ख्याल से आप सब इसके गवाह होंगे। मलिक कमाल यूसुफ साहब ने अपने कालेज की बात रखी थी, हमारी पार्टी के भी नहीं हैं लेकिन बात सही थी और उनका शाम तक समाधान हो गया। अगले दिन समस्या हल हो गई और एक्जाम हुये। मैं इसे भी देखूँगा, क्योंकि दाखिले ही गलत हुए हैं। यह बात तो कालेज से पूछनी चाहिये। जब आपको इजाजत नहीं मिली, 51वें दाखिले की तो आपने 100 दाखिले किये कैसे ? यह तो कालेज की मान्यता के लिए सवाल खड़ा हो जायेगा कि ऐसे कालेज को मान्यता कैसे मिल गई जो फर्जी दाखिले कर रहे हैं। यह दोहरा मामला है, बच्चों के भविष्य से तो खिलवाड़ है ही, खन्ना जी से भी दरखास्त है कि किस्मत की खूबी देखिये टूटी कहाँ कमन्द कुछ बाम रह गये थे, साहिल पे आते-आते। मेरे ख्याल से बहुत सही वक्त पर आपने प्रश्न उठाया है, आप तो कई दिन से तश्रीफ ला रहे हैं, पहले इस बात को कह लेते तो ज्यादा मदद हो पाती। मदद आप भी नहीं चाहते थे यही चाहते थे जो हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने 6 तारीख को भी उठाया था, माननीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए व्यवस्था भी दी थी कि ध्यानाकर्षण कर देंगे। इसी वजह से रह गया होगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप संसदीय कार्यमंत्री जी के चेम्बर में जाकर लिखकर दे देंगे तो वह दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कल से परीक्षा है। परीक्षा में शामिल करवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे पाऊँगा। जब अनुमति ही नहीं है। 51वें दाखिले की आपने 50 और ज्यादा कैसे ले लिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बात पिक एण्ड चूज की है। वहाँ आन्दोलन हो रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

बी0एड0 का दाखिला इतना आसान नहीं है, मुश्किल से होते हैं। एक-एक एडमीशन के लिए बड़ी मारा-मारी होती है। मैंने अर्ज किया है 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग लड़की को भी दाखिला नहीं दे रहे हैं, जब तक वह पैसे नहीं देगी। आन्दोलन जो हो रहा है उसके लिए हमदर्दी है, देखेंगे कि क्या हो सकता है।

*डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, महाविद्यालय एडमीशन का एप्रूवल तब तक देते हैं जब परीक्षा शुरू होने वाली होती है। तब देते हैं। कई महाविद्यालयों का प्रकरण मेरे संज्ञान में है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर सहित कई मामले हैं, पता लगा परीक्षायें तीन दिन पहले शुरू होनी है तो तीन दिन पहले एप्रूवल के लिए चिट्ठी देते हैं कि आपको इतनी सीटों की परमीशन दी जाती है। ऐसे मामलों में न विद्यालय की गलती है न छात्रों की गलती है। मान्यता कभी कभी 100 की देते हैं, कभी-कभी 50 की देते हैं। ऐसे बहुत से मामले संज्ञान में आये हैं। इसलिये इसके व्यवहारिक पक्ष को भी देखने की जरूरत है।

*प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मैं संक्षेप में बता दूँ, इसका मुझे बड़ा अनुभव है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों अनुभव बता रहे हैं यह आपका प्रश्न ही नही है। क्यों आप बीच में बता रहे हैं। इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

हम अपनी सरकार को सूचित कर देना चाह रहे हैं कि बी0एड0 में किसी को भी प्राइवेट एडमीशन लेने की अनुमति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बाहर जाकर सूचित करिये।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

एक भी सीट बिना काउंसिलिंग के नहीं हो पाती है।

श्री अध्यक्ष-

जो माइनारिटी स्कूल हैं वह करते हैं। डॉ0 राधा मोहन दास जी आप अपनी बात रखें।

*डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर कार्य-स्थगन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अवसर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह विधान सभा प्रदेश का सबसे बड़ा सदन होता है। इस विधान सभा में बहुत सारे विषयों को लेकर मा0 शिवकान्त जी, मा0 शिवकान्त जी.....

श्री अध्यक्ष-

अरे आप अपना कहिये उनसे क्या मतलब है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी जब वो सुनेंगे नहीं तो कहूंगा किससे।

श्री अध्यक्ष-

वो सुनें या न सुनें आप मुझे सम्बोधित करके कहिये, ये कार्यवाही में आ रहा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, कार्यवाही के लिये तो है लेकिन साथ में कुछ कार्य भी हो जाये इसके लिये भी है। सिर्फ कार्यवाही के लिये नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह लड़ाई बहुत दिन से गोरखपुर की चल रही है, कोर्ट भी गये। आप उसी को उठा रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सदन सर्वोच्च है और इस विधान सभा में बहुत सारे मा0 विधायक अपने क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आते हैं। सरकार उन समस्याओं को सुनती है। मा0 अध्यक्ष जी, सदन थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते तो ठीक रहता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओझा जी, ठीक से रहें। अब चलिये आप।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 सदस्य बहुत सारी समस्याओं को लेकर के सदन में आते हैं और जो समस्यायें उचित लगती हैं, सरकार उन्हें स्वीकार करती है, उनके समाधान का वादा करती है। सरकार के ये सारे स्वीकार पक्ष आश्वासन माने जाते हैं। आश्वासन समिति में जाते हैं। इन पर सारी चर्चा होती है और सरकार के अधिकारी आश्वासन समिति में आकर आश्वासन देते हैं। यह विषय उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इससे पूर्व आ चुका है। आज नहीं, आज से चार साल पहले.....

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो कोर्ट कचहरी है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी इसमें कोई कोर्ट कचहरी नहीं है इसीलिये तो मैं लाया हूं। कोर्ट कचहरी होता तो आप जानते हैं कि दस साल से मैं यहां हूं और मैं नियमों को नहीं तोड़ता हूं। जो कोर्ट कचहरी में है उस पर मैं यहां बात नहीं करता हूं। इस सरकार ने इसी सदन में आश्वासन दिया था

और संसदीय कार्य मंत्री भी वही थे। मैं आभारी हूं उनका क्योंकि इस आश्वासन के बाद जो अन्याय उन नौजवानों के साथ हो रहा था, उसको बल मिला था, उस अन्याय पर रोक लगेगी, इसकी संभावनायें बनी थीं। आश्वासन था गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत मानदेय शिक्षकों के संदर्भ में। स्वयं समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र का हिस्सा था और इसलिये जेनुइन भी था और सरकार की घोषणा भी थी, इसलिये सरकार ने सदन में कहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो मानदेय शिक्षक कार्य कर रहे हैं, हम उनके विनियमितीकरण की कार्यवाही करेंगे और एक कटऑफ डेट भी तय हो गयी थी। इस आधार पर यह विषय आश्वासन समिति में गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं कुलपति दोनों आश्वासन समिति में आये थे। मा0 सुरेश खन्ना जी या सम्भवतः कोई और आश्वासन समिति का अध्यक्ष भी था और कुलपति महोदय ने उस सदन में आकर के उस बात को, छोटे लघु सदन में आकर के कहा था कि यह सरकार का आश्वासन है और मैं सहमत हूं। जो मानदेय शिक्षक काम कर रहे हैं, जब तक उनका विनियमितीकरण नहीं हो जायेगा, तब तक उनको हटाया नहीं जायेगा। एक कुलपति का यह निर्णय था, जब तक कुलपति रहे तब-तब यह चीजें चलती रही। वह मानदेय शिक्षक जो यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन के द्वारा शिक्षक की जो सम्पूर्ण अर्हता होती है, मैं उन शिक्षकों की बात कभी नहीं करूंगा जो यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन की अर्हता को न पूरा करते हों, मैं उन शिक्षकों की भी बात नहीं कर सकता हूं जो सरकार के आरक्षण के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हों। इन दोनों ही बिन्दुओं पर वो मानदेय शिक्षक खरे उतरते थे। एक कुलपति यही आश्वासन समिति में आश्वासन देकर गये। आश्वासन समिति से उनके पास पत्र गया। कुलपति ने अपने यहां एकेडमिक काउंसिल की बैठक कर ली और अपने यहां से जवाब भेज दिया कि मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इसकी व्यवस्था कर रहा हूं और जब तक विनियमितीकरण नहीं होगा, ये शिक्षक सेवा में बनाये रखे जायेंगे। अध्यक्ष महोदय 15, 15 साल से वह कार्य कर रहे हैं, शिक्षक का काम कर रहे हैं।

आज उनके सामने एक अजीब सी स्थिति आ गयी है। एक नये कुलपति आ गये और मैंने कल इशारे में यह बात कही थी कि जो कुलपतियों की नियुक्ति की समस्या है। चूंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसके कोई अधिकार नहीं रह गये हैं इसलिये जो स्वच्छन्दता हम लोग देखते हैं, स्वच्छन्दता और उच्छृंखलता के बीच की जो सीढ़ी है वह बहुत छोटी सी है। यह स्वच्छन्दता कब उच्छृंखलता में बदलती है पता नहीं चलता। एक कुलपति आये जिन्होंने तय किया और तय करने के पीछे कारण यह था कि यह जो लोग काम कर रहे हैं, अगर इन्हें हटाया नहीं जायेगा तो जो लोग कुलपति के इर्द-गिर्द विश्वविद्यालय में काम करते हैं जिनके अपने बच्चे जवान हो चुके हैं, जब नियुक्ति का समय आयेगा तो स्वाभाविक रूप से इन जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्यरत लोगों के बच्चे हैं, इनकी नियुक्तियां नहीं हो पायेंगी। इसलिये यह स्थान खाली किया गया और इन बेचारे मानदेय शिक्षकों को युनिवर्सिटी की सेवा से निकाल दिया गया। जो आपने कोर्ट की बात कही। अध्यक्ष महोदय कोर्ट का अंतिम निर्णय आ चुका है। कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार इस पक्ष पर विचार कर ले और विचार करके अपना अंतिम निर्णय ले सकती है, अगर कोर्ट ने यह नहीं कहा होता अध्यक्ष महोदय तो मैं यह विषय लेकर इस सदन में कतई नहीं आने वाला था इसलिये आज मैं यह कार्य स्थगन लेकर आया हूं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री आप कल गोरखपुर झील की चर्चा कर रहे थे। आपने इसी सदन में आश्वासन दिया था और आज उस आश्वासन का फल यह निकला है मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी कि गोरखपुर की उस झील के सौन्दर्यीकरण का 124 करोड़ रुपये का काम जल निगम के द्वारा संचालित कराया जा रहा है। यह ताकत है इस सदन की और सदन में दिये गये आश्वासन की इसलिये मैं आपसे आग्रह कर

रहा हूं कि सरकार ने जो आश्वासन उस समय दिया था, मा0 कुलपति ने जिसे स्वीकार किया था। किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा न होने के नाते वह मानदेय शिक्षक सड़कों पर आ जाये यह उचित नहीं होगा।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी जो प्रश्न डा0 अग्रवाल जी ने उठाया है। सदन की शक्ति का जहां तक प्रश्न है। सदन को शक्तिशाली होना चाहिये, इसकी शक्ति, इसकी मर्यादा और ऊंची बढ़े इसके लिये सरकार प्रयत्नशील भी है और आप लोगों का इसमें सहयोग भी मिल रहा है, इसके लिये हम आपके आभारी हैं। जहां तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के मानदेय शिक्षकों का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में हम अपने घोषणा-पत्र से पीछे हटने वाले नहीं हैं कि अपने घोषणा पत्र से पीछे हट जाये। लेकिन मान्यवर, दूसरी कठिनाइयां भी हैं कि अगर न्यायालय के आदेश इस ढंग से होंगे कि जो उसके विपरीत है। अगर न्यायालय से ही इसके विपरीत कोई आदेश जारी हो जायेगा तो श्रीमन् आप भिज्ञ हैं। इसमें कि न्यायालय के आदेशों के विपरीत तो सरकार आगे कोई कार्य कर नहीं सकती। एक उसमें बड़ा व्यतिक्रम है राधा मोहन जी को भी विस्तार से पता होगा कि मान्यवर उसमें मानदेय शिक्षकों की मांगों पर सरकार विचार करती उसके पूर्व ही एक पिटीशन शायद दिनेश चन्द यादव या दिनेश कुमार यादव जी पिटीशनर हैं, वो अनावश्यक रूप से पिटीशन में गये, क्यों गये रिट में हम ये बता नहीं सकते। अनावश्यक था पूरी तरह से, सकारात्मक दृष्टिकोण से सारी चीजें आगे चल रही थीं और मान्यवर, उन्होंने जो स्वयं रिट फाइल किया उसमें मा0 उच्च न्यायालय ने उनकी रिट को खारिज करते हुये और दूसरे निर्देश भी जारी कर दिये और उन निर्देशों के अनुपालन की बाध्यता यह है श्रीमन् कि जब तक उसके विपरीत न्यायालय का पुनः या न्यायालय का वो आदेश जब तक प्रभावी है तब तक उस स्थिति में उन मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण का कोई प्रश्न उठता ही नहीं क्योंकि वह मा0 न्यायालय के आदेशों की अवमानना होगी। इसलिये सरकार की हमदर्दी भी है उन मानदेय शिक्षकों के साथ और सैद्धांतिक रूप से जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मानदेय शिक्षक जो 15 वर्ष से, 10 वर्ष से, 12 वर्ष से, 14 वर्ष से जो काम कर रहे हैं और न सिर्फ यह कि अध्यापकों की अनुपस्थिति में उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षण देने का काम किया बल्कि वो अर्हता भी रखते हैं, उन नौजवानों को विनियमित किये जाने में सैद्धांतिक रूप से कोई प्रश्न नहीं हो सकता था। लेकिन स्वयं उनके द्वारा फाइल की गयी जो रिट है उस पर न्यायालय के आदेश हैं तो सरकार उन आदेशों के प्रतिकूल तो नहीं जा सकती है। इसलिये जो कठिनाई है वो स्वयं उस रिट के द्वारा है, आपको इसका संज्ञान है इसलिये जब तक न्यायालय का आदेश उसके विपरीत रहेगा तब तक मान्यवर, उस आश्वासन को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में उसके विपरीत कैसे कार्यवाही होगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं न्यायालय का जो आदेश है उसे सरकार को दिये दे रहा हूं और आप उसका अध्ययन करा लें। यदि रास्ते निकलते हैं तो आप रास्ते निकाले। ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 राधामोहन दास जी को सुना, मा0 राजस्व मंत्री जी को सुना। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दीपक पटेल-

मान्यवर, यह बड़ी गंभीर और ज्वलंत समस्या है जनपद इलाहाबाद की। इस समय सुर्खियों में है और यह 11 साल की लड़की है मान्यवर, थाना नवाबगंज में मूक और बधिर थी। इसके साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया, उसके बाद गांव में ही स्थानीय लोगों ने पंचायत करा के 21 हजार रुपये का जुर्माना लगा कर मामले को खत्म कर दिया। मान्यवर, इससे ज्यादा गंभीर मामला इसलिये भी है कि पंचायत के लिये जिस जगह का इस्तेमाल किया गया, वो वहां की सरकारी प्राइमरी पाठशाला थी। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा हो और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही हो ही। जो प्रशासन के लोगो ने शुरू में संज्ञान नहीं लिया और जिन लोगों ने पंचायत करायी उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही मान्यवर हो और किये जाने की अपेक्षा करता हूं। इस पर चर्चा कराने का निवेदन आपसे करता हूं मान्यवर।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दें उससे पहले मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रकरण गम्भीर इसलिये है कि 11 साल की लड़की और वह भी गूंगी और बहरी। उससे भी ज्यादा गम्भीर यह है कि सामूहिक बलात्कार के बाद उसको न्याय मिलना तो दूर पंचायत कर के उसके मान सम्मान और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किये गये का पारितोषिक 21 हजार रुपये देकर एक सभ्य समाज का मजाक उड़ाया गया है। कानून व्यवस्था का भी मजाक उड़ाया गया है। मान्यवर, यह प्रकरण अति गम्भीर है, इसलिये लोक महत्व का है, इस पर चर्चा कराये जाने के बजाय मैं मान्यवर, इसकी संवेदनशीलता और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आपके माध्यम से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस अति गम्भीर मामले में कठोर से कठोर कार्यवाही पंचायत करने वालों के खिलाफ भी और उन दुराचारियों के खिलाफ जिन्होंने उस गूंगी बहरी लड़की के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया, कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जितनी गम्भीरता से माननीय सदस्य ने रखा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, मेरे लिये भी यह मामला उतनी गम्भीरता से लेने का है और सरकार भी उतनी ही गम्भीरता से लेगी। जितनी भी इस तरह के मामलात की निन्दा की जाये वह कम है। सच तो यह है कि कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनमें कोई सरकार, पुलिस इतनी मददगार नहीं हो सकती है, जितना समाज मददगार होता है। पुलिस का अपना रोल तो देखा जायेगा कि कहां पुलिस ने कमजोरी से काम लिया, पक्षपात से काम लिया। उससे बड़ा पंचायत करने वालों का रोल बड़ा निन्दनीय है। इसको सख्ती से देखेंगे और न्यायोचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नेता विरोधी दल और माननीय सदस्य दीपक जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। सुनने के बाद इसको अग्राह्य करता हूं।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि इससे लाखों परिवार प्रभावित हैं। यह यमुना नदी अविरल बहने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाली नदी थी और इसके दोनों तरफ बसने वाले परिवार जहां पीने के पानी की व्यवस्था इससे होती थी, कृषि भी उस पर निर्भर होती थी। कई राज्य इससे प्रभावित थे तो 1994 में एक एम0ओ0यू0 हुआ हस्ताक्षर हुए पांच राज्यों के हिमांचल प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है। उस एम0ओ0यू0 के तहत मान्यवर एक हजार क्यूसिक पानी दिल्ली के लिये आरक्षित कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय के आदेश भी हुए कि यमुना का अस्तित्व समाप्त न किया जाय। ऐसा न हो कि वह सूख जाय, सारा पानी आप पीछे ही रोक लें। अविरल धारा बहनी चाहिए। ताजिया वाला बांध है जो मान्यवर हरियाणा बार्डर पर। ताजियां वाला बांध से लेकर इलाहाबाद तक पानी निरन्तर बहना चाहिए और उसके लिये 160 क्यूसेक पानी की व्यवस्था की गई कि इसमें पानी बहता रहेगा उसको रोका नहीं जायेगा। शेष पानी जो बचा उसमें दो तिहाई हिस्सा उत्तर प्रदेश का और एक तिहाई हिस्सा हरियाणा का रहा। तकलीफ की बात है मान्यवर, जो दो तिहाई हिस्सा हरियाणा का रहा। तकलीफ की बात है मान्यवर जो दो तिहाई पानी मिलना चाहिए था उसमें से एक बूंद पानी आज उत्तर प्रदेश को नहीं मिल रहा है। सब का सब पानी ताजिया वाला से दूसरी जगह डायवर्ट हो रहा है, हम लोग प्रतीक्षा में हैं। यमुना मान्यवर एकदम सूख गई है। मैं 50 से लेकर 60 किमी0 के बारे में शपथ पूर्वक यह कह सकता हूं कि एक बूंद पानी यमुना में नहीं है। वह 160 क्यूसेक पानी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी उसमें नहीं छोड़ा जा रहा है। एम0ओ0यू0 के हस्ताक्षर होने के बाद नहीं छोड़ा जा रहा है। दो तिहाई हिस्सा हमारा था उस दो तिहाई में से एक तिहाई भी हमको नहीं मिल रहा है। परिणाम क्या हुआ? तमाम ईको सिस्टम ताजिया वाले से लेकर के इलाहाबाद तक प्रभावित हो गया, प्रदूषण आ गया। जो गंदे नाले का पानी आया वह यमुना में इकट्ठा हो गया और पानी इकट्ठा होने का परिणाम यह हुआ कि आस-पास जो कुएं हैं नल हैं उनमें प्रदूषित पानी आ गया। लाल पानी निकल रहा है। मान्यवर, और लोग हाहाकार मचा रहे हैं। आज पीने के पानी की समस्या इतनी ज्वलंत हो गई। आज मैं सुबह देख रहा था, पानी के लिए दिल्ली में मारामारी हो रही है। कल दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई दिल्ली में, हरियाणा और दिल्ली के। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान मैंने यह सुना अपने कानों से कि जितना पानी बर्बाद हो रहा है, ताजिया वाला से जो पानी जा रहा है, दिल्ली के लिए, जो पानी आरक्षित था करोड़ों-करोड़ों लीटर पानी नजबगढ़ नाले में डाला जा रहा है और शुद्ध पानी डाला जा रहा है। उन नाले में गन्दगी बहुत ज्यादा है, वह पानी न दिल्ली के काम आ रहा है और न उत्तर प्रदेश के काम आ रहा है। एक तरफ तो पानी की इस तरह से बर्बादी हो रही है, दूसरी तरफ हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिल रहा है, पानी न मिलने का परिणाम मान्यवर, आपके सामने है, हमारे सामने है। मैं तो उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, जब वहां जाता हूं, देखता हूं, समस्या इतनी भयंकर रूप धारण कर चुकी है, खड़ा होना मुश्किल हो गया है। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं भाग करके वहां से आया लेकिन हम भाग करके कहां जायें। चूंकि अन्तर बहुत ज्यादा है, भाग करके आ भी नहीं सकते। लेकिन जैसे भी आये है, हम समस्या को आपके सामने रखने के लिए आये हैं और जैसा अभी हमारे डाक्टर साहब ने भी कहा और राजस्व मंत्री ने कहा कि सदन की बहुत शक्ति है, सदन सर्वोपरि है, सब कुछ है लेकिन समस्याओं का समाधान भी तो होना चाहिए। सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो दो तिहाई हिस्सा हमारे उत्तर प्रदेश का है, एमयूओ पर हस्ताक्षर है, उसके बावजूद भी सरकार क्यों यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि हमारे हिस्से का पानी हमें मिले ? मान्यवर, हम कहां जायेंगे ? हम सदन में आयेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे। क्या सरकार कभी उन अधिकारियों से पूछती है, जिन अधिकारियों को वहां जिम्मेदारी

दी गयी है, क्यों नहीं वह अपने हिस्से का पानी ले पा रहे हैं? मान्यवर, इसमें आप पीएसी लगायेंगे, आप सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट के पास जायें, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, जो पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से का मिलना चाहिए था, पानी यमुना में आता, हम लोगों को खेती के लिए पानी मिलता, पीने के लिए पानी मिलता, उससे हम लोगों को अनधिकृत रूप से वंचित किया जा रहा है। यह पीड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपसे आग्रह है, अग्राह्य करना तो एक परम्परा है, वह तो आप करेंगे, कर दीजिए लेकिन सरकार को निर्देशित जरूर करें कि वह इस समस्या का समाधान करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, क्योंकि सम्बन्ध दो सरकारों के बीच का है, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के, इसे दिखवा लेंगे। जहां भी कमी हो रही है, इसमें कोशिश करते हैं, आप देखिए, सदन की ताकत अपनी जगह है लेकिन सदन के सामने बहुत सी चीजें ऐसी है जो तथ्यों से परे आती हैं। अभी जिस प्रश्न पर हमारे अम्बिका चौधरी जी ने जवाब दिया है। प्रश्न बड़ी मजबूती से आया और क्योंकि नियम-56 का जो सरकारी उत्तर होना चाहिए था, वह मेरे पास नहीं था जो कि नहीं होता है, जो उत्तर आ सकते हैं समय से वह भी जब सदन उठने लगता है तब आते हैं। अगर माननीय सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी में न होता कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस रिट को खारिज कर दिया है तो जाहिर है सदन के सामने सच्चाई नहीं आ पाती और हमारे बहुत ही पढ़े-लिखे, जागरूक और पुराने सदस्य के द्वारा सदन को गलत सूचना दी गई, भ्रमित किया गया और मामला इस तरह पेश किया गया जैसे सरकार इसमें पक्ष बनी हुई है और सरकार ने ज्यादती की है और इस बात का और खेद है कि डाक्टर साहब को यह मालूम था कि हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश पारित किया है, ऐसे में सरकार के लिए बड़ी शर्मिदगी का लमहा होता है जब माननीय सदस्यों के पास तथ्य हों और उस बड़े तथ्य को हम सदन के सामने न रखें मैं शिकायत कर रहा था कि आपको मालूम था कि माननीय उच्च न्यायालय का इस सम्बन्ध में आदेश हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार की अपनी सीमाएं हो जाती है। सरकार उन आदेशों से बगावत नहीं कर सकती लेकिन जिस तरह से प्रश्न आया क्योंकि आप गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीरता से रखते हैं, पूरी तैयारी से रखते हैं। जिस तरह से आपने प्रश्न रखा उसमें जवाब यही आना चाहिए था कि हम इस मामले को दिखवोंगे, न्याय करेंगे क्योंकि वह तथ्य नहीं सामने आया था। अगर व्यक्तिगत जानकारी में माननीय मंत्री जी के नहीं होता कि हाईकोर्ट का ऐसा आदेश हो चुका हैं, लिहाजा हमारी भी यह जिम्मेदारी है और आपने जवाब में कहा भी कि हां, ऐसा है, हम दे देंगे, हाईकोर्ट का फैसला और अगर उसमें कोई गुंजाइश निकलती हो, जब आपको यह मालूम था कि हाईकोर्ट ऐसा फैसला दे चुका है तो मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सदन में लाने का था ही नहीं।

और अगर सदन में आया भी था तो यह फैक्ट भी सामने आना चाहिए था कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर ऐसा निर्णय लिया है। ताकि मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को आपके सवाल से सहायता मिलती और मैं सही जवाब दे पाता।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, चूंकि यह बात यहां आ गयी इसलिए मुझे अपनी बात कहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय हुकुम सिंह पर आप गंभीरता से दिखवायेंगे ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने तो पहले ही कह दिया कि दो सरकारों के बीच का मामला है, गंभीर है, अवश्य ही दिखवायेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं दो मिनट के लिए निकलकर गया था। मान्यवर, मैं जिस आदेश की चर्चा कर रहा हूं, जिस आदेश को मैं अंतरिम आदेश कह रहा हूं मैं उस आदेश की कापी ही मंगवाने के लिए गया था। मैंने इसी वक्त फोन किया है। मान्यवर, चूंकि यह बातें यहां आ गयी हैं इसलिए जवाब आना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बात गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी पिछली सरकार का आश्वासन है और उस आश्वासन के अलावा चूंकि वाइस चांसलर का एक्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कमिटमेंट है और वाइस चांसलर का कमिटमेंट एक्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर होना और फिर उसका पालन न होना यह वाइस चांसलर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा चार्ज है। और ऐसा करने का उन्हें कोई हक नहीं हो सकता। अगर चीज गलत थी तो एक्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वाइस चांसलर का कमिटमेंट नहीं होना चाहिए था। अगर वाइस चांसलर का कमटिमेंट आन रिकार्ड है तो उसका पालन होना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय में क्या हुआ है वह बाद का मामला है, उससे पहले का आश्वासन है। तो बात तो गंभीर है। अगर उच्च न्यायालय में बाद में कोई निर्णय हुआ है तो उसे भी देखना चाहिए और वाइस चांसलर का एक्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने जो कमिटमेंट था उसको भी देखना चाहिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम रिट पेटिशन में माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को पत्र लिखकर वह सूची मंगवाई है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में मानदेय शिक्षकों के रूप में कितने शिक्षकों का विनियमितीकरण पेंडिंग है। दो महीने हो गये। सरकार को यह जवाब माननीय उच्च न्यायालय को भेजना चाहिए था। मैं इस विषय को इसलिए लेकर आया हूं। मैंने वह फैक्स मंगवाया है और वही मंगवाने के लिए मैं गया था। अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने जो बहुत पढ़े-लिखे हैं आप जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति के सामने गलत तथ्य रख दिया। प्रश्न यह है कि अगर आप यह जानते थे कि कोर्ट का मसला चल रहा है तो आप उसको लेकर क्यों आये। प्रश्न यहां पर है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 10 साल से मैं यह नहीं करता, अगर मेरे पास उस आदेश का हवाला नहीं होता तो मैं यह विषय सदन में लेकर नहीं आया होता। आपको यह बातें कहने के पहले कि 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं उस वर्किंग की पद्धति को भी देख लेना चाहिए था। अगर मैं सदन में यह कह रहा हूं कि कोई आदेश ऐसा हुआ है तो हुआ है। मैं वही लेने गया था। मैं वह दे दूंगा आप उस पर विचार कर लीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे लिये परेशानी की बात यह है कि बहैसियत संसदीय कार्यमंत्री मेरे पास जानकारी नहीं है। यह मेरे लिये बड़ा प्रश्न है। आपके लिए छोटा होगा। संसदीय कार्यमंत्री के पास यह जानकारी नहीं

है और हमारे मंत्री साथी ने यह जानकारी दी है। मेरे लिये यह प्रश्न ज्यादा बड़ा है आपके लिए उतना बड़ा नहीं है। मेरे पास यह जानकारी होनी चाहिए थी जो नहीं है, इसलिए मैं इसको गंभीरता से ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, यह सही है कि जब नियम 56 की सूचनाएं दी जाती हैं तो यहां से जिले को भेजा जाता है। जिले में सारी सूचनाएं संकलित करने में समय लग जाता होगा इसलिए आप तक वह पहुंच नहीं पाता होगा। अगर आप सब सहमत हों तो नियम56 का समय ही बदल दिया जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह कोई ऐसी गंभीर जानकारी नहीं थी। इसके लिए बहुत रिकार्ड तलाश करने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहां सचिवालय से एक टेलीफोन आता, रजिस्ट्रार आफिस, वी0सी0 के आफिस यह बड़ा मामला है और वाइस चांसलर के यहां से टेलीफोन से जानकारी मिल जाती, यहां सूचना मिल जाती। हम जवाब दे पाते। अगर यह जानकारी माननीय मंत्री जी के पास नहीं होती तो जाहिर है बड़ा तथ्य छुपा रह जाता। एक बार और आश्वासन दे दिया जाता और माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होती।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप इसको दिखवायें।

पांचवी सूचना है मा0 प्रमोद तिवारी जी, संजय कपूर और पंकज कुमार मलिक बस कोई एक आदमी बोल दे।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही गम्भीर मामला आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण स्तर पर लोग आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा इलाज करवाते हैं, हमारे प्रदेश में 50 हजार से अधिक आयुर्वेद और यूनानी इण्टीग्रेटेड चिकित्सा प्राप्त चिकित्सक काम कर रहे हैं, जिन्हें डिग्री दी गई है बाकायदा और उन्हें उस डिग्री कोर्स के माध्यम से ट्रेण्ड किया गया है जो ऐलोपैथिक दवाइयां लिख सकते हैं। मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उन्हें ऐलोपैथिक दवाई लिखने के लिए रोक दिया गया है, वह नहीं दे सकते हैं, जबकि 70 से अधिक ऐलोपैथिक दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें कोई अनपढ़ आदमी भी, कोई आम आदमी भी मेडिकल स्टोर से जाकर ले सकता है। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इसे गम्भीरता से दिखवा कर के भारतीय चिकित्सा परिषद् ऐक्ट 39 में एक संशोधन 2007 से शासन में पेण्डिंग पड़ा हुआ है, उस पर विचार करने का कष्ट करें। एक बहुत बड़ा मामला है, जनहित का मामला है, 50 हजार से ज्यादा चिकित्सकों का मामला है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी तादात जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की है उनके स्वास्थ्य का मामला है। यह सरकार अपने भाषण में पहले भी कह चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत गम्भीर है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करा ली जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसमें बताना चाहता हूं, मेरे साथी ने भी काफी बात बताई है, इसमें सेण्ट्रल गर्वनमेण्ट भी बहुत जागरूक रही है, इसमें कई स्टेटों में अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिये हैं, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में इस तरह की चिकित्सा में देने का आदेश मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काफी लम्बे समय से यह मामला पेण्डिंग है, मैं चाहूंगा कि इसे अविलम्ब कराया जाय क्योंकि 70 हजार के करीब उत्तर प्रदेश में यूनानी डाक्टर्स हैं जो देहात में हर जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तथा उ0प्र0 में डाक्टर्स की कमी है, पूरे उत्तर प्रदेश में उस कमी को पूरा करने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और उन पर रोक लगा दी गई है, इससे जहां उ0प्र0 में डाक्टरों की कमी है, वहीं जो लोग इनसे दवाइयां लेते थे 60-60, 70-70 साल से उनको परेशानी होगी तथा जो डाक्टर प्रैक्टिस चलाते आ रहे थे और उनकी जीविकोपार्जन का यही एक तरीका था और लोगों को उनसे सहानुभूति है उन्हीं से इलाज कराते हैं, तो उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा चूंकि यह मामला शासन में बहुत लम्बे समय से विचाराधीन है, समय-समय पर कोर्ट ने इस पर निर्देश भी दिये हैं और इससे पहले सन् 2007 में 2008 में जगजीत सिंह जो कि इसके प्रमुख सचिव थे, इन्होंने भी इसमें लिखा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से शासनादेश भी जारी हुए थे, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए कि अतः इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा पंजीकृत आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सकों को रोक की जा रही है कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में यदि सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा पंजीकृत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाय। यह 24 फरवरी, 2003 को जगजीत सिंह प्रमुख सचिव थे, उन्होंने भी इस पर आदेश दिये हैं। इसके अलावा समय-समय पर जैसे लालजी वर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री उन्होंने भी इस सम्बन्ध में लिखा है, वर्तमान में प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को ऐलोपैथिक चिकित्सकों के समान ही ऐलोपैथिक अधिकार दिये जाने के लिए अधिकृत किया जाय, यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये आपकी बात आ गई और मेरा भी एक सुझाव आप सुन लीजिए, आप लाइब्रेरी में जायेंगे तो इण्डियन मेडिकल मैनुअल है, उसका पैरा-33, 32 और 28 भी पढ़ लीजिएगा क्या कहता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत दिनों से यह विवाद चल रहा है, कई सरकारों से चल रहा है, दोनों डिग्रियां अलग हैं, दोनों की दवाई अलग है, फिर किसी को एम0बी0बी0एस0 करने की जरूरत ही नहीं है। मेडिकल कालेज बन्द करा दीजिए, उनकी आमदनी भी बन्द हो जायेगी, अच्छी बात है मैं तो पक्ष में हूं इसके, पूरे देश के मेडिकल कालेज बन्द हो जायें, गरीब को दाखिला नहीं मिलता। अब तो एक करोड़ तक पहुंच गये। बी0यू0एम0एस0, बी0ए0एम0एस0 में आसानी से मिल जाता है। अगर एम0बी0बी0एस0 का काम बी0यू0एम0एस0 और बी0ए0एम0एस0 कर सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, सारी समस्या ही हल हो गई। मान्यवर, बड़े-बड़े नर्सिंग होम्स चला रहे हैं यह लोग, हमने बन्द कराया अपने यहां, यह बेचैनी वहीं की है, क्योंकि रामपुर के हैं मा0 सदस्य। मुझे मालूम है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संजय कपूर जी अब आगे बढ़े, आगे बड़ा बजट है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पहले ये लोग मेरे पास आए थे। मैं गलती से मंत्री हूं। पहले मेरे पास आए थे, मेरे यहां से मदद नहीं हुई। मैं इजाजत नहीं देता। मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप में भी इजाजत नहीं दूंगा कि बी0ए0एम0एस0 और बी0यू0एम0एस0 जिला अस्पताल से एनेस्थिटिक्स लाकर और सर्जनस् लाकर अपने यहां उनको हलाल करें, तो सब के अपने कार्यक्षेत्र हैं मान्यवर, बी0यू0एम0एस0 और बी0ए0एम0एस0 को नर्सिग होम और हास्पिटल चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, यही विवाद है। इसके अलावा और कोई झगड़ा नहीं है। कौन बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस जोशान्दा लिखेंगे, माजून लिखेंगे, खमीरा लिखेंगे, वनप्सा लिखेंगे है कोई। यह आप बताइये कि कैसे बी0ए0एम0एस0 को एम0बी0बी0एस0 की दवाई दे दी जाए। यह कैसे दे दी जाए।

(कांग्रेस के मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गई बात, आपने कह दिया जो कहना था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, देखिए उनकी अपनी परेशानी है, और सही है, हम लोग जाहिर है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और उन लोगों का भी दबाव रहता है और ये लोग भी हमारे चुनाव जिताते और हराते हैं। इनकी पूरी संस्था हमें सर्पोट कर रही थी, लेकिन वह जानते हैं कि मैं नर्सिंग होम्स् और हास्पिटल चलाने की इजाजत नहीं दूंगा, रामपुर शहर में सील कर दिए गए हैं। "नहीं चलाने दे रहे हैं।" कैसे इन्हें चालने दें? तो, है यह मामला गंभीर है और इसे मेरे स्तर पर या आप के स्तर पर या सरकार के स्तर पर तय नहीं किया जा सकता। स्वयं एम0बी0बी0एस0 की अपनी एसोसिएशन है, बी0यू0एम0एस0 की अपनी है, बी0एम0एस0 की अपनी है। यह लोग आपस में बैठकर तय करें कि इसका समाधान क्या हो सकता है? जो वह तय कर लें सरकार उस पर विचार कर लेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब इस पर और चर्चा नहीं। मैंने श्री पंकज कुमार मलिक, श्री संजय कपूर और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। इसको अग्राह्य करता हूं। छठवीं सूचना संत प्रसाद की इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों की बात सुनी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया है। अब बजट आ जाने दीजिए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(तत्पश्चात् कांग्रेस विधान मण्डल दल के सदस्यों ने सदन से बर्हिगमन कर दिया)

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक है, यह आपका काम है, इसमें मैं कैसे बाधा पैदा कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप बजट प्रस्ताव रखें।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) व अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिणक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

*श्री बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि मद संख्या-8(1) और मद संख्या-8(3) दोनों को एक साथ लें लूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक साथ ले लीजिए। अनुदान संख्या-71 और 75 दोनों को एक साथ ले लीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,53,48,57,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,48,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, बेसिक शिक्षा का बजट लेकर के मैं आज मा0 सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बेसिक शिक्षा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रीमन्। यह शिक्षा की नींव है बल्कि समाज के निर्माण की असली शिक्षा बेसिक शिक्षा है। बेसिक शिक्षा से ही समाज के निर्माण में आगे आने वाले लोगों को वहीं से विकसित किया जाता है, चाहे वह विधान सभा में बैठने वाले लोग हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, देश के राष्ट्रपति हों, चाहे वैज्ञानिक हों, कवि हों, साहित्यकार हों या पत्रकार हों।

मान्यवर, जो भी जहां पहुंचते हैं उनकी मुख्यतया ट्रेनिंग बेसिक शिक्षा विभाग से ही प्रारम्भ होती है। इसलिए यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग का बजट पेश किया गया है। मान्यवर, 6-14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु इस सरकार ने निर्णय लिया है। मान्यवर, इसमें शिक्षा चलो अभियान शुरू किया जा रहा है। जिसमें घर घर जाकर अध्यापक आदि लोग बच्चों के अभिभावकों से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें और स्कूल आने पर उन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। मान्यवर, हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा का गौरवशाली इतिहास रहा है आदि काल से रहा है, पिछले कुछ वर्षों में इसकी सार्थकता को वापस लाने का पुनः प्रयास किया जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 बेसिक शिक्षा में बराबर उंगली उठती रही है। हमारा प्रयास है कि स्कूलों में शिक्षा का वातावरण उत्पन्न किया जाये अध्यापकों को कोई परेशानी न हो। अध्यापकगण 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल में जायें। मान्यवर अध्यापकों की कमी है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसको पूरा करने के लिए विभाग की तरफ से माध्यमिक शिक्षा परिषद की टी0ई0टी0 परीक्षा का आयोजन हुआ था परीक्षाफल भी घोषित हो गया लेकिन उसमें कुछ लोग मा0 उच्च न्यायालय चले गये जो वहां विचाराधीन है इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। मान्यवर इस वर्ष हमने 2311 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 313 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने का कार्यक्रम बनाया है इसके अतिरिक्त 15262 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही रेलवे लाइन, हाई वे तथा तालाब के किनारे स्थित 11895 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। मान्यवर इसी प्रकार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 271 प्राथमिक विद्यालयों तथा 60 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता पायी गयी है। जिसके निर्माण का निर्णय किया गया है।

मान्यवर, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1.70 लाख अप्रशिक्षित शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अनुमति प्राप्त कर स्नातक योग्यताधारी 1.24 लाख शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय प्रशीक्षण दिये जाने के कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होगी। मान्यवर इससे अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में आसानी होगी। हमने इस दिशा में कदम उठाये हैं। मान्यवर प्रथम चरण में लगभग 60 हजार स्नातक शिक्षा मित्र प्रशिक्षण कार्य में लगे हैं। जिनकी ट्रेनिंग जून 2013 तक पूर्ण हो जायेगी और वह अध्यापक नियुक्ति के लिए हमें पूरी तरह तैयार मिलेंगे। उसके बाद 64 हजार स्नातक शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण जुलाई, 2012 से प्रारम्भ किये जाने की कार्य योजना है जो जून, 2014 तक पूर्ण हो जायेगी तथा यह शिक्षा मित्र जुलाई, 2014 में नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो जायेंगे अवशेष 46 हजार शिक्षा मित्रों के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अनुमति प्राप्त की जायेगी और उनका प्रशिक्षण जून, 2015 तक पूर्ण कराया जायेगा इस प्रकार वर्ष 2015 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण पूर्ण करते हुए उनके समायोजन की बात होगी। मान्यवर इस तरीके से हम लोग अध्यापकों की नियुक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर हमारी सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है हम चाहते हैं कि गुणवत्ता परक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और उसे सुनिश्चित कराने के लिए हमारे अधिकारी भी प्रयत्नशील हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाये जिससे प्राथमिक स्कूलों में जो दाखिले के बाद बच्चों की संख्या घटती है वह घटने के बजाय बढ़े और हमारे प्राथमिक स्कूल मजबूत होकर उभरें। मान्यवर इस क्रम में यह प्रयास है कि अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में भेजे और वहां उन्हें गुणवत्ता परक शिक्षा मिले। मान्यवर हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक स्कूल हैं और मिडिल स्कूल भी हैं और हमारा यह प्रयास है कि यह पाठ्य पुस्तकें जुलाई में निश्चित रूप से बच्चों के हाथ में मिल जाय। श्रीमन्, 05 जुलाई से 20 जुलाई के अन्दर में सभी विद्यार्थियों को उनके हांथ में पुस्तक पहुंचाने का काम करेंगे और आपको यह भी जानकारी होगी पिछली बार अगस्त, अक्तूबर तक भी लड़कों को किताबें नहीं मिल पाई थी इसलिए इस बार हम लोग पहले से सचेत हैं हमारा विभाग भी सचेत है सचिवालय भी सचेत है, निदेशालय भी सचेत है कि हर हालत में बच्चों को किताब जुलाई के अन्त तक हर बच्चे को किताब दे दिया जाय। पहली सरकार में केवल उन बच्चों को, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा बीपीएल कार्ड के अन्तर्गत आने वाले बच्चों को एक सेट मुफ्त

कपड़ा वितरित करने की व्यवस्था थी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों या किसी भी श्रेणी के बच्चे हों, हम हर बच्चे को प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल में 2 सेट कपड़ा हम निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे। निःशुल्क शिक्षा, बिना पैसे के कापी किताब और दो सेट कपड़े की व्यवस्था जो हमारी सरकार ने किया है यह एक ऐतिहासिक फैसला है इसको हम लागू कर रहे हैं और कर दिये हैं। इस प्रदेश में पिछड़े इलाकों में 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय इसलिए खोले गये हैं कि इसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति जनजाति की वह लड़कियां जो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, उनको शिक्षित करने के लिए 746 हमारे प्रदेश में आवासीय कस्तूरबा विद्यालय खोले गये हैं। उनमें उन लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा, उनके हास्टल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से हमने करने का प्राविधान किया है और 47 ऐसे विद्यालय हैं कस्तूरबा महाविद्यालय में जिनकी संख्या 100 से बढ़ाकर डेढ़ सौ करने की योजना बनाई है और उसको डेढ़ सौ कर भी रहे हैं। श्रीमन्, गम्भीर रूप से विकलांग बच्चे जो हैं उनको भी पढ़ाने के लिए हमने 132 आवासीय विद्यालय की स्थापना करने की योजना है सरकार की, जिनको आंख से दिखाई नहीं देता हो, कान से सुनाई नहीं देता हो, ऐसे बच्चों को हमने शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है और सस्ते में निःशुल्क उनको उपकरण की भी व्यवस्था करायेंगे और उनको परिवहन की भी व्यवस्था हम करायेंगे, उनको परिवहन की पूरी व्यवस्था अपंगों को हमने कराने का निर्णय लिया है। श्रीमन्, एक और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है कि हमेशा इस बात की शिकायत रहती है अध्यापकों का वेतन, जीपीएफ या पेंशन जो रिटायर हो गये हैं उनको मिलने में बहुत कठिनाइयां होती थी, इस कठिनाई को श्रीमन्, हमने दूर कर दिया है। हमने शिक्षकों के वेतन, अवशेष जीपीएफ तथा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कराये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसका कम्प्यूटर डाटाबेस तैयार किये जाने से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार किया गया है। नियमित वेतन हेतु 12222.35 करोड़ की व्यवस्था के अतिरिक्त वेतन अवशेषों के भुगतान हेतु 1276.20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। नियमित पेंशन हेतु 3312.33 करोड़ की व्यवस्था के अतिरिक्त पेंशनों के समस्त अवशेषों के भुगतान हेतु 1491.97 करोड़ की व्यवस्था आय-व्ययक में प्रस्तावित की गयी है। भारत सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1427.46 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में हमने 1879.7 करोड़ की योजना को प्राविधानित किया है। मध्याह्न भोजन में बहुत सारी शिकायतें आती थीं कि मध्याह्न भोजन ठीक नहीं है, कहीं छिपकली मिल गयी, कहीं कीड़ा मिल गया, कहीं कुछ श्रीमन्, हर बात की आलोचना करने का एक चलन निकला है लेकिन मैं एक साधारण बात को आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

अगर हम किसी फंक्शन का आयोजन करें या शादी विवाह हो, हजार, दो हजार लोगों का खाना खिलाना हो, तो हम एक महीना उसमें परेशान रहते हैं। खरीददारी करने कौन बनायेगा, कैसे बनेगा, कितने लोग खायेंगे, कहां खयेंगे और जहां पर लाखों-लाख बच्चों को प्रतिदिन भोजन कराने की जिम्मेदारी विभाग की है वहां कहीं-कहीं गड़बड़ हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी हमारा यह प्रयास है कि जहां पर मध्याह्न भोजन में कोई गड़बड़ी की शिकायत मिली तो उस अधिकारी, अध्यापक और प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। हमने मध्याह्न भोजन में अनुश्रवण के लिये एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जिसको केन्द्र सरकार ने भी

सराहा है और हमारे प्रदेश को और विभाग को नेशनल गोल्ड एवार्ड से सम्मानित किया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सघन एवं दैनिक अनुश्रवण हेतु अध्यापकों के मोबाइल फोन पर कम्प्यूटरीकृत कॉल भेजते हुये इंटर एक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम आई0बी0आर0एस0 आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से योजना का प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है। जिसको भारत सरकार ने भी अच्छा माना है और इसी नीति को उसने देश भर में लागू करने की योजना बनाई है। ऐसा उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन में हमारे विभाग ने कार्यक्रम करके पूरे हिन्दुस्तान में एक नजीर पेश करने का काम किया है।

गत दशक में श्रीमन, साक्षरता के मामले में राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हमारे पास है। वर्ष 2001 में प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.30 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 69.72 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार गत दशक में 13.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश का यह साक्षरता प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर हुयी वृद्धि से अधिक है। इसी प्रकार महिलाओं की साक्षरता भी वर्ष 2001 में 42.20 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 59.26 प्रतिशत हो गयी है। इस प्रकार महिलाओं की साक्षरता में 17.6 प्रतिशत वृद्धि हुयी है जो राष्ट्रीय स्तर से अधिक हैं श्रीमन् हमने 66 जनपदों में साक्षरता अभियान चलाने का निर्णय किया है और हम 66 जनपदों में 5342 ग्राम पंचायतों में लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित करके 15 वर्ष से ऊपर के महिला तथा पुरूषों को साक्षर करने का निर्णय लिया है और इस वर्ष यह निश्चित रूप से काम हो जायेगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की साक्षरता 80 प्रतिशत हो जाये।

एक महत्वपूर्ण विभाग जिसे हम डायट कहते हैं, 70 जिलों में इस समय डायट की स्थापना है और उसमें बी0टी0सी0 अध्यापक बनने से पूर्व बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग कराकर योग्य अध्यापक बनाने का काम इन 70 जिलों में हमारे अध्यापक करते हैं और वहां से बी0टी0सी करने के बाद उनको हम सीधे अध्यायक के रूप में नियुक्त करते हैं और नियुक्ति के बाद भी यह डायट जो हैं, भाषा आधारित, शैक्षिक आधारित नीतियों पर चलकर के बार-बार बीच-बीच में भी अध्यापक लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और यह गृह संरचना हमारे जो डायट की है, वह प्रदेश में एक बढ़िया कार्यक्रम चला करके योग्य अध्यापकों को तैयार करती है। हमारे डायट में इस तरह से काम हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा विभाग में जब से यह नई सरकार आई है, नई सरकार के माध्यम से शिक्षा के लिये सब कुछ करने के लिये हम लोग तैयार हैं। हम यह चाहते हैं कि आलोचना ही नहीं, यह पूरा सदन चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लोग कह देते हैं कि कहीं पढ़ाई ही नहीं होती है तो साहब पढ़ाई नहीं होती है तो आप क्या कर रहे हैं। जनता ने आपको चुना है, जन प्रतिनिधि बनाया है जनप्रतिनिधि का काम केवल शिकायत करना और उलाहना देना नहीं है, जनप्रतिनिधि का यह भी काम है कि हम प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में यह देखें कि अध्यापक समय से आते हैं कि नहीं आते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, केवल भोजन में छिपकली गिर गई, भोजन ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी भी निगरानी करना हमारा आपका काम है। केवल हम यह उलाहना देते रहे कि यह ठीक नहीं हो रहा है, इससे काम बनने वाला नहीं हैं यह कैसे ठीक हो इसमें पूरे सदन को मिलकर प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और माननीय सदस्यों की जो बात आयेगी, उसके बाद जो बचेगा, वह मैं फिर कहूंगा श्रीमन, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद।

*श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) एवं अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, किसी भी राष्ट्र का भविष्य युवा पीढ़ी से ही तय होता है और युवा पीढ़ी के संस्कार क्या होंगे यह इस बात पर तय होता है कि हमने इस युवा को बचपन में क्या संस्कार दिये। बेसिक शिक्षा किसी भी समाज के लिये पहली सीढ़ी होती है, जिस पर चलकर युवा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गुरू का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बात को कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में समझाया था, जिसमें कहा गया था-

"गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लांगू पाय,
बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दिये बताय"

अर्थात् अगर ईश्वर और गुरू दोनों एक साथ खड़े हों तो हमें सबसे पहले गुरू के चरण स्पर्श करना चाहिये, क्योंकि वह ही ऐसे है जिन्होंने हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताया। दुख की बात यह है कि मौजूदा सरकार ने इस भावना को तार-तार करके रख दिया। अध्यक्ष जी, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जब कोई बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिये विद्यालय में जाता है तो उसके सामने जिन्दगी जीने की योजना होती है। उसके सामने सपने होते हैं। कैसे वह अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ साबित करें, हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक बाल को उसके सर्वागीण विकास के लिये उसके समुचित विकास के लिये समस्त संसाधन उपलब्ध हों सके, मगर खेद की बात है, मौजूदा सरकार इस लक्ष्य को पाने में पूर्णतः विफल साबित हुई है। जैसा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उपलब्धियां गिनाई। मुझे बड़े फक्र के साथ यह कहने में खुशी हो रही है कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कु0 मायावती जी इस सदन में आई तो सबसे पहले सरकार गठन के तत्काल बाद अपने प्रथम बजट भाषण में उनके द्वारा 88 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गयी थी, उनकी जनपदवार भर्तियां करके प्रशिक्षण कराकर उनकी नियुक्तियां भी की गयीं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या यह गलत है इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के गठन के तत्काल बाद शिक्षामित्रों का मानदेय 2400 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का काम पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ और अब 3500 तक शिक्षा मित्र प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत अनुपात 1/30 होना चाहिये पर वर्तमान सरकार में इस टाइम 3.25 लाख शिक्षकों की कमी है इस बजट में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गयी कि बाकी शिक्षकों की व्यवस्था कहां से होगी, उनकी नियुक्तियां कैसे होंगी ? मान्यवर, इस देश और प्रदेश का विकास होगा तो उन नौजवानों से ही होगा, अगर उनके शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं की गयी तो यह प्रदेश अन्धकार में चला जायेगा। मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि शिक्षामित्रों को नियमित शिक्षक बनाने हेतु एन0सी0टी0ई0 से अनुमति प्राप्त करके स्नातक शिक्षामित्रों को पत्राचार प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया गया। शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण हेतु बी0आर0सी0 केन्द्रों का पुनर्गठन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी सरकार में हुआ। आजादी के बाद 2007 तक सरकारी परिषदों में विद्यालयों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के भ्रमण के समय विद्यालयों के विद्युतीकरण की घोषणा की गयी तथा लगभग 82 हजार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण कराया गया। लगभग 10364 नये प्राथमिक विद्यालय तथा 3300 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये। नये स्वीकृत विद्यालयों के लिए 25 हजार शिक्षकों के पद भी सृजित किये गये। इतना ही नहीं लगभग 19 हजार विद्यालयों के लिए बाउण्ड्रीवाल स्वीकृत कराकर निर्माण कराया गया। जैसा कि मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे वह हमारी सरकार द्वारा कराया गया था। लगभग 49 हजार अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत कराकर उनका निर्माण हमारी बहन कु0 मायावती जी की सरकार द्वारा कराया गया। शासकीय व परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 से अंग्रेजी पढ़ाने का निर्णय लिया गया, उसमें 2008 से अंग्रेजी पढ़ाने का काम प्रारम्भ हुआ। बहन कु0 मायावती जी की यह सोच थी, जब वह मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने यह सोचा था कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर गरीब का बेटा उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जा सकता, ऊंची-ऊंची फीस नहीं दे सकता, इसलिए वह गरीब का बेटा आई0ए0एस0 कैसे बनेगा, राजनीति के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ेगा, विज्ञान के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ेगा, इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कैसे करेगा ?

इसलिए एक ऐतिहासिक फैसला लेकर बहन कु0 मायावती जी की सरकार ने अंग्रेजी का पाठ्यक्रम कक्षा-01 से प्रारम्भ किया। मान्यवर, इतना ही नहीं परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की जैसे यह बात कर रहे थे कि केन्द्र सरकार द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया गया और मध्याह्न भोजन में गोल्ड मेडल मिला। मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईयों का मानदेय भी बढ़ाकर एक हजार रुपया प्रतिमाह किया गया, यही नहीं संख्या के आधार पर उनके पद भी बढ़ाये गये। सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन मिले इसकी जानकारी के लिए जी0पी0आर0एस0 सिस्टम लागू किया गया था जो मा0 मंत्री जी ने उपलब्धि गिनायी, वह हमारी सरकार की है। मान्यवर, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये एस0डी0आई0/ए0बी0एस0ए0 का वेतनमान बढ़ाया गया और राजपत्रित घोषित करते हुए उनका पदनाम खण्ड विकास अधिकारी के नाम से हमारी सरकार में ही रखा गया। बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण वर्ष 2004 से रुका हुआ था जिसे पुनः प्रारम्भ कराकर नियमित चयन एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गयी। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। 46 जनपदों में महिला साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत नियमावली बनायी गयी। इसके तहत 80 हजार शिक्षकों के पद सृजित करके नियुक्तियों हेतु विज्ञापन जारी किया गया। स्कूल मैनेजमेण्ट कमेटियों को गठन किया गया। निजी कालेजों को बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण कराने हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी, जिसमें प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया गया। मान्यता के नये दिशा-निर्देश जारी किये गये। मान्यवर, इतना ही नहीं सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अग्नि शमन यंत्र लगवाये गये और जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की बात मा0 मंत्री जी ने कही, बड़े खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की ही उपलब्धि थी 292 नये कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्वीकृत करके उनमें शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया गया। सभी निर्मित होने वाले के0जी0बी0बी0एस0 में चौकीदार तथा सोलर लाइट्स की व्यवस्था करायी गयी। सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प, ओवर हैड टैंक तथा बालिकाओं के शौचालय की व्यवस्था करायी गयी। मान्यवर, हमारी सरकार ने एक सपना देखा था बहन कु0 मायावती जी चाहती थीं कि उत्तर प्रदेश का

जब विकास होगा तो नीचे की सीढ़ी से होगा। मान्यवर, जब बच्चा स्कूल जाता है तो पहले के जमाने में अंग्रेजी कक्षा 6 से पढ़ाई जाती थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने यह लागू करके इस उत्तर प्रदेश में दिशा और दशा बदलने का काम किया। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद अपने बजट भाषण में कहा कि शिक्षा की दर पिछले 10 सालों में बढ़ी हैं। बड़े खुशी की बात है कि शिक्षा की दर बढ़ी मगर माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि पिछले पांच सालों में शिक्षा की दर इस प्रदेश में कितनी बढ़ी। 13.4 प्रतिशत शिक्षा की दर बढ़ी। 17.6 यह दर महिलाओं की बढ़ी। इसमें से आधी पिछले पांच साल में बढ़ी है। शिक्षा मित्रों को जो ट्रेनिंग देने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है माननीय मंत्री जी ने ट्रेनिंग देकर उन्हें नौकरी देने की बात कही लेकिन यह जिक्र नहीं किया गया कि जब वह ट्रेनिंग देकर पढ़ाने जायेंगे तो उनकी तनख्वाह क्या होगी उनका मानदेय क्या होगा। इसका बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया यह सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। हमारी सरकार में हर बात की जैसा कि इन्होंने कहा था माननीय मंत्री जी ने कि हर बात की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार में इस विभाग के अन्दर काफी अच्छे काम हुए जिसका आपने अपने भाषण में जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके संज्ञान में दो तीन बातें और लाना चाहता हूं। नियमित शिक्षकों को बनाने हेतु शिक्षा मित्रों के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया। न ही घोषणा-पत्र में इसका कोई जिक्र किया गया। जिसके कारण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षा मित्रों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

शिक्षा मित्रों द्वारा ही विद्यालय खोला जाता है महंगाई लगातार बढ़ रही है। परन्तु शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है। एक तरफ ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने घोषणा-पत्र में लाते हैं कि युवाओं को लैपटाप देना चाहिए, युवाओं को टेबलेट देना चाहिए लेकिन मान्यवर, उनका ध्यान उन बच्चों की तरफ नहीं गया जो आजादी से आज तक टाट और पट्टी पर बैठते हैं। पहले उन्हें यह सोचना चाहिए था कि उनकी टाट और पट्टी हटाकर उनके लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था होनी चाहिए थी। टैबलेट से विकास होने वाला नहीं है। वह विकास इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको चलाने के लिए इण्टरनेट का कनेक्शन नहीं दिया गया वह सिर्फ गेम खेलने का खिलौना बनकर रह जाएगा। उसको चलाने के लिए विद्युत की व्यवस्था नहीं करी गई। वह चार्ज कहां से होगा जब तक उसमें इण्टरनेट नहीं लगेगा तब तक वह किसी काम का नहीं। सिर्फ वीडियो गेम का काम करने वाला है। मान्यवर, मैं आपसे इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रो0 शिवाकान्त ओझा जी अपनी बात रखें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप की तरफ से कोई सूची नहीं आई है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप जिन्हें चाहें बुलवा लें। आप मान्यवर सीनियर हैं।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

माननीय अधिष्ठाता जी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो बेसिक शिक्षा और डायट का बजट रखा है हम उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। मैं अपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता

हूं उन्होंने बड़े संयम बड़ी उत्सुकता और भविष्य को दृष्टि में रखकर बेसिक शिक्षा के सुधार की चर्चा व बेसिक शिक्षा को अच्छा बनाने का काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। कटौती का प्रस्ताव रखते समय माननीय शाक्य साहब ने जो कहा मुझे लगता है कि उनको बच्चों और युवाओं में अन्तर नहीं समझ में आ रहा है। यह बेसिक शिक्षा का बजट है लेकिन उसमें बार-बार युवाओं का उल्लेख किया गया। मेरे मित्रों बेसिक शिक्षा बच्चों की शिक्षा है, बालकों की शिक्षा है, यह युवाओं की शिक्षा नहीं है। इसलिए दोनों में अन्तर समझना चाहिए। मंत्री जी ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया था कि बच्चों की शिक्षा के लिए हम क्या करना चाहते हैं मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं मैं शिक्षा से सम्बन्धित रहा हूं इसलिए कुछ व्यवहारिक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं वर्तमान बेसिक शिक्षा गुणवत्तापरक कैसे हो आप टीचर्स नियुक्त कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप वस्त्र भी दे रहे हैं यह भी बहुत अच्छी बात है गरीबों को नहीं मिल रहा है उनको मिलना चाहिए आप बच्चों के लिए मुफ्त किताबें दे रहे हैं यह भी बहुत अच्छी बात है। आप विकलांगों के लिये विशेष व्यवस्था कर रहे हैं ये तो और अच्छी बात है। लेकिन मान्यवर, इस सबसे पहले हमकों गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि आखिर जो बेसिक शिक्षा हम बच्चों को देना चाहते हैं, क्या शिक्षक उन बच्चों को इतना समय देने के लिये तैयार हैं ? शिक्षक के पास समय नहीं है। आज आप बेसिक शिक्षा के शिक्षक से क्या काम कराते हैं ? सुबह जब आता है बेसिक शिक्षक तो सबसे पहले उसको चिंता रहती है कि गैस आयी कि नहीं आयी, भोजन का सामान आया कि नहीं आया। आया तो ठीक से बना कि नहीं बना और उसके बाद बेसिक शिक्षा में काम करने वाले मेरे मित्रों उनके पास केवल शिक्षा का काम नहीं है। जनगणना से लेकर मृत्युगणना और इसके अलावा मतगणना भी उन्हीं को करानी है। पल्स पोलियों में भी उन्हीं को काम करना है और आगे आने वाले दिनों में सप्ताह में दो मीटिंगें बुला लेते हैं। विद्यालय में शिक्षक एक है, विद्यालय में शिक्षक दो हैं सामान्यतया जहां तक मुझे जानकारी है। जहां तक मैं जनपद प्रतापगढ़ को जानता एवं समझता हूं, बहुत दिनों से जानता हूं औसतन एक विद्यालय में दो से अधिक अध्यापक नहीं हैं। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं मान्यवर कि जहां पर सिर्फ शिक्षा मित्र काम करते हैं, कोई अध्यापक नहीं रहता है। अब उसकी मीटिंग हो जाती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बुला रहे हैं, ए0बी0एस0ए0 बुला रहे हैं, दूसरे अधिकारी बुला रहे हैं, विद्यालय तो खाली हो गया। विद्यालय किस लिये है इस पर सवाल खड़ा है। बेसिक शिक्षा के विद्यालय बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने, बच्चों को शिक्षा देने के निमित्त हैं। वो भोजन के लिये नहीं हैं, वो कपड़े और वस्त्र के लिये नहीं हैं। लेकिन जब मूलभूत बात पिछली सरकारों ने खत्म कर दिया था। मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मूल शिक्षा पर हमको ध्यान देना चाहिए। बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को शिक्षा का काम ही मूलतः दिया जाना चाहिये। यह सुझाव है मेरा। भोजन कैसे बने, ये भवन कैसे बनेंगे। मान्यवर, मैं प्रतापगढ़ जनपद को जानता हूं और यहां पिछली सरकार के लोग बैठे हुये हैं। हमारे जनपद के भी विपक्ष के मा0 नेता हैं। मैं बड़ी गंभीरता और संजीदगी से कह रह हूं कि मान्यता की बात आप कह रहे थे। बेसिक शिक्षा में नर्सरी स्कूलों को जो मान्यता देने का काम था 20 हजार रुपया फिक्स रेट हुआ करता था, जो 20 हजार रुपया नहीं देता था उसको नर्सरी की मान्यता सरकार नहीं देती थी। 20 हजार रुपया फिक्स रेट था मान्यवर। इसके अलावा मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल का एक भवन बनाना, प्राइमरी स्कूल बनाना, जूनियर हाई स्कूल का भवन बनाने का काम जो आप शिक्षक को देते हैं। मान्यवर वो शिक्षक, शिक्षक न हो करके वो ठेके में पड़ जाता है। पिछली सरकारों ने तो फिक्स रेट कर रखा था अगर आपको चहारदीवारी बनवानी है

तो 25 हजार रुपया देना होगा। अगर आपको प्राइमरी स्कूल का भवन बनाना है, 5 लाख जिस टाइम आप देते थे आपको 50 हजार से 75 हजार रुपया देना पड़ेगा। अगर आप जूनियर हाई स्कूल का भवन बनाना चाहते हैं तो 01 लाख रुपया देना पड़ेगा। मान्यवर, कौन सी शिक्षा दे रहे थे आप, भ्रष्टाचार में आकण्ठ डुबाने का काम आप कर रहे थे। मा0 मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर शिक्षकों को सचमुच शिक्षक के रूप में बनाये रखना है तो शिक्षकों को निर्माण कार्य से अलग करना होगा। शिक्षकों को इस कन्सट्रक्शन काम से अलग कीजिये। कन्सट्रक्शन कंपनी जैसे सब विभागों की होती है वैसे ही कन्सट्रक्शन कंपनी इन विद्यालयों के लिये बनाने का काम करें तब शिक्षक, का काम कर सकेगा, तब अच्छा काम होगा। मान्यवर, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा शिक्षाविद् हुआ करता था। प्लेटो बहुत बड़ा शिक्षाविद् हुआ। प्लेटो ने यह बात कही थी, हम क्यों वो बात भूल गये। हमारे अपने जमाने के ऋषि और मुनि भी यह कहा करते थे कि जब शिक्षा को, बेसिक शिक्षा में कभी लिखित रूप जमाने में नहीं किया करते थे। हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि किस्से से, कहानी से शिक्षा हो। हमारी दादियां भी इसी बात को कहा करती थीं। प्लेटो कहा करता था कि बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत पुस्तकों का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिये। वो कहता था कि किस्सों से होना चाहिये, कहानियों से होना चाहिये, संगीत से होना चाहिये। आप एक बहुत ही योग्य मंत्री हैं, उत्साहशील मंत्री हैं। मा0 मंत्री जी, आप एक क्रांतिकारी कदम उठाइये। लकीर के फकीर बन के हम अच्छी शिक्षा, बेसिक शिक्षा नहीं दे सकते। मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि हम किताबें देते हैं, पुस्तक देते हैं, वस्त्र देते हैं, भवन देते हैं, भोजन देते हैं लेकिन बगल में खुले हुये शिक्षा मंदिर , बगल का मांटेसरी, बगल में खुला एक नर्सरी जो 400, 500, 700, 800 रुपये तक की फीस लेता है। वस्त्र नहीं देता, किताब नहीं देता, पैसा लेता है लेकिन वहां पर बच्चों की उपस्थिति ज्यादा है। हमारे टीचर, हमारे सम्मानित अध्यापक, हमारे गुरुजन जिनको 15 से 20 हजार 25 हजार तक वेतन मिलता है। उनके यहां बच्चें क्यों नहीं आते, यह मेरा सवाल है। यह सवाल है इसका निदान होना चाहिए। निश्चित रूप से आप अरबो रुपये खर्च कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा के लिये बहुत प्रयत्नशील हैं लेकिन इस बात पर जो मूल समस्या है जब तक उसका निदान नहीं करेंगे तब तक चाहे जितना पैसा खर्च करे लें। इसलिये मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपके बजट पर पूरी तरह बल देता हूं, समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की निन्दा भी करता हूं। इन्होंने भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डुबो दिया था शिक्षा को, बेसिक से लेकर माध्यमिक तक। उससे आपने मुक्त करने का काम किया है उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं लेकिन इन सुझावों को भी स्वीकार करिये। शिक्षक का सिर्फ शिक्षण का ही कार्य हो। शिक्षक अध्यापन का कार्य करे, शिक्षण का कार्य करे। शिक्षक मान्यवर, कान्सट्रक्शन का काम न करे, भोजन बनाने का काम न करे, जनगणना का काम न करे, मृत्यु गणना का काम न करे, मतगणना का काम न करे, पल्स पोलियो का काम न करे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

बीच में जो हर सप्ताह में बुलाया करते हैं दो बार तीन बार। हर विद्यालय में प्राइमरी में एक से लेकर पांच तक।

श्री अधिष्ठाता-

ओझा जी समाप्त करें।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, बस दो मिनट।

श्री अधिष्ठाता-

आज 6-7 बजट हैं। यह व्यवस्था मेरी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी की है।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक कक्षाएं चलाते हैं। गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार कर लें एक शिक्षा मित्र या दो शिक्षक क्या कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों को व्यवस्थित कर सकता है ? कक्षा चला सकता है क्या ? उसको अनुशासित कर सकता है क्या ? बच्चों के अंदर ज्ञान पैदा कर सकता है क्या ? इसके अलावा एक और सवाल खड़ा करके मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। बी0पी0एड0 जिसको आपने बिल्कुल खत्म कर दिया इन सरकारों ने। बच्चों को खेलकूद में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसके लिये बी0पी0एड0 और डी0पी0एड0 थे, इसको पिछली सरकारों ने उनको इस शिक्षा से वंचित कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में बी0पी0एड0 और डी0पी0एड0 किये हुए लोग बेरोजगार हैं, उनको आप पूरा समाहित कीजिये। जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लिये हम खेलकूद की व्यवस्था करें, यह ट्रेंड टीचर्स हैं यू0जी0सी0 के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं यह लोग। एन0सी0टी0 के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक हैं यह लोग। यह इसमें आ करके अपनी रोजी रोटी के साथ-साथ बच्चों के अंदर खेलकूद को प्रोत्साहित करके हम चतुर्दिक विकास करने का काम करें। मान्यवर, मंत्री जी मैं आपके द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिवाकांत ओझा जी का मैं हृदय से आभारी हूं और वस्तुतः इस दल का भी। चूंकि आज एक बहुत अच्छी और नई परम्परा मैंने देखी। हम लोग इसीलिये सदन में आते हैं। यह ठीक है कि बजट सरकार रखती है और यह ठीक है कि हम कटौती रखते हैं लेकिन इस सबके बावजूद कुछ ऐसे सत्य और तथ्य हैं जो सरकार के संज्ञान में आना चाहिए। यह तथ्य हम ही दे सकते हैं और हमें ही देना चाहिए, ऐसा नहीं है। सत्ता दल में बैठे बहुत सारे ऐसे लोग इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उनके मन में पीड़ा होगी। अपनी बातों को कहने का वह अवसर नहीं पाते क्योंकि हमने इस सारी लड़ाई को दो खेमों में बांट रखा है। बीच का खेमा हमने बनाया नहीं इस लोकतंत्र में। अगर बनाया होता तो शायद न जाने कितने सदस्य न जाने कितनी बहुत सारी अच्छी बातें इस सदन में रख रहे होते। शिवाकान्त ओझा जी ने जो बातें कहीं हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि सत्ता में बैठा एक आदमी सत्ता के खिलाफ बोल रहा है। भारत का एक नागरिक, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक उत्तर प्रदेश के दूसरे नागरिक से जिसको मैं जानता हूं एक ईमानदार खाकी समाजवादी परम्परा का वह आदमी है जो आज नहीं जिसका हमारे से सम्बन्ध बी0एच0यू0 के जमाने से है जब वह अपने बलिया जनपद से मरीजों को लेकर के बी0एच0यू0 में इलाज कराने के लिए लाया करते थे जब मैं बी0एच0यू0 में डाक्टर हुआ करता था। आपकी ईमानदारी और समर्पण को लेकर के हमको कहीं कोई संदेह मात्र नहीं हो सकता लेकिन जो बात यहां आई है वस्तुतः बहुत बड़ी जड़ता का शिकार यह बेसिक शिक्षा है और इस जड़ता को जड़ से हिलाने का काम आप जैसे व्यक्ति कर सकते हैं। आप अगर अपनी ताकत को पहचान लें, आपको अगर इस बात का एहसास हो जाय कि आप कितने बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं। क्योंकि जो चुनौतियां वह सामने रख रहे हैं वह चुनौतियां इनकी

नहीं हैं यह चुनौतियां इस पूरे सदन की हैं और यह चुनौतियां इस पूरे सदन की नहीं हैं इस पूरे प्रदेश की हैं। पूरा प्रदेश माननीय मंत्री जी आपकी ओर देखेगा। हिम्मत करिये और अपने को ताकतवर बनाइये और जूझिये समस्याओं से और ज्यूं ही आप समस्याओं से जूझना शुरू करेंगे, जो परिवर्तन हम सब इस सदन में चाहते हैं उस परिवर्तन के आप वाहक बनेंगे और आपको यह पता नहीं चलेगा। इतिहास पुरुष के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में आपका नाम दर्ज होगा। मैं आलोचना करने के लिये यहां नहीं खड़ा हुआ हूं। जो स्थितियां हैं वह आपकी दी हुई नहीं हैं, इसलिये मैं जो कहने जा रहा हूं आप यह मत सोचियेगा कि मैं आपको आरोपित कर रहा हूं। लेकिन जो स्थिति है, जहां से आपको काम करना है उस स्थिति को समझने की कोशिश करिये। बेसिक शिक्षा के बारे में दो अध्ययन मान्यवर आ चुके हैं। एक स्वयं भारत सरकार ने किया है योजना आयोग ने और दूसरा एक बहुत बड़ी संस्था, मानिन्द संस्था है। आपको उसके बारे में जानकारी होगी, प्रथम नाम की संस्था है जो प्रतिवर्ष देश के विभिन्न प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, उसका मूल्यांकन करती है और अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार के योजना आयोग को देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं उसके 7 प्वाइन्ट रख रहा हूं। जो योजना आयोग ने सर्वशिक्षा अभियान का सर्वे कराया था प्रदेश के सब प्रान्तों का, वह रिपोर्ट हमारे पास है और उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट बहुत भयावह है। वह रिपोर्ट यह कहती है कि कक्षा-3 के स्तर के बच्चों का मूल्यांकन किया गया तो कक्षा-3 के बच्चे स्थानीय भाषा में, सिर्फ 26 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने की स्थिति में थे और 65 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ संख्या पढ़ सकते थे। 16 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो अंग्रेजी अक्षरों को पढ़ सकते थे। उसी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा है जब उनको बोलकर बताने को कहा गया तो सिर्फ 57 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो अपने स्थानीय भाषा में बोलने की स्थिति में थे स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कम थी और जब उन्होंने उनके गणित का, उनकी अंग्रेजी का और उनकी स्थानीय भाषा का मूल्यांकन किया तो गणित में औसतन 38 नम्बर मिले। अंग्रेजी में औसतन 44 नम्बर मिले और स्थानीय भाषाओं में औसतन 40 नम्बर मिले। यह स्थिति उस सारी व्यवस्था की है जब मैं समापन करूंगा तो एक शब्द में उसको इंगित करुंगा।

माननीय मंत्री जी, जब कक्षा-6 के बच्चों का उन्होंने मूल्यांकन किया तो जो पढ़ने की क्षमता थी वह कुल मिलाकर दस प्रतिशत बच्चों में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता मिली। जब उन्होंने नम्बर देना शुरू किया तो गणित में 8, एसए राइटिंग में 57 और अंग्रेजी में 21 प्रतिशत मिला। यह रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा देश के विभिन्न प्रान्तों में शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन किया गया। आप जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन इसी बेस पर आप काम करने जा रहे हैं यही आपकी पूंजी है। जिसमें सुधार करने के बाद आपको कहना होगा कि मैं जब पांच साल रहा तो पांच साल पहले योजना आयोग की रिपोर्ट यह थी और आज मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे काम करने के बाद योजना आयोग की रिपोर्ट जो आई है वह यह आई है। यही सार्थक परिवर्तन होगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरी रिपोर्ट प्रथम की आई है यह रिपोर्ट कहती है कि कक्षा-3 के बच्चे, वह कक्षा-1 के स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे प्रदेश में 30 से 40 परसेन्ट हैं। जो बच्चे कक्षा-5 में पढ़ते हैं उन्हें कक्षा-2 के स्तर की जानकारी है। ऐसे बच्चों का प्रतिशत प्रदेश में 40 से 50 प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में। ऐसे बच्चे कक्षा तीन के बच्चे जो जोड़ घटाना कर सकते हैं ऐसे बच्चों की संख्या प्रदेश में 30 प्रतिशत से कम है। ऐसे बच्चे कक्षा-5 के जो भाग दे सकते हैं उनकी संख्या भी 30 प्रतिशत से कम है। ऐसे बच्चे जो मल्टीग्रेट क्लास रूम्स में पढ़ते हैं। इनकी संख्या 50 से 60 प्रतिशत है। आउट आफ स्कूल, जिनके बारे में हम

सबसे अधिक चर्चा करते हैं सर्वशिक्षा अभियान में, भारत का औसत प्रतिशत 3.3 है। उत्तर प्रदेश का औसत प्रतिशत 9.7 परसेन्ट है मैं अपनी बातें समाप्त करने जा रहा हूं। मान्यवर, आप बहुत बड़ा भवन बनवा लीजिए। बहुत बड़ा किचन बनवा लीजिए, खाना बनाने के बहुत सारे उपकरण रख दीजिये योग्य बनाने वाला हो लेकिन जब खाना बनाकर परोसने का समय आया तो उसमें नमक न हो तो वह खाना अच्छा लगेगा क्या उसे हम खाएंगे। शिक्षा की आज यही स्थिति है। भवन बहुत से बन गए हैं, बहुत पैसा आ रहा है चारों ओर से पैसा आ रहा है भवन बन रहे हैं, कक्षायें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं लर्निंग मैटर दिए जा रहे हैं, किड्स दिए जा रहे हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही हैं। जो नहीं हो रहा है वह भाव है जो विकसित नहीं हो रहा है। यह व्यवस्था विकसित नहीं हो रही है जैसा कि मा0 शिवाकान्त ओझा जी इंगित कर रहे थे। अगर एक शिक्षक भवन बनवाएगा एक शिक्षक अगर गणना करेगा, आंकड़े आए हैं 2011 के, जनगणना के कार्य में शिक्षकों को लगा दिया गया और इसके कारण 2010 में जो छात्रों को औसत शैक्षणिक स्तर था वह गिर गया। यह जो इतने ढेर सारे काम हम प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से ले रहे हैं जिसके बारे में लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि जो प्राथमिक शिक्षकों से गैर शिक्षा के कार्य लिए जा रहे हैं वह बंद किए जायेंगे। आप उसके लिए बाध्य नहीं है, यह भारत सरकार का दायित्व है कि वह जनगणना कराये। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों से हम काम करवायें ओर अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करें और हम आपके ऊपर उंगलियां उठायें? आपको इससे इन्कार करना चाहिए। तो कहीं न कहीं सरकार को स्टैण्ड लेना पड़ेगा कि हम अपने शिक्षकों से वही काम लेंगे जो शिक्षकों को करना चाहिए और दूसरी चीज यह जो बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बना करके भेजते हैं, इन सबकी सम्पत्तियों की जांच करा लीजिए, किसी भी दल की सरकार रही हो, हमारे आपके पास क्या पैसा होगा, वह अट्टालिकाएं अपने आप की खड़ी करते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करुंगा कि जितने भी बीएसए आप पोस्ट करते हैं, एक-एक क्षेत्र में आपको जा करके, निरीक्षण करके चुनौती के साथ यह प्रश्न खड़े करने चाहिए कि हम विधायक के रूप में अपनी सम्पत्ति की घोषणा करते हैं जब चुनाव लड़ते हैं और न जाने कितने लोगों के सामने वह पत्रावली चली जाती है। मान्यवर, प्रश्न यह उठता है कि जो अधिकारी हम नियुक्त करके भेजते हैं, हम इनकी सम्पत्तियों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करते हैं ? अध्यक्ष महोदय, जिस दिन हमें लगेगा कि इतना शोषण है, वह शिक्षक जो गलती से, ईमानदारी से शिक्षक बन भी जाता है, एक-दो साल में उसकी समझ में आ जाता है कि इस बेसिक शिक्षा में पढ़ाने के सिवाय सब करने की जरूरत है, जो पढ़ाया वह गया।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

मान्यवर, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। अभी बसपा के भाई सिनोद कुमार शाक्य जी ने जो अपनी सरकार का बखान किया है, मैं अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं, एक अच्छा कारनामा बताना यह भूल गये। हमारे देश में एक परम्परा है कि अगर घर में खाना कम है तो सबसे पहले खाना बच्चों को खिलाया जाता है, उसके बाद बुजुर्ग और मां-बाप खाना खाते हैं। आपकी उस भ्रष्टाचारी सरकार ने संगठित तरीके से हमारे अकेले मैनपुरी जनपद में 18 करोड़ रुपये का मिड डे मील में घोटाला किया है जिसकी सीबीआई जांच चल रही है और वह इतना संगठित तरीके से किया गया कि अगर बच्चों की उपस्थित 40 परसेंट है तो उसे 90 परसेंट दिखा दिया और आपके द्वारा ही पोस्ट किए गए अधिकारियों ने 18 करोड़ का घोटाला अब तक पकड़ लिया था। अगर

जांच करा ली जाए, पिछली सरकार के मिड डे मील की तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के सभी जनपदों में यह घोटाला निकलेगा। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल की मिड डे मील की जांच करा ली जाए। मैं आपके कटौती प्रस्ताव की निन्दा करता हूं और हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह बहुत ही आदर्श बजट है और जो राधामोहन दास अग्रवाल जी ने एक बात कही है, बीएसए से सम्बन्धित, मैं उसका भी समर्थन करता हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत है।

*श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपना बजट पेश किया, सरकार की असलियत मेरे पास है, मय सबूत के है। आज तीन महीने में यह आलम हो गया है स्कूलों के अन्दर कि जो छोटे बच्चे हैं, कोमल बच्चे हैं, उसने काम कराया जा रहा है। उनको मालूम पड़ गया कि अब यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है, शिक्षा माफियाओं पर लगाम कसने वाली नहीं है तो उन माफिया लोगों ने बच्चों से भी काम शुरू करा दिया। मान्यवर, मेरे पास तस्वीरें हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारी विधान सभा है, उस विधान सभा में एक छोटा सा गांव है, माम गांव, उस गांव में एक जूनियर हाईस्कूल है, उस स्कूल में जो नन्हें-मुन्ने बच्चे जाते हैं, उनसे कार्य कराया जाता है। इसके लिए गांव के प्रधान और गांव के करीब 25-30 लोग डी0एम0 साहब के पास गए यह बताने के लिए कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, यह घोर निन्दा का कार्य है तो डी0एम0 साहब ने ए0बी0एस0ए0, महेश चन्द्र शर्मा को कहा कि आप इसकी जांच करवाइये लेकिन तत्काल प्रभाव से वह जांच बीच में रोक दी गयी। ऐसी सरकार का बजट क्या काम आयेगा जो बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, अध्यक्ष जी, बड़ी-बड़ी बातों से कुछ होने वाला नहीं है, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं इस सरकार से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे पास सबूत है। मैं आपको भी वीडियो टेप की कापी दे दूंगा। इसमें बच्चों से जो कार्य नहीं कराये जाने चाहिए वह कार्य कराये गये हैं। अप्रैल-मई के महीने में गर्मी में बच्चे सिर पर तसला उठाकर गारा सीमेंट और ईटें उठाकर मिस्त्रियों को देने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि उन पर तत्काल कड़ी कार्यवाही हो। 15-15 साल से अध्यापक उन्हीं स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। वह टस से मस नहीं होते। क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है तब से शिक्षा माफियाओं ने अपने को और मजबूत महसूस कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर गरीब बच्चों की कोई बात सुन सकता था, शिक्षा पर अगर कोई काम कर सकता था तो वह बहन कुमारी मायावती जी थीं। (सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)। मान्यवर, जब उनका नाम आता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता यह लोग हल्ला मचाने लगते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने एक पिक्चर देखी थी शोले और उसमें एक गब्बर सिंह था। आज आलम यह हो गया जब छोट-छोटे बच्चे रात को रोते हैं तो मां कहती है बेटा सो जा सुबह कोई अध्यापक गब्बर सिंह आपसे काम नहीं करायेगा। जब हम सदन में आते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि सुबह किसी गब्बर सिंह से हमारा पाला पड़ने वाला है। परन्तु हम भी उसी पिक्चर की तरह हैं। जैसे जय और वीरू थे उन्होंने तमाम गुण्डों और माफियाओं को भगाने का काम किया था। उसी प्रकार से हम इस प्रदेश में 2014 में हम आपको ऐसे परिणाम देंगे जो चौंकाने वाले होंगे। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रामपाल यादव-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह शिक्षा का आईना है। हमारी सरकार की सोच है। हमारे नेता ने शुरू से हमारे घोषणा-पत्र में कहा है कि रोजीरोटी सस्ती होगी और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। उसी को मानते हुए माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर हमारे बहुत से विद्वान साथियों के विचार आये हैं। आप जानते होंगे कि शिक्षा में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी के समय में हुआ है तो वह बसपा सरकार के समय में हुआ है। उसमें बसपा सरकार के समय में माननीय ओझा साहब अभी बता रहे थे कि हर चीज का रेट फिक्स था। मान्यता लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे और कह रहे थे कि गोल्ड मेडल मिला। माननीय मौर्या जी कभी बात सुनने का काम नहीं करते हैं। अपनी बात कहकर हमेशा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हाउस से निकल जाते हैं। यह कभी सुनने की आदत नहीं रखते हैं। इनकी माननीया मुख्यमंत्री जी कभी विपक्ष में फेस नहीं करती हैं। और यह लोग हम लोगों को मनुवादी बता रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि अगर सच सुनने की आदत नहीं है तो झूठ बोलने का काम भी न करें। सदन को गुमराह करने का काम न करें। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और दो-तीन सुझाव भी माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं, माननीय ओझा साहब ने कहा कि बहुत से अध्यापक ठेकेदारी का काम करते हैं, मान्यवर, यह ठेकेदारी प्रथा बन्द होनी चाहिए और दूसरी बात, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो पिछली सरकार के समय से चाहे वह एडीबीएसए हों, चाहे बीएसए हों, चाहे जो भी अधिकारी हों पूरी तरह से निरंकुश हैं, उन पर मा0 मंत्री जी को अंकुश लगाने की जरूरत है और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं हमारे जनपद सीतापुर में घोर गांजर क्षेत्र में किसी भी विद्यालय में अध्यापक पोस्ट नहीं हैं, ज्यादातर सड़क के किनारे के विद्यालयों में अध्यापक हैं और बहुत से विद्यालय बन्द हैं। मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा कि कृपापूर्वक जिन विकास खण्डों सकरन, रेउसा, बेहटा आदि विकास खण्डों में अध्यापक नहीं जाते हैं उनमें भी अध्यापक पहुंचाने की कृपा करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री दलवीर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, पहले तो मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछली सरकार में जो ड्रेसों और किताबों में विषमता थी, उसे समाप्त किया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां तक शिक्षा, बेसिक शिक्षा का प्रश्न है, यह प्रायः पूरे प्रदेश में खतम हो गई है। बेसिक प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाने वाला अध्यापक भी अपने बच्चों को बेसिक प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक स्थिति हो गई है कि सभी बेसिक प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक शहर में आकर बस गये हैं वह अपनी नियुक्ति शहर के आस-पास कराना चाहते हैं और शहर छोड़ कर दूर नहीं जाते हैं। इसमें एक व्यवस्था और हो गई है कि शहर के आस-पास पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए अधिक एलाउन्स, एचआरए है, शायद दो हजार या तीन हजार है मैं इसमें परिवर्तन कराना चाहता हूं मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं कि सुदूर देहात के स्कूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं बेसिक प्राइमरी पाठशाला उन पर आकर्षण पैदा करने के लिए जब अध्यापक वहां पढ़ाने जायं तो कुछ भत्ता देहात के स्कूलों के लिए बढ़ाया जाय, जिससे कि अध्यापक पढ़ाने के लिए देहात और इण्टीरियर के स्कूल में जाना पसंद करें। अब शहर के नजदीक के स्कूलों में बच्चे हैं 32 और अध्यापक हैं, देहात के स्कूलों में बच्चे डेढ़ सौ हैं, अध्यापक एक भी नहीं हैं और अध्यापक जो वहां पढ़ाने के लिए होते हैं वह ऐसे कामों में लगे रहते हैं जैसे जनगणना है अन्य-अन्य कामों में। केवल शिक्षा मित्र पढ़ाने का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, स्थाई अध्यापक कोई पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बढ़ाकर अवश्य ही कम से कम दस हजार रुपये प्रति महीने कर देना चाहिए, सबसे ज्यादा काम शिक्षा मित्र कर रहे हैं। दूसरा मेरा सुझाव है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, उनके प्रति अब लोगों का बिल्कुल लगाव नहीं है, सबने उपेक्षा कर दी है उनकी। सारी जनता अब अपने बच्चों को इंग्लिस स्कूलों में, कान्वेन्ट स्कूलों में पढ़ाना चाहती है। जब तक आप अतिरिक्त बोनस अंक देने की शुरुआत नहीं करेंगे, जैसा कि चौधरी चरण सिंह साहब ने अपने समय में कहा था बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को नौकरियों में कम्पटीशनों में अन्य चीजों में कम से कम पांच अंक अतिरिक्त बोनस के रूप में दिये जायेंगे तब क्रेज बढ़ेगा तब बेसिक प्राइमरी पाठशाला में यहां के बच्चे पढ़ने के लिए जायेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बेसिक शिक्षा विभाग के बजट के कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, मुझे पता है कि मा0 मंत्री जी और यह सरकार जागरूक हैं इस मामले पर, बेसिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। मान्यवर, यह जो व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय की अगर आप देहात क्षेत्र में जाकर देखें तो वहां के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक पहुंचते ही नहीं हैं, यदि वह विद्यालय 20-25 किमी0 दूर है तो वहां के अध्यापक क्या करते हैं कि जो वेतन उनको मिलता है, उसमें से दो हजार रुपये देकर किसी और को डिप्यूट कर देते हैं वह उन अध्यापक महोदय की जगह वहां पढ़ाने चला जाता है, यह मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। आप इसकी चेकिंग कराइये। आन डेप्यूटेशन भेज देते हैं प्राइवेट आदमी को आपके शिक्षक और उस पर आजकल इतनी बेरोजगारी है पूरे प्रदेश में कि दो हजार में जाकर जो भी उसे डेप्यूट करता है वह पढ़ाने चला जाता है, तो यह बड़ा गम्भीर मामला है, शिक्षा का स्तर वैसे भी गिर रहा है। प्राइमरी सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। वह टीचर्स खुद अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं और ट्यूशन का धंधा करते हैं। ट्यूशन के धंधे से जो कुछ कमाते हैं वह तनख्वाह के अलावा होता है। इसलिये वह दूसरों को डेपुटेशन पर भेज देते हैं। मान्यवर, इसके अलावा मैं मिड-डे-मील की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह केन्द्र सरकार की एक अच्छी योजना है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इसमें अक्षय पात्र संस्था, जो कि वृंदावन में है, आप कभी आकर देखें, मैं सभी लोगों को कहूंगा कि आप वृंदावन में आकर अक्षय पात्र संस्था को देखें। वह देश की एक बेहतरीन संस्था है और उसमें वे लगभग 3 लाख हमारे विधान सभा क्षेत्र के बच्चों को भोजन खिलाते हैं। हाथ कहीं नहीं लगता है, मशीन से खाना बनता है। 10 हजार चपातियां एक घण्टे में, स्टीम से चावल, स्टीम से दाल और स्टीम से मीठा और उनकी खुद की हौटकेश वाली गाड़िया और रात को तीन बजे भोजन बनना शुरू होता है और सुबह सात बजे तक भोजन बनकर तैयार हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है। उनका अच्छा खासा बड़ा परिसर है और एक अच्छी समाज सेवी संस्था के रूप में वह संस्था सेवा कर रही हैं वह बंगलौर से रिलेटेड संस्था है और तमाम देश के लोगों की उनकी भागीदारी है। जयपुर में भी वे लोग काम कर रहे हैं और लखनऊ में भी वह लोग काम करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को आमंत्रित करिए, जिनके पास सेवा भाव हो वरना आजकल स्कूलों में अध्यापक लोग सुबह से ही मेन्यू की तैयारी करते हैं। बच्चे पढ़ते तो हैं नहीं बच्चे खाना बनाने की तैयारी में रहते हैं। अध्यापक जी पूछते हैं कि भई आज क्या खाओगे ? पढ़ाई करने की बात तो दूर रही, भोजन व्यवस्था की तैयारियां होती हैं और चूल्हा जलाया जाता है या गैस जलाई जाती है, आटा माढ़ा जाता है और चावल बनाया जाता है बच्चे सिर्फ शिक्षा में नहीं लगते हैं, बल्कि भोजन बनाने में लग जाते हैं तो इसलिए भी आप अक्षय पात्र जैसी संस्थाओं को आमंत्रित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को जैसे कि आप टीचरों को जनगणना में लगा देते हैं, बिल्डिंग बनवाने में लगा देते हैं, भोजन बनवाने में लगा देते हैं, तो इन व्यवस्थाओं को जरा रोकिए। इसी तरह ये जो शिक्षा मित्र हैं, यह जो भी काम करते हैं, आपकी सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाया। वह नियमित होने के लिए चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए आप 10 हजार रुपये की व्यवस्था करिए। मान्यवर, इसके अलावा जो महिलाओं के स्थानान्तरण का मामला हैं आपके विभाग में जैसे महिलाओं का स्थानान्तरण इतनी सुदूर कर दिया जाता है, उसमें आप कोशिश यह करिए कि इन महिलाओं को हेडक्वार्टर के पास जो 5-7 किलोमीटर के गांव हैं, उन स्कूलों में करिए। और अंतर जनपदीय ट्रान्सफर के लिए भी पिछली सरकार में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमारे एक-दो रिकमन्डेशन के ट्रान्सफर हो जाए, इसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। हम लोगों के विपक्ष में बैठने वालों के तो कोई काम ही नहीं होते थे, एक भी स्थानान्तरण नहीं हुआ। मा0 अधिष्ठाता जी, के माध्यम से कहना चाहूंगा मा0 मंत्री जी कि कोई ऐसी नीति बनाएं कि यदि हम कोई रिकमन्डेशन अंतरजनपदीय स्थानान्तरणों की करें तो वह स्थानान्तरण हो जाए। इतनी दूर यदि उन्होंने पोस्टिंग ले भी ली है तो इसे नीतिगत मामला मान सकते हैं, क्योंकि आज बेरोजगारी इतनी है कि नौकरी के लिए लोग पता नहीं कहां-कहां चले जाते हैं, पांच-पांच सौ किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। परन्तु इस तरह की महिलाओं के पारिवारिक समस्या को भी देखना चाहिए। कोशिश यह करनी चाहिए कि वह आस-पास के जनपदों में आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो बिल्कुल नींव के आपकी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और मैं उनके जज्बे को भी जानता हूं और करने की क्षमता को भी जानता हूं और इस तरह की नीतियां वह जरूर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम लाल अकेला-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके बेसिक शिक्षा के बजट पर हमें बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो शानदार बजट प्राथमिक शिक्षा को दिशा देने के लिए और प्राथमिक शिक्षा की दशा को सुधारने के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं मा0 मंत्री जी बधाई देता हूं। अभी हमारे साथी जो कटौती का प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा पर रख रहे थे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्राथमिक शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्राइमरी स्कूलों में मजदूर, किसानों के बच्चे, गांव में रहने वाले गरीबों के बच्चे ही उन स्कूलों में शिक्षा अर्जित करने का काम करते हैं और आज बेसिक शिक्षा का जो स्तर है यदि इस पूरे सदन ने उसे उठाने का काम नहीं किया तो आज इस समाज में जो तमाम विषमताएं पैदा हो रही है, उसके लिए

बेसिक शिक्षा ही एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं कुशवाहा जी को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों का विद्युतीकरण कराने का काम किया, लेकिन काम कैसे हुआ, मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा जांच करा लीजिएगा। मान्यवर, जो विद्युतीकरण हुआ है उसमें चूंकि बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने एडवांस में कमीशन ले लिया है इसलिए वह बहुत घटिया किस्म का हुआ है उसकी जांच करा लें ऐसा न हों कि वहां पर बच्चें बैठे हों और अनायास ही कोई घटना घट जाये। बच्चे किसी घटना का शिकार न हों उससे पहले उसकी जांच करा लें। मान्यवर, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में बच्चों की ट्रेनिंग के लिए योजना बनायी गयी सिलाई मशीनें खरीदी गयीं। मान्यवर, खाता प्रधान अध्यापक के नाम होता है लेकिन कमीशन जो है वह बेसिक शिक्षा अधिकारी पहले ही ले लेता है मशीन जो 12 हजार की थी वह 18 हजार रेट पर ली गयी पिछली सरकार के समय में। इसकी आप जांच करा लें। मान्यवर, इसी तरह से भवन निर्माण के नाम पर जो नये भवन का और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हुआ है वह बहुत ही घटिया किस्म का हुआ है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी कह रहे थे कि जो टंकियों का निर्माण हुआ है, पिछली सरकार में उनको गिराना पड़ेगा और नयी टंकियां बनवानी पड़ेगी तो आप इसकी जांच करवा लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि पूरी की पूरी नयी बनी इमारत ही गिर कर धराशायी हो जाये और बच्चे किसी घटना का शिकार हो जाये। मान्यवर, कभी यह प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के मन्दिर माने जाते थे और उसमें बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ते थे और पढ़ कर अफसर बनते थे। आज स्थिति ठीक विपरीत हो गयी है। यह उत्तर प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय है इस पर चिन्तन मन्थन होना चाहिए कि कैसे इसकी व्यवस्था को चुस्त दुरस्त किया जाये। मान्यवर, हमारे जिलें में प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में विद्युतीकरण व बेहतर शौचालय की आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे जनपद रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय 1336 व जूनियर हाई स्कूल 936 हैं। प्राथमिक शिक्षा में प्रधानाध्यापकों के 964 पद सृजित हैं किन्तु तैनाती 954 है सहायक अध्यापकों के पद 7200 सृजित हैं किन्तु 5012 वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी तरीके से जूनियार हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों के सृजित पद 530 हैं और कार्यरत 430 हैं। इसी प्रकार से सहायक अध्यापकों के पद 1336 हैं तैनात हैं 536। मान्यवर, केवल 500 विद्यालयों का विद्युतीकरण है इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अध्यापकों की कमी है उसको पूरा कराया जाये और जहां विद्युतीकरण और शौचालय की आवश्यकता है उनको बनवाया जाये। मान्यवर, शिक्षा मित्रों को अध्यापक के रूप में समायोजित किया जाये। मान्यवर, अभी चर्चा हो रही थी ओझा जी और प्रदीप माथुर जी बोल रहे थे कि अध्यापकगण मध्याह्न भोजन और जनगणना कार्यों में लग जाते हैं और शिक्षा व्यवस्था से दूर होते जा रहे हैं। इससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा बेसिक शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने शानदार प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है। मान्यवर, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हों या एस0डी0आई0 हों वह स्कूलों में जांच के लिए जाते हैं लेकिन जांच के नाम पर कमीशन वसूल करते हैं। मान्यवर, पिछली सरकार ने इन अधिकारियों के मन में कमीशन की ऐसी बात बिठा दी है कि वह कमीशन के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि पिछली सरकार में यह धारणा बन गयी थी कि कमीशन वसूलो और वसूली करो। बेसिक शिक्षा जाये भाड़ में।

(मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, पिछले पांच साल में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बेसिक शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया गया था। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, बेसिक शिक्षा में गरीबों के किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए वहां की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मान्यवर, पूर्ववर्ती

सरकार के लोग तमाम आलोचनायें करते हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि चमन को सींचने में पत्तियां तो कुछ झड़ गयी होंगी यह इल्जाम् है मुझपे बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला हाथी के पैरों तले, वह क्या दावा करेगा इस चमन की रहनुमाई का। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, बेसिक शिक्षा के बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, बेसिक शिक्षा के बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले बहुत सारे विचार आये इसमें माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बातों का समावेश अपने बजट भाषण में किया वहीं व्यवहारिक रूप से ओझा जी का सुझाव भी बहुत अच्छा आया। आदरणीय राधा मोहन अग्रवाल जी का भी, लेकिन बहुत सारे लोग सुझावों के साथ-साथ एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें मेरा सिर्फ यही कहना है मैं पहली बार इस सदन में चुनकर आया हूं बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मुझे मिला है। दलाल और टैक्सियों की कोई पार्टी नहीं होती है। मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर टैक्सियों और दलालों के झण्डे सत्ता दलों के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए बहुत उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और इससे संबंधित न होते हुए भी दो लाइन मैं कहना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, अखबारों और टेलीवीजनों में जो मैंने एक छवि देखी थी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की छवि को बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था, मुझे यह लगता था कि वह बहुत सम्प्रदायिक व्यक्ति हैं लेकिन आज जब मैं इस सदन में बैठता हूं और मैंने केवल 10-12 बार उनका ज्ञानवर्धन भाषण सुना है, मुझे लगता है और कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसा गैरसम्प्रदायिक व्यक्ति हिन्दोस्तान में कोई दूसरा नहीं होगा।

(मेजों की थपथपाहट)

बेसिक शिक्षा के बजट पर हम लोग यहां पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बेसिक शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से मैं चुनकर आया हूं वह क्षेत्र नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है निघासन विधान सभा। वहां पर ज्यादातर विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, बच्चे हैं, अध्यापक नहीं हैं, शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। इस पर सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और शिक्षा का स्तर जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम विद्यालयों में जायें शिक्षा के स्तर को देखें, मिड डे मील के स्तर को देखें मैं एक विद्यालय में गया था, मैं कोई कपोल कल्पित घटना नहीं बता रहा हूं, मैं जब विद्यालय में गया तो कक्षा 2 के बच्चे से यह पूछा कि बेटा 6 का पहाड़ा सुनाइये वह कक्षा 2 का विद्यार्थी 6 का पहाड़ा नहीं सुना पाया मैं कक्षा 5 में गया मैंने कक्षा 5 के विद्यार्थी से कहा कि 9 का पहाड़ा सुनाओ उसने यह नहीं कहा कि मुझे पहाड़ा नहीं आता उसका जवाब बड़ा अजीब था उसने कहा कि भाई साहब आप मुझसे 9 का पहाड़ा पूछ रहे हैं 9 का पहाड़ा तो मास्टर साहब को भी नहीं आता है, मेरी बात ही छोड़ो। मैं गुरूजनों के सम्मान के विपरीत कोई बात नहीं कहना चाहता लेकिन यह चीज यह दिखाती है कि शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर गया है। आवश्यकता भी छात्रों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों की नियुक्तियां हों। साथ ही साथ अध्यापकों को शिक्षण के कार्य में बेहतर ढंग से लगाया जाय। उनसे जो दूसरे काम लिये जाते हैं उसमें कटौती रखी जाय और दूसरी एक बात

व्यवहारिक रूप से जिसको हम लोग वहां पर देखें हैं जिसकी बहुत बड़ी एक समस्या है जो मिड डे मील बनाने का काम है उसमें प्रधान और उस अध्यापक की भूमिका होती है जो लगभग हर विद्यालय में लड़ते रहते हैं कि गल्ला कितना आया, कितने बच्चों ने आज खाना खाया इसकी उनकी लड़ाई इस स्तर तक पहुंच जाती है कि मिड डे मील की गुणवत्ता में भी फर्क पड़ता है। जो आज माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी के सामने बहुत कनिष्ठ सदस्य हूं, बहुत सम्मान के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं सम्भव है, दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन आपका यह कहना उचित नहीं है कि दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं आपको उस पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों की एक बहुत बड़ी भूमिका आज प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में है और मेरा यह मानना है कि आदमी को खाने और स्वास्थ्य के बाद जो उसके विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज है वह शिक्षा है शिक्षा मित्रों को नियुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सोचकर शिक्षा मित्रों को लगाया था कि इससे शिक्षा में गुणवत्ता आयेगी और बेसिक शिक्षा जो किसी भी मनुष्य के विकास की रीढ़ होती है उसको ठीक करने का काम हमारे यह शिक्षा मित्र करेंगे, हमारे शिक्षा मित्रों ने काम को ठीक ढंग से किया भी लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कई जगह पर शिक्षा मित्रों को बीटीसी की ट्रेनिंग में सेम सेशन के कारण उनको ट्रेनिंग देने से रोका जा रहा है इस चीज को देख लेंगे खासकर लखीमपुर जिले में। लखीमपुर जिले में डायट के लोगों ने उनको रोका है। मैं आपको उसका पूरा डिटेल उपलब्ध करा दूंगा, आप उसे दिखवा लीजियेगा। साथ ही साथ मा0 मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, जैसा कि बजट में कहा गया है कि 2014-15 में शिक्षा मित्रों को आप पूरी तरह से नियमित कर देंगे, उससे पहले मेरा अनुरोध है कि उन्हें केवल 35 सौ रुपये भत्ता मिल रहा है, जब तक उनका नियमितीकरण नहीं हो रहा है तब तक के लिये उनका मानदेय कुछ बढ़ा दिया जाये जिससे कि वह इस महंगाई का सामना कर सकें। मिड-डे-मील, बाउन्ड्रीवाल, कमरे का निर्माण जैसे कामों से अध्यापकों को हटा दिया जाये और जो सुझाव माननीय ओझा जी ने दिया है उससे मैं भी सहमत हूं कि ऐसी कोई एजेंसी बनाई जाये जो आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में काम करे और जो शिक्षक हैं उनसे केवल शिक्षा का काम लिया जाये। बेसिक शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका और महत्ता हमारे जीवन में होती है, क्योंकि बच्चा जो बचपन में सीखता है वह उसके जीवन भर साथ रहता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्यगण, इस बजट को 15 मिनट में यानि कि 2.20 तक समाप्त करना है। माननीय मंत्री जी का अभी उत्तर भी आना है इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि मा0 सदस्यगण अपने भाषण को केवल सुझाव तक ही सीमित रखें, लम्बी-चौड़ी भूमिका बनाने में समय लगता है। इसलिये कृपया समय की सीमा का ध्यान रखें, बहुत संक्षेप में अपने सुझाव दें।

*श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं उस क्षेत्र से आया हूं, जो पहाड़िया क्षेत्र है और हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में सात वनग्राम हैं। उत्तराखंड बनने से पहले जंगलों में जो स्कूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे उनका संचालन देहरादून से होता था, आज उन तीन विद्यालयों में कोई शिक्षक नहीं है, ठेकेदारी के माध्यम से विद्यालय चलाये जा रहे हैं, आप उन विद्यालयों में अध्यापक का प्रबन्ध कर लें, उन विद्यालयों को बेसिक शिक्षा विभाग में सम्मिलित करने का कष्ट करें ताकि गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें हैण्डपम्प लगे हुये हैं और बड़ी तादाद में हैण्डपम्प खराब हैं। 35 हजार रुपया एक हैण्डपम्प लगाने के लिये दिया जाता है। मेरी विधान सभा में 2 लाख 15 हजार पर एक हैण्डपम्प सिधौली और मुजफ्फरनगर ब्लाक में लगता है, इसलिये उसका धन बढ़ा दिया जाये, 12 स्कूल ही ऐसे हैं जहां पर अभी तक हैण्डपम्प नहीं लग पाये, उनके लिये 2 लाख 15 हजार रुपये की व्यवस्था की जाये। अभी जो प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल मंजूर हुये हैं, उनमें टैंकर की मदद से पानी दिया जाता है। मेरा अगला सुझाव यह है कि देहरादून, यमुनानगर, रुढ़की से लगभग ढाई सौ महिलायें सहारनपुर में शिक्षण कार्य करने के लिये जाती हैं, जो महिलायें 50 से 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु की हैं, उनकी पोस्टिंग आनरोड के कस्बों के विद्यालयों में कर दी जाये। यदि उनकी पोस्टिंग दूरदराज के इलाकों में कर दी जाती है तो वह वहां पहुच नहीं पाती हैं और स्थायी रूप से पोस्टिंग करने के लिये उनसे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा धन की मांग की जाती है। मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि जो 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलायें हैं उनकी नियुक्ति नजदीक के विद्यालयों में कर दी जाये, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके। मेरा चौथा सुझाव है कि दो ड्रेस मिलती थी गरीब बच्चों को एक साथ उसको बढ़ाकर चार कर दी जाये। उन बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता कैसे प्रदान की जाये इस पर माननीय मंत्री जी ने सुझाव मांगे हैं। ब्लाक स्तर पर वादविवाद प्रतियोगिता होनी चाहिये, टेस्ट होने चाहिये, तीन महीने में 6 महीने में जन-प्रतिनिधियों को भी मीटिंगों में जाना चाहिये चाहे इसका खर्च विधायक निधि से ही क्यों न कर दिया जाये। जब प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे तो देश का भविष्य बनेगा। हमारे यहां एक बहुत अच्छी अधिकारी थीं, हम वहां पर गये थे तो बच्चों ने गीत के माध्यम से बताया था कि हम भारत के भाग्य विधाता हैं लास्ट में शिक्षक बच्चों के भाग्य का विधाता है। मेरा अगला सुझाव यह है कि जो स्कूल में कमरे बनाये जाते हैं वह शिक्षक और प्रधान मिलकर बनाते हैं, शिक्षकों से ठेकेदारी न करायी जाये, इतनी संस्थायें हैं सरकार के पास, चाहे तो ब्लाक स्तर से बन जाये, पी0 डब्ल्यू0 डी0 है, आर0 ई0 एस0 है किसी भी एजेंसी से बनवाये जा सकते हैं। मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये हमें समय-समय पर उनका निरीक्षण उच्च अधिकारियों के द्वारा कराना चाहिये और जो खाने की व्यवस्था है, लगभग ढाई रुपये का खर्च एक बच्चे पर आता है। मुझे पूर्ण जानकारी है कि ग्राम प्रधान और अध्यापक मिलकर उसमें से लगभग एक रुपये की कटौती कर लेता है, कोई पचास पैसे कर लेता है, इसी के साथ मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुशील सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें बेसिक शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव इस बजट के माध्यम से देना चाहता हूं कि जो जनपद में परिषदीय विद्यालय होते हैं उसमें सरकार द्वारा यह योजना है कि 6 से 14 साल के बच्चों को भोजन और किताबें फ्री मिलती है, यह सरकार की अपनी योजना है लेकिन दूसरी तरफ मान्यता प्राप्त जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उच्च विद्यालय होते हैं, उसमें यह सुविधा नहीं है। मेरा सिर्फ यही सुझाव है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को भी मान्यता प्राप्त स्कूलों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में यह सुविधा मिलनी चाहिये। दूसरी चीज है, स्कूल में कहीं अध्यापक कम होते हैं और कहीं ज्यादा होते हैं तो कम से कम अध्यापक तो सामान्य रूप से बच्चों की संख्या के अनुसार रखे जायें। तीसरी अच्छी बात यह है जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद में गड़बड़ियां करते हैं, मेरा सुझाव है कि उसकी गम्भीर रूप से हमेशा जांच कराई जाये कि कौन अधिकारी कैसा काम कर रहा है और अगर वह गलत काम करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री जाहीद बेग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मिड-डे-मील या अन्य कार्य जो मास्टर से कराये जाते हैं इससे पढ़ाई का कार्य बाधित होता है और लड़कों का दिमाग भी पढ़ाई में न लगकर खाने में लगा रहता है, मेरा सुझाव है कि इस पैसे को किसी और मद में खर्च किया जाये। अभी हमारे साथी कटौती प्रस्ताव पेश कर रहे थे और अपनी उपलब्धि बता रहे थे। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस पार्टी के दो-दो शिक्षा मंत्री जांच के दायरे में आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन उनके उच्च शिक्षा मंत्री के दायरे में हैं और ऐसे लोग ईमानदारी की बात करते हैं। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मिसाल दे रहे थे, शोले की मिसाल दे रहे थे मैं समझ रहा था कि यह कहने वाले हैं कि सो जा बेटा नहीं तो बहन जी आ जायेंगी। लेकिन ऐसा नहीं किया। मैं सोच रहा था अध्यक्ष महोदय लोग अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिये यह कहते थे कि सो जा बेटा नहीं तो बहिन जी आ जायेंगी, उनके मंत्री आ जायेंगे। ऐसा भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में। जो विभाग बच्चों को शिक्षा देता है, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो। जिस मुख्यमंत्री के कैबिनेट में दो-दो शिक्षा मंत्री लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं, एक को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है, एक का टिकट काट दिया जाता है। ये लोग किसकी बात करते हैं ? यह शिक्षा माफिया की बात करते हैं। इनके राज में शिक्षा माफिया का जन्म हुआ है और इन लोगों ने उसको पनाह दिया है। ऐसे लोगों की मैं निन्दा करता हूं। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुये पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि किसने बढ़ाया है, किसने नहीं बढ़ाया है। सरकार के दो-दो शिक्षा मंत्री लोकायुक्त की जांच के दायरे में आये हैं और आपकी पार्टी के नेता ने उनको मंत्रिमंडल से हटाया है। ऐसे लोग जनता के सामने और सदन के सामने क्या बात करेंगे। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय समाजवाद।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। बेसिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन की नींव होती है। यदि नींव मजबूत होगी तो व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होगा, यदि नींव कमजोर होगी तो व्यक्ति कमजोर हो जायेगा और उसका विकास सम्भव नहीं है। मान्यवर, शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है, जो राजकुमार होते थे वह गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। शनैः शनैः शिक्षा के महत्व को समझते हुये इस बात का अहसास किया गया कि शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। प्राथमिक स्कूल, बेसिक शिक्षा के लिये जो गांवों में, नगरों में स्कूल खोले गये वह इसलिये खोले गये कि 4 साल का बच्चा है वह परिवार से निकल करके जब स्कूल में पढ़ने के लिये जाये तो उसे एक ऐसा माहौल मिले जहां से उसके जीवन का प्रारम्भ होता है। होना यह चाहिये कि उसको एक अच्छा माहौल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिले, जो वहां के अध्यापक हों उनका आचरण, व्यवहार ऐसा होना चाहिये जिससे कि बच्चे में आगे पढ़ने की रुचि बढ़े। लेकिन अधिष्ठाता जी, बहुत दुःख होता है जो 4 साल के बच्चे की शिक्षा की बात होनी चाहिये यहां पर हम लोग एक-दूसरे पर आरोप लगाकर उसकी राजनीति की जा रही है। हमें यह सोचना चाहिये कि हम लोग किस तरीके से अपने बच्चों के भविष्य का सुधार करें, किस तरीके की अच्छी से अच्छी सुविधायें प्रदान कर सकें। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि उसकी जितनी निन्दा की जाये वह कम है। छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जी तौर पर बच्चों का नामांकन कर लिया जाता है वह इसलिये कि छात्रवृत्ति फर्जी रूप में प्राप्त की जाये। इस प्रकार छात्रवृत्ति में धांधली की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि हम लोग बच्चों के शिक्षा की बात करते हैं, उसके साथ-साथ हमें यह भी महसूस करना चाहिये कि हम लोग बच्चों को जो स्कूल में भेजते हैं कि उसका सम्पूर्ण रूप से विकास हो, उसकी पूरी पर्सनाल्टी का डेवलपमेण्ट होना चाहिये। हम जब प्राइवेट स्कूलों की मान्यता देते हैं तो चार हजार गज जमीन पर मान्यता देते हैं और बेसिक शिक्षा की जब हम मान्यता देते हैं तो यह जो नियम है इसकी अनदेखी कर देते हैं। चार हजार गज जमीन पर मान्यता इसलिये देते हैं कि बच्चों को खेलने के लिये प्रापर स्थान मिल जाये। तो जब बेसिक शिक्षा के स्कूलों को जमीन की मान्यता दें तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि बच्चों को खेलने के लिये पूरा स्थान मिल सके इसके लिये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि . . . . . .

अभी विद्युतीकरण की बात हो रही थी मेरे क्षेत्र का गांव है अगराई।

श्री अधिष्ठाता-

यह बेसिक शिक्षा का बजट है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

यह बेसिक शिक्षा का स्कूल है और अभी जो कटौती के प्रस्ताव पर सदस्य बोल रहे थे उसमें यह कहा गया था कि हर स्कूलों में खम्भे लगाये गये हैं तो वहां कोई खम्भा नहीं लगा है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि जिन स्कूलों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन स्कूलों में विद्युतीकरण करवाने की कृपा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

अधिष्ठाता महोदय मैं इस बेसिक शिक्षा के बजट पर जोर देने के लिये इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इलाहाबाद जनपद से आता हूं इलाहाबाद जनपद का नाम शिक्षा जगत में बहुत प्रसिद्ध है। आदरणीय स्व0 जनेश्वर मिश्र जी हमारे जनपद से लोकसभा के सदस्य थे। उनका भाषण हमने सुना था कि जो लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है वह बोरा लेकर जाता है और प्राइमरी में साथ लेकर जाने वाला बोरा उसकी तकदीर के साथ चिपक जाता है। मिश्रा जी का भाषण हमने पहली बार सुना था। जब वह बाजार में जाता है तो बोरा ढोने का काम उसको मिलता है। आज हमारी प्राइमरी की शिक्षा जिस तरह से बिकाऊ हो गई है, प्राइमरी की शिक्षा जिस तरह से खाऊ हो गयी है प्राइमरी शिक्षा को जिस तरह से बेचने का काम हमारे पूर्व के पांच साल में नेताओं ने किया है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं एक तरफ नर्सरी में पढ़ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाला बच्चा दूसरी तरफ प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा एक से लेकर 10 तक का पहाड़ा जानता है प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा दो का पहाड़ा नहीं जानता है। उसका कारण क्या है। नर्सरी में पढ़ाने वाला 300 रुपये पाता है और प्राइमरी में पढ़ाने वाला 22 हजार पाता है। अन्तर क्या है फर्क क्या है इसका कारण क्या है इस पर भी हमाको सोचना पड़ेगा। इस सदन को सोचना पड़ेगा राम गोबिन्द जी हमारे नेता हैं हमारे साथी हैं हमारी इनसे 20 साल से जान पहचान है। इनके रहते अगर शिक्षा में सुधार नहीं हुआ हमारी सरकार में सुधार नहीं हुआ तो फिर हम सोचकर चलेंगे कि इस देश में शिक्षा में सुधार हो ही नहीं सकता है। पहले प्राइमरी का लड़का कलेक्टर बनता था कमिश्नर बनता था बड़ी-बड़ी पोस्टों पर कब्जा करता था आज प्राइमरी के लड़के में चौकीदार बनने की क्षमता नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बेसिक सुधार की आवश्यकता है। पहली सुधार की आवश्यकता है कि प्राइमरी का मास्टर 10 बजे तैयार होकर चलता है वह स्कूल नहीं जाता चौराहे और चक्की पर बैठकर चाय पीता है और अपने एस0 डी0 आई0 को माहवारी बांध देता है। डिप्टी साहब दो हजार रुपया महीना देंगे पढ़ाने नहीं जायेंगे। चक्की और चौराहे पर बैठेगा लेकिन पढ़ाने नहीं जायेगा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मिड-डे-मील है इसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्री भोजन बनायेगी और जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकत्री काम करती है उसी तरह से वह भोजन बनायेगी और उन बच्चों को खिलायेगी बच्चा खाने के बाद झोला लेकर अपने घर चला जाता है दूसरे टाइम पर नहीं आता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बेसिक व्यवस्था आपके द्वारा होनी चाहिये जिसकी मैं उम्मीद करता हूं। आप कर भी सकते हैं बेसिक शिक्षा में बेसिक परिवर्तन करना पड़ेगा इसके लिये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। यहां बैठे हुये सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। अगर बेसिक शिक्षा सुधर जायेगी तो उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल जायेगी इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट पर बल देता हूं। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में न कोई चौकीदार है न चपरासी न कोई साफ-सफाई करने वाला है इस पर भी ध्यान दिया जाय।

(श्री सुरेश बंसल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

आज बेसिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष जी मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं आपके माध्यम से एक तरफ तो विद्यालयों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें अध्यापक हैं बच्चे नहीं हैं। एक तरफ जहां बच्चे हैं वहां अध्यापक नहीं हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो नगर में प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर जो किराये की बिल्डिंग हुआ करती थी उनके खुद के भवन नहीं थे बिल्डिंग जर्जर होने के कारण भवन टूटने के कारण वह विद्यालय बन्द हो गये उनके अध्यापक दूसरे स्कूलों में बैठते हैं। या गली मोहल्ले में बैठकर केवल हाजिरी लगाकर मासिक वेतन उठाने का काम करते हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, उधर देहात के विद्यालयों में स्थिति ऐसी है कि बच्चे हैं लेकिन अध्यापक नहीं हैं, यहां तक कमी है कि बहुत से विद्यालय बन्द पड़े हुये हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसी कोई समायोजन योजना करें कि नगर के अध्यापक हैं वो देहात के विद्यालयों में जा सकें और देहात के विद्यालय जहां पर हैं तो वो इधर उधर ट्रांसफर हो सकें। मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से एक और निवेदन मा0 मंत्री जी से करना चाहूंगा कि जो अन्तर जनपदीय महिला अध्यापक हैं, अपने जनपद से काफी दूर पहले से काम कर रही हैं। मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो महिलायें उन जनपदों में न जा करके वहां के ए0 बी0 एस0 ए0 को मंथली तीन हजार से लेकर के आठ दस हजार

रुपये तक तय कर दिया गया है और वो महिलायें अपने जनपद में रह करके केवल महीने में जा करके तनख्वाह लेने का काम करती हैं। ऐसी बातों की जांच करा ली जाये तो आपके संज्ञान में आ जायेगा। मा0 अधिष्ठाता जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो प्राथमिक विद्यालयों का प्राइवेट स्कूलों का मान्यता देने का मानक है वह 4000 वर्ग मीटर है, वहीं हाई स्कूल और इण्टर का मानक जो जगह का है वह 650 वर्ग मीटर का है। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह विषमता जो कक्षा-5 तक के हैं वहां 4000 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ रही है और जहां हाईस्कूल से लेकर इण्टरमीडिएट तक का कालेज खोला जा रहा है वहां केवल 650 वर्ग मीटर पर हाईस्कूल, इण्टर की मान्यता दे दी जाती है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूलों के लिये जो जगह का मानक है उसको कम कर दिया जाये जिससे कि विद्यालय खुलें और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मा0 अधिष्ठाता जी, बहुत धन्यवाद। आज बेसिक शिक्षा पर बजट आया। इसका मैं स्वागत करता हूं और मा0 मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे व्यक्ति को यह विभाग दिया है जिसके दिल में वास्तव में गांव के बच्चों के लिये पीड़ा है। गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और अच्छा नागरिक बनकर निकलना चाहते हैं। हमारे मंत्री जी गांव के रहने वाले हैं, गरीब की पीड़ा को देखा हैं। और आज परिवर्तन की आवश्यकता है, आमूलचूल परिवर्तन की और यह दायित्व इनको इसीलिये दिया गया है कि आप उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन बेसिक शिक्षा में करने का फैसला लें। जो कमियां हैं आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि गांव से निकल कर आप आये हैं। इस परिवर्तन को करना आपकी जिम्मेदारी है, ये सरकार की प्राथमिकता भी है। यह सच्चाई है कि पिछली सरकार ने शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया था और जिस तरह से माध्यमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा को बेचा गया और उसका रेट भाव किया गया। यहां तक हम लोगों की जानकारी में कि एक मंत्री जी को ''नो ड्यूज सर्टिफिकेट'' का पैसा उनका फिक्स था और पूरी एक अटैची लेकर के इलाहाबाद जा रहे थे। जब माननीया मुख्यमंत्री को पता चला कि इतना करोड़ रुपया जा रहा है तो रास्ते से उनको बैक कराके अटैची उनकी कालिदास मार्ग में निकाल ली गयी। यह चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में बना था। ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया था, रौंद दिया गया था शिक्षा विभाग को। आपसे आशायें हैं और दो तीन सुझाव देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। मा0 मंत्री जी आप यह काम करायें कि जो गांव के प्रधान जो मिड-डे-मील योजना चलती हैं। हमने कई गांव में दौरा किया है, गांव का प्रधान कोटेदार से अनाज उठवाता है और अपने घर पर उसे रख लेता है और जब आपका प्राइमरी स्कूल का मास्टर, प्रधान अध्यापक जाता है तो टुकड़े-टुकड़े में करके थोड़ा-थोड़ा अनाज की व्यवस्था करता है और बाकी अनाज को, खाद्यान्न को वहां बेचने का काम प्रधान करता है। इस पर अंकुश लगना चाहिये। डायरेक्ट जो भी अनाज का कोटा है विद्यालय का, वह सीधे कोटेदार से स्कूल जाना चाहिये और उस अध्यापक की जिम्मेदारी हो कि भोजन कैसे बनाया जाय। आज रसोइया हमारे यहां हर गांव में मिल नहीं रहे हैं जिनका पैसा बकाया है वह समय से नहीं मिल पा रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बकाया पैसा मिले। आपके बी0 सी0 ए0 और निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो उनसे कमीशन ले रहे हैं और उनको समय से भुगतान नहीं हो रहा है। मैंने बीसियों गांवों का दौरा किया है हर जगह भारी संख्या में रसोइया आये हैं और हमको ज्ञापन दिया है कि 6-7 महीने, साल भर हो गया है हमको जो एक हजार रुपया मिलता था वह भी समय से नहीं मिल पा रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इसको भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अभी हमारे राम लाल अकेला जी ने कहा जो विद्युतीकरण की योजना हमारे भारत सरकार ने चलाई थी, हर प्राइमरी स्कूल को जोड़ने की वह आज भी पूरा नहीं हो पाया। आज कहीं-कहीं बीच में तार लटके हैं और कहीं तार काट कर ले गये और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो निर्माण कार्य हुआ भवन का, शौचालय का, वह इतना जर्जर है कि वो खराब स्थिति में है। शौचालय प्राइमरी सेक्शन के गांव में नहीं चल रहे हैं। न तो उनके रख-रखाव की व्यवस्था है न उनकी सफाई की व्यवस्था है। उनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि क्या कारण है कि प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय में गांव का गरीब आदमी भी, रिक्शा वाला, खोमचा वाला, मूंगफली बेचने वाला यह सोचने लगा है और अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा काटकर अपने बच्चे को वहां पढ़ाया जाय। अपने बच्चे को आपके प्राइमरी स्कूल में भेजने से कतरा रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

ऐसी व्यवस्था हम करें क्योंकि यह प्राइमरी विद्यालय हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सही कहा हमारे साथी ने कि जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि बोरा लेकर जो हमारे बच्चे जाते हैं उनके भविष्य के साथ भी बोरा चिपक जाता है और आने वाले दिन में मुखिया का काम करने पर हमारे गांव के बच्चे मजबूर होते हैं। यह दोहरी शिक्षा प्रणाली जो मैकाले के जमाने से चली आ रही है, गरीब का लड़का बोरा लेकर जायेगा और अमीर का बच्चा ठंडे गर्म स्कूल में पढ़ेगा। यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिये। आप ऐसी व्यवस्था करें प्राइमरी स्कूल में, कि आकर्षण बढ़े और प्राइवेट सेक्टर के स्कूल बन्द हों और आपके प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जायं। कुर्सी मेज की व्यवस्था करवाइये और यह टाट पट्टी की व्यवस्था तत्काल खत्म कराइये और वहां पर सफाई की व्यवस्था की जाय। निर्माण कार्य में गुणवत्ता होनी चाहिये। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

रामचन्द्र यादव जी के बाद अन्तिम वक्ता के रूप में श्री मनोज कुमार पाण्डेय बोलेंगे और उसके बाद जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा माननीय श्री सिनोद कुमार शाक्य जी बोलेंगे।

*श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं और साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को जिन्होंने बेसिक शिक्षा के क्रान्तिकारी बजट को रखते हुये बेसिक शिक्षा में सुधार के लिये बहुत सारे प्राविधान किये हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, विगत पांच वर्षों की सरकार ने जिस तरीके से बेसिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग को कामर्शियल बना दिया था। जिलों-जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से गांवों में पढ़ने वाले बच्चों के भोजन से लेकर के उनके छत तक के पैसे में जिस तरीके से कमीशनबाजी हुई और जिस तरह से बेसिक शिक्षा विभाग की गुणवत्ता को, उस पवित्रता को समाप्त करने का काम किया आज बलिया से चुनकर के आये मंत्री जी ने इस क्रान्तिकारी बजट को रखा है। मैं बधाई देता हूं पिछले पांच साल की सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को कामर्शियल बनाया था। उसको उबारने के लिये आपने कदम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कदम उठाया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अन्दर जितने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने जो अच्छे काम किये आज उनकी भी चर्चा है। लेकिन जिन लोगों ने जिलों-जिलों में चाहे वह हैण्ड पाइप का पैसा गया हो, चाहे बहुमंजिल बनाने के लिये स्कूलों का धन गया हो, उसमें जो बन्दर बांट किया गया, उसका भी आज चर्चा और जिक्र हो रहा है। उसमें भी आज पूरे प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मा0 मंत्री जी नाराज हैं। फैजाबाद से मान्यवर, फैजाबाद जनपद में पूर्ववर्ती सरकार का बी0 एस0 ए0 जो बी0 एस0 ए0 नहीं है, ए0 डी0 आई0 ओ0 एस0 है, वह नवम्बर से पूरे जनपद फैजाबाद के शिक्षकों का अपमान कर रहा है। वहां सरकारी धन गया है, सर्वशिक्षा अभियान का, 60 करोड़ का एक बड़ा बजट, जिसमें 202 भवनों के बनने का प्राविधान था यह पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूं आज 2012-13 वर्ष चल रहा है अभी तक मात्र 92 भवनों का पैसा जारी किया गया है। वहां पर आज भी पूरी तरह से बेसिक शिक्षा अधिकारी कामर्शियल बन करके, जल निगम में फोन करता है कि हमने 92 हैण्ड पम्पों का पैसा दिया है उसका काम हमारे आदमी करेंगे। हमारा आदमी ठेकेदारी करेगा। मान्यवर, वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है, वह वहां के शिक्षा मित्रों का जो ट्रेनिंग का पैसा है उसको नहीं दे रहा है। वहां पर जो एरियर का पैसा 5 करोड़ निकाला दूसरे मद से उसका 20% वह भी खा लिया। आज वह बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद लेकर के एक तरफ माध्यमिक शिक्षा देखता है और एक तरफ तीन-तीन कालेजों का प्रबन्धक बना बैठा है। इतना ही नहीं फैजाबाद का एक जबर्दस्त घोटाला था यह जो व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत पैसा गया था जो मेरी कांस्टीटुएन्सी का ब्लाक मवई और रुदौली है, यहां पर एक भी कोई ट्रेनिंग कराने के लिये अनुदेशक नहीं गया। मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, आज वहां पर दो एन0 जी0 ओज को लगा करके उस बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे के पूरे बजट को डकारने का काम किया है। मान्यवर, आज इतना ही नहीं उसके घृणित कार्य से पीड़ित होकर वहां के शिक्षक 21 तारीख से अनशन करने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र यादव-

यह गम्भीर विषय है इसलिये मैं आपके संज्ञान में बजट की चर्चा के दौरान बड़ी विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो एक परिवर्तन हुआ है तो फैजाबाद जनपद में विगत 11 नवम्बर से तैनात कार्यवाहक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जगह नये बी0 एस0 ए0 की नियुक्ति कराने की कृपा करें तथा 11 नवम्बर से अब तक के सभी घोटालों व गलत कार्यों की जांच की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय का नाम पुकारा गया।)

(श्री रामचन्द्र यादव और श्री मनोज कुमार पाण्डेय के एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आपने मुझे बेसिक शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री रामचन्द्र यादव-

इसी के साथ आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आपने मुझे बेसिक शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देते हुये आज मैं बेसिक शिक्षा के बजट पर चर्चा करते हुये, समर्थन करते हुये, बधाई देना चाहता हूं बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, कि बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट उत्तर प्रदेश विधान सभा में रखा है वह निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र के लिये मील का पत्थर साबित होगा। जहां तक बेसिक शिक्षा का जो शब्द आता है तो इतिहास इस बात का गवाह है और खासतौर उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब शिक्षा की बात आयेगी तब-तब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव याद किये जायेंगे।

(इस समय 2 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

चाहे शिक्षा देने की बात रही हो, चाहे शिक्षकों के वेतनमान को पूरा करने की बात रही हो, और चाहे शिक्षा घर-घर पहुंचाने की बात रही है। अगर किसी ने इसको जमीनी रूप में उतारने का काम किया है तो वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। यह उनकी प्रारम्भिक सोच रही है और हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस सोच की शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश में की है तो उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने किया है। आज के बजट को देखें और तुलना करें 2011-2012 के बजट से, तो हम कह सकते हैं। जितना सकारात्मक और रचनात्मक और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। वह उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास होगा। अभी हमारे कुछ साथी माननीय सदस्य कह रहे थे कि 2007 से 2012 के बीच में स्कूलों के निर्माण में, स्कूलों के विद्युतीकरण में और शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में उनकी सरकार ने यह-यह अमुक कार्य किये हैं। हम कहना चाहते हैं, आपसे, आपको याद करना होगा, हम निवेदन भी करना चाहते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, कभी वह भाषणों से नहीं होता है, कभी कालाबाजारी से नहीं होता है, कभी भ्रष्टाचार से नहीं होता है, वह केवल भावना से होता है और इच्छा शक्ति से होता है और यह शक्ति केवल समाजवादी पार्टी के अन्दर है। वह जब-जब सत्ता में आई है, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उसने करके दिखाने का कार्य किया है। आज जब विकास की बात करते हैं तो याद आ जाता है, 2007 से 2012 का वह कार्यकाल, जिसमें आपने स्कूल बनाने के नाम पर बेईमानी किया, ईंट के नाम पर बेईमानी किया, सीमेंट में आपने घोटाला किया और तो और छोड़िये, मास्टरों की नियुक्ति के नाम पर आपने पैसा लेने का काम किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नियुक्त करने के नाम पर आपने पैसा लिया है, मान्यता देने के नाम पर आपने पैसा लिया है और तो और छोड़िये, बच्चों को जो भोजन दिया जाता था, उसमें भी आपने कमीशन ले करके उसको भी खाने का काम किया है। जब हम आपकी सरकार के कार्यकाल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश शर्मसार होता है। जितना आपने घोटाला और बेईमानी करने का काम किया है, जो पाप आपने किया है, हम कह सकते हैं कि भले ही नीचे की शक्ति आपको सजा न दे लेकिन याद

रखियेगा, इन सब शक्तियों के बाद एक ऊपर की शक्ति है जो आपको कभी माफ करने का काम नहीं करेगी, उन नौनिहाल बच्चों के भोजन को खाने का काम जो आपने किया है, आप पर ऐसे-ऐसे आरोप लगे हैं, आपके ही शिक्षा मंत्री जी, जब लखनऊ से रायबरेली जा रहे थे, हम लोग जानते हैं, रायबरेली से चुन करके आये हैं, वह कौन सी गाड़ी थी और कौन से अधिकारियों ने उन्हें रोक बड़ी रकम मिलने के बाद बचाया था, अध्यक्ष जी, इस तरह के भ्रष्टाचार 2007 से लेकर 2012 तक हुये हैं। हम पुनः माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देते हुये जिन्होंने एक ऐतिहासिक शिक्षा के बजट को प्रस्तुत किया, अपनी बात समाप्त करते हैं, धन्यवाद।

*श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये अनुमति दिया। मान्यवर, मैं कुछ शब्दों में सुझाव देना चाहता हूं, आदरणीय मंत्री जी हम लोगों के अभिभावक हैं, हमारे जनपद से हैं, हम लोग इनको अपना नेता मानते हैं और इतना महत्वपूर्ण विभाग माननीय मंत्री जी के पास है, चूंकि हम बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के बच्चों की पढ़ाने के बात कर रहे हैं लेकिन अभी जिस तरह से यह संवेदना, जो बातें हैं यह अपने आप में वास्तव में उन मासूमों के साथ लापरवाही उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी उस पर बहुत गम्भीर हैं। केवल 2 मिनट का समय मैं माननीय मंत्री जी का लेना चाहता हूं जो माननीय मंत्री जी की भी इच्छा है। माननीय मंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल से बच्चों का पलायन हो रहा है, वह रुकें। मान्यवर, हम लोग भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी पटरी वाले विद्यार्थी रहे हैं लेकिन आज कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजना नहीं चाहता। समय-समय पर सरकार उसकी व्यवस्था करने में लगी हुई है कि किस तरह से हम लोग उनको माहौल दें। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी भी उस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि हर अभिभावक चाहता है कि हमारा बच्चा घर से निकले, एक अच्छे ड्रेस कोड में स्कूल जाये, हर परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा टाई लगा कर स्कूल में जाये लेकिन कुछ अव्यवस्थायें हमारे इन प्राइमरी स्कूल में हैं जिसके कारण अभिभावक अपने बच्चों को वहां भेजने से कतराते हैं। पहले प्राइमरी स्कूलों में जो अध्यापक होते थे, वह इण्टरमीडिएट करने के बाद बी0 टी0 सी0 करते थे, फिर उसमें चयनित होते थे, चयन प्रक्रिया बहुत लम्बी थी, उसमें काफी समय लग जाता था लेकिन आज यदि हम यह कहें कि वह शिक्षा हम नहीं दे पायेंगे, हमारे एम0 ए0, एम0 एस-सी0 किये हुये छात्र जो आज बी0 एड0 के माध्यम से, बी0 टी0 सी0 के माध्यम से उस प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वह योग्य नहीं है लेकिन हम उनके मन में कैसे वह भाव पैदा करें जिससे वह अपनी जिम्मेदारी समझें। तमाम व्यावहारिक जीवन में देखने में मिलता है कि जो हमारे अध्यापक है, गुरूजन हैं, वह सोचते हैं कि हमने एम0 एड0 किया है, बी0 एड0 किया है तो हम प्राइमरी स्कूल में कैसे पढ़ायें तो अपने सहकर्ता के रूप में किसी को रख लेते हैं और उनसे बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। माननीय मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपका कहीं आकस्मिक निरीक्षण होगा, 2-4 विद्यालयों का आप निरीक्षण करेंगे, कुछ लोगों पर कार्यवाही कर देंगे तो निश्चित रूप से इसका संदेश जायेगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा भी है, मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के जो माननीय अध्यापक हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी पेन्शन की व्यवस्था हम ट्रेजरी से करते हैं और जो हमारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, इनकी पेन्शन की व्यवस्था हम ग्राण्ट के माध्यम से करते हैं। मान्यवर, कभी-कभी 3 महीने से लेकर 6 महीने हो जाता है, उनका अनुदान नहीं जाता है, प्राइमरी स्कूल के जो रिटायर अध्यापक हैं, उनके पास पेन्शन के अलावा कोई दूसरा सहारा भी नहीं रहता है, मान्यवर, वह मजबूर हो जाते हैं। मुझे पता है, बलिया जनपद के चिलकहर में प्राइमरी स्कूल के रिटायर अध्यापकों के एक विदाई समारोह में आप गये भी थे, सभी पदाधिकारियों ने आपके सामने यह समस्या रखी थी, आपने आश्वासन भी दिया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जरूर उत्तर में इस समस्या का समाधान करिये, बहुत बड़ा कल्याण होगा। जिस प्रकार से माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी गुरूजनों को पेन्शन ट्रेजरी से देते हैं, उसी प्रकार से यदि इन प्राइमरी के अध्यापकों की पेन्शन ट्रेजरी से देने की व्यवस्था करा दें तो बहुत अच्छा कार्य होगा। मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, यकीनन बहुत अच्छा है। इस 3 महीने की कम अवधि में जो बजट तैयार किया है, जो योजनायें तैयार की हैं, यकीनन जब वह धरातल पर लागू होगा तो जो हमारे नेता ने नारा दिया था कि ''रोटी-कपड़ा सस्ती होगी, दवा-पढ़ाई मुफ्ती होगी'', यकीनन वह साकार होगा। मान्यवर, भारत निर्माण में प्राइमरी पाठशाला का कोई भी बच्चा होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिये मान्यवर, जो यह बजट है, बहुत ही अच्छा है लेकिन एक विडम्बना है कि आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है लेकिन हमारे प्राइमरी का जो बच्चा है, वह टाट-पट्टी पर ही बैठता है। कान्वेन्ट में पढ़ाने वाले शिक्षक की तनख्वाह कम होती है, लेकिन कान्वेन्ट में पढ़ने वाला बच्चा कुर्सी-मेज पर बैठता है, इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा। मान्यवर, दूसरी चीज जो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि यह जो पोलियो ड्राप से लेकर, जनगणना तक, इलेक्शन के काम शिक्षकों से कराये जाते हैं, अगर यह न करायें जाये तो वह शिक्षक बेहतर शिक्षा दे सकता है। मान्यवर, दूसरी जो चीज है, बिल्डिंग का निर्माण कराया जाता है, शिक्षकों से, यह भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तमाम संस्थाएं हैं, उनसे अगर यह काम कराया जाये तो बेहतर है। मान्यवर, इसी के साथ मैं बजट के समर्थन में बोलते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा का महत्वपूर्ण बजट है और मैं समझती हूं कि बच्चों का भविष्य इसी अवस्था पर होता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कोरे कागज को देखा है, कोरे कागज में जो लिखेंगे, वह स्पष्ट दिखायी पड़ेगा और मैं एक बात कहा करती हूं कि तुलसी के पौधे को गंगा जल से सींचा जाता है, गंदे कीचड़ से नहीं सींचा जाता है। माननीय मंत्री जी, यह जो प्राइमरी के बच्चे हैं। हमें याद है हम जब घर से चलते थे तो हमारे हाथ में पट्टी होती थी, कापियों का बस्ता नहीं होता था, पीठ में लदा हुआ बोझ नहीं होता था, हाथ में एक पट्टी होती थी और एक दवात होती थी, लेकिन वह पांच पट्टी पढ़ाई आज बी0 ए0 तक का छात्र सामना नहीं कर सकता। मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहूंगी वह पांच दर्जा पढ़ने वाले बच्चे कच्ची आयु के होते हैं उनमें संस्कार देने चाहिये आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बूढ़े मां-बाप अपने संतानों से पीड़ित होते हैं, रोते हैं क्यों, क्योंकि हमने उन बच्चों के अन्दर संस्कार देने का काम नहीं किया और सरकारों ने किया तो हाथ में थाली और लोटा पकड़ा दिया, जिन बच्चों के हाथ में कापी और पेन होना चाहिये मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगी, गांवों में मैंने देखा है जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा था कि विधायकों को विद्यालय में जाकर के देखना चाहिये, भोजन बन रहा है या नहीं बन रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, मेरा एक सुझाव है मा0 मंत्री जी पुराने जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, पहले आप उनका ट्रान्सफर करवाइये तभी आप शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। आवश्यकता है आज की शिक्षा में सुधार करने की, यह महत्वपूर्ण विषय है जिस पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिये, जिस पर चिन्तन होना चाहिये क्योंकि हमारी वही अवस्था बनने की होती है, वही अवस्था बिगड़ने की होती है और मुझे लग रहा है कि जिन बच्चों के हाथों में हम पांच तक के क्लास के बच्चों के हाथों में हम कटोरा पकड़ा रहे हैं, सम्भवतः वह बड़ा होने के बाद कटोरा ही पकड़ कर रह जायेगा, हाथ में उसके कलम नहीं आ सकती है, इसलिये आवश्यकता है उन प्राइमरी के विद्यालयों में गांव का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा पढ़ता है, मा0 अध्यक्ष जी एक निवेदन और आपके माध्यम से करना चाहती हूं, उस गांव के प्रधान का बच्चा नहीं पढ़ता उस विद्यालय में, उस विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर का बच्चा नहीं पढ़ता है। यदि कक्षा पांच तक की व्यवस्था चाहे टीचर हो, चाहे प्रधान हो, चाहे नेता हो सबका उसी प्राइमरी में पढ़ेगा तो शिक्षा में सुधार अपने आप हो जायेगा। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री विजय कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। महोदय, बेसिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो हमारे मा0 मंत्री जी ने इस पर बजट प्रस्तुत किया है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन गाजीपुर जिले में पिछले बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, जैसा कि मैनपुरी के हमारे भाई राजू यादव ने जो आरोप लगाया था सेम ऐसा ही प्रकरण गाजीपुर में हुआ है। गाजीपुर के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे वह एक रैकेट बनाये हुये थे। जहां विद्यालय भवन का निर्माण होना था, जहां कहीं बाउण्ड्री बननी थी, अपने एक-एक आदमी को पहले वहां पर पोस्टिंग करते थे फिर उसी के माध्यम से सारा काम कराते थे और सारा पैसा अने खाते में ट्रान्सफर कराने का काम करते थे। महोदय, गाजीपुर में अगर मिड-डे-मील की जांच कराई जाय तो उसमें 80 परसेण्ट, मैं कम से कम बता रहा हूं यह 80 परसेण्ट पैसा सीधे-सीधे बी0 एस0 ए0 के खाते में गया है। मैं अपने मा0 मंत्री जी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग वहां जा करके वहां देखें। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला चिकित्सालय की शिकायत मुझे अक्सर मिलती थी और जिस दिन मैंने जिला चिकित्सालय में जाकर के निरीक्षण करने का काम किया तो वहां पर इतनी अनियमिततायें पाई कि वहां पढ़े-लिखे डाक्टर जिनका समाज में सम्मान होता है, चोर जैसे खड़े थे, वहां उनके मुंह पर मरीज बोल रहा था कि मैंने आठ हजार रुपये इनको दिया है आज आपरेशन करने के लिये, हाथ जोड़े खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि एक मौका मैं आपको देता हूं, आप लोग सुधर जाइये नहीं तो आप लोगों की शिकायत सरकार में ऊपर की जायेगी। महोदय उसका परिणाम निकला आज गाजीपुर में एक भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर बाहर जांच के लिये पर्चा नहीं लिख रहा है। मैं मा0 मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं, लेकिन अभी वहां बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं हुये हैं। उनको नियुक्त करके और जो सरकार की योजनायें हैं, उसको अमल में लाने का काम कराया जाये लेकिन जो पूर्ववर्ती हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, उनकी सम्पत्ति की जांच हो। अपने पद पर रहते हुये गाजीपुर मे भी दसों एकड़ के प्लाट खरीदे हैं। उसकी पूर्णतः जांच करायी जाये। एक बार पुनः मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, जो आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसी तरह पूरे प्रदेश में बी0 एस0 ए0 ने कई सौ करोड़ रु0 लूटा है उसकी जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

इस पर दो घंटा चर्चा हो चुकी है, अभी कई बजट हैं। अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग का बजट भी है, उसमें बोलियेगा। श्री सिनोद कुमार शाक्य जी बोले।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव, मान्यवर, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे दो मिनट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष-

इतनी याचना कर रहे हैं तो आप ही बोल लीजिये।

*श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इतना शानदार और क्रान्तिकारी बजट, बेसिक शिक्षा में परिवर्तन के लिये वह लाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

ये गाजीपुर और बलिया के लोग शानदार बहुत बोलते हैं।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

जी मान्यवर, मैं आजमगढ़ का हूं। मा0 अध्यक्ष जी, यहां पर मुझे जानकारी है कि पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के पैमाने पर बेसिक शिक्षा का बजट हमेशा और कोई शिक्षा के बजट से कई गुना अधिक रहता है, लेकिन 10 वर्षों में पिछला 5 वर्ष जो समय था, उसमें शिक्षा का जो स्तर गिरा है और वह भी खासकर के बेसिक शिक्षा का। शिक्षक ही हमारे समाज का निर्माण करते हैं, जैसा अभी साध्वी जी बोल रही थीं, कि हमारे बालक, हमारे भाई, हमारे बेटे जो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं। कच्चे मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। उनमें हमारा शिक्षक ही पूरा आचार, व्यवहार और संस्कार और साथ-ही-साथ पढ़ाई का आधार बनाता है। उनको एक अच्छे शिल्पी की तरह एक ऐसा पात्र बनाता है समाज और देश के अनुरूप कि वह पात्र एक ऐसे मानक पर जिस मानक पर न वह पात्र फटे, न फूटे और न कच्चा रह जाये, उसे पका करके उसे समाज के अनुरूप बना करके, समाज के उपयोग के लिये, समाज को प्रस्तुत करता है। मैं मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे हमारे भविष्य को जो भारत के नौनिहाल हों, जो भारत का भविष्य बनाने के लिये तैयार हो रहे हों। ऐसे कारखाने में जो लोकतांत्रिक रूप से लेकर के समाजिक और प्रशासनिक रूप से देश और समाज की सेवा करने जा रहे हों, वहां पर इतने बड़े घोटाले, जो हमारे साथियों ने अभी बताया है। हम आपके माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी, मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी (बी0 एस0 ए0) और ए0 बी0 एस0 ए0 इन सभी को एक पूरा मानक बनाकर, पूरे प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के स्तर पर कम-से-कम यहां से वहां, वहां से यहां मिचुअल स्थानान्तरण कर दिये जायें ताकि जो यह सेटिंग हो गई है पिछले 5 सालों में लेन-देन की, वह लेन-देन क्या है, मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, कि हमारे जैसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जो पी0 एच0 डी0 किये हुये हैं, जो एम0 ए0, बी0 एड0 हैं, जो एम0 एड0 हैं, जो एम0 एस-सी0 हैं, वह कहीं और बाहर तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में, लखनऊ में कहीं बड़ी जगह पर और दो हजार ए0 बी0 एस0 ए0 को देते हैं, एक हजार दो हजार प्रधानाचार्य को देते हैं और एक-दो हजार बी0 एस0 ए0 को देते हैं, यह सेटिंग है और अपना कहीं और काम कर रहे हैं। अगर आप पिछले 5 सालों में जांच करा लेंगे तो मेरा अनुमान है कि 50 प्रतिशत नौजवान, जो बड़ी शिक्षा लेकर के प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापन कर रहे हैं, उनका सिर्फ यही काम है। वह सोचते हैं कि हम नाक साफ करते हुये, हम भीगे कपड़े वाले को, हम नंगे बच्चों को कैसे शिक्षा दें, कैसे ट्रेनिंग दें। हम तो पी0 एच0 डी0 के स्टैण्डर्ड से आये हैं, तो मैं यह नहीं कहता हूं कि यह मानक बुरा है। यह बेरोजगारी का भी मानक है, देश में बड़े-बड़े पढ़ाई करके जो लोग वापस आ गये हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा में उनका समायोजन नहीं हो पाया है। मैं कल भी इसमें बोलना चाहता था लेकिन अवसर नहीं मिला, तो वह नीचे चले आये। अब वह पढ़ाते नहीं हैं। क्या कारण है कि 800 रुपये तनख्वाहें मिलती हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो प्राइवेट के स्कूल चलते हैं। वहां हमारा आदमी, आपका पोता, हमारा बेटा, हमारी बेटी और तमाम लोग जो यहां पर बैठे हैं, इनके पोते, बेटे पढ़ने जाते हैं लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो वहां पर रसोइया है, जो वहां पर अध्यापक है, जो वहां पर प्रिंसिपल है, जो वहां पर विधायक है, जो वहां प्रधान है, जो वहां रिक्शा चलाता है उसका भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ने के लिये मौजूद नहीं है, जिस स्कूल में पी0 एच0 डी0 की डिग्री वाला अध्यापक है। और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कोई भी अध्यक्ष जी, इण्टरमीडिएट पास नहीं है और अगर पास है भी तो स्नातक होगा इसके ऊपर किसी के पास डिग्री नहीं है। मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी मान्यता को नार्म जो पिछली सरकार ने दिया है, कहीं से उनको कसने की जरूरत है, कहीं पर उन्हें रोकने की जरूरत है। वह इतनी तादाद में स्कूल बनाते चले जा रहे हैं, और ऐसी सुविधायें प्रदान कर रहे हैं। 300-400 रुपये फीस ले रहे हैं और अयोग्य लोगों से शिक्षा ले रहे हैं। उन्होंने देश में सिर्फ ऐसे आडम्बर का, चमक-दमक का ऐसा माहौल बना कर रखा है इन स्कूलों में कि हमारे जैसे लोग वहां पर स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने का काम करते हैं।

मान्यवर, आखिर इसको कैसे दूर करने का प्लान बना रहे हैं। इसको आप देखेंगे। मान्यवर, शिक्षा मित्र के सहारे बहुत से स्कूल चल रहे हैं। कहीं पर एक अध्यापक और 40 छात्रों का मानक है वहीं कहीं-कहीं पर एक अध्यापक के नीचे 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि मानक के हिसाब से अध्यापकों की पूर्ति की जाये। जैसे शिक्षा मित्र के साथ-साथ अध्यापक भी वहां पर रहे तो शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहेगी। मान्यवर, मुझे एक उदाहरण याद आता है मैंने इण्डिया टुडे में पढ़ा था कि आन्ध्र प्रदेश में सलवन एक जगह है जहां के डी0 एम0 अपनी पत्नी सहित बच्चे के दाखिले के लिये प्राथमिक स्कूल में गये थे और पंक्ति में लगे हुये थे जब स्कूल प्रबन्धन को पता चला तो वह लोग चापलूसी में उनसे मिलने आये और निवेदन किया कि वह पंक्ति से हट कर सीधे आ जायें। लेकिन डी0 एम0 साहब ने मना कर दिया और कहा कि हम नम्बर आने पर ही अन्दर आयेंगे और अपने बच्चे का वहां दाखिला कराया। मान्यवर, दूसरे दिन से ही उस विद्यालय का कायाकल्प बदल गया। तो मान्यवर, दूसरी जगहों पर देखें तो बड़े-बड़े अफसरों के बच्चे इन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते

हैं। अभी साध्वी निरंजन ज्योति जी ने कहा और सही कहा कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी हम सब की भी है। हम अपने बच्चों का प्रवेश प्राथमिक विद्यालय में करायें और उन्हें वहां शिक्षा दिलायें। उससे विद्यालय का कायाकल्प बदलेगा। मान्यवर, हम लोगों को याद है कि हम लोग प्राथमिक विद्यालयों में हम लोग पढ़ते थे और पहाड़ा गिनती रटते थे और टाट भी अपने घर से लेकर जाते थे। और उसी का परिणाम है कि आज सदन में सदस्य बन कर आ गये हैं और बोल रहे हैं। मान्यवर, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय इण्टर पास अध्यापक हम लोग को पढ़ाते थे। आज पी0 एच0 डी0 पास अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे है ंतो एक उम्मीद की जा सकती है कि बेसिक शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और वहां गुणवत्ता परक शिक्षा दी जायेगी। मान्यवर, मेरा यह जरूर कहना है और बहुत से मा0 सदस्यों ने कहा भी है कि अध्यापकों को जनगणना, पल्स पोलियो जैसे कार्यों में न लगाया जाये उनको भवन निर्माण कार्यों में न लगाया जाये। इस पर आपको कार्यवाही करनी चाहिये और इस व्यवस्था को बन्द करने पर विचार करना चाहिये ताकि अध्यापक छात्रों को पढ़ाने पर ध्यान दे सकें। मान्यवर, जहां पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है उसकी आप इन्क्वायरी करायें कि ठीक भोजन मिल रहा है। ताकि व्यवस्थायें दुरुस्त हो सकें। मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि कक्षा 3 तक बच्चों को पाठ्य-पुस्तक मुक्त शिक्षा दी जाये जिसमें उनको सदाचार आचार व्यवहार सिखाया जाये। और उनको कहानियों लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से मौखिक रूप से पढ़ाया जाये गिनती और पहाड़ा सिखाया जाये तो उससे उनका विकास अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

मान्यवर, इस बेसिक शिक्षा विभाग के बजट पर अपनी बात कहना चाहता हूं कि मान्यवर, अभी एक विधायक राजीव जी ने कहा कि 18 करोड़ रुपये का घोटाला है। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि खाता कोई है और नाम किसी का होता है। मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज इसकी जांच चल रही है और सबके सामने परिणाम आयेगा। मान्यवर, शिक्षा विभाग का यह उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े। मान्यवर, जब प्रथम बार बच्चे स्कूल में जाते हैं छोटे बच्चे होते हैं। और वह अध्यापकों के सहारे ही पढ़ते हैं। और बड़े होकर वही देश की तस्वीर बदलते हैं और तकदीर लिखते हैं। मान्यवर, अभी विधायकों ने भवन निर्माण की बात कही मेरा कहना है जहां भी कमी हो आप उसकी जांच करा लें और जो दोषी पाया जाये उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये हम लोग उसका समर्थन करेंगे।

मान्यवर, विधायक सोलंकी जी ने भी कहा कि यह बजट महत्वपूर्ण है इस बजट में हम लोगों को दल के ऊपर उठकर आगे सोचना चाहिए। बजट के ऊपर चर्चा करते समय एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की जगह इसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे हो, यह प्रदेश कैसे प्रगति के रास्ते पर चले इसके बारे में सोचना चाहिए, हमें उनकी इस बात का समर्थन करना चाहिए। मान्यवर, मुझे दुख है सिर्फ एक बात का, माननीय मुख्य मंत्री जी उर्जावान हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने लैपटाप की घोषणा करी, हम स्वागत करते हैं उनकी इस घोषणा का, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उस तरफ नहीं देखा जहां पर टाट-पट्टी पर आज भी वहां पर लोग पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जहां तक फर्नीचर की व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी। मान्यवर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपना बजट रखा मुझे बड़ा अफसोस के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि उस उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी और यहाँ पर बैठे तमाम माननीय मंत्रीगण मुसलमानों के लिए बड़े गम्भीर हैं, बड़े ऊँचे-ऊँचे उनके लिए वायदे करते हैं, मान्यवर, सिर्फ उन्हें 30 हजार रुपये शादी में अनुदान देने से, सिर्फ उन्हें

छोटी-छोटी बातों से बहलाने से उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों को बहलाकर उनको गुमराह करने का काम किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अन्दर मुअल्लिमों को डिग्री की मान्यता उन्होंने मांगी थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बीटीसी के बराबर उनको मान्यता नहीं दी, मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी जब उन्हें बीटीसी के बराबर मुअल्लिमों को उस बीटीसी के बराबर मान्यता दी और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट व्यवस्था में मुअल्लिमों की नियुक्ति के लिए इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया यह गुमराह करने का काम किया जा रहा है इस उत्तर प्रदेश के खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को, मान्यवर, मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मोहमद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जाते-जाते दो बहुत बुनियादी सवाल रखें हैं आपने एक 30 हजार वाले पर, कुछ आप अपनी पार्टी की तरफ से दिलवा दीजिए, बढ़ा दें या प्रस्ताव करिये खत्म करने का, अभी करते हैं खत्म। आप बसपा की तरफ से प्रस्ताव ले आइये कि 30 हजार रुपये को वापस ले लिया जाय, न दिया जाय मुसलमान बच्चियों को। ऊँट के मुँह में जीरा जा रहा था वह भी बरदास्त नहीं है बसपा को, दूसरा मुअल्लिमों के बारे में, मैं माननीय मंत्री जी आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूँ, 5 वर्ष तक मुअल्लिम आपके दरवाजे पर लाठियां खाते रहे, पिटते रहे, 5 साल आपने डन्डा बरसाया और न्याय नहीं दिया, जो उनके साथ इन्साफ होना चाहिए था, वह तो किया नहीं आपने, उनकी कानूनी लड़ाई थी केरला हाईकोर्ट से उनकी डिग्री पर एक आदेश पारित हुआ था आपको उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना था, आप नहीं गये और 5 साल आपने उन पर डन्डे बरसाये और अब आप हमसे, जबकि टाइम बार हो गया, अपील का टाइम बार हो गया तब आप समाजवादी पार्टी की सरकार से मुअल्लिमों का मुकदमा रख रहे हैं, आपकी हमदर्दी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मुअल्लिमों ने आपके किये की सजा आपको दे दी है। यह सरकार मुअल्लिमों के साथ भी और जो पढ़े लिखे मुसलमान, हिन्दू व सिख हैं उन सबके साथ न्याय करेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपना बहुमूल्य सुझाव इस बजट पर दिया है। श्रीमन्, कटौती का प्रस्ताव लाने वाले विरोधी दल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कटौती का प्रस्ताव तो कम हमारी बातों का ज्यादा समर्थन दिया इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं शुरू में ही इस बात को कहना चाहता था कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने स्कूलों का जाल बिछवाया इस विभाग में, एक किलोमीटर की दूरी और 300 की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल का खोलना और 3 कि0मी0 की दूरी पर और 800 की आबादी पर जूनियर हाई स्कूल का खोलना इस बात का द्योतक है कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार कितना प्रयासरत है। बहुत सारी बातें आई, अध्यापकों को निर्माण कार्य से हटाने के सम्बन्ध में। मैं बताना चाहूँगा कि यह पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि अध्यापक अब निर्माण कार्य से अलग रहेंगे। सबसे पहले जो क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया गया है, वह यह, कि हमने ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण किया है और अभिभावक को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधान, प्रधानाध्यापक और 15 लोगों को मिला करके हमने ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण किया है और हमने यह व्यवस्था की है यह घूम-घूमकर विद्यालयों में जायेंगे और देखेगें कि पठन-पाठन का काम ठीक से

हो रहा है कि नहीं, अवस्थापना की जो बुनियादी सुविधायें हैं, वह स्कूल में हैं कि नहीं। जैसे स्कूल का भवन, कक्षों का निर्माण, विद्युतीकरण, शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से है कि नहीं। यह सारी सुविधायें देने के बाद एक ही सवाल खड़ा होता है कि यह सुविधायें क्यों दी जा रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिये। बच्चों की पढ़ाई के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने भी कहा और हमकों भी इस बात का अनुभव है कि बच्चों की पढ़ाई जैसे प्राथमिक स्कूलों में होनी चाहिये, वह नही हो पा रही है। जब मुझको इस विभाग की जिम्मेदारी दी गयी माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सबसे पहले अध्यापक, गुरूओं से ही निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभायें, आपकी हर जो मांग होगी, सरकार आपकी मांग मानने के लिये तैयार है लेकिन सरकार यह चाहती है कि दस बजे से लेकर चार बजे तक आप स्कूल में रहें, बच्चों को पढ़ायें और जैसे पहले प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई होती है, मैंने शुरू में कहा था कि मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूँ कि प्राथमिक विद्यालय की वह गौरवशाली परम्परा वापस आ जाये, जिस प्राथमिक स्कूल के आप पढ़े हैं, उसी प्राइमरी स्कूल के हम भी पढ़े है और अधिकांश माननीय सदस्य जिनकी उम्र कुछ अधिक होगी, वह सब इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों के पढ़े होगें। हम तो पेड़ के नीचे पढ़े हैं, भवन भी नहीं था। एक साथी कह रहे थे कि लड़कों से काम कराया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्कूल जाते थे स्वयं साफ करते थे बगीचे को और पटरी बोरा पीठ पर लेकर जाते थे और पढ़ते थे। एक साथी ने कहा, यह कहने की बात हो सकती है कि बोरा पट्टी पर बैठकर पढ़ने वाले की तकदीर में बोरा लिख जाता है और वह जिन्दगी भर बोरा ढोता है। लेकिन मान्यवर, हम तो बोरा नहीं ढो रहे हैं, आप भी बोरा नहीं ढो रहे है। जनेश्वर मिश्र भी कभी बोरा ढोये क्योंकि वह भी प्राथमिक स्कूल के पढ़े हुये हैं। प्राथमिक स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी आई0ए0एस0 हुआ है, आई0पी0एस0 हुआ है और प्राथमिक स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री हुये हैं। प्राथमिक स्कूल का महत्व यह है श्रीमन् प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई का वातवरण हो इसलिये हमने गुरूओं से निवेदन किया है, इस पर एक चैनल वाली ने हमसे डॉटकर कहा, एक महिला थी, अरे आप उनसे निवेदन कर रहे है। प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं इसमें कौन सी गलती कर रहा हूँ।

"गुरू ब्रह्मा, गुरू विष्णु, गुरू देवो महेश्वरः,
गुरू साक्षात परम ब्रहम तस्मै श्री गुरूवे नमः"

गुरू का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, अगर हम गुरू से निवदेन करते हैं कि वह पढ़ावे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, सदन के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले गुरू जुलाई से स्कूल खुलते ही 10 बजे से चार बजे तक पढ़ावें यह मेरी प्रार्थना है। अगर मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की जायेगी तो जो दंड देना होगा, विभाग उनको दंड देकर बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। हमने पहले ही कहा है, अपने सचिवालय के सचिव से , विशेष सचिव से, निदेशालय के निदेशक से और भी अधिकारियों से, कि जुलाई से स्कूल खुलते ही हम भी स्कूल का निरीक्षण करेगें, आप लोग भी निरीक्षण करेगें और पूरा सचिवालय, निदेशालय, मंत्रालय को यह जिम्मेदारी हमने दी है कि हम प्रामइरी स्कूल की शिक्षा के गौरवशाली इतिहास को वापस लाने का काम करेगें। इसमें आपका सहयोग चाहिए। हमने यह भी निर्देश दिया है और मैंने पहले ही कहा था माननीय अध्यक्ष जी, कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर हुआ, मैंने उसमें भी कहा था कि अगर कोई अधिकारी चाहे मंत्रालय, चाहे

सचिवालय, चाहे निदेशालय के पास अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिये अगर घूस की बात करते देख लिया जायेगा या लखनऊ देख लिया जायेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अब कोई भी अधिकारी लखनऊ में नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार समाप्त करना कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिये मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरा मानना है श्रीमन्, कि अगर हम लोग ठीक हो जायें, सदन अगर ठीक हो जाये तो प्रदेश में किसी अधिकारी-कर्मचारी की बेईमानी करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। आप लोग जनप्रतिनिधि चुनकर आये हैं, आप स्कूलों का निरीक्षण करें, आपकी जिम्मेदारी है, यह नहीं कि आप बसपा के हैं, भाजपा के हैं, काग्रेंस के हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी केवल सपा की कतई नहीं है। प्राथमिक स्कूल सबकी जिम्मेदारी हैं। सबको यह देखना चाहिए कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं, मास्टर क्यों नहीं पढ़ा रहा है। कैसे ठीक होगा, ऐसे बेईमान बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिनको हटा दिया गया है, उनको पुनः रख लिया जाये, इसके लिये दर्जन भर माननीय सदस्य उनकी पैरवी कर रहे हैं। जितने बेसिक शिक्षा अधिकारी हटे, उनकी जगह ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गयी, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें कभी बेसिक शिक्षा अधिकारी होना है। उनको जब नियुक्ति-पत्र मिला तो वह चौंक गये कि हमको कैसे मिला । हमने पूरा गहन अध्ययन करके बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ट्रांसफर करने का काम किया। खंड बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जहाँ तक सवाल है, हमको भी शिकायते मिली हैं और आपने भी कहा है, हम भ्रष्टाचार को समाप्त तो नहीं कर सकते लेकिन हम इस पर गंभीरता से अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन, जो 1974 में माननीय लोक नायक जय प्रकाश नारायण ने चलाया था, उस आन्दोलन से निकले हुये लोग हैं और 21 महीना जेल काटकर राजनीति में आने वाले लोग हैं। हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं लेकिन श्रीमन् भोजपुरी में एक कहावत है, मैं उसकी दो लाइन कह दे रहा हूँ। हमारे यहॉ ददरी मेला बहुत बड़ा लगता है, भृगु मुनि के नाम पर। बहुत बड़ा कवि सम्मेलन वहॉ होता है तो एक बार एक कवि वहां आये और भोजपुरी में उन्होंने अपनी कविता कही, मुखिया उनका नाम था, उन्होंने कहा-

"कि मुखिया होकर का बोले जब गांव के गांव बखोले बा,
और भांग खाकर का करोगे जब गांव के गांव बमभोले बा"

जहां मानव की यह सोच बढ़ गयी है कि हमें किन्हीं रास्ते से कुछ न कुछ चाहिये, यह भ्रष्टाचार है, इस पर समझाने की बात है, कार्यवाही करने की बात है और लोगों को समझाकर भ्रष्टाचार से अलग रहने की बात है। आइये जितना आपने सुझाव दिया है, हम उन सुझावों को अंगीकार करते हैं। कुछ साथियों ने कहा कि टीचर को हटा दिया गया है और भवन बनाने का काम ग्राम शिक्षा समिति को दिया गया है। यह इसीलिये किया गया है कि ताकि भ्रष्टाचार न हो विभाग में। एक साथी ने कहा कि पहले दो नहीं एक ड्रेस का सेट था। वह भी किसको था अनुसूचित जाति, जनजाति और बी0पी0एल0 कार्ड धारक पिता के बच्चों के लिये। हमने जो ड्रेस दिया है प्राथमिक स्कूल में चाहे वह किसी जाति, धर्म, वर्ग के लड़के पढ़गें, सबको दो सेट पूरे मिलेगें। इसमें भ्रष्टाचार न हो इसके लिये पूरी ड्रेस का जिम्मा ग्राम शिक्षा समिति को दिया गया है। वही कपड़ा खरीदेगी, वही गांव में नाप करवायेगी और वही सिलवायेगी। इसमें कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइस नहीं है लेकिन हम चले डाल-डाल, भ्रष्टाचारी चले पात-पात तो इसको तो रोकना पूरे सदन की जिम्मेदारी है। यह केवल किसी एक पार्टी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एक और हमने निर्णय लिया है जूनियर हाई स्कूलों में

शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति और लड़कों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने का। उन लड़कों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा और शारीरिक शिक्षा भी दी जायेगी। फिर मैं वहीं आता हूँ, मन, विचार और भाव जब अध्यापक का होगा तो अगर शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति न भी होती हो तो हर प्राथमिक और मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक वह काम कर सकता है जो हम शारीरिक व्यायाम कराने वाले शिक्षक की भर्ती करके कराने जा रहे हैं। जितने पुराने प्राथमिक स्कूलों और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले लोग हैं, सब जानते हैं कि पहले प्रार्थना होती थी, शाम को ड्रिल होता था और ड्रिल में वह सारी चीजें होती थी जो आप तनख्वाह दे करके अलग से शारीरिक शिक्षक की, व्यायाम कराने के लिए नियुक्ति करने पर हम विचार कर रहे हैं। वर्तमान में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है 2 लाख 58 हजार पद शिक्षकों के रिक्त हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति हो, हम काफी परेशान है। इसमें भी सदन के माननीय सदस्य चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, पांच वर्ष पिछली सरकार में चाहे कारण जो भी रहा हो ट्रांसफर नहीं हुए। सारे माननीय सदस्य परेशान हैं, परेशान होने के लिए उनके पास करण भी हैं। महिलायें हैं, जिनके पति कहीं और है वह कहीं और हैं, अनमैरिड लड़कियॉ हैं जो, मुज्फ्फरनगर की है और बहराइच व बलिया में पढ़ा रही है। परेशानी है, हमको स्कूल में पढ़वाना भी है और जो अध्यापिकायें दूर है उनको आपको सुविधा भी देनी है। कैसे हो? जो शरीर से विकलांग हैं, चाहे महिला, चाहे पुरूष हों हम सबका सहयोग चाहते हैं, इस सदन का कि आप राजनीति से अलग हटकर के, पक्ष-विपक्ष से अलग हट करके, बिगड़ी हुई माहौल जो बेसिक शिक्षा की हो गयी आईये हम सब मिल करके बेसिक शिक्षा की वह सारी परम्परा को कायम करें और जो अभिभावक प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं वह आकर्षित हो करके सब लोग, यहॉ तक कि आप लोग भी अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़वाने के लिए विवश हो जायें। इसलिए हमने दो दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक थी इसमें हम और हमारे सचिव जी भी गये थे। मा0 केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से निवेदन किया कि टीन का शेड डाल करके जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं केवल एक टाई गले में बांध दे रहे हैं, कुर्सी और मेज की व्यवस्था कर दिये हैं। लोग उसमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, प्राइमरी स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। अब हम भी कुर्सी और मेज की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको जान करके प्रसन्नता होगी, हम प्रयास कर रहे हैं कि जूनियर हाई स्कूल तक कुर्सी और मेज की व्यवस्था हो। हर स्कूल में विद्युतीकरण हो ही रहा है, पंखा चलेगा ही। हमने पंखे, बिजली की व्यवस्था की, हमने शौचालय की व्यवस्था की, हमने पीने के पानी की व्यवस्था की, हमने ड्रेस की व्यवस्था की, हमने भोजन की व्यवस्था कर दी। अब क्यों पढ़ायेंगे प्राइमरी स्कूलों में? हमारे शिक्षक शिक्षित, प्रशिक्षित और योग्य है, जो टीचर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं उनसे योग्य हैं। वह शिक्षित, प्रशिक्षित है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर प्रशिक्षित नहीं है। उसके बावजूद भी एक फैशन बन गया है अधिक पैसा देकर पढ़ाने का। सी0बी0एस0ई बोर्ड के लड़कों को हमने देखा है, हमने कक्षा-3 के लड़के से पहाड़ा पूछा, वह बता नहीं पाया। हम लोग तो कक्षा 01 से ही गिनती और पहाड़ा सीख गये थे। तो आप लोग भी टीचर लोगों से निवेदन करें कि अध्यापक लोग, गुरू लोग आप पढ़ायें। मैंने शिक्षक यूनियन के लोगों को अपने दफ्तर में बुलावा और उनसे आग्रह किया कि आप यूनियन चलाते है। इसलिए कि अध्यापकों की परेशानियों को हल किया जाए। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपकी कोई भी परेशानी होगी, वेतन की, जी0पी0एफ0 की, पेंशन की, ट्रांसफर की उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है लेकिन अध्यक्ष और महामंत्री लोग, पहले आप लोग प्राइमरी स्कूलों में जा करके पढ़ाने का काम प्रारम्भ करें और सारे अध्यापकों से निवेदन करें कि अब जमाना गया, जमाना बदल गया अब पढ़ाओ 10 से 04 बजे तक। यूनियन की बात को हमने मान लिया। आपकी पिछली सरकार में जो था उसको हमने पलट दिया और हमने 10 से 04 बजे तक लड़को को पढ़ाने की

व्यवस्था कर लिया है। अध्यक्ष जी मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने प्राथमिक के बजट पर इतना समय दिया हमारे सदस्यों को भी बोलने का और हमको भी बोलने का मैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने बजट तैयार करके प्राइमरी विभाग को चुस्त दुरस्त रखने के लिए प्रयत्नशील है। मैं पुनः तमाम सदस्यों का आहवान करता हूँ कि आइए मतभेदों को भुलाकर आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें और प्राथमिक स्कूल में गुरूओं से कहें कि आप पढ़ाइए निगरानी आप भी रखिये मिड डे मील की निगरानी रखिये पढ़ाई की निगरानी रखिए। सबकी निगरानी रखकर स्कूल के वातावरण को अच्छा बनाएं इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं पुनः सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भाषण भी बहुत बढ़िया दिया है इसलिए वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री विनोद कुमार शाक्य "दीपू"-

माननीय मंत्री जी ने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है तो माननीय मंत्री जी मुअल्लिमों के लिए यह घोषणा कर दें कि उनकी नियुक्ति हो जायेगी। शिक्षामित्रों के लिए जो उनको वेतनमान तय नहीं है उनके वेतनमान के लिए कम से कम 10 हजार की घोषणा कर दें तो इस बात पर सहमति हो सकती है। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,53,48,57,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,48,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,56,93,24,000 रुपये से अनिधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष जी, अभी बेसिक शिक्षा का बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है वह पारित भी हुआ है उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का बजट रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मान्यवर, बेसिक शिक्षा बुनियाद है और माध्यमिक शिक्षा रास्ता है और उच्च शिक्षा हमारी मंजिल है। लेकिन बहुत दिनों से यह देखने में आया है कि शिक्षा में जिस तरह की गिरावट आई है और शिक्षा विभाग में जिस तरह से लेनदेन का चलन आम हुआ है बराबर सदन में गम्भीरता से इस बात को लिया गया है कि उसने पूरी सामाजिक व्यवस्था को चरमरा के रख दिया है और वो कच्ची लकड़ी जिसे हम ग्रीनवुड कहते हैं। अक्सर स्कूलों के नाम भी ऐसे ही रखे जाते हैं। उस हरी लकड़ी को आप जिस तरह से मोड़ लें, उसी तरह से वह मुड़ जायेगी और अगर वह लकड़ी मोड़कर छोड़ दी जाय, सुखा दी जाये तो वही उसकी शक्ल बन जायेगी। ग्रीन वुड हरी लकड़ियों को जितनी बुरी तरह से मेरे ख्याल से हम अगर पूरी शिक्षा प्राणाली अपनी देखें। हमने एहसास तो हर बात का किया है, इकरार भी किया है कि हम समाज को वो वर्ग जो चुनकर आते हैं उन लागों के लिये जिनकी अच्छाई की हम यहां शपथ लेते हैं, उनकी अच्छाई के लिये मंसूबे तैयार करते हैं और लोगों की, आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खजाने के माध्यम से उन मदों पर खर्च भी करते हैं लेकिन ये दोहरा पाप होता है अगर हमारा शिक्षा का बजट नाम मात्र हो, शून्य हो तो कम से कम वो मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई मेहनतकश की, मजदूर की उस गाढ़ी कमाई का इतना ही सदुपयोग हो कि यहां से न लेकर के कहीं और से उसको खर्च करें। हम व्यवस्था भी करते हैं, हम खर्च भी करते हैं। एक मिसाल आई कि यहां के एक जिलाधिकारी ने अपने बच्चों को लाइन में ले जाकर के खड़ा किया। जाहिर है कि अगर यह वाकया सच है और बाद में अगर उन्होंने अपने बच्चों को किसी और स्कूल में दाखिल नहीं कराया है क्योंकि एक पहलू आया कि उन्होंने एडमीशन कराया। आगे क्या हुआ यह जानकारी शायद हम में से किसी को नहीं मिली। अगर यह सच है तो हमें एक ऐसे अधिकारी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उसको मापदण्ड मानना चाहिए। बहुत मार्मिक अपील की है मंत्री जी ने बहुत दिल को छूने वाली अपील की है, पूरे प्रदेश से पूरे समाज से शिक्षा जगत से कि हम अपील करते हैं कि वो अपने दायित्वों को निभायें, अपने फर्ज को पहचानें। कितना पाक फर्ज है लेकिन कितना अनर्थ हुआ है, कितनी नाइंसाफी हुई है।

मेरे ख्याल से अगर हम अपने सदन की थोड़ी सी रूपरेखा पर निगाह डालें। हम लोग आम जिन्दगी से चलकर यहां आते हैं और 21 करोड़ लोगों की जिन्दगी का फैसला करते हैं यहां बैठ कर। इनमें शायद ही कोई आई0ए0एस0 आफिसर हों रिटायर्ड, एक आध। मुझे तो नहीं लगता, इंजीनियर साहब तो थे और ऐसे लोग मेरे ख्याल से हमारा क्या विवाद है।

"खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।"

पंडित जी भी हमसे नाराज है, मौलवी साहब भी हमसे नाराज हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि जिसका जो काम है वो कर लीजिये। अगर हम इमामत के रास्ते में नही आते तो आप भी सियासत के रास्ते में न आइये। अगर हम आपसे ये कहे मजहब और धर्म के मामले में ये फैसला लेना चाहिये तो फिर आपको राजनीति के मामले में फैसले लेने का पूरा इख्तियार होगा। इसलिये मान्यवर, हम वो वर्ग हैं इस समाज का जो लोगों से वायदे करके आते हैं और उससे एतमाद हासिल करके आते हैं। मुझे याद नही पड़ रहा है, मैंने कब एक मिसाल यहां पर रखी थी। अब इस सत्र में या इससे पहले कि भरोसा अगर ऊपर किसी का तिनके भर का भी है, तो वो भरोसा कायम रहना चाहिये। जिस दिन वो भरोसा टूटता है, उस दिन समाज का एक मजबूत स्तम्भ टूटता है। मुझे याद नही कि कब कही थी लेकिन मैं फिर दोहराता हूं इस बात को कि रेगिस्तान में एक मुसाफिर गुजरा, उसने देखा कि एक शख्स पेट के दर्द से तड़प रहा है वह रूक गया उसने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, उसने कहा दर्द है मेरे पेट में, पानी चाहता हूं। उस अरबी ने अरबी घोड़े को वहीं छोड़ा और पानी की तलाश में निकल गया। लौट कर आया तो अरबी घोड़ा भी गायब था, मरीज भी गायब था और उसका टट्टू वहॉ पर खड़ा था, वह अरबी सवार अपने अरबी घोड़े की तलाश में नहीं बल्कि उस मरीज की तलाश में निकला उसके टट्टू पर सवार होकर कि आखिर वह मरीज कहॉ चला गया। उसने पकड़ लिया उसे और उससे यह कहा कि यह टट्टू तेरा है, तू इसका मालिक है लेकिन यह अरबी घोड़ा जिसे तू चुराकर भागा है यह भी तेरा है। मगर खुदा के लिये आज के बाद दर्द का सहारा लेकर किसी को धोखा मत देना वरना कोई किसी पर भरोसा और ऐतमाद नहीं करेगा और किसी मरीज की मद्द के लिये नहीं आयेगा। (मेजें थपथपाई गईं) जिन लोगों ने हमारे ऊपर ऐतमाद किया और भरोसा करके हमें इस ठंडे कमरे में बिठाया है जिसके बाहर आग बरस रही है और वह बरसती हुई आग में जमीन का पत्थर तोड़ रहा है अमीरों के लिये महल बना रहा है वही मजदूर जिसके पास पहनने के लिये कपड़ा नहीं है और खाने को रोटी नहीं है जिसकी दीवारों पर धूप रोकने के के लिये छप्पर नहीं है वह हमारे लिये एयर कंडीशन हाउसेस बना रहा है। हम उसकी मेहनत से भरे हुए खजाने के साथ कैसी नांइसाफी करते हैं, कैसा जुल्म करते हैं, कैसा धोखा देते हैं उसके दिये हुए ऐतमाद के चीथड़े कर देते हैं हम। यह नुकसान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक समाज का नहीं है बल्कि आने वाली सदियों का नुकसान है। तारीख की आंखों ने वह दौर भी देखा है लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाईं। मान्यवर, आने वाले दौर याद करेंगे। कोई यह न समझे इख्तियाद आते हैं चले जाते हैं, सत्ताएं बदलती हैं जिन्होंने जहरीली गैस के सहारे लेकर नस्लों को खत्म कर देना चाहा। जिस हिटलर ने यह चाहा कि यहूदी का नामो निशान मिट जाय। जिस दिन यहूदी अपना ब्रेन विड्रा कर ले अमेरिका से, अमेरिका कंगाल हो जायेगा, कूछ नहीं रह जायेगा। सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जायेगी। दुनिया के नक्शे पर अगर एक लकीर खींच दी जाय तो ज्यादा बड़ी होगी। इजरायल छोटा है, इतनी छोटी सल्तनत का मालिक अमेरिका पर हुकुमत करता है। हिटलर खत्म नहीं कर सका यहूदियों को। इतिहास में जो अच्छा करेगा वही अच्छा पढ़ा जायेगा और जो नाइंसाफी करेगा इतिहास उसे कभी अच्छा नहीं

पढ़वायेगा। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। आज हमारे ऊपर सत्ता की जिम्मेदारी है। कल हमारे ऊपर विपक्ष की जिम्मेदारी थी। हमने शायद ईमानदारी और मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका को निभाया था, इसीलिए आज सत्ता में हैं। हो सकता है अगर हमारे काम अच्छे होंगे, जनता की भलाई के होंगे यह सत्ता बरकरार और बहाल रहेगी। अगर हम नाइंसाफी करेंगे तो आज ही यह बात आई थी हमारे साथियों ने कहा था कि यहॉ इंसाफ न हुआ तो क्या हुआ एक और है इंसाफ करने वाला। कभी कहा भी था मैंने जमीन वालों जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर जमीन वालों जमीन वालों के साथ इंसाफ नहीं करोंगे तो इंसाफ आसमान वाला करेगा और जब वह इंसाफ करेगा तो उसकी ताब नहीं जा पायेगी। बेसिक शिक्षा के बाद क्योंकि बेसिक शिक्षा हमारी बुनियाद है मान्यवर। और यह भी मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जिस इमारत की बुनियाद टेढ़ी होगी वह इमारत न कभी सालिम रह सकती है न टिक सकती है और उसे गिर जाना है, यही मुकद्दर है उसका।

मान्यवर, मैं माध्यमिक शिक्षा का बजट जरूर रख रहा हूँ लेकिन बेसिक शिक्षा पर बल देना चाहता हूँ। हम सब वह हैं जो बेसिक शिक्षा हासिल करके आये हैं और छोटे स्कूलों से आये हैं। मेरे साथ के पढ़े हुए कुछ ही साथी ऐसे हैं जो बाहर मुल्कों में हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है उनके पास, मुझ पर धिक्कार करते हैं जब मेरी फटीचर हालत को देखते हैं। बहुत से साथी मेरे ऐसे हैं। मैं सुन्दर लाल इण्टर कालेज में रह गया। मैं बाकर स्कूल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा और मेरे वह साथी जो रईसों के बेटे थे मान्यवर, आज मेरे पास आते हैं यह कहने के लिये कि हमें म्युनिसिल बोर्ड का ही ठेका दिलवा दो वह अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। (मेजें थपथपाई गईं) अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े हुए कुछ ही आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और पी0पी0एस0 हो सकते हैं लेकिन पूरे देश को चलाने वाले और पूरे सिस्टम को चलाने वाले आज भी वही लोग हैं जिन्होंने टाट और पट्टे पर बैठकर पेड़ के नीचे पढ़ाई की। मैं मान्यवर, शायद गलत नहीं हूँ कि मैं वहॉ से लेकर यहॉ तक का और यहॉ से लेकर वहॉ तक के सफर की बात करूँ तो हम पेड़ों के नीचे मिट्टी पर बैठे हुए लोग हैं जो आज प्रदेश के भविष्य के बारे आज यहॉ सोच रहे हैं। यह हमारी धरोहर है, हमारी असल ताकत हैं वह लोग और यह स्कूल यह माध्यम हमारी असलता का प्रतीक है इसलिये इसको बेहतर बनाने की बहुत जरूरत है, उनके सोए हुए जमीर को जगाने की जरूरत है। मैंने अभी साथी से कहा पलटकर कि जहॉ एक तरफ हमारे साथी कह रहे हैं कि उनसे कार्य वापस ले लिये जायें टीचर्स से, वह यह न करे, वह यह न करें अगर यह काम वापस ले लेंगे तो यह लोग तहलका मचा देंगे। जब तक आप इन्हें पढ़ाई का काम लेने के लिए तैयार न करें उस वक्त तक काम वापस लेने के लिए न इधर का रहेगा और उधर का रहेगा। बहुत बिगाड़ा गया है, नहीं करना चाहते हैं, पहले उनके अन्दर एहसास पैदा करें। बहुत जरूरत है आपका विभाग, आपका दायित्व, और आपकी जिम्मेदारी, इस सदन की तरफ से और प्रदेश की तरफ से बहुत बड़ी है। आप बच्चा परवरिश करते हैं जैसा बच्चा आप परवरिश करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ सदन से, जो मॉए और जो मर्द हरामी और नाजायज औलाद पैदा करते हैं, मन्दिर और मस्जिद की सीढ़ियों पर रख आते हैं, जंगलों में फेंक आते हैं, वह बच्चे भी परवरिश पाते हैं। न कभी मॉ को याद आती है बच्चे की और न कभी बाप को याद आती है। लेकिन मॉग कर लाया हुआ बच्चा, और कहीं से उठाया हुआ बच्चा, एक ऐसी मॉ जिसकी औलाद नहीं होती, एक ऐसा बाप जिसकी औलाद नहीं होती, जब उसे परवरिश करके बड़ा कर लेता है, और वह सात-आठ बरस का होता है और उसके असल मॉ बाप, उसकी तलाश में आते हैं तो पाली हुई मॉ और पाला हुआ बाप किसी कीमत पर उस बच्चे को वापस करने को तैयार नहीं होता है। क्यों कि

उसने उसकी टट्टी कराई है, उसका पेशाब कराया है, उसके ऑसुओं के साथ, वह रोई है मॉ, उसकी किलकारियों और खुशियों के साथ खुश रही है, लिहाजा मोहब्बत पैदा करने और नौ महीने पेट में रखने की नहीं होती है। पेट में तो जख्म भी रहता है, पेट में तो अल्सर भी होता है, पेट में तो कैंसर और फोड़ा भी होता है, पेट में औलाद भी होती है, असल मोहब्बत होती है परवरिश की, आपकी जिम्मेदारी उस बच्चे की परवरिश करने की है जो कल का हिन्दुस्तान बनने वाला है।

(मेजें थपथपाई गईं)

आप एक जायज औलाद की परवरिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं इस माध्यमिक शिक्षा के बजट पर आते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यह सबसे बड़ा इन्तजाम करता है। मान्यवर, 2012 में बहुत बड़ी तादाद परीक्षार्थियों की थी 26,83,548 यह इण्टरमीडिएट की थी। इसी तरह से हाई स्कूल में 37,41,380 बच्चे बैठे, और इसमें हमारे जितने भी अंग्रेजी कालेजेज हैं। मान्यवर, स्कूल अच्छा और बुरा कैसे होता है। मान्यवर, एमिटी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिविर्सिटी है, एमिटी कालेज बहुत अच्छा कालेज है, सुना है मैंने, मैं नहीं जानता, मैं ऐसे स्कूल कालेजेज में जा भी नहीं पाता हूँ। हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, मैं बड़े होटलों में भी नहीं जा पाता हूँ हिम्मत नहीं पड़ती है जाने की। मैं चाहता हूँ कि यह बात आज रिकार्ड पर आए, कि पिछली सरकार के एक बहुत बड़े दौलतमंद ने आपको भी शादी में बुलाया था अपने यहॉ और मुझे भी बुलाया था।

श्री अध्यक्ष-

बुलाया था, लेकिन मैं गया नहीं था।

(हँसी)

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मैं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ रिकार्ड पर आए, आप गये थे

श्री अध्यक्ष-

मैं नहीं गया था।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

आप गये थे, मैं बताता हूँ आपको। मेरी बात तो सुन लें आप। जरूरी नहीं होता कि शरीर जाए, मैं बताता हूँ आपको जब यह मालूम हुआ कि वहां पर मोटरों के जाने का रास्ता ही नहीं है तो आप नहीं गए। जब मुझसे आपने यह बताया, कि भई सुना है वहां जाने का तो रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएं, तो मैंने कहा आपने इतना सोचा तो, मैंने इतना भी नहीं सोचा, और मैं नहीं गया। मान्यवर, जब हम किसी गरीब वर्कर के यहां जाते हैं तो उसकी समझ में नहीं आता है कि वह हमारी कैसे खातिर करे, कैस तवाजो करे, कहां बैठाए, क्या करें।

(मेजें थपथपाई गईं)

लेकिन जब हम अपने से किसी बहुत बड़े आदमी के यहां जाते हैं तो हम उसे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि हम किसी बड़े आदमी की कुर्सी घेर लेते हैं तो मान्यवर, इमारत से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती है। बहुत अच्छा कोई कालेज या यूनिवर्सिटी बना हुआ है उससे अच्छ नहीं हो जाता है। एमिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा कालेज है। बच्चों से होती है, किस मेरिट का बच्चा,

किस स्कूल में जा रहा है, ग्रेडेशन उससे होता है। रोज यहॉ बुराई होती है कुछ कालेज और स्कूलों की, इस बिना पर वहॉ अच्छे बच्चे जाते ही नहीं हैं। 45 परसेन्ट के पास मार्क्स वाले, तो वो जैसा रिजल्ट बनायेंगे वैसी ख्याति उस स्कूल की होगी। लेकिन हमारे बोर्ड की ख्याति 83.75 होने का मतलब यह है कि इस बुरे हाल में भी हमारा प्रतिशत यह है। अगर हम महसूस करें और बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक हम ले आयें तो हमारा यह प्रतिशत काफी बढ़ सकता है। बात आजकल लेने और देने की ज्यादा चल रही है। किसने लूटा और किसने लुटाया। आपने जो किया वह आपको पता है। हमारे यहॉ दो-चार भैंसे हम भी पालते हैं। इसलिए पालते हैं कि मालूम है हमारे यहॉ भैंसे हैं ही नहीं। पूरे रामपुर में दूधवाली भैंसे सब कट गयी हैं, बड़े-बड़े कारखाने काट लेते हैं। चोरी करके ले जाते हैं और दरवाजा खुलता है, पॉच मिनट बाद भैंस मिलती नहीं है। पुलिस जाती हैं तो कुछ हाथ नहीं आता। जब भैंस नहीं है तो दूध कहॉ से आएगा। बड़ी कृपा है आपकी। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। भैंस ही नहीं छोड़ी है तो दूध कहॉ से मिलेगा। लिहाजा मारे डर के अपनी भैंस पालते हैं और इतनी एहतियात बरतते हैं कि जब रामपुर से लखनऊ आते हैं तो दो दूध की बड़ी बोतलें अपने साथ लेकर आते हैं। मान्यवर, मैं लेने और देने की बात कर रहा था। हमसे किसी ने कहा कि भैंस को इतना महंगा चारा क्यों देते हो आजकल बेसिक शिक्षा वाले कट्टे बेच रहे हैं। तो मैंने कहा कि बेसिक शिक्षा में यह काहे के कट्टे बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता। बोले कि वो पुष्टाहार वाले कट्टे। (हॅसी) मैंने कहा कि कौन खिला रहा है तो वह बोले कि फलां-फलां जगह जाते हैं तो वहॉ देखा कि बड़ी तैयार भैंसे हैं। हम मान्यवर, ज्यादा पैसे भी लगा रहे थे और हमारी भैंसे भी सूख रही थी लेकिन इनके जो पुष्टाहार के कट्टे थे उन्होंने भैंसो को फुलाया। मान्यवर, बड़ी कृपा है। मान्यवर, ऐसे-ऐसे कारनामें हुए हैं जिन पर अलग से शोध होगा। मैं अगर यूनिवर्सिटी बनाने में कामयाब हो गया तो मैं इस पर जरूर शोध कराऊँगा और अगर जिन्दा रह गया तो इनमें से किसी को बुलाकर डाक्टरेट भी दूंगा। तो मान्यवर, लेने और देने की बात चल रही है। अभी 30 हजार रुपये पर कटाक्ष हुआ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एजूकेशन कान्सेप्ट है और एक ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्होंने अपनी सियासी और सामाजिक जिन्दगी की शुरूआत स्कूल मास्टर से की है। स्कूल मास्टर के अन्दर बहुत सी खूबियॉ होती है। और एक आम स्कूल मास्टर जब अपनी उन खूबियों को अपनी जिन्दगी का मकसद और मंशा बना ले तो फिर वह चाहे डा0 राधाकृष्णन हों, हममे से कोई हो, आप हों, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों वह ऊॅचाइयों के उस शिखर तक पहुंचते हैं जहॉ उन्हें पहुंचना चाहिए। एक मास्टर बाप की परवरिश अपने उस बेटे के लिए जो आज का मुख्यमंत्री हो और जिन्होंने विदेश से अच्छी शिक्षा हासिल की हो और कम्प्यूटराइज दौर की तरक्कियों को अहसास भी किया हो। उन्होंने उन बच्चों के दिलों से जो हीन भावना का शिकार थे, आमतौर पर टेलीवीजन गरीब आदमी के भी घर में होने लगा है। आप कहीं निकल जाइये जहॉ लोग झुग्गियॉ लगाकर रहते हैं वहॉ भी आपको एंटीना लगे हुए मिलेंगे। और टी0बी0 पर पूरी दुनिया की खबरें देखते हैं। उन बच्चों के लिए जो टेबलेट से उपेक्षित हैं, जिनके लिये यह मंजिल बहुत दूर थी वह बच्चे जिनके लिए लेपटाप बहुत दूर था उन्हें तकनीकी दुनिया से और सेटलाइट दुनिया से करीब करने के लिए माध्यमिक शिक्षा ने एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया है जो महंगा तो है बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाएगा लेकिन लेपटाप पी0सी0 देने का संकल्प किया है और बजट में प्राविधान किया है।

मैं उसकी मोटी सी रूपरेरखा आपके समक्ष रख रहा हूँ। कन्या विद्याधन के तहत 174 करोड़ 45 लाख 77 हजार रुपये, दसवीं पास के लिए 64 करोड़ 12 हजार, और बारहवीं पास छात्राओं को निःशुल्क लेपटाप देने के लिए तकरीबन साढ़े ग्यारह करोड़ का प्राविधान किया गया है। बी0पी0एल0

परिवारों की कक्षा 10 पास बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 48 करोड़ के अनुदान का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, आपको याद होगा कि सदन में विपक्ष की कुर्सियों में बैठते वक्त हम यह कहते थे और सत्ता में आने के बाद भी हमने यह कहा कि हम समाज का एक हिस्सा हैं। हम जिस्म के वह अंग हैं जिसके बगैर यह जिस्म मुकम्मल नहीं है। चाहे दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, अगड़े हों और वह जो बहुत पीछे रह गये हैं और जिन्हें पीछे कर भी दिया गया है उन्हें भी इंसाफ देने की जरूरत है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे देश के राजनीतिक दलों ने और राजनेताओं ने इस बात का अहसास किया कि सच्चर कमेटी ने कहा कि आज के दिन मुसलमानों की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति दलितों से भी ज्यादा बद्तर है। जस्टिस सच्चर कमेटी की यह रिपोर्ट कितनी गलत है और कितनी सही है यह हमसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी समझ सकती है। लेकिन क्योंकि यह कमीशन पार्लियामेन्ट के द्वारा गठित हुआ था और यह रिपोर्ट भारत की सबसे बड़ी पंचायत के बीच पेश भी हो चुकी है और वह रिपोर्ट भी ऐसा कहती है। पूरे देश ने इस रिपोर्ट को लागू किया हो या न किया हो लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने बजट में माध्यमिक शिक्षा के बजट में इसे लागू किया है और हमारा क्योंकि मेनीफेस्टों का यह वायदा था कि हम मुसलमानों को अल्पसंख्यकों को उन इलाकों जहॉ उनके स्कूल, कालेज नहीं है, उनके उन्हीं इलाकों में कालेज कायम करेंगे और उन्हें शिक्षा देने का काम शुरू करेंगे। इस तरह 141 विकास खण्डों में 73 नये राजकीय हाई स्कूल बनाने और 24 नये माडल स्कूल बनाने का भी फैसला लिया गया है। मान्यवर, मैं माध्यमिक शिक्षा के इस बजट को पेश करते हुए आपको यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि कन्या विद्यालयों के लिए जो निजी कन्या विद्यालय खोले जायेंगे 10-10 लााख रुपया दो किस्तों में भी दिये जाने का प्राविधान किया गया है। सूचना तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित योजना आई0सी0टी0 संचालित केन्द्रांश 75 प्रतिशत तथा राज्यांश 25 प्रतिशत है। वर्तमान में यह योजना 4 हजार राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लागू है। भारत सरकार ने 1608 और माध्यमिक विद्यालयों को उक्त योजना से आच्छादित करने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके लिए केन्द्र सरकार का शुक्रिया और खास तौर से प्रदीप माथुर साहब का जिन्होंने प्रमोद तिवारी जी को बीच की कुर्सी से हटाने में कामयाबी हासिल कर ली हैं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा में अनुदान संख्या-72 में आय-व्ययक अनुमानों में आयोजनागत मद में रुपये 2504.8810 करोड़ और आयोजनेत्तर मद में 5889.7418 करोड़ कुल रुपये 8394.6228 करोड़ का प्राविधान किया गया है। असल सूचना देने की मंशा यह है कि इस तरह 24.53 प्रतिशत यानि 25 प्रतिशत बजट में वृद्धि की गयी है। क्योंकि श्री प्रमोद तिवारी जी यहॉ तशरीफ नहीं रखते हैं। उन्होंने जैसे आज कहा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा में 9 प्रतिशत बजट का हिस्सा खर्च होना चाहिए। मैं दावे से तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि इस बार जिस तरह से स्वास्थ्य और चिकित्सा में पूरे बजट में ओवरआल बढ़ोत्तरी की गयी है यह 9 प्रतिशत से ज्यादा ही होना चाहिए। 9 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसी के साथ मैं माध्यमिक शिक्षा का बजट पेश करते हुए अपने तमाम साथियों से अपने साथी मंत्री चौधरी साहब की उस अपील पर कि बजट मैं माध्यमिक का रख रहा हूँ लेकिन बल मैं माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ बेसिक शिक्षा की आपकी उस अपील पर दे रहा हूँ और पूरे प्रदेश के उन उस्ताद साहेबान से उन अध्यापकों से पूरी सरकार इस बात की अपील करती है और समाज अपील करता है। उनसे निवेदन करता हैं कि वह अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभायें ताकि हम एक अच्छी बुनियाद पर एक अच्छी इमारत कायम कर सकें, बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर सिंह जी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या 72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, यह जरूर है कि आज शिक्षा विभाग का बजट पेश हुआ है जिसमें बेसिक शिक्षा था और माध्यमिक शिक्षा था, लेकिन जिस तरह से चाहे हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हों या हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग का बजट हमारे परम् आदरणीय मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने जिस तरह से आज मार्मिक अपील हुई है शिक्षा के सम्बन्ध में, हमारे दोनों सम्मानित मंत्री जिस तरह से हमारे शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए जो मार्मिक अपील किया है आप लोगों ने निश्चित रूप से मैं भी समझ सकता हूं कि सदन के माध्यम से यह आवाज बाहर जानी चाहिए कि आज हम जो चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं अपने गुरूजनों के प्रति हमारे एक मा0 मंत्री जी अपने गुरूजनों से निवेदन कर रहे हैं कि आप स्कूल में जायें, जिस काम के लिए आप रखें गयें वह अपना काम करें। कितना गम्भीर विषय है मान्यवर, इसलिए मैं भी, चूंकि मा0 मंत्री जी बड़ी गम्भीर मुद्रा में माध्यमिक शिक्षा का बजट रखें हैं, मुझे पूरा विश्वास है चूंकि हम नये जरूर हैं मान्यवर, लेकिन जो कुछ भी विनम्रतापूर्वक सुझाव हम बतायेंगे मा0 मंत्री जी जरूर उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे। मान्यवर, यह 75 जिलों का उत्तर प्रदेश लगभग 02 लाख 40 हजार 09 सौ 28 वर्ग किमी0 में फैला हुआ, जिसमें माध्यमिक शिक्षा का शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। माध्यमिक शिक्षा के बाद ही हमारे बच्चे उच्च तकनीकी, चिकित्सीय तथा प्रबन्धकीय शिक्षा में प्रवेश हेतु योग्य होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश की माध्यमिक शिक्षा सुदृढ़ हो, शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, साथ ही उससे जुड़े शिक्षकों की समस्याओं के प्रति जागरूक होना भी हमारी संसदीय विधायी परम्पराओं का उत्तरदायित्व होता है। उसी के साथ में मान्यवर, चूंकि माध्यमिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा के लिए सेतु का कार्य करता है जैसा हमारे मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी इस पर चर्चा किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में जो कुछ भी कमियां हमें महसूस हुई हैं उसमें हम कैसे उनको दूर कर सकते हैं और जब तक हम उन कमियों को दूर नहीं करेंगे, तक तक हमारी उच्च शिक्षा समाज में कान्तिकारी परिवर्तन सम्भव नहीं है। मान्यवर, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठैगा, तक तक हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जड़ता, धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता एवं जातीयता आदि विकृतियां दूर नहीं हो सकती है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव दूं इससे पहले थोड़ा सा प्रकाश मैं डालना चाहता हूं जो आज की वर्तमान स्थिति हमारे प्रदेश में है। मान्यवर, इस समय प्रदेश में कुल 19430 माध्यमिक विद्यालय संचालित है जिसमें 1135 राजकीय तथा 18295 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं मान्यवर, इसमें 4478 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 13817 वित्त विहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय है। राजकीय विद्यालयों में 572 विद्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित हुये है। इसी के साथ मान्यवर दूसरा पहलू है इन माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल और इण्टर में कुल मिलाकर के हमारे 12784665 छात्र/छात्रायें पिछली बार अध्ययनरत थी तथा इन स्कूलों में इनकी तुलना में बड़ा कम हमारे जो शिक्षण कार्य हेतु अध्यापक थे, वह है 251303

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यापक और अध्यापिकाएं कार्यरत थी। मान्यवर, मैं निवेदनपूर्वक कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कुछ हमारी पुरानी व्यवस्था भी चली आ रही हैं। मान्यवर, पहले जब विद्यालयों को मान्यता देने की बात होती थी, तो उसमें एक मानक बना हुआ था कि विद्यालय के कमरे का साइज 25 गुणा 20 का होना चाहिए। उसमें मान्यवर, एक और भी मानक बना हुआ है कि हम हाईस्कूल कक्षा में विद्यालय का जो भवन है उसके एक कक्ष में छात्रों की जो संख्या निर्धारित की गयी थी, वह 45 है और इंटर कालेज में यानि बारहवीं में हमने वह संख्या 50 निर्धारित की थी। लेकिन मान्यवर, हमने कमरे का साइज नहीं बढ़ाया। हमारे कमरों के साइज वहीं हैं, लेकिन आज हमारी यह संख्या हाईस्कूल के छात्रों की 75 हो गई है और दूसरा सेक्शन हम तभी खोल सकते है जब 75 से 126 यानि जब 125 की संख्या पार होगी तभी हम दूसरा सेक्शन खोल सकते हैं। मान्यवर, एक सेक्शन बना है हमारा 50 बच्चों का और आज हम 125 बच्चों की उसमें बैठाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

मान्यवर, निश्चित रूप से यह व्यावहारिक दिक्कत है। वैसे ही बच्चों को पढ़ने को कहिए तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। इससे आधे बच्चों को बहाना मिल जाता है कि जगह नहीं मिली इसलिए बहार घूम रहे हैं। मान्यवर, इस पर जरूर विचार करना होगा, यह पुरानी पद्धति है। यह बहुत गंभीर विषय है आज के लिए जो हम व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसके लिए मा0 मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे विद्यालयों में। मान्यवर, एक दूसरा पहलू है कि जो हमारे शिक्षक इन विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनके कुछ ऐसे शिक्षक हैं, जिन्हें हम तदर्थ शिक्षक कहते हैं। मान्यवर, इनकी नियुक्ति हुई थी 06 अगस्त, 1993 और लगभग 19 वर्ष से यह कालेजों में सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें संज्ञा देते हैं तदर्थ शिक्षक की और हम इन्हें देते क्या हैं इसके बदले में मात्र एक हजार से लेकर पन्द्रह सौ रुपये। मान्यवर, यह तो एक पहलू है दूसरी तरफ ये हमारे शिक्षक जो इन कालेजों में शिक्षा दे रहे हैं, वे संशंकित रहते हैं कि कब हमारे जगह पर आयोग से दूसरे अध्यापक आ जाएंगे और हम हट जाएंगे। एक तो 19 साल अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है, जो हर एक आदमी के लाइफ का प्राइम पीरियड होता है, वह इन लोगों ने अपने कालेज में बिताए और आज इस शंका में बैठे हैं कि हम तो अभी स्थायी नहीं हैं हमारी जगह पर कभी भी आयोग किसी अन्य को भेज सकता है और ये 16 हजार जो हमारे शिक्षक है। जो इस शंका में पड़े हुए हैं। इसमें भी मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और विनम्रतापूर्वक चाहूंगा कि इस पर भी विचार हो ताकि यह शुद्ध मानसिक रूप से, अपने स्वच्छ मानसिक रूप से बच्चों को शिक्षा दे सकें। जिससे यह अपने आपको माने कि हम अध्यापक हैं, मुझे कहीं हटना नहीं है, कोई दूसरा रोजगार नहीं खोजना है, जो मेरा पूरा समय है वह मुझे इन बच्चों को शिक्षा देने में लगाना है, जो मेरा पूरा समय है वह मुझे इन बच्चों को शिक्षा देने में लगाना है। मान्यवर, साथ ही यह व्यवस्था भी करानी पड़ेगी हालांकि यह व्यवस्था है कि जो अध्यापक, जो गुरूजन हमारे अच्छा काम करते हैं, उन्हें हम सम्मानित कराने का काम करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति के हाथ से उन्हें सम्मानित किया जाता है, लेकिन मान्यवर, हमें अपने प्रदेश में भी व्यवस्था करानी चाहिए कि अच्छे अध्यापकों को सम्मानित करें ताकि उनमें एक उत्साह आये कि हमने अच्छा कार्य किया, हमारे साथ के अमुक व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं किये इसलिए उन्हें उस निगाह से देखा जाता है और मैंने अच्छा कार्य किया तो हम सम्मानित किये गये। मान्यवर, एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या और आती है, चाहे कोई भी सरकार आये या हो सकता है कि एक सरकार के कार्यकाल में भी 5 वर्ष का समय होता है। उसमें बीच में कई बार ऐसा समय आता है कि कुछ पाठ्यक्रमों में हम बदलाव कर देते है। हो सकता है कि जो पिछली सरकार थी और

अब नई सरकार आई है तो मान लीजिए कि वह कुछ पाठ्यक्रम बदलना चाहती है। हम पाठ्यक्रम तो मान्यवर, बदल देते है लेकिन मान्यवर, जो हमारे टीचर, अध्यापक हैं, वह वहीं रहते है। हम उनको प्रशिक्षित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते है। मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कम से कम कुछ विषयों पर जैसे गणित हो गया, विज्ञान है, अंग्रेजी हो गया, मान्यवर, इन विषयों पर समय-समय पर हमारे इन अध्यापकों को पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, यह लगभग 5 हजार शिक्षक है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमा शंकर जी शिक्षा में सुधार के लिए समय-समय पर आयोग भी बने हैं। और उनकी संस्तुतियां आयी है। मैं चाहूंगा कि उन कुछ संस्तुतियों को आप यहां सुझाव के रूप में प्रस्तुत करें।

श्री उमा शंकर-

मान्यवर, वह आयोग की संस्तुतियां मैं रखूंगा।

मान्यवर, आज ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी और सदन शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के लिए गंभीर है इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश में सरकारी तौर पर सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय है वहां पर तो शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन मिलता है परन्तु लगभग 20 हजार ऐसे विद्यालय हैं जिनमें कार्यरत शिक्षकों को और कर्मचारियों को एक हजार और 1500 रूपये वेतन मिलता है। मान्यवर, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे उनको अच्छा वेतन मिल सके। उसमें एक सरकार की ओर से व्यवस्था बने और उसकी निगरानी हो। मान्यवर, बात यह आती है कि 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल माफ है लेकिन आप देंखे कि लाइब्रेरी के नाम पर और प्रयोगशाला के नाम पर छात्रों से अतिरिक्त धन ले लिया जाता है मान्यवर, बीच में कल्याण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो उस समय उन्होंने फीस माफी की बात की थी लेकिन उसके बाद फिर बी0जे0पी0 के समय में फीस ली जाने लगी थी। मान्यवर, प्रबन्धक लोग कहते हैं कि अगर हम लाइब्रेरी की फीस नहीं लेंगे तो अच्छी किताबें कहां से उसमें रखेंगे इसी तरह से अगर प्रयोगाशाला के लिए उपकरण नहीं लेंगे तो आप लोग प्रयोग कैसे करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सरकारी जो कालेज हैं उसमें फीस माफ है। प्राइवेट कालेज में फीस जरूर पड़ती है नहीं तो वह सारी व्यवस्था कहां से करेंगे। जो सरकारी कालेज हैं वहां जो लाइब्रेरी है या प्रयोगशाला है उसमें व्यवस्था तो सरकार की ओर होती है इसलिए वहां पर अतिरिक्त फीस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उमा शंकर-

मान्यवर, जो मैंने कहा है आप उसका जरूर संज्ञान लेंगे आप की सरकार को आये हुए अभी 3 महीने हुए हैं। लेकिन पिछले सालों का आप बजट देखेंगे तो यह परिलक्षित होगा कि अतिरिक्त फीस ली जाती है। पुस्तकालय और प्रयोगशाला के नाम पर। आप दिखवा लेंगे तो बात साफ हो जायेगी। मान्यवर, जो लोग आयोग से चुनकर आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार विद्यालय का प्रबन्धतंत्र नहीं करता है। उन्हें ज्वाइन न कराने की बात कही जाती है। या फिर उनसे कुछ मांग की

जाती है। मान्यवर, वह गुरूजन है और बड़ी मेहनत करके आयोग से चुनकर आते हैं और इस तरीके से उन को ज्वाइन नहीं कराया जाता है वह अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिलों में कोई कमेटी इस तरह की बने जिसमें जिले के शिक्षा अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी रहें और उसमें प्रबन्धतंत्र के लोग भी हों ताकि आयोग से चयनित लोगों को कार्य भार ग्रहण करने में आसानी हो सके। मान्यवर, सरकार का एक घोषणा पत्र है। वित्त पोषित व्यवस्था के अन्तर्गत चलने वाले हमारे जितने इस तरह के माध्यमिक विद्यालय हैं उनको संविदा के अन्तर्गत धन देने की बात आई है इसके लिए जैसी जानकारी मिली है तमाम हमारे शिक्षा के अधिकारी इसकी सीडी संबंधित मंडल के जो अधिकारी हैं उनके यहां जमा कर रहे हैं इसको थोड़ा गहराई से देखियेगा इसमें बहुत बड़ी उगाही हो रही है हमारे जो विद्यालय के सम्मानित प्रबन्धक हैं वह आज इस बात को लोगों को समझा रहे हैं कि जिसका मैं नाम भेजूंगा, जिसका मैं सीडी भेजूगां वहीं चयन होकर आयेगा, उसी को रखा जायेगा। इसके लिए मान्यवर एक रैकेट काम कर रहा है यह जो आपकी मानसिकता है कि यह जो वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय है इनके हम जो गुरूजन हैं, उनको रखेंगे लेकिन इसमें हमारा एक सुझाव था कि इसके लिए एक व्यापक रूप से विज्ञप्ति होनी चाहिए और विज्ञप्ति होने के बाद उस विषय के जो हमारे शिक्षाधिकारी हों या विषय विषेषज्ञों से इनका साक्षात्कार करा करके इनकी नियुक्ति होनी चाहिए नहीं तो बाद में यह बात आयेगी भ्रष्टाचार की। दूसरा, मान्यवर, इस समय सब सशंकित हैं सब लोग देख भी रहे हैं, हम रोजगार देने की बात कर ही रहे हैं हमारे पास बहुत आप्शन हैं, हमारे पास माध्यमिक शिक्षा में जो गुरूजनों की संख्या है उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उसमें मान्यवर, लगभग 1 लाख 10 हजार, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों की संख्या लगभग 1 लाख 10 हजार है और आज माध्यमिक विद्यालयों में 50 हजार माध्यमिक शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं, परन्तु शिक्षा विभाग कहता है कि अध्यापक सरप्लस हैं। मान्यवर, स्कोप है हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं हमारी सोच भी यही है कि हम रोजगार देना चाहते हैं बशर्ते कि इस पर काम करने की जरूरत है। जिस तरह से आज सदन गम्भीर हैं जिस तरह से आज मार्मिक अपील हो रही है जिस तरह से शिक्षा विभाग पर आज इतना जोर दिया जा रहा है निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि 20 प्रतिशत जो माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों की कमी है इसे जरूर भरने का प्रयास होगा। मान्यवर, एक और व्यवहारिक दिक्कत है जैसे हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष 100 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं और आयोग नियुक्ति कितना करता है 25, और नियुक्ति किसकी होती है अगर गणित के अध्यापक हमारे सेवामुक्त हुए तो नियुक्ति हो जाती है भूगोल की, मान्यवर, यह व्यवहारिक दिक्कत हो जाती है अब एक ही अध्यापक जिनको उस विषय का ज्ञान भी नहीं है वह कई विषयों को पढ़ाते है। तो मान्यवर, इसमें जो आयोग की अभी चर्चा हुई तो उसमें आयोग को भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मान्यवर, एक ओर जो भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है जो हम लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं, जान रहे हैं मान्यवर, इस समय लगभग प्रदेश में 4000 माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा चल रही है जिसको हम बूट माडल कहते है जिस तरह से किताब में भी लिखा हुआ हैं। इसमें एक व्यवस्था यह भी है 10-10 कम्प्यूटर प्रत्येक विद्यालय में तो यह तो जांच का विषय है यह देखने का विषय है इसको हम लोग पढ़े हैं तो अब जानकारी करेंगे कि हर विद्यालय में जितना हो सकता है 10-10 कम्प्यूटर दिये भी गये है या नहीं दिये गये हैं लेकिन मान्यवर, इसमें जिन निजी कम्पनियों को हम लोगों ने सरकार ने काम दिया है तो अनुबन्ध किया गया है आउटसोर्सिग के जरिये काम लेने की बात कही जा रही है। उसमें 10 हजार रुपया अनुमन्य है लेकिन इसमें यह देखा जाय कि वह कम्पनियां दे कितना रही हैं

हकीकत यह निकलकर आ रहा है एक हजार से लेकर दो हजार रुपया मासिक दे रही हैं। मान्यवर, चयन बोर्ड के लिए चर्चा हुई थी, आप पता लगा लें चयन बोर्ड में आधे से अधिक सदस्य सेवामुक्त हो गये हैं चयन बोर्ड के पास आज इतनी सदस्यता नहीं है कि वह अपना कोरम भी पूरा कर सकें। तो मान्यवर, हम जब चूंकि आयोग को भी हम सरकार हैं हम चाहें तो उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं हम जानते हैं उच्च शिक्षा में बात आई थी तो हुआ था कि नियुक्ति का काम आयोग का काम है तो मान्यवर, जब इतनी नियुक्तियां पड़ी हुई हैं प्रदेश में इतनी खाली जगह हैं और हमारा आयोग अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो इसमें मानीटरिंग करनी चाहिए और आयोग में जो सदस्य खाली हैं, जो जगहें नहीं भर पाई हैं उन्हें भरने की बात की जानी चाहिए। मान्यवर, अभी बात हुई है, कन्या इंटरकालेज खोलने की बात, इंटर कालेज खोलने की बात। मान्यवर, हमारे बलिया जनपद में एक स्थान रसड़ा है, वहां 25 साल पहले राजकीय कन्या इंटर कालेज की स्थापना हुई थी। मान्यवर, जिस समय उसकी स्थापना हुई उस समय वह किराये के मकान में चल रहा था, आज लगभग 25 साल बाद वहां जो पुरानी तहसील थी वह तहसील तो दूसरी जगह पर सिफ्ट हो गई, जिस तहसील के भवन को कहा गया कि इसे गिराया जाएगा मान्यवर, उस तहसील के भवन में वह राजकीय कन्या इंटर कालेज चल रहा है। हो सकता है कि प्रदेश में इस तरह की और जगहें भी हों जहां बीसों साल से इंटर कालेज चल रहे हों। मैं अन्तिम बात कहना चाहता हूं, मान्यवर, बलिया जनपद में एक जांच चल रही है, वहां एक छोटी सी रिट हुई थी ध्रुव नारायण बनाम जनता इंटर कालेज। हाईकोर्ट अभी उसका संज्ञान ले ही रहा था तब तक जो रिट करने वाले साथी थे, उन्होंने उसे पूरे बलिया के लिए कर दिया। मान्यवर, तीन साल हो गये, आप पता कर लें बलिया जनपद में किसी भी अध्यापक को एक भी रुपया वेतन नहीं मिल रहा है। पिछली बार हमारे राजस्व मंत्री जी भी गये थे और मैं भी गया था, लगभग तीन साल से वेतन नहीं मिल रहा है। उस रिट के चलते एक जांच कमेटी बनी थी उसमें सम्भवतः वरिष्ठ प्रमुख सचिव जांच करने के लिए गये थे। वहां पर मान्यवर, दो तरह का भेदभाव हो रहा है। मान्यवर, 1971 में वेतन निर्धारण अधिनियम लागू हुआ था तभी से हमारे गुरूजनों को सैलरी मिल रही है। मान्यवर, बलिया के लिए तो 1971 के वेतन निर्धारण अधिनियम को लागू किया जा रहा है और अन्य पूरे प्रदेश में जो 1986 का सर्वेक्षण है, उसे लागू किया जा रहा है। वहां के गुरूजन इस बात को भी मानने को तैयार हो गये, जांच अधिकारी से कहा गया कि जिसमें आपको निर्धारण करना हो आप कर दो लेकिन हमें वेतन दिलाओं। उसके बाद पता चला कि शिक्षा विभाग के पास जो कागजात थे वह गायब हैं उस समय जो जांच अधिकारी गये थे श्री चन्द्र प्रकाश जी उनकी टिप्पणी में एक पुष्टि हुई है कि तत्कालीन सचिव, माध्यमिक शिक्षा श्री जितेन्द्र कुमार जी ने स्वीकार किया है कि यहां का सारा अभिलेख गायब है। हालांकि हाईकोर्ट इस बात का संज्ञान ले रहा है कि अगर 1971 के हिसाब से बलिया को दिया जाए तो फिर पूरे प्रदेश को इसी हिसाब से दिया जाए, इससे मान्यवर, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश को 1986 के सर्वेक्षण के आधार पर वेतन दिया जा रहा है उसी तरह से हमारे बलिया जनपद के अध्यापकों को भी दिया जाए, बहुत बहुत धन्यवाद।

*प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माध्यमिक शिक्षा के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को और अधिकारियों को भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन्होंने बजट तैयार करते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री की कल्पना को साकार करने वाला बजट प्रस्तुत किया है। उनकी कल्पना में था कि हमारे प्रदेश के गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं, जिन्हें कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है, उन्हें कम्प्यूटर की उपलब्धता कराई जाए। मान्यवर, उन्होंने हाईस्कूल पास बच्चों को टैबलेट देने का काम किया, इंटरमीडिएट पास बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक सवाल भी है जिसे कटौती का प्रस्ताव रखने वाले मित्र ने नहीं उठाया। मान्यवर, लैपटॉप और टैबलेट चलाने के लिए गांवों में इंटरनेट की आवश्यकता है, उसके लिए भी हमें जल्दी ही सचेत होकर प्रयत्न करना होगा क्योंकि यह लैपटॉप देकर हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दुनिया की दौड़ में सम्मिलित करना चाहते हैं और दुनिया के नक्शे पर हम अपने बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारे पास बहुत टैलेन्ट हैं, हमारे टैलेन्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता चाहे आई0टी0 सेक्टर में हो या किसी दूसरी चीज में। मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि चाहे कन्या विद्या धन का वितरण हो या टैबलेट का वितरण हो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया था इसके वितरण में जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अन्यथा भ्रष्ट लोग जैसे इन्होंने पिछली बार कन्या विद्या धन में भयंकर लूट की थी, उस लूट से बचने के लिए और सचमुच सही व्यक्ति के पास जो हम दे रहे हैं वह पहुंच जाए, इसमें जन प्रतिनिधियों की सहभागिता होनी चाहिए और जब भी वितरण हो तो इनकी मौजूदगी में ही वितरण हो। कई स्तर के विद्यालय हमारे पास हैं, माध्यमिक शिक्षा एडेड इन्स्टीट्यूशंस, माध्यमिक शिक्षा नॉन ऐडेड इन्स्टीट्यूशंस, माध्यमिक शिक्षा गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशंस और सी0बी0एस0ई0 के अलग चलते हैं। मान्यवर, मेरा अपना अनुभव है सी0बी0एस0ई0 की मेरिट 90 प्रतिशत से शुरू होती है और हमारी माध्यमिक शिक्षा की मेरिट 80-85 प्रतिशत तक जाते जाते खत्म हो जाती है। मान्यवर, डिस्क्रेप्टिव एक्जामिनेशन के माध्यम से हम अपनी मेरिट को कम करते हैं जबकि ऑब्जेक्टिव एक्जामिनेशन के माध्यम से हम अपनी मेरिट को बढ़ा सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हम भी अपने माध्यमिक शिक्षा के एक्जामिनेशन के पैटर्न को सी0बी0एस0ई0 की तरह लाने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से जितना अच्छा पाठ्यक्रम हमारे बोर्ड का है हिन्दुस्तान के किसी बोर्ड का उतना अच्छा पाठ्यक्रम नहीं है और जितने अच्छे बच्चे हमारे निकलते हैं किसी दूसरे बोर्ड के नहीं निकलते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन करके अपने बच्चों को सी0बी0एस0ई0 की मेरिट के करीब पहुंचाने का प्रयास करें। तीसरी बात, मान्यवर, यह जो तीन, चार स्तर के बच्चे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कालेजों में अध्यापकों की जबर्दस्त कमी है और गर्ल्स गवर्नमेंट कालेंज जो देहात में खुले हुए हैं वहां तो शायद अपवाद में एक या दो टीचर होंगे। मैं अपने गांव में एक गर्ल्स कालेज में गया, हमने पूछा कि कौन पढ़ाता है, तो कहा कि चपरासी पढ़ाता है। मान्यवर, टीचर नहीं, लेक्चरर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, बाबू और चपरासी मिल करके गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज चला रहे हैं। यह बड़ी दुर्गति है, अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं तो हमको टीचर की नियुक्ति करना सुनिश्चित करना पड़ेगा जिससे हम अपनी कल्पना को साकार कर सकें। जो एडेड इन्स्टीट्यूशंस और नॉन एडेड इन्स्टीट्यूशंस के बीच, एडेड इन्स्टीट्यूशंस में दो पद्धति हो गई एक वित्तविहीन पद्धति और दूसरी सवित्त पद्धति। मान्यवर, एक ही संस्था में एक ही क्वालीफिकेशन के दो व्यक्ति पढ़ाने आते हैं, एक को मिलता है 25-30 हजार रुपये और दूसरे को मिलता है ढाई हजार, तीन हजार रुपये, मान्यवर, यह कितना बड़ा अन्याय है। मान्यवर, एक ही क्वालीफिकेशन, एक ही क्षमता, एक ही विद्यालय के भीतर, एक मैनेजमेंट

के भीतर, एक ही तरह का काम करने वाले व्यक्तियों को दो प्रकार के वेतन कैसे दिये जाते हैं। मान्यवर, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर स्वः वित्त पोषित वह विद्यालय हैं तो उन्हीं के अन्तर्गत कक्षायें चलाने की अनुमति दी जाय, वित्त पोषित विद्यालय हैं उनके अन्तर्गत यह व्यवस्था न की जाए, जिससे कि उनकें अन्तर्गत जो हीन भावना पैदा होती है उससे बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे अपने जनपद प्रतापगढ़ के भीतर बड़ी संख्या में मैनेजमेन्ट के लोगों ने फर्जी नियुक्तियां कर रखी हैं। आयोग से चयनित लोगों की नियुक्ति मैनेजमेन्ट नहीं करने देता। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर आयोग किसी की नियुक्ति कर दे, मैं कटौती प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति से सहमत हूं। आयोग अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दे, मैनेजमेन्ट अगर उसकी नियुक्ति को रोकता है तो मैनेजमेन्ट का अधिकार छीना जाना चाहिए और अथराइज्ड कन्ट्रोलर बैठाया जाना चाहिए, सिंगिल आपरेशन किया जाना चाहिए जिससे आयोग की गरिमा भी बनी रहे। धन्यवाद।

सुश्री सावित्री बाई फुले-

माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए आभार व्यक्ति करती हूं। मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहती हूं कि हमारा बलहा विधान सभा क्षेत्र चार नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और 70 कि0मी0 की दूरी तक जंगल है इस नाते वहां पर कोई विद्यालय नहीं है और बालक बालिकायें कक्षा-8 पास करने के बाद आगे की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में ही बताना चाहूंगी और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति गरीब समाज के लोगों की बस्ती है इस नाते काफी पिछड़ा हुआ तराई का क्षेत्र होने के नाते काफी लोग शिक्षा से वंचित हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि 4 स्थान हैं, बडखरिया, गंगापुर, मटेहीकला तथा उर्रा बाजार, यहां बालिका इण्टर कालेज विद्यालय होना आवश्यक है। इन स्थानों से विद्यालय की दूरी लगभग 40 कि0मी0, 60 कि0मी0, 70 कि0मी0 है। तथा नदियों और जंगलों से घिरा हुआ गांव है। विद्यालय न होने के नाते बालक और बालिकायें शिक्षा से वंचित रह जाते है। इसलिए कक्षा-8 के पास करने बाद आगे की पढ़ाई के लिए वहां पर विद्यालय खुलवाने की कृपा करें। मेरा यही आपसे अनुरोध है।

*श्री हेमराज वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है, पिछली सरकार में वह स्तर इतना गिर गया है कि इस पर हमारे जो अभिभावक हैं उस माध्यमिक शिक्षा पर विश्वास कम करते है। जहां तक हमारे गांवों के अभिभावक जब देखते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक जिन्हें 20, 30, 50 हजार रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती है और वह अपने बच्चों को जब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ा करके क्या बनायेंगे ? इसलिए वह कम विश्वास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय बजट है। हमारे युवा मा0 मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस बजट में जो प्राविधान किये हैं जिससे हमारे प्रदेश के जो अभिभावक हैं उनमें विश्वास जगे और सरकार की जो शिक्षा की प्रणाली है उसके प्रति विश्वास जगे। जो उन्होंने बजट में प्राविधान किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं हमारे जनपद में आजादी से पहले का एक गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज है एडमण्ड राजकीय इण्टर कालेज के नाम से, जो लिपलेक भिंड मार्ग पर स्थित है और जिसमें कई हेक्टेयर भूमि पर वह विद्यालय बना हुआ है। आज उस विद्यालय में 1990 के आस-पास इण्टरमीडिएट में विद्यालय बना हुआ है। 1990 के आस पास उस विद्यालय के बच्चे यू0पी0 टाप भी रह है लेकिन पिछले पांच सालों में उस कालेज की जो स्थिति है अगर आपको कभी मौका मिले आप कभी देखने पहुंचे तो वहां की जो स्थिति है उस विद्यालय का जो कृषि फार्म है उसकी बड़ी दुर्दशा है और पूरे शहर का पानी बरसात की तो अलग बात है लेकिन आजकल सूखे के मौसम में भी पूरे शहर का गन्दा पानी उस विद्यालय में आकर जमा हो जाता है। जिस विद्यालय के ग्राउन्ड में वहां के बच्चे पढ़ते लिखते थे जो ग्राउण्ड खेल कूद के लिए इस्तेमाल होता था वहां आज गन्दा पानी भरा हुआ है। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे इस ऐतिहासिक विद्यालय के सुधार के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए बजट में कुछ प्राविधान किया जाय। मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

*श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी आपने संसदीय कुल केसरी माननीय आजम साहब द्वारा अभिभाषित इस माध्यमिक बजट भाषण में बालेने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मानवता का बोध औरी मनुष्यता की महात्वाकांक्षा जगाए बिना किसी भी समाज में आर्थिक क्रांति लाना असंभव सा है। एक अवरूद्ध और गतिहीन अर्थव्यवस्था में द्रुतगति लाने के लिए शैक्षणिक योग्यता वांछनीय है। जिसकी कड़ी में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बहुत ही सारगर्भित रहा और स्वामियों और दासों की संतानों के लिए जिस समाजवादी संरचना ओर समरसता का समावेश किया गया है बजट में मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर देखा जाय तो लैबटाप और टैबलेट यह उन यतीम लड़कों के लिए जिनके लिए नामुमकिन था जिनको यह समाजवादी सरकार देने जा रही है। गांव में रहने वाले लोग इसका अर्थ समझेंगे इसकी उपयोगिता समझेंगे। मैं इस बजट का पुनः स्वागत करते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। 10 वर्ष से जो जनपदों में लेखाधिकारी बड़े बाबू यह सब माध्यमिक शिक्षा में कुंडली मारकर बैठे हैं। उनमें एक अजीब लूटने की किया है इस पर अंकुश लगाने के लिए उनका गैर जनपदों में ट्रांसफर करना आवश्यक है। यह सब जितनी अनियमितताएं की गई है उससे शिक्षा जगत में एक कालिमा लगी है। मैं जौनपुर जनपद के बारे में जरूर यह अर्ज कर रहा हूं कि वहां चाहे लेखाधिकारी हों चाहे बड़े बाबू हो यह सब बहुत दिनों से पड़े है। करोड़ों का गोलमाल किए हुए है। मैं इस सुझाव के साथ एक चीज और कहना चाहूंगा हमारी जफराबाद कांस्टीट्यूएंसी में एक राजकीय कन्या विद्यालय होना जरूरी है। इसी के साथ मैं वक्त जाया न करके पुनः यहां बैठना चाहूंगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरपाल राठी-

आदरणीय अध्यक्ष जी आपने माध्यमिक शिक्षा के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा में अगर अध्यापकों की स्थिति देखें कि क्या अध्यापकों की स्थिति कैसी है वैसे तो मैं मानता हूं कि आज मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया मैं उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन हमें वास्तविकताओं पर भी जाना पड़ेगा कि वास्तविकतायें क्या हैं ? अध्यापकों की स्थिति पर अगर हम देखें तो तमाम के तमाम अध्यापक जो यू0पी0 बोर्ड में पढ़ाते हैं, उनको चुनाव की ड्यूटी जनगणना की डयूटी और जो बचा खुचा टाइम उनके पास होता है तो तमाम के तमाम अध्यापक राजनीति करने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि यू0पी0 बोर्ड के अंदर शिक्षा देने का काम नहीं हो रहा है। आज जितने भी छात्र है। जितने भी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं तो ज्यादातर सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के स्कूल में भर्ती कराने का काम करते हैं। उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। यू0पी0 बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं, आप जाकर के देखें मान्यवर, कि उनकी हालत क्या है। कागजों पर, रजिस्टर में तो बच्चों की संख्या हैं लेकिन सिर्फ स्कूल चलाने के लिये है। जब आप वास्तविकताओं को देखेंगे कि वहां बच्चों की कितनी संख्या है। अगर बच्चों की संख्या रजिस्टर पर नहीं होगी तो वहां पर मास्टर तनख्वाह कैसे लेगा। तमाम के तमाम मास्टर जितने भी स्कूलों में होते हैं, ये सिर्फ रजिस्टर पर ताकि उनका अपना कॉलम पूरा हो जाये। मान्यवर, यहां पर मा0 मंत्री जी ने एक बात कही है कि हम मॉडल स्कूल देंगे, हम राजकीय स्कूल देंगे और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की घोषणा की। लेकिन इस पर मा0 मंत्री जी ने डांडी मारने का काम किया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यह आंकलन कर लेना चाहिये कि वास्तविकताओं की जरूरत कहां है। राजकीय स्कूलों की जरूरत कहां है, मॉडल स्कूलों की जरूरत कहा है। जरूरत के हिसाब से स्कूल आवंटित करने चाहिये। लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ी डांडी मार दी तो मेरा मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि वे इसे दिखवा लें कि कहां वास्तविकता में जरूरत है। मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये एक निवेदन और करना चाहता हूं कि लैपटाप की बात कही है कि हम लैपटाप देंगे। बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा का स्तर उठेगा, बच्चों में आत्मबल भी पैदा होगा लेकिन थोड़ा सा यह ध्यान रखना चाहिये कि लैपटाप तो हम दे रहे हैं लेकिन क्या व्यवस्था बिजली की है, क्या व्यवस्था इण्टरनेट की है, वहां पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इस व्यवस्था को भी हम देख लेना चाहिये कि कही यह लैपटाप बच्चों का खिलौना बन के न रह जाये, इसको ध्यान में रखते हुये मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका ध्यान रखेंगे। जय हिन्द, जय भारत। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अरे, यह मंच नहीं है।

*श्री गायत्री प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी आपने माध्यमिक शिक्षा के इस बजट पर जो बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। हमारे मा0 मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। इस बजट में खेत खलिहान के उन नौजवानों की तकदीर, उनका भाग्य छुपा हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी, बधाई देना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी को कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक बजट देकर के जो शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया, उसकी कड़ी में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बधाई देना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि जिस तरीके से, चूंकि मैं पहली बार सदन में आया हूं, अमेठी से जीत करके। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने आंसू गिरते देखे और पिछली सरकार ने जिस तरह से शिक्षा पर आक्रमण किया, बुलडोजर चलाने का काम किया और उस तरीके से लूट और खसोट पैदा करने का काम किया। मैं उससे उत्पीड़ित हूं। मा0 अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में चूंकि मैं बजट पर पहले बोलना चाहता था, मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बजट पर भी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बसपा की सरकार ने इतनी हिटलरशाही की व्यवस्था पैदा की थी कि अधिकारियों ने मनमानी की थी कि हमारे यहां का बी0एस0ए0 जो था, 50-50 हजार रुपये रसीद काट करके मायावती बहन जी के जन्म दिवस पर ए0बी0एस0ए0 को रसीद काटी गयी थी और उसकी फोटोकापी अभी भी उपलब्ध है।

माननीय मंत्री जी जांच के लिये तीनों विधायक अमेठी के राकेश सिंह और विधायिका आशा किशोर जी हम लोगों ने उसके भ्रष्टाचार को बताने का काम किया और उसके बावजूद माननीय अध्यक्ष जी कहीं न कहीं से उसको प्रोटेक्शन मिला। हम लोग तब निराश हुए कि उसका ट्रांसफर तो हुआ, बाराबंकी हुआ और बी0एस0ए0 ही मौजूद है। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी पीड़ा होती है कि हमारे क्षेत्र का डी0आई0ओ0एस0 उस समय बसपा के लोगों ने रामगंज इन्टर कालेज है हमारे क्षेत्र में वहां का प्रबन्धक की मृत्यु हो चुकी थी, चुनाव हो रहा था और सारे सदस्य जो हैं एक तरफा जिसको अध्यक्ष प्रबंधक नियुक्त करने का काम किया था उसके बावजूद भी मान्यवर, बसपा का वह प्रत्याशी जो पूर्व में चुनाव भी लड़ा था वह चेयरमैन भी था वह सदस्य थे खादी ग्रामोद्योग के उन्होंने डी0आई0ओ0एस0 को बन्धक बनाकर रात भर कमरे में रखा। किसी ने नहीं सुना। लोग रो रहे थे, सारे अध्यापक आकर हम लोगों ने ज्ञापन मांग दिया उसके बाद भी अपनी मनमानी से अकेले उसको अध्यक्ष बना करके पुनः स्थापित कर दिया। जिस तरीके से तानाशाही हो रही थी। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंनें शिक्षा के क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा विद्यालय देने का काम किया है। राजकीय विद्यालय जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हमारा क्षेत्र जो हैं अमेठी, हर ब्लाक में हर जगह जी0जी0आई0सी0 यह माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। विद्यालय खुला माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पूर्व सरकार में और उसके बाद बसपा की सरकार आई वहां पर राजकीय बालिका इन्टर कालेज है अमेठी में, मैं गया था वहां पर, हमारी भी बिटिया पढ़ती है वहां पर। माननीय अध्यक्ष जी मैं तो तख्ती बस्ता वाला हूं। तख्ती पर घुटका लगाकर के पढ़ा हूं और जमीन पर, माननीय अध्यक्ष जी बोरिया भी नहीं होती थी, हम लोग तो जमीन पर गर्दे पर बैठ कर पढ़े हैं। गोदी से पढ़ाये गये हैं लाइन से। अध्यक्ष जी हम तो खुद जूनियर और प्राइमरी में सरकार में पढ़े हैं। हमको इतनी शिक्षा नहीं मिली है कि हम बड़े स्तर में गये हों यह तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि हम गायत्री प्रजापति को यहां तक पहुंचाकर सदन में बोलने के लायक किया। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना कि हमारे वित्त विहीन शिक्षक हैं वो लोग .....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री गायत्री प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट। इन लोगों ने उन पर लाठी और डंडा चलवाया था। वित्त विहीन शिक्षकों का ज्ञापन तक अधिकारी नहीं ले रहे थे। और यह तानाशाही सरकार की थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से हमारे मुख्य मंत्री जी वित्त विहीन शिक्षकों का सम्मान करते हुए

पहल किया है उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से इंटर कालेज में एडमीशन की व्यवस्था होती है जो गरीब तबके के बच्चे पढ़कर आते हैं उनका एडमीशन नहीं हो पाता है। क्योंकि वह प्राइमरी में पढ़े होते हैं उनके मार्क इतने नहीं होते हैं कि उनका एडमीशन वहां हो जाय तो इसके लिये भी व्यवस्था की जाय ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। जो बच्चा 33 परसेंट मार्क पाया है उसको भी एडमीशन मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मो0 मुस्लिम-

मान्यवर, आपने बजट में मुझे शामिल होने का अवसर दिया, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। माध्यमिक शिक्षक संघ के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे मंत्री जी ने बात रखी है अपनी। टीचरों के बारे में जो बात रखी है आगे चलने के लिये कि आगे कैसे चलाया जाय। मैं इतना सुझाव दे सकता हूं कि जो अध्यापक हैं एक तो जो वहां पर जैसे माडल स्कूल की बात कही। जहां पर माडल स्कूल की आवश्यकता है सही जगह वह बनाये जायं और जहां भी यह राजकीय विद्यालय बनाने की बात है उन जगहों में बनाया जाए जहां अनुसूचित जाति के लोग जहां अल्पसंख्यक के लोग रहते हैं। उन जगहों पर जो असरदार लोग है जिन्होंने आज तक उत्तर प्रदेश में पूरा फायदा सरकार का लिया चाहे जो भी पार्टी रही हो। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, उन जगहों पर विद्यालय जरूर बनाए जाएं, जहां जरूरी हैं और उस जरूरत को आप पूरा करेंगे। मान्यवर, मेरा माननीय श्री मुलायम सिंह जी का साथ 1996 में रहा है। मैं विधायक था इनके नेता को खूब जानता हूं। समाजवादी धारा के व्यक्ति है। आज उनके बेटे मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जो सदन के नेता हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनकी सोच के लिए आभार प्रकट करता हूं और सम्मान देता हूं, आदर देता हूं। जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, मा0 मंत्री जी हैं जो भी नीति अपनायेंगे, उत्तर प्रदेश के गरीब गुरवा, अल्पसंख्यक के लोगों का भला करेंगे और शिक्षा नीति में सुधार लायेंगे। धन्यवाद शुक्रिया।

(श्री हेमराज वर्मा जी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

(शोर)

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, हमारे नेता मा0 आजम साहब ने जो बजट प्रस्तुत किया है निसन्देह बहुत शानदार है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेता कांग्रेस का यह मेरे मन में विचार रहा जो उन्होंने व्यक्त किया, हमारे नेता के बारे में हम खुद बताते हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तिव है लेकिन खासतौर से हम नये सदस्यों का सौभाग्य है कि उन्हें सुनने का मौका मिलता है और हम समझते हैं कि ऐसी धर्मनिरपेक्ष सोच वाला नेता पूरे हिन्दुस्तान में नहीं होगा। अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में टैबलेट और लैपटॉप का प्रस्ताव आया है। क्योंकि मान्यवर, एक दिन हमारे मा0 नेता सदन ने अपने अभिभाषण में व्यक्त किया था। कि यह जो टैबलेट और लैपटॉप है यह हम इसलिए दे रहे है जिसमें गांव के गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारे कुछ मा0 सदस्यों ने इस पर प्रश्नचिन्ह लगाया था, लेकिन निःसन्देह इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी हमारे एक मा0 सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने बताया कि इण्टरनेट की व्यवस्था, तो मेरा सुझाव है वहां पर अगर लैण्ड लाइन, फोर लाइन की व्यवस्था बहुत पुरानी बिछी हुई है तो अगर वहां पर लैण्ड लाइन फोन की व्यवस्था कर दी जाए और वाई फाई मोडम सिस्टम लगा दिया जाए जो वह 100 मीटर के परिसर को कवर करता है। उसमें पूरे स्कूल के बच्चे आच्छादित हो सकता है। एक ही इण्टरनेट कनेक्शन से सारे लैपटाप और आईपैड परिचालित हो सकते हैं। अध्यक्ष जी, कन्या विद्याधन जो पांच साल से इन्होंने पत्थरों में दबाकर रख दिया था उसे फिर से हमारी सरकार ने शुरू किया है उसके लिए मैं सरकार बधाई देना चाहता हूं। साथ ही कहना चाहता हूँ कि ब्लाक वाइज सोरांव विधान सभा में एक भी माध्यमिक राजकीय विद्यालय नहीं है। खासतौर से मउआइमा टाउन एरिया अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है वहां राजकीय बालिका विद्यालय की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, सोरांव और मउआइमा टाउन एरिया सहित बहरिया ब्लाक माध्यमिक राजकीय गर्ल्स कालेज हो जाए तो इसके लिए मैं सरकार को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। अध्यक्ष जी शिक्षा विशेषकर माध्यमिक के क्षेत्र में 25 प्रतिशत के लगभग वृद्धि का जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह भी सराहनीय है और हमारे नेता की सोच को व्यक्त करता है। साथ ही जो संकल्प किया गया है कि 'सकल छात्र नामांकन' की दर का अनुपात 2017 में 100 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह भी एक सराहनीय कदम है। अध्यक्ष जी, खासतौर से माध्यमिक शिक्षा में ड्रापआउट रेट बहुत ज्यादा होता है, अगर इसको भी कम करने का प्रयास किया जायेगा तो यह भी हमारी सरकार के लिए एक नई उपलब्धि का कार्य होगा और अन्त में एक आग्रह करना चाहूंगा कि विदेशों में विजुअल तरीके से अर्थात वीडियों तकनीक से शिक्षा दी जाती है। उ0 प्र0 में वीडियों के माध्यम से इसका भी प्रचलन माध्यमिक विद्यालयों में किया जाए। अगर लाइट की प्राब्लम है तो वीडियों वैन रहती है, उस वीडियों वैन के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षा दी जा सकती है। मान्यवर, कई बार माध्यमिक शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिलता है, उनका वेतन समय से मिल सके, इसकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेश बंसल-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नए सदस्य को कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा के लिए हमारी सरकार की तरफ से राजकीय माध्यमिक विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय हैं। मान्यवर, आज शिक्षा का बिक्रीकरण हो गया है, यह भी एक इन्डस्ट्री बन गयी है, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने बहुत से इंग्लिश स्कूल बनायें हैं, जिसमें सब सुविधायें हैं, जिनकी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, कम्प्यूटर हैं और वह सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बन्धित हैं। परन्तु अध्यक्ष जी, उनमें वही बच्चें पढ़ सकते हैं जिनके अभिभावकों को आय 10 सा 15 हजार रुपये मासिक से अधिक है। परन्तु हमारे प्रदेश के अधिकतर अभिभावक 10-15 हजार की मासिक आय वाले नहीं हैं तो उनके बच्चों को शिक्षा इन्हीं विद्यालयों में लेनी होगी और जो राजकीय विद्यालय हैं, उनकी संख्या बहुत कम है जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा के लिए गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों पर आश्रित होना पड़ता है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहां विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है, बैठने के लिए स्थान नहीं है, टूटा हुआ फर्नीचर है, कोई कम्प्यूटर वगैरह नहीं है तो मेरा यह कहना है कि इन स्कूलों से निकले हुए बच्चे, उन स्कूलों के बच्चों की बराबरी कर सकें, इसलिए जो जरूरी उपकरण है, वह मुहैया कराये जायें। अभी मैंने माननीय मंत्री जी को सुना, बहुत अच्छी बात उन्होंने की, उन्होंने एक बात कही कि हम सबको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समान दृष्टि से देखेंगे। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है, मैं गाजियाबाद से चुनकर आया हूं, मेरे क्षेत्र में केलाभट्टा सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जिसकी आबादी एक लाख के करीब है, किन्तु वहां पर एक भी सरकारी हाईस्कूल नहीं है, कोई गैर सरकारी हाईस्कूल नहीं है, कोई इण्टरकालेज नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बजट में हमारे केलाभट्टा, गाजियाबाद के लिए एक सरकारी हाईस्कूल की व्यवस्था करा दें, बहुत बहुत धन्यवाद।

*श्री सुशील सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने टेबलेट और लैपटाप के लिए अपने बजट में प्राविधान किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि टैबलेट और लैपटाप से युवाओं में एक नई ऊर्जा पैदा होगी और मैं बजट में एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार ने वित्त विहीन जो पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें अध्यापकों को जो मानदेय दिया जाता है, जो वित्त विहीन विद्यालय हैं, उसमें तो मानदेय मिलता है लेकिन जो मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें अध्यापकों को मानदेय नहीं मिलता है। इसको अगर शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, यह मेरा सुझाव है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, भाजपा का नम्बर अब आयेगा।

श्री विजय मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, इस सदन में बड़ी अव्यवस्था हो जाती है। जब आप विजय कुमार मिश्रा बुलाते है, तो एक गाजीपुर से हैं दूसरा मैं ज्ञानपुर से हूं। दोनों में पूरा पूरा नाम है।

श्री मो0 आजम खां-

सीनियर जूनियर कर दें।

श्री विजय मिश्र-

अब यह तो माननीय अध्यक्ष जी या माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी तय करेंगे। यह आप व्यवस्था दे दें। अभी बेसिक शिक्षा पर बहस हो रही थी। अधिष्ठाता महोदय द्वारा यह बोला गया कि श्री विजय कुमार मिश्रा बोलें। हमने प्रमुख सचिव विधान सभा को लिखकर दिया है कि विजय मिश्रा कर दें, कुमार काट दिया जाये। एक व्यवस्था आप दे दें। इसमें अव्यवस्था हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

शिक्षा पर भी कुछ बोलिये।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, शिक्षा का जो बजट है जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है। उस पर बल प्रदान करते हुए मा0 श्री मंत्री जी को धन्यवाद देते है। हम शिक्षा बजट पर इसलिए नहीं बोलना चाहते कि हमारे ही जिले से पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे हैं। उसका नाम सुनते ही या जेल विभाग का नाम सुनते ही जिसका बजट अभी आयेगा शरीर में कंपकंपी सी आ जाती है और हमारे जिले में बगल के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद के जिले में मंत्री शब्द से लोग इतना नफरत कर रहे हैं कि जनता भागने लगी है। लोग कभी कभी मजाक भी करते हैं कि आप मंत्री बन जायेंगे तो हम कहते हैं कि फिर यह जनता भाग जाएगी। जैसे हमारे औराई के माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी रहे। मान्यवर, मान्यता प्राप्त विद्यालय छोड़ दें, वित्त विहीन छोड़ दें उन्होंने बिना स्कूल कालेज बने ही मान्यता दे दी। प्रदान कर दिया कालेज बन गया। कितने स्कूलों को मान्यता दी यह तो उधर के माननीय नेतागण बतायेंगे। कितने जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। कोई महिला थी, क्लास वन की अधिकारी थी उसका इतना उत्पीड़न हुआ, फोन पर इतनी धमकी दी गयी, पैसा मांगा गया कि उसने इस्तीफा दे दिया। हजारों करोड़ रुपया, मान्यवर, वह एक मामूली से भट्ठे पर कौड़ी बांटते थे।

श्री अध्यक्ष-

इससे क्या मतलब है। यह कहने की क्या जरूरत है।

श्री विजय मिश्र-

उस पर लोग बोल चुके हैं। मान्यवर, पूर्व मंत्री भट्ठे पर कौड़ी बांटते थे। आज उनके घर में एक करोड़ 75 लाख का तो बाथरूम है।

श्री अध्यक्ष-

अरे शिक्षा पर बोलिये न।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, शिक्षा पर ही तो बोल रहा हूं। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, अध्यापक हों चाहे बी0एस0ए0 हो, और जब भी परीक्षा हुआ बोर्ड का सेंटर हुआ पूरे जनपद से 10-20-50 हजार, मान्यवर, भूल से मैं भी एक स्कूल का प्रबंधक था। कभी जाता था तो लड़के पैर पकड़कर कहते थे कि हमारा सेंटर यहां करवा दीजिए तो हमको बहुत पढ़ायी की जरूरत नहीं है। गरीब किसान के लड़के मां बाप से पैसा ले आते थे, कमजोर वर्ग के गरीब लड़के गांव में शिक्षा लेते हैं। 25-50 हजार रुपया एक एक विद्यालय से पैसा लेकर सेंटर बदला जाता था। नहीं तो सेंटर दूर फेंक दिया जाता था। कितने की मान्यता रद्द कर दी, कितने को कहां अटैच कर दिया। अब तो शायद उसके डायरेक्टर भी जेल में हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि उन माननीय मंत्री जी की पूर्व की जांच तो हो रही है वह कब तक जेल चले जाएंगे यही सदन से जानना चाहता हूं। कल हिन्दुस्तान अखबार में भी निकला था कि उनके रिश्तेदारों करीबियों पर सतर्कता विभाग का शिकंजा कस रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अभी जेल पर भी बोलना है। अभी जेल आ रहा है तब बोलियेगा, खत्म करिये।

श्री विजय मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों पर बोलने दीजिए। बाद में शायद आप मौका न दें। आप बाद में मौका देंगे नहीं मुझे यह विश्वास है, इसलिए मुझे अभी बोल लेने दीजिए और जेल का हमसे ज्यादा अनुभव किसी को नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं मिश्रा जी अब आप समाप्त करें, जब जेल विभाग का बजट आयेगा तो आप उसमें अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, अब आप पांच मिनट बोल ही लेने दीजिए और लोग सुनना भी चाहते हैं। मान्यवर, 08 फरवरी, 2011 को गिरफ्तारी हुई, 10 तारीख को नैनी केन्द्रीय कारागार गये, 11, 12 तारीख के अखबारों में निकला कि पूर्वान्चल के जेलों में, मैं जो बोलूंगा खुला बोलूंगा,

श्री अध्यक्ष-

नहीं अभी न बोलिये, अभी आगे जब इससे सम्बन्धित बजट आयेगा, आनन्द आ जायेगा।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, बहुत थोड़ा सा बोलूंगा, सुनकर आपको भी आनन्द आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह आनन्द के लिए नहीं है।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, पूर्वान्चल में जनाब मुख्तार साहब का जलवा है, पश्चिम में अतीक अहमद का जलवा है विजय मिश्रा के दोनों साथी हैं इसलिए कोई भी जेल हमें लेने से इन्कार कर देती है। 11 तारीख को सारे जेल अधीक्षकों ने चिट्ठी भेजी, 12, 13 तारीख को चिट्ठी कहां चली गई, रात 12 बजे सोया था, 13, 14 तारीख को ट्रक से लोग पहुंचे, कहा कि हम लोग जगाना नहीं चाहते थे, हमने कहा क्या बात हैं, बोले आपका जेल ट्रान्सफर है, हमने कहा सामान लाद दो। सुबह जब पता लगा 8, 9 बजे कि किस जगह पर हैं तो हमें याद नहीं हमने पूछा आपकी गाड़ी कहा जा रही है तो पता चला मेरठ, हमने पूछा क्या बात है तो कोई उत्तर नहीं मिला, वहां गया तो 50-60 लठैत लिये एकदम मुस्तैद कहा जल्दी भेजो गाड़ी, जब 10-11 बजे रात दूसरे दिन पहुंचा।

श्री अध्यक्ष-

आप यह सब क्या बोल रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह जेल शिक्षा पर बोल रहे हैं।

श्री विजय मिश्र-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

यह आप क्या बोल रहे हैं, अब आप बैठिये, जब जेल विभाग का बजट आयेगा तब आप उसमें बोलियेगा। जो यह बोले हैं इसको लिखा न जाय। मा0 राणा जी आप अपनी बात शुरू कर दें।

*श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, जिन्होंने आज माध्यमिक शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है, मैं परम् आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि खारा परियोजना 1971 में बनी थी सहारनपुर जनपद में यमुना नदी कैनाल पर, वहां पर अधिकारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिंचाई विभाग का एक स्वावित्त हाईस्कूल बना था, जब उत्तर

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश का बटवारा हो गया तो अध्यापक और कर्मचारीगण उत्तराखण्ड को चले गये। स्कूल की बिल्डिंग तैयार है, 18 कमरें हैं, किन्तु अध्यापक नहीं हैं, पिछले वर्ष 2000 के बाद तत्कालीन एक्ससियन ने ठेके की व्यवस्था पर स्कूल चलाया। 15 किमी0 से वृहद तहसील से आगे उस जनपद में कोई भी स्कूल नहीं है। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, यदि कहेंगे तो लिख कर के भी दे दूंगा, कि वह स्कूल माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिग्रहण कर लें। दूसरा मेरा अनुरोध है कि मिर्जापुरकोट परम् आदरणीय मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी पहुंचे थे, उस क्षेत्र में 70 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी है, अगर वहां पर एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय बन जाये तो उस क्षेत्र की शिक्षा की समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं इसी के साथ आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं।

*श्री जमीर उल्ला खां-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं, इस सदन को, मा0 मंत्री जी को। पिछली सरकार जो गई है, उसमें टीचरों के साथ बदसलूकी बहुत हुई है और वे दो-दो साल से सस्पेण्ड पड़े हुए हैं। जो औरतें टीचर हैं बेचारी, उनको 70-70 किलोमीटर दूर पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है और वह सुबह नमाज पढ़कर निकलती हैं और फिर दोपहर तक पहुंचती है और फिर वहां से चल देती हैं हाजिरी लगाकर और शाम तक अपने घर पहुंचती है। मेरा छोटा सा सुझाव यह है कि अगर टीचरों के घर से 10 किलोमीटर के अंदर उसमें भी खास तौर पर महिलाओं का और विकलांगों का स्थानान्तरण कर दिया जाए तो वह अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं। क्योंकि उसके साथ प्राब्लम यह है कि उसके पास न तो मोटरसाइकिल है और न कार है। वह टीचर बस में सफर करके हमारे यहां से जाता है, 30-40 किलोमीटर दूर और फिर बाहर वाला हमारे शहर के पास पढ़ाने आता है, 30-40 किलोमीटर दूरी तय करके। टीचर सभी बराबर के होते हैं। टीचर अपने घर के पास के स्कूल में पढ़ाने जाए तो वह अच्छा पढ़ाएगा और दूसरी बात खास तौर से जो बी0एस0ए0 हैं वह उर्दू टीचरों को खास तौर पर परेशान करते हैं और उनको ट्रान्सफर करने के बाद में उनको घर के पास लाने के चक्कर में 50-50 हजार रुपये लेते हैं, स्थानान्तरण करने का। और उनके साथ इतना गलत किया गया है, खास तौर से हमारे क्षेत्र में अलीगढ़ के अंदर, मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत से टीचर ऐसे हैं, जो दो-दो साल से सस्पेण्ड हैं, जबकि मान्यवर, उनकी गलती कुछ नहीं है। जो हज पर गए थे, उनकी तनख्वाह नहीं मिली है आज तक। वहां का बी0एस0ए0 तनख्वाह रोका पड़ा है, जबकि सरकार की ओर से कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि जो हज पर गए थे, उनका पैसा न दिया जाए। उनका पैसा रुका पड़ा हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी, उनका पैसा दिला दिया जाए । इस बी0एस0पी0 की सरकार में मा0 अध्यक्ष जी, यहां पर हमारे अलीगढ़ के अंदर इतने स्कूल चल रहे हैं झोलाछाप स्कूल चल रहे हैं। एक झोलाछाप डॉक्टर होता है और झोलाछाप स्कूल होता है जिसमें सिर्फ एक झोले में स्कूल चल जाए, मैं चाहूंगा की उसकी भी जांच होनी चाहिए। उससे जो उत्पीड़न हो रहा हैं, उसको भी रोका जाये। मेरा एक और छोटा सा निवेदन यह है कि जो विकलांग टीचर्स हैं, उनको 40-40 किलोमीटर दूर फेंका गया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिकवेस्ट करना चाहूंगा कि उनको उनके घर के आसपास 10 किलोमीटर के अंदर के गांव में कहीं भेज दिया जाए, तो बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपको पुनः एक बार धन्यवाद।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बेसिक शिक्षा की भांति ही, एक व्यावहारिक बात मैं कर रहा हूं, कि पिछले 10-15 वर्षों से अध्यापक रिटायर होते चले गए और सरकारों ने शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्तियों की जो व्यवस्था की, वह बड़ी धीमी गति से रही। अध्यक्ष जी, मुझे आपसे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि सारे भारत में कोई हिन्दू अपनी बात कहता है, कोई दलित अपनी बात कहता है, कोई मुसलमान कहता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, ज्यादती हुई, लेकिन सच्ची बात यह है कि एक विधान सभा क्षेत्र में 10 इंटर कालेज हो सकते हैं, लेकिन एक भी बालिकाओं के लिए इंटर कालेज की व्यवस्था न तो मैनेजमेंट ने की और न ही सरकार ने की है। 49 प्रतिशत महिलाओं की आबादी होते हुए भी, सबसे ज्यादा अन्याय यदि हुआ है तो महिलाओं और बालिकाओं के साथ हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रत्येक ब्लॉक या विधान सभा स्तर पर एक राजकीय इंटर कालेज लड़कियों के लिए खोला जाए। इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सपा की नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता है और उन्हीं की सरकार है। मुझे आशा है कि यह सरकार तत्कालीन बसपा सरकार की तरह मान्यताओं में या शिक्षकों की भर्ती में या कालेज खोलने में आ रही कोई दिक्कतों में कोई रेट फिक्स नहीं करेगी। और अगर यही काम इस सरकार ने भी किया तो इस सरकार को यहां आना होगा और अगली बार बारी हमारी है, हमें वहां आना होगा। आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं।

श्री सईद अहमद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस बजट को दो गुना कर दिया जाये। बेसिक शिक्षा विभाग के बजट को दुगना होना चाहिए क्योंकि वहीं से पढ़ाई की शुरुआत होती है। अगर बेसिक से ही बुनियाद अच्छी हो जाये कमजोरी तो फिर माध्यमिक भी ठीक हो जाता है और तक्दीर अच्छी रही तो उच्च शिक्षा भी अच्छी तरह से निपट जाती है और छात्र का भाग्य खुल जाता है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मौलाना जौहर विश्वविद्यालय के लिए जो 10 करोड़ रुपये का बजट रखा है मैं कल उच्च शिक्षा पर बोल नहीं पाया परन्तु मैंने आपको लिख कर दिया है कि इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया जाये। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा की बहुत आवश्यकता है उसे बुनियादी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा मिले इसके लिए सरकार को प्रयत्नशील होना चाहिए। धन्यवाद।

*श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। मान्यवर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरीके से आज एक उद्देश्य परक और बढ़िया बजट प्रस्तुत किया है इसलिए इतनी हिम्मत हुई है कि मैं कुछ कहूं। मान्यवर शिक्षा के मूल तत्व की तरफ भी आपको एक बार देखना चाहिए। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1950-51 में छात्रों की संख्या 4 लाख थी जो अब बढ़कर 1 करोड़ 27 लाख हो गयी है। यानी 35 गुना हो गयी है। इसी तरीके से उस समय विद्यालयों की संख्या 987 थी वह बढ़कर 19430 हो गयी है। यानी बीस गुना बढ़ गयी है। लेकिन वहीं तुलनात्मक रूप से अध्यापकों की संख्या केवल 15 प्रतिशत ही बढ़ी है। तो जब अध्यापक कम रहेंगे तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। कैसे भविष्य के निर्माताओं का निर्माण होगा। इस पर आपको सोचाना चाहिए और अध्यापकों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। मान्यवर, यह सही है कि इसके लिए कोई एक सरकार दोषी नहीं है परन्तु यह हम सबके लिए चिन्तन का विषय है इसलिए हमारे सामने एक वस्तु स्थिति आनी चाहिए कि सरकार की सोच क्या है। मान्यवर उत्तर प्रदेश की चिन्ता जब करते हैं तो कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर मात्र 20 या 21 की संख्या में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। हमारे जिले बहराइच में 71 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जबकि कई अन्य जिलों में 400-450 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। मान्यवर, अगर आप उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से देखें तो जो यह पिछड़े जिले हैं इन जिलों को हर तरह की सहायता आपको देनी चाहिए। साथ ही साथ इन जिलों में जो गैर सहायता प्राप्त विद्यालय है उन विद्यालयों को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि वहां भी पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा मिल सके। और वह बच्चे भी आगे बढ़ सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे। मान्यवर, इस बार बताया गया कि 36 लाख विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में पंजीकृत हुए थे लेकिन पास हुए केवल 22 लाख। तो मान्यवर, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि अगर 5-5 लाख विद्यार्थी पंजीकृत होने के बाद भी यदि ड्राप कर जाते हैं तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। जिस कारण वह ऐसा करते हैं जब कि हमारा प्रदेश मानव विकास की बात कर रहा है। मान्यवर, यदि छात्रों के इस तरह के प्रवेश और फिर ड्राप आउट की जांच नहीं करायेंगे तो फिर वस्तु स्थिति सामने नहीं आ पायेगी कि ऐसा हर साल क्यों होता है। मान्यवर, इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह सरकार गंभीरता पूर्वक चिन्तन मन्थन करें। अविकसित जिलों में सम्पूर्ण शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री जगतम्बा सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत किया है वह एक क्रान्तिकारी बजट है और प्रदेश को आगे ले जाने वाला है। मान्यवर क्रान्तिकारी इस मामले में है कि वर्ष 2007 में यहां बी0एस0पी0 सरकार बनी थी। तो सरकार ने कन्या विद्या धन योजना को बन्द कर दिया था। उससे बालिकाओं की शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ रहा था मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने उसे पुनः लागू करने का काम किया है इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। इसी के साथ-साथ जो गांव का गरीब परिवार का बच्चा है उसके हाथ में लैपटाप और टेबलेट जायेगा तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। साथ ही एक बहुत बड़े विषय पर जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है मैं उसकी तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं जो उसके बचे हुए मेम्बर्स हैं, अध्यक्ष और मेम्बर्स सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं उसकी जांच चल रही है बिना परीक्षा दिये तमाम उनके रिश्तेदार नियुक्त कर लिये गये। उन्होंने परीक्षा नहीं दी न टीजीटी की परीक्षा दी, न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पीजीटी की परीक्षा दिया लेकिन उनको नौकरी दे दिया गया उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और इसको स्वीकार किया उन लोगों ने, ऐसे लोगों को माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में रहने का अधिकार नहीं है। मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इनको तत्काल वहां से हटाया जाय। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में उन लोगों को हटाकर नई नियुक्तियां की जायें और अध्यापकों की भर्ती की जाय इसी के साथ-साथ मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया और आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मुझे माध्यमिक शिक्षा की कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड में हमारी जो पैरेन्ट मीटिंग होती है उस तरह से पैरेन्ट मीटिंग हमारे राजकीय इंटर कालेजों में भी होना चाहिए जिससे स्कूलों के माध्यम से हमें यह पता चले कि हमारे बच्चे उस स्कूल में उनकी उपस्थिति क्या है इसलिए हमारे उन स्कूलों में पैरेन्ट मीटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हमारा लड़का पढ़ता है तो मैं जानता हूं कि वह व्यक्ति पढ़ता है अगर हमारी लड़की पढ़ती है तो यह समझ लीजिए कि पूरा परिवार पढ़ता है, अगर हमारी बच्ची शिक्षित है तो वह हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है इसलिए हमें बच्चियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे जनपद झांसी में बबीना विधान सभा में पूरी विधान सभा में एक भी राजकीय बालिका इन्टर कालेज नहीं है और हमारी बबीना विधान सभा में 3 ब्लाक आते हैं और तीनों ब्लाक मुस्लिम बाहुल्य और दलित बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बबीना विधान सभा में बबीना ब्लाक में दो छावनी परिषद् है सबसे बड़ी मिलेट्री फोर्स अगर हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं है तो बबीना में है। बहुत ही हमारे बाहर के लोग रहते हैं और हमारे बहुत गरीब मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि बबीना ब्लाक में एक राजकीय बालिका इंटर कालेज, और एक राजकीय बालिका इंटर कालेज बड़ागांव ब्लाक में और एक राजकीय बालिका इंटर कालेज चिरगांव ब्लाक में चूंकि ये तीनों के तीनों ब्लाक हमारे ऐसे हैं जैसे बड़ा गांव ब्लाक है उसमें एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका है। दोनों के दोनों हमारे मुस्लिम बाहुल्य और दलित बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर हमारे बहुत ही गरीब लोग रहते हैं लेकिन एक भी राजकीय बालिका इंटर कालेज नहीं है। चिरगांव ब्लाक में हमारे एक नगर पालिका है लेकिन यहां भी मुस्लिम बाहुल्य और दलित बाहुल्य क्षेत्र है लेकिन यहां पर भी कोई राजकीय बालिका इंटर कालेज नहीं है तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमारे इन बबीना विधान सभा के तीनों ब्लाकों में राजकीय बालिका इंटर कालेज खुलवाने की व्यवस्था करें। इसी के साथ बहुत धन्यवाद।

*श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं आपका ध्यान इस सूबे में जो पब्लिक स्कूल हैं, उनकी तरफ ले जाना चाहता हूं। इन सारे पब्लिक स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। मेरा यह भी मानना है कि इस सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं, 90 प्रतिशत लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। वहां की स्थिति इतनी खराब है कि प्रोस्पेक्टस जिसकी कीमत 20 से 30 रुपये होनी चाहिए, वह 500 रुपये तक दिया जाता है। किताबें, कापी, जूते-मोजे, कपड़े सारे के सारे स्कूल से लेना बाध्यता बना दी जाती है, अनिवार्य है कि वहीं से लेना है और वह भी कई गुना कीमत पर उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया जाता है। साथ ही साथ जो हम लोगों के जमाने में, आप लोग तो हमसे ज्यादा सीनियर हैं, हम लोग आपके बाद वाले हैं, हम लोगों के समय पर भी यही होता था कि हम लोग जो किताबें पढ़ते थे, उसके बाद हमारे छोटे बहन और भाई पढ़ते थे। लेकिन अब यह नहीं हो पाता। अब वहां की स्थिति यह हो गयी है कि हर साल वह लोग सेलेबस बदल देते हैं जिससे कि अगले साल जब कोई बच्चा उसमें आयेगा तो उसको अलग से नई कापी, किताबें खरीदनी पड़ेगी। फीस की स्लैब इतनी बड़ी है कि हर महीने 1500 से लगाकर 5000 और कहीं-कहीं तो इससे भी ज्यादा है। ऐसे में स्थिति यह हो गयी है कि आम आदमी जिसका बच्चा वहां पढ़ना चाहता है खासकर शहरी क्षेत्र में, वहां पर उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम एक बात आपसे खासकर कहना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारी पूर्व चीफ जस्टिस श्री वी0 एन0 खरे साहब से बात हुयी थी, वार्ता के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चों को भी शिक्षा देने का हम लोगों ने आदेश किया है जस्टिस कपाड़िया और जस्टिस वी0एन0 खरेकी खंडपीठ ने यह किया है। बेशक हो सकता है कि हमारी सरकार से वह स्कूल बहुत ज्यादा गवर्न नहीं होते हों, लेकिन यह जरूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसके तहत हम इस आर्डर की कम्प्लायेंस के लिये उन पर कुछ दबाव बना सकते हैं और साथ ही साथ फीस की स्लैब भी हम लोग अगर चाहें और हमारी सरकार अगर चाहेगी तो उस पर भी बुछ अंकुश लगाया जा सकता हैं साथ ही यह जो जूते-मोजे, कपड़े, कापी किताब बेचने का काम स्कूल के लोग करते हैं वह छोटे-छोटे जो हमारे व्यापारी भाईयों का है, अतः स्कूलों पर रोक लगाई जानी चाहिए। स्कूलों का काम शिक्षा देना है, इनका काम किताब, कापी, जूते, मोजे और कपड़े बेचना नहीं है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यह भी व्यवस्था आपकी तरफ से सुनिश्चित हो कि यह जूते मोजे, कपड़े, कापी, किताब जिसका बेचने का काम हो, वह बेचे। लेकिन स्कूल का काम केवल शिक्षा देना है और वह इस काम को करें। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसकी कम्प्लायेंस निश्चित रूप से सुनिश्चित करायेगी और यह भी भरोसा है कि जो दूसरों का हक छीनकर कापी किताबें, जूते मोजे, कपड़े बेचने का काम पब्लिक स्कूल कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने की निश्चित रूप से हमारी सरकार अगुवाई करेगी और इसे कार्यरूप में परिणित करेगी। साथ ही साथ मैं अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कानपुर की सरजमीं पर जब राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तब नारा दिया गया था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो और रोटी कपड़ा सस्ती हो। उस सोच के तहत तब से लेकर आज तक जब भी हमारी सरकार यहां पर रही, शिक्षा के लिये हमेशा हमारे माननीय नेता जी ने आगे बढ़कर कार्य किया। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री साहब को, जिन्होंने बहुत बढ़िया और आम आदमी तक शिक्षा पहुंचे, ऐसा बजट प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को और अपनी सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और एक बात यह कहते हुये अपनी बात समाप्त करुंगा कि माननीय आजम खां साहब जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के लिये अपनी बहुत कुर्बानी दी है, जिन्होंने लाखो-करोड़ों उन बच्चों को शिक्षा देने का सपना अपने मन में रखा है कि उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचे जो बेईमानी के शिकार हो जाते हैं और दूसरे स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, एक बार मेरी इनसे वार्ता हो रही थी तो भाई ने यह भी बताया कि हम तो उन बच्चों को भी शिक्षा देने का काम करते हैं, जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, या नहीं होते हैं, हम उनको भी अपने यहां से निराश नहीं जाने देते हैं। तो हमारी अपनी सरकार से यह दरख्वास्त है कि हमारे इस जौहर विश्वविद्यालय के लिये भी कुछ अलग से घोषणा की जाये। मैं इन्हें के शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, जयहिन्द।

*श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि 243 खागा विधान सभा में 2004-2005 में जो अर्जुनपुर गढ़ा में राजकीय विद्यालय बना है, इसकी बिल्डिंग इसी वर्ष में बनी थी, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, बिल्डिंग बन जाने के बाद उस राजकीय विद्यालय की तरफ बहुजन समाज पार्टी की नजर नहीं गयी, जबकि वहां उस समय सत्ता पक्ष का ही विधायक था। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्डिंग बनने के साथ वहां के तीन बिन्दु और हैं, जिन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। यह विद्यालय खागा से 25 किमी0 की दूरी पर पड़ता है, वहां पर अध्यापकों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह चाहती हूं कि वहां पर अध्यापकों के रहने हेतु आवासीय व्यवस्था की जाये। सुरक्षा की दृष्टि से वहां बाउन्ड्रीवाल बनवाई जाये और तीन विषय के अध्यापक वहां नहीं हैं, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित। जब पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तभी की इस विद्यालय की बिल्डिंग बनी हुयी है, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहती हूं कि इन तीनों बिन्दुओं पर वह जरूर ध्यान दें और आगामी जुलाई तक अध्यापकों की नियुक्ति वहां हो जाये, धन्यवाद।

*श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि हमारे सभी सम्मानित साथी चूंकि सब लोग शिक्षा के प्रति काफी गंभीर हैं, सबकी एक ही भावना है, सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, सभी लोगों ने एक विशेष बात पर बल दिया हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी उसका संज्ञान ले रहे थे। सब लोगों ने यह कहा कि जो शिक्षकों की कमी है, और जो हमारे प्रदेश में शिक्षक हैं, जिन्हें हम रख सकते हैं, सबका यह कहना था कि हम शिक्षा में गुणवत्ता तभी ला सकते हैं, जब हम छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को रखें। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर अपना विशेष ध्यान देंगे। दूसरा मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूं कि जो आपने घोषणा की है कि 300 कुछ राजकीय कन्या इंटर कालेज खोलने के लिये, इसमें मेरा एक सुझाव था चूंकि हर विकास खण्ड की बात आई है, मेरा निवेदन यह था कि पहले हम जिला मुख्यालय को देख लें, तहसील को देख लें, नगरपालिका क्षेत्र को देख लें, उसके बाद फिर हमारे विकास खण्ड आते हैं। मेरा यह भी सुझाव है हालांकि यह बहुत अच्छी पहल है कि सारे विकास खंड जुड़ जायें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बातें इसलिये इस समय कह रहा हूं क्योंकि उस समय राजस्व मंत्री जी नहीं थे, अभी हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी इससे बहुत परेशान थे कि उमाशंकर अब जिले में जाना दूभर हो गया है। चूंकि यह बलिया की समस्या है तो इस समस्या का हल उनकी मौजूदगी में हो सकता है। आप रोज इस समस्या का हल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से नहीं कर पायेंगे तो कोई नहीं कर पायेगा। मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो वित्तीय सर्वेक्षण का आधार लिया जाता है, वह 86-87 का लिया जा रहा है और बलिया मात्र एक ऐसा जनपद है जिसमें 71 का सर्वेक्षण का आधार लिया जा रहा है। उसी के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर शिक्षा विभाग यह कह रहा है कि नहीं वहां पर अध्यापक सरप्लस हैं तो मान्यवर, जो जांच हुआ है, उस जांच में जिन विद्यालयों में हमारे बलिया जनपद में जो जगह खाली है, उन सरप्लस वाले अध्यापकों को वहां समायोजित कर लिया जाये। चूंकि मान्यवर, आज अगर यह हल नहीं हो पायेगा तो फिर नहीं हो पायेगा। मान्यवर, मंत्री जी जानते हैं कि कितने लोग रिटायर हो गये, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, कितने लोगों के बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले आये, बहुत से लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाये, बहुत गहरी संवेदना है मान्यवर।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। मैं माननीय मंत्री जी को बुला रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे यूं तो रसमन कटौती का प्रस्ताव आपने रखा है। लेकिन कोई ऐसी बात आपने नहीं कही जिसमें प्रस्तुत किये गये बजट के खिलाफ कोई बात हो। आपने अपने सुझाव रखे हैं और जो सुझाव सबसे अच्छा मुझे लगा वह रूम्स के साइज के बारे में है। हमें बहुत सी बातों में प्रेक्टिकल होना चाहिए। बच्चों की तादाद जब बढ़ेगी तो कमरों का साइज बढ़ना चाहिए। इसे मान लेने में हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए इस पर हम विचार करेंगे और जो भी बेहतरी हो सकती है उसे करेंगे। एक सुझाव यह भी आया है कि टैबलेट और लैपटॉप दिये जा रहे हैं, शहरों में तो सुविधा है इण्टरनेट फैसिलटी है, वाई-फाई फैसिलटी है। तो वाई-फाई फैसिलटी किस तरह होगी, कैसे दी जा सकती है, माननीय सदस्य ने उसका भी सुझाव दिया है, अच्छा सुझाव है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। एक वीडियो वैन की भी बात आपने की है, यह बहुत अच्छा सुझाव है। वीडियो वैन के बारे में मैं चाहूंगा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इसे व्यक्तिगत रूप से लायें। क्योंकि इस तरह की चीजों को अगर उनसे कहा जाए तो शायद सहमत होंगे। हम इलेक्शन्स में देखते हैं कि वीडियो वैन्स चलती है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप पूरा प्रोजेक्ट लिख करके दीजिए, बहुत अच्छा सुझाव है। एक अफसोसनाक बात आयी बलिया के सिलसिले में। आपने जो कुछ कहा है क्योंकि कटौती का प्रस्ताव आपका है, अधिकारीगण बैठे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, यकीनन कुछ न कुछ रियायत आपके लिए होना भी चाहिए, होगी भी। आपने जो किया, सो किया, मगर इधर से वो नहीं होना चाहिए। हुआ तो बहुत बुरा है शिक्षा के मैदान में। जो कुछ आज आया है उससे तो हमारी आंखें खुली हैं। इतना मालूम भी नहीं था जितना यहां आज हमारी मालुमात बढ़ी है कि किस तरह से शिक्षा का यहां नगदीकरण हुआ। एक चीज जो बहुत शर्म से भरी हुई कि डायरेक्टर साहब अभी तक जेल में हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छा अफसर जानता था, हमारी अच्छी उनसे सलाम-दुआ भी थी। जब यह मालूम हुआ कि शिक्षा का डायरेक्टर जेल में है और इन-इन चीजों को ले करके है और ये लोग जो इस वक्त जेल में हैं चाहे वह डाक्टर साहबान हों या शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों या बेईमानी में जो लोग जेल भेजे गये हैं, वे सारे लोग सी-क्लास जेल में हैं। सी-क्लास जेल में क्योंकि इमरजेंसी में माथुर साहब की कृपा से पौने दो साल बनारस में रहे हैं और क्रिमिनल्स के बीच में रहे हैं। तो मालूम है कि अपराधियों के बीच किसी पढ़े-लिखे शख्स का रहना कितनी बड़ी सजा है। जेल की सजा अपनी जगह है और अपराधियों के बीच जेल का काटना अपनी जगह। मान्यवर, मेरी नस्लें जब पूछेंगी मेरे बच्चों से, क्यों गये थे तुम्हारे दादा जेल, तो बतला देंगे कि अलीगढ़ में पढ़ते थे, यूनियन के सेक्रेटरी थे, इमरजेंसी लग गयी थी, जेल गये, उसके बाद टिकट मिला, नेता बने, मंत्री हुए। लेकिन जो इस तरह की बेईमानियों में जेल गये हैं वह आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे ? कैसे उनके बच्चे अपने बड़ों की तस्वीरें लगायेंगे अपने घरों में ? क्योंकि जो बच्चे पैदा होंगे वह जब पूछेंगे कि दादा क्यों जेल गये थे तो औलाद को कितनी शर्मिन्दगी होगी उस बाप से जिसकी वल्दियत उसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत सोचने का सवाल है। ऐसे तमाम लोग जो बेईमानियों में इंगित किये गये वे लोग और जो नहीं पकड़े गये हैं, उन बेशर्मों को भी अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। मान्यवर, कुछ लोग जेल चले गये लेकिन बहुत कम गये हैं, बहुत जाने चाहिए थे। एक एम0एल0ए0 अलीगढ़ की तरफ से, हमारे दोस्त हैं, हमारे जूनियर हैं उनकी तरफ से कुछ

सवालात आये हैं वह बेसिक शिक्षा से मुतालिक हैं और बेसिक शिक्षा में कहते हैं न कि जो बात तूने कही वह तो मेरे दिल की बात थी। हमारे यहां बेसिक शिक्षा अधिकारी तो सरकार भी बदल गई मगर डी0एम0 नहीं बदले थे। हमारे यहां एक ऐसे डी0एम0 साहब भी आए जब सरकार बदली तो एक ऐसे डी0एम0 साहब भेजे गये जिनके रिटायरमेंट में सिर्फ 15 दिन बाकी थे। हमने मालूम किया कि आखिर इन पर यह कृपा क्यों हुई तो मालूम हुआ कि इनके 15 दिन रिटायरमेंट के रह गए हैं इसलिए इन्हें रामपुर भेजा गया है लिहाजा 15 दिन में खास काम यह हुआ क्योंकि रिटायरमेंट के लिए महीने की आखिरी तारीख होती है हम लोगों को रिटायरमेंट तो ऐसे ही हो जाता है। कभी भी हो जाता है। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने अपने रिटायरमेंट को बड़े ही ढंग और सलीके से सजाकर रखा है। उन्हें 31 या 30 तारीख को रिटायर होना था सो हो गए लेकिन 10 दिन तक वह 31 तारीख में ही दस्तखत करते रहे और रामपुर की बहुत सी समस्याएं उन्होंने हल कर दी। जितने रुके हुए बिल थे सब पास कर दिए ऐसी कृपा करके वह गए। ऐसे ही हमारे महान बी0एस0ए0 साहब भी सरकार बदल गई सब कुछ बदल गया मगर डी0एम0 नहीं बदले थे लिहाजा उन्होंने तकरीबन साढ़े तीन करोड़ की कमाई कर लीं। सबसे ज्यादा पाप उन्होंने यह किया मैं आपकी तसल्ली के लिए कह रहा हूं माननीय सदस्य कहां चले गए। सबसे ज्यादा पैसे उसने विकलांग लड़कियों से ही लिए। विकलांगों से ही सबसे ज्यादा पैसे लिए और दूर भेजा। ऐसे काम हुए हैं ऐसे लोगों को सजा मिलना बाकी है। उनको सजा दी जाएगी। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय सदस्य कानपुर माननीय निगम साहब ने जो 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के दाखिले के लिए कहा है वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सरकार उसे लागू कराएगी और सख्ती से लागू कराएगी।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

माथुर साहब अब गाड़ी मथुरा से आगे निकल गयी है।

श्री प्रदीप माथुर-

मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप थे कहां, खाना खाने गऐ होंगे। हम सुबह एक बिस्कुट और चाय पीकर आए हैं। कैसे आपकी बात सुन लें ?

श्री प्रदीप माथुर-

आप पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें। सी0बी0एस0सी0 और आई0सी0एस0आई0 का रिजल्ट देखें। उनके परसेंटेज आफ मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं जबकि यू0पी0 बोर्ड के बच्चों के मार्क्स में परसेंटेज बहुत कम रहते हैं। माननीय मंत्री जी बड़ा इम्पार्टेण्ट है।

श्री अध्यक्ष-

आप रहते क्यों नहीं हैं। लास्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। इस पर बात हो गयी है। माननीय सदस्य इस पर ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं। आप बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माथुर साहब या तो रहिए। वरना सिर्फ प्रमोद तिवारी पर यह साबित करने के लिए कि मैं भी बोला था अब आपको कार्यवाही दिल्ली भेजनी होगी। यह सारे प्रश्न उठाए जा चुके हैं। सब पर

बात हो चुकी है अब आपके प्रश्न में कोई बल नहीं है। मान्यवर, स्तर बेहतर होना चाहिए पास होने वाले बच्चों की तादात ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, सी0बी0एस0ई0 वगैरह बड़े उच्चीकृत बोर्ड हैं। वहां तो कोई फेल ही नहीं होता शत प्रतिशत रिजल्ट रहता है फिर परसेंटेज ही कहां रह गई। यू0पी0 बोर्ड का स्टैण्डर्ड सब जानते हैं कि क्या है। मान्यवर, क्योंकि यह बात आ चुकी है इसलिए इस पर भी विभाग विचार करेगा। मैं सभी साथियों का और खासतौर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हमारी साथी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है कोई जरूरी नहीं है कि आप बल दे हीं। पता नहीं अब क्या हालात हैं कदमों में बैठने की जगह मिलती है या नहीं मिलती है। जवाब तलबी तो वहां होती है जहां कहीं मुलाकात की उम्मीद हो आप यह समझ लीजिए न मुलाकात हुई थी न मुलाकात होगी तो कटौती का प्रस्ताव वापस ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,56,93,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-5, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,08,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री कुछ बोलेंगे।

श्री राजा राम पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, कुछ हैं नहीं।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी,

(कई सदस्यों के साथ बोलने के मध्य)

*श्री प्रदीप माथुर-

बोलने तो दीजिये, ऐसे कैसे रुक जायेंगे।

*राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, बजट पर जब मा0 मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है। मा0 अध्यक्ष जी, ये खादी पर जो मा0 मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया। माथुर साहब या कोई भी कटौती रखे जिसको आज्ञा देंगे वो कटौती रखेगा। लेकिन श्रीमन्, खादी पर भी कटौती रखने के लिये अगर बिना खादी वाले लोग इस पर कटौती रखेंगे तो तकनीकी तौर भी ठीक नहीं है। जो खादी नहीं पहने, वो खादी का मर्म क्या जाने और मान्यवर, मंत्री जी हमसे रोज कहते हैं कि खादी वस्त्र नहीं विचार है। मान्यवर, अगर वस्त्रों का सम्पूर्ण परित्याग कर दिया जाए और विचार धारण कर लिये जायें, तब भी खादी का बोध हो जाता है। लेकिन माथुर साहब, मान्यवर, दो बातों से दिक्कत है। मैं बता देना चाहता हूं टेक्निकली दिक्कत है और कटौती गलत हो जायेगी। इसलिये मैं विपक्ष की मदद करना चाहता हूं कि मान्यवर, एक तो इनका खादी से कोई रिश्ता नहीं है और दूसरा से खादी का विरोध करेंगे और पहले से जिसका मन खादी के विरोध को हो, उसका सुनना नहीं चाहिये। मान्यवर, दूसरा यह है कि शाम का समय है और इस समय खादी पर माथुर साहब कोई कमेण्ट करें, यह अच्छा नहीं लगता इसलिये किसी भले आदमी से रखवाइये।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, आप कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, उद्योग का मामला है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-5-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है और इस पर कुछ बोलना नहीं है। जब मा0 मंत्री जी ही कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का क्या हाल होगा। मैं उम्मीद करता था कि मा0 मंत्री जी आप कुछ बोलेंगे, खादी पर विचार रखेंगे। महात्मा गांधी जी की फोटो सामने लगी है, उनके संस्मरण सुनायेंगे, अपने बारे में बात करेंगे। चिन्तन की बात करेंगे, खादी पहनने के लिये उत्साहित करेंगे, पर इन्होंने तो बोला ही नहीं। और संसदीय परंपराओं के अनुसार कटौती का प्रस्ताव रखना विपक्ष को जरूरी है और यही कारण है कि आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी ने दो शब्द भी नहीं कहे और खादी की आप बात कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय अम्बिका जी बहुत प्रबुद्ध हैं और वाकपटु हैं और हमारे इनसे पहले वाले आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी वो भी वाकपटु थे। ये लोग बालों की बाउसिंग बहुत करते हैं मान्यवर। और स्थिति यह है कि बात को ट्विस्ट कर देना और घुमा करके इधर उधर कर देना, ये इनकी कलाकारी है। तो मा0 अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कुछ मामले हैं मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है इस विभाग की ओर। आपकी भावना का पता चल गया कि आप कितने चिंतित हैं, कितने गम्भीर हैं खादी ग्रामोद्योग के ऊपर। स्थिति यह है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि यदि आप खादी ग्रामोद्योगों की बात करें, कुटीर उद्योगों की बात करें तो इतनी बुरी हालत है। उसमें एक आर्टीसन काम करता है, एक बहुत नीचे तबके का व्यक्ति काम करता है जो कि आपके हैंडीक्राफ्ट भी बनाता है, संगमरमर के पत्थर पर ताजमहल को भी उकेरता है, चंदन की लकड़ियों से और चीजें भी करता है। पर आपका खादी ग्रामोद्योग विभाग जिस पर कि सब्सीडी मिलती है और 4 परसेंट का लोन मिलता है। एक आम आदमी से पूछ लीजिये जब वह सब्सीडी वाला लोन लेने के लिये जाता है तो उसे कितने धक्के खाने पड़ते हैं। और यदि यह विभाग वर्तमान में एगजिस्ट कर रहा है तो यह इतना पापुलर क्यों नहीं है ? क्यों नहीं इसके पीछे लोग भाग रहे हैं ? क्यों नहीं लोग इसके पीछे जाते क्योंकि हमारा देश, खास तौर से उत्तर प्रदेश गरीबी का स्तर आम आदमी का स्तर बहुत नीचा है। आम आदमी कारोबार के लिये घूमता है जिसके पास बहुत छोटा पूंजी निवेश के लिये पैसा होता है और वह देखता है कि आपका खादी ग्रामोद्योग विभाग या इसके जो आपके कमीशन हैं उससे हमको कोई काम ही मिल जाय। यह जो आपकी बुकलेट है इसमें आपने तमाम वो दिये हैं वह हमने पढ़ी। उद्योग के नाम पर एक पतली सी बुकलेट आई है तो इसमें आपने बोर्ड के उद्देश्य वह सब बताया है कृषि पर आधारित उद्योग, खादी, तेल, घानी, गुड़, खांडसारी अनाज, दाल, जड़ी बूटी, पवित्र शोधन, खनिज पर आधारित में कुम्हारी, चूना, पत्थर की वस्तुएं आदि। इसी तरह से वन आधारित उद्योग हैं हाथ का कागज, माचिस, अगरबत्ती, लाख, कत्था, गोंद, रेजिन आयुर्वेदिक दवाएं, रेशम उद्योग। इसी तरह से पालीमर तथा रसायन में अखाद्य तेल, साबुन, खाद्य तेल उत्पादन, रबर पर आधारित उद्योग, हाथी दांत आदि, यांत्रिक एवं वैकल्पिक ऊर्जा में लौह , कास्ट, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल पर आधारित उद्योग, कांसे के बर्तन, वस्त्रादि उद्योग में पॉलीवस्त्र, होजरी, सेवा उद्योग में नाई, धोबी, सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र, नल साजी, बिजली उपकरण, आडियो कैसेट डीजल इंजन, इतना सारा स्कोप है जो एक आम आदमी के लिये रोजी रोटी कमाने के लिये जो घूम रहे हैं, वो सरकार की इच्छा शक्ति है और वह देना चाहती है तो वह अगरा इस पर काम करें तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस विभाग को आपको और ज्यादा गीयर अप करने की जरूरत है। यहां पर मुस्तैद अधिकारी बिठाये जाने चाहिए। तमाम प्रदेशों की और देशों की जो अर्थव्यवस्था है इस तरह के छोटे-छोटे कामों पर है। इस तरह के काम करके आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज एक नया आयाम दे सकते हैं, प्रदेश की एक पहचान बना सकते हैं तो आप इस पर गौर करिये। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं और इसमें आप अपने उन संसाधनों को, एक आदमी को आसानी से लोन मिल जाय क्योंकि बीच में इतने दलाल सक्रिय रहते हैं। हमारे आदरणीय आजम साहब दलालों के घोर विरोधी हैं। दलालों को जेल में भेजने की बात करते हैं तो खादी ग्रामोद्योग में एक मिडिल मैन जो है, वो जिनको लोन देने की बात है, जिनकों सब्सीडी मिलती है उनको एलीमिनेट करिये। उन इकाईयों की भी जांच करवाइये जो कागजों पर फर्जी चल रही हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि लोन लेने वाले ही सही हैं। बहुत से लोग लोन इसलिये लेते हैं क्योंकि उनकी सांठ-गांठ खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों से रहती है। वे कागज पर यूं ही खाली चलाते रहते हैं इस तरह की यूनिटें। यह यूनिट रुग्ण पड़ी होती है बस अनुदान आता है और खा-पीकर बराबर कर देते हैं। इस पर भी आपको देखने की जरूरत है और बड़ी ट्रांसपेरेसी के साथ आप इसको प्रोमोट कर सकते हैं। मैं आपको मैदानी सुझाव देने के पक्षधर रहता हूं न कि क्रिटिसाइज करने के। आपके जो खादी भण्डार हैं वहां के इम्प्लाईज की हालत देखिये, वहां के मैनेजर्स की हालत देखिये। उनको प्रोपर तनख्वाह भी नहीं मिलती। उनके अपने बोर्ड बने हुए हैं और वो तरसते रहते हैं पैसे के लिये, अपने ग्रेड्स के लिये, तनख्वाह के

लिये। आप उन खादी आश्रमों की बात करिये। हम सब अधिकतर लोग 90 परसेंट लोग यहां पर खादी पहनते हैं तो जरा उनके हैण्डलूम, पावरलूम में जाकर देखिये जहां खादी बनती है, उनको जरा इम्प्रूव करवाइये। उनमें उच्चीकरण करिये। इससे आपके विचार न आने से हमको बड़ा अफसोस हुआ कि इसमें कुछ है ही नहीं। माननीय मंत्री जी अगर आप चाहें तो इसकी बुकलेट को आप बिलान भर मोटी बना सकते हैं। यह तो सोच की बात है माननीय मंत्री जी आप टेक्नोलाजी और व्यवस्थाओं का किस तरह से इस्तेमाल करें और प्रदेश को आगे विकास की राह पर ले जायं। हमें बहुत खुशी होती है आगे के तीन चार मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, यह लोग पाजीटिव सोच की बात करते हैं। इसमें तथ्यों को ढूंढ़िये और इसमें पहिये लगाकर खादी और ग्रामोद्योग को दौड़ाइये। आप देखेंगे कि दुनिया भर के लोग आपसे सामान खरीदेंगे आपसे खादी के कपड़े खरीदेंगे। कभी आप अकेले बैठेंगे तो मैं आपको आइडिया दूँगा। इसी के साथ मैं आपके कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

(मेजें थपथपाई गईं)

चूँकि आपने कुछ बोला ही नहीं, बोल तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन हमारे बहुत सारे विभाग हैं और हमें भी रात को नौ बजे तक बैठना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए जो मैंने सुझाव दिए हैं जितने सत्तापक्ष के विधायक बैठे हैं यह आम आदमी से जुड़े विधायक हैं और विपक्ष के लोग भी आम आदमी से जुड़े लोग हैं। हम सब मिलकर इस विभाग को गति प्रदान करेंगे पहिए लगायेंगे और अगली बार जब आप बजट पेश करेंगे तो आप यह नहीं कहेंगे कि इसमें कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने कटौती के प्रस्ताव को पढ़ा था या नहीं?

श्री प्रदीप माथुर-

पढा क्यों नहीं था, पढ़ा था, आप कहीं विचार मंथन में है।

श्री राजाराम पाण्डेय-

मान्यवर, मैं तो पहले माथुर साहब से बुलवाना चाहता था यह कुछ सुझाव दें तो मैं अपनी बात कहूँ। मान्यवर, माननीय माथुर साहब ने खादी ग्रामोद्योग विभाग पर बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया और यह हमारे आज के नहीं हैं बहुत दिन से हमारे शुभचिन्तक हैं और हमारी बात के शुभचिन्तक हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसमें कुछ लोन वगैरह भी लेते हैं।

(हँसी)

श्री राजाराम पाण्डेय-

मान्यवर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस विभाग को जिम्मेदारी दे रखी है और वैसे तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण कोई विभाग नहीं है इसमें इतने बड़े काम किए जा सकते हैं। माथुर साहब ने ठीक बात कही, ग्रामोद्योग बेरोजगार का बड़ा रोजगार है। आज हमारे गाँव में पढ़े-लिखे और गैर पढ़े-लिखे जो लोग हैं यह ग्रामोद्योग न पाने की वजह से सब गाँव से पलायन कर रहे हैं। अगर इनकी आबादी को रोकना है, मजबूती से रोकना है, तो ग्रामोद्योग का बजट जितना बड़ा कर दिया जाय, जितना बढ़ा दिया जाय उतना कम है। हम पिछले कार्यकाल में जब थे एक योजना थी अनुदान वाली जिसमें दो लाख रुपये देते हैं ऋण अनुदानित योजना, जिसमें 12 परसेन्ट सरकार देती

थी और बाकी परसेन्ट उद्यमी देता था। तो इस योजना का नाम बदलकर मा0 मुख्यमंत्री योजना बनाया गया है, और इस ढाई लाख को बढ़ाकर पाँच लाख कर दिया। यह योजना बहुत सफल हुई। यह जरूर है कि विगत सरकार ने उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह योजना इतनी अच्छी है इससे लोन मिल जाने से हमारे ग्रामीणों का उत्थान हो सकता है। आज जो हमारी पार्टी ने माननीय मुख्य मंत्री ने अपने चुनाव भाषण में, अपने चुनाव अभियान में कहा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। अगर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि काफी बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम इनको ऋण देने में सक्षम हो गये तो काफी हद तक बेरोजगार भत्ता नहीं देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के लिए मान्यवर इस साल की जो हमारी योजना है लक्ष्य है 2012-13, इसमें इकाइयों की संख्या है 3,750। शासन से हमें अधिकृत मिली है, उसके एवज में 150 करोड़ रुपया हमें खर्च करना है जिसकी एवज में हमको 60 हजार लोगों को, नौजवानों को रोजगार देना है, यह लक्ष्य है। यह लक्ष्य बहुत कम है, इसको हमें बढ़ाना चाहिए, हमारी सरकार को इसमें और बल देना चाहिए। दूसरी जो रोजगार योजना है-प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट की है, जिसमें 25 लाख रुपया पहले मिलता था, अब उसे 50 लाख रुपया करने का काम किया है, उसका लक्ष्य 1472 इकाई लगाने का है। यह भी कम है। 75 जिलों में 1472 इकाई कोई मायने नहीं रखती है और इसका लक्ष्य है 112 करोड़ 61 लाख जिसके माध्यम से हम 11776 लोगों को रोजगार दे पायेंगे। मान्यवर, हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं, यह खादी संस्था हमारी नहीं है, हैण्डलूम हमारा नहीं है। यह जो तमाम संस्थाओं का नाम आपने लिया, हमारा खादी से इतना ही मतलब है, जो गवर्नमेन्ट से छूट मिलती है, गाँधी जयन्ती के नाम पर 20 परसेन्ट छूट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देती है जिसको हम खादी कमीशन के माध्यम से पाते हैं और 10 परसेन्ट छूट हमारी उत्तर प्रदेश सरकार देती है। इसकी एवज में हमको 12 करोड़ 90 लाख रुपया इस वर्ष का देना है और जिसको हम देने का काम करते हैं। आपने जो कहा हमारा काम केवल पैसा दे देना है और ले आना है और ऋण की जो व्यवस्था है, उसमें पूरी-पूरी पारदर्शिता है, हमारा ऋण सीधे बैंक देती है। हम फाइल उनको भिजवाते हैं और बैंक अपने हिसाब से उस उद्यमी का परीक्षण करती है और उसकी फारमेल्टीज कराती है और वह उसको ऋण देती है, हम केवल ब्याज देते हैं। मान्यवर, यह योजना बहुत सफल है, इसकी 90 परसेन्ट रिकवरी है। यह उद्योग जितना बढ़ाया जाय, कम है और हम इस पर जोर दे रहे हैं कि अबकी बार आयेंगे, अनुरोध करेंगे कि इसकी धनराशि बढ़ा दी जाए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब, अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे?

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी , मैं कटौती का प्रस्ताव इसलिए वापस नहीं लूँगा कि अगली बार मंत्री जी जब बजट लेकर आयें तो और एग्रेसिव मूड में आयें तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग को और तेजी से आगे बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब हम मद संख्या-8(4) पर प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्यों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,08,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) एवं अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवा योजन)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह आपके दोनों हैं, मद संख्या-8(5) एवं 8(6) दोनों रख दीजिए।

*श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डा0 वकार अहमद शाह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,82,47,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,53,38,31,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपके समक्ष वर्ष 2012-13 का श्रम विभाग का आय-व्ययक प्रस्तुत करते हुए मैं आपका ध्यान श्रमायुक्त संगठन की प्रमुख प्रतिबद्धताओं एवं उसके क्रम में विभागीय प्रयासों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

मान्यवर, जो प्रदेश की वर्तमान लोकप्रिय सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में कुल 54 हजार 907 निरीक्षण किये गये जिनमें पाये गये 28 हजार 616 उल्लंघनों के सम्बन्ध में जांच के उपरान्त 6 हजार 688 सेवायोजकों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही सम्पादित की गयी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाने की दिशा में सजगता बरती गयी। मान्यवर, मजदूरी के साथ देय महंगाई भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। वर्तमान में 01-04-2012 से महंगाई भत्ते सहित अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी 174 रुपये 14 पैसे प्रतिदिन है। कतिपय अन्य उद्योगों जैसे-इंजीनियरिंग, होटल, रेस्टोरेंट, डिस्टीलरी तथा बीड़ी उद्योग में भी मजदूरी दरों के पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है और कृषि उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित वर्तमान लोकप्रिय सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही प्रदेश में उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 तथा इससे सम्बन्धित नियमावली 1963 से आच्छादित दुकानों, वाणिज्य अधिष्ठानों का पंजीयन तथा नवीनीकरण करने हेतु 16 मार्च, 2012 से 30 अप्रैल, 2012 तक चलाये गये अभियान के दौरान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

5557 नये प्रतिष्ठानों का पंजीयन तथा 16 हजार 483 प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण किया गया। एक महत्वपूर्ण शुरुआत के रूप में उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के हितार्थ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली 2009, दिनांक 04-02-2009 को प्रख्यापित की जा चुकी है। 13 अप्रैल, 2011 की राजाज्ञा द्वारा प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश को बोर्ड का पदेन सचिव घोषित किया गया है। बोर्ड की अब तक 15 बैठकें हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 383 करोड़ 23 लाख रुपये की धनराशि उप-कर या सेस की मद में जमा हो चुकी है तथा अधिनियम की धारा-12 सपठित नियमावली के नियम 275 व 276 के अन्तर्गत 1 लाख 81 हजार 905 निर्माण श्रमिकों एवं 17 हजार 51 निर्माण अधिष्ठनों का पंजीकरण किया गया है। निर्माण अधिष्ठानों तथा श्रमिकों आदि का पंजीकरण निरन्तर जारी है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ अनेक कल्याणकारी योजनायें यथा-मातृत्व हितलाभ योजना, शिशु हितलाभ योजना, दुर्घटना सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मृत्यु एवं अन्त्येष्टी सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, कौशल-विकास-तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, एम्बुलेंस सहायता योजना, बालिका आशीर्वाद योजना पुत्री विवाह अनुदान योजना, अक्षमता पेंशन योजना, औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना, आवास सहायता योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। मान्यवर, सेवायोजन, वर्तमान में 59 सेवायोजन कार्यालय, 11 पंजीयन केन्द्र, 13 विश्वविद्यालयों में सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र एवं 03 नगर सेवायोजन कार्यालय, 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय तथा विकलांगों को विशेष रूप से सहायता प्रदान करने हेतु 16 विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं। समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों यथा-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग तथा विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं। जहॉ उन्हें समाहित रूप से कार्यालय प्रबन्ध का एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

जिसमें टंकण, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, भाषा, सचिवीय पद्धति आदि का तो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है साथ ही उन्हें लिपिक वर्ग की सेवाओं की तैयारी के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता है। मान्यवर, रोजगार बाजार में रोजगार के अवसर तथा उपलब्ध जनशक्ति में असंतुलन को दृष्टि में रखते सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर काउंसिलिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति में सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर 20 लाख 45 हजार 597 बेरोजगार अभ्यर्थी उपलब्ध थे। वर्ष 2011 में सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से 27 हजार 775 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 30 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य युवा बेरोजगारी भत्ता देने की योजना प्रारम्भ की गयी है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने, पहली बार विश्वास पैदा किया है, पहली बार 500 रुपये देते थे, अबकी बार 1000 रुपया देने जा रहे हैं। साथ ही साथ मान्यवर, पंजीकृत कम से कम हाईस्कूल या समकक्ष पास बेरोजगारों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है, इसके लिए हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से लगे हुए हैं और इस हेतु शासन द्वारा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2012 तैयार की तैयार कर ली गयी है जो दिनांक 15-5-2012 से प्रवृत्त है, साथ ही बेरोजगारों को प्रदेश की प्रगति में समुचित रूप से नियोजित करने का प्रयास करते हुए

उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि करना है। मान्यवर, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना, भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन विद्युत चालित प्रतिष्ठानों में कम से कम 10 तथा गैर विद्युत चालित प्रतिष्ठानों में 20 कर्मचारी कार्य करने वाले उन कामगारों पर लागू हैं जिनके मासिक वेतन की अधिकतम सीमा रुपये 15 हजार प्रतिमाह तक है। वर्तमान में प्रदेश के चिकित्सालय/औषधालयों में 8 लाख 60 हजार 550 बीमांकित कामगारों एवं उनके परिजनों को चिकित्सा देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए अनुदान संख्या-76 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में बीमांकित की चिकित्सा देखरेख के लिए प्रशासनिक मदों में रुपये 99 करोड़ 48 लाख 75 हजार तथा गैर प्रशासनिक मदों में रुपये 16 करोड़ 32 लाख 27 हजार कुल रुपये 01 अरब 15 करोड़ 81 लाख 02 हजार का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैंने अत्यन्त संक्षिप्त रूप में श्रमिक वर्ग की आशाओं/आकांक्षाओं से जुड़े श्रम विभाग के क्रिया-कलापों की रूप-रेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मान्यवर, आपने मुझे ध्यान से सुना इसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ। सदस्यगणों से आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे और उसके बाद श्रम विभाग की अनुदान संख्या-76 एवं 77 की अनुदान माँगों पर अपनी अनुज्ञा प्रदान करेंगे, ताकि श्रम विभाग की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को वर्ष 2012-13 में क्रियान्वित करना सम्भव हो सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

डा0 अयूब साहब आप कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अनुदान संख्या-76 और अनुदान संख्या-77 दोनों पर एक साथ कटौती का प्रस्ताव आप प्रस्तुत कर दें।

*डा0 मोहम्मद अयूब-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हमें मौका दिया, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, जिसने एक बुनकर के बेटे को पीस पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता की हैसियत से आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में प्रदेश के बुनकर मजदूर, कामगर एवं दबे कुचले असहाय, शोषित समाज के मिसायल पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराने और श्रमिकों के हित में उपाय सुझाने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाग के बजट पर कट-मोशन लाने का मौका प्रदान किया है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, श्रमिकों का आदिकाल से उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है जिसकी पहचान आज भी बनी हुई है। अति पिछड़े शाक्य, सैनी, मौर्या, कुशवाहा, कश्यप, निषाद, नाई, विश्वकर्मा, जायसवाल, कहार, बहेड़, सुनार, लोनिया, चौरसिया, लोहार, कुम्हार, राजभर और नट आदि समाज तथा अति दलित में धोबी, पासी, खटिक, कोरी, धानुक और बेलदार, बाल्मिकी, शिल्पकार आदि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज क्रमशः आबादी के अनुपात में 29 और 11 प्रतिशत हैं। मुस्लिम समाज भी इस श्रमिक समाज का एक अभिन्न अंग है जो करीब 20 प्रतिशत है। कुल आबादी की 60 फीसद इस संयुक्त समाज की पहचान आज बुनकर, बीड़ी बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, कालीन बुनने वाले मजदूर, ताला बनाने वाले कर्मकार, पीतल का काम करने वाले।

(मा0 सदस्य द्वारा लिखित भाषण पढ़ने का विरोध होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य नये आए हुए हैं। वह एक बहुत अच्छे सर्जन हैं।

डा0 मोहम्मद अयूब-

मान्यवर, खेतिहर मजदूर, भवन निर्माण करने वाले मजदूर तथा सेवा क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर इसमे हैं। उदाहरण के तौर पर जनपद अलीगढ़ में ताला बनाने वाले श्रमिक 70 हजार, जनपद मुरादाबाद और मीरजापुर में पीतल के बर्तन बनाने वाले 3 लाख 55 हजार हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में बुनकरों की संख्या कितनी अधिक होगी। मान्यवर, मैं बल देकर कहना चाहूँगा कि इसमें ज्यादातर असंगठित श्रमिक बल से आते हैं, जिनके लिए सरकार के पास न तो कोई योजना है और न ही इनकी और इनके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई नीति है। जबकि इनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में जमा होता है। सरकार इस धन का इस्तेमाल इनके विकास एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए पुख्ता न कर, इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। सरकारी खजाने में जमा इनके खून-पसीने की कमाई का धन इनके लिए कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करना कोई भीख या उपकार नहीं, बल्कि इनका हक और अधिकार है। मान्यवर, इस श्रमिक समाज का दूसरा हिस्सा संगठित श्रमिक समाज के रूप जाना जाता है, जिसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चला रखी है, परन्तु इन योजनाओं से इनके सामाजिक, आर्थिक और इनके परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की कमी है तथा श्रमिक विभाग के दायरे में जितने अधिनियम आते हैं, उसमें निहित प्राविधानों में समुचित परिवर्तन के साथ अधिकारियों की उपलब्धता नहीं है। जिसके कारण अधिनियम का लाभ उठाने से विभाग से जुड़े कामगार एवं मजदूर आदि वंचित हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्वांचल के जनपदों में देवरिया, गोरखपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर आदि जनपदों में लम्बे अरसे से श्रमायुक्तों के पद रिक्त चल पड़े हैं, जिससे श्रमिकों की समस्याएं, श्रमिकों के बातें और सरकार की नीतियों का पालन जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। एक ही श्रमायुक्त को कई-कई जनपदों का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है और उनके द्वारा सम्बन्धित जनपदों का सप्ताह में एक दिन का भी समय दिया जा पाना सम्भव नहीं हो पाता, जिसके कारण स्थिति बद से बदतर हो जाती है। इस अल्प अवधि में न सिर्फ उक्त सम्बन्धित अधिकारी ही कोई सन्तोषजनक कार्य कर पाते हैं और न ही श्रमिक, मजदूर आदि के कार्यों से सन्तुष्ट हो पाते हैं। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है सरकार श्रमिकों की समस्याओं के निदान के प्रति संवेदनशील नहीं है एवं इन समस्याओं का समाधान ढूढ़ना ही नहीं चाहती है या सरकार का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। दूसरी तरफ सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गिने-चुने प्रेदशों में आवश्यकता से अधिक तैनाती की गयी है।

(सत्ता पक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा डा0 साहब द्वारा लिखित भाषण को पढ़ने पर विरोध के कारण व्यवधान की स्थिति)

राजस्व आभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सबको सीखना पड़ता है। बीच-बीच में एक बार मा0 सदस्य नजर ऊपर उठा लें। जो लिखा हुआ है उसके अलावा भी कुछ कह दें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मा0 सदस्य तो पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके मंत्री जी भी तो पढ़ रहे थे।

डा0 मोहम्मद अयूब-

माननीय चौधरी साहब की बात का मैं ध्यान रखूंगा।

श्री अध्यक्ष-

जो इसमें महत्वपूर्ण बिन्दु हो उसको देखकर बोल लीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जैसे अभी मा0 सदस्य ने समायक श्रमायुक्त पढ़ दिया है जबकि शायद वह सहायक श्रमायुक्त कहना चाह रहे थे तो यह एक प्रकार से हो सकता है कि टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया हो बोलने में वह सही बोला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डा0 साहब आप अपने मन से बोलिये आप तो इतना अच्छा भाषण कर लेते हैं। नये सदस्य हैं उनको आप लोग बोलने दीजिये।

डा0 मोहम्मद अयूब-

मान्यवर, थोड़ा सा वक्त लगेगा और वक्त आने पर अपनी बातें ठीक तरह से यहाँ पर रख सकूँगा। इसलिए इसको देख कर बोलना थोड़ा जरूरी है।

मान्यवर, श्रमिकों के कल्याण के लिए 13 से 14 लाभकारी योजनायें हैं। मान्यवर इन लाभकारी योजनाओं के तहत किसी को अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। अभी मंत्री महोदय ने 15 लाभकारी योजनायें श्रमिकों के लिए जो हैं वह बतायी हैं। जिसमें मातृत्व हितकारी लाभ योजना के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है। मान्यवर, इन सबके लाभ के बारे में न तो श्रमिकों को पता है और नही इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक श्रमिक उठा सकें मान्यवर चाहे वह असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हों या संगठित क्षेत्र के श्रमिक हों मैं इस बात पर भी बल देता हूँ जो असंगठित श्रमिक हैं उनमें ज्यादातर वह हैं जैसे ज्यादातर बुनकर हैं, चूडी बनाने वाले हैं, ताला बनाने वाले हैं, कालीन बनाने वाले हैं, बीड़ी के मजदूर हैं, दरी बनाने वाले कारीगर हैं, मान्यवर, यह ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर ही अपने पूरे परिवार के साथ काम करते हैं और काम करने के बावजूद जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स है सरकार की ओर से उसके बराबर भी उनको नहीं मिल पाता है। अभी हम लोगों ने भी देखा था कि मान्यवर, उन्हें 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का दैनिक मेहनताना मिल पाता है और जिससे उनका व उनके परिवार का गुजर बसर होना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, मेरा यही कहना है कि यह जो असंगठित मजदूर हैं इनको इन योजनाओं का लाभ

नहीं मिल पा रहा है इसलिए इन अंसगठित मजदूरों को इन योजनाओं का फायदा दिलाया जाये और जो सरकारी मजदूर की तय शुदा दरें हैं यह सुनिश्चित किया जाये कि उतना मेहनताना उनको भी मिल सके। मान्यवर, दूसरी तरफ यह प्रस्ताव भी रखूँगा जो कि श्रमिक समाज के बारे में है। मैं सरकार की पूरी तरीके से खुले मन से उनका स्वागत करता हूँ जिस तरह से उन्होंने किसानों के साथ दुर्घटना बीमा का इन्तजाम किया है जो 5 लाख तक दुर्घटना बीमा देने की बात कही है, उनके कर्जमाफी की बात की है मैं यह प्रस्ताव रखूँगा कि उसी तरीके से संगठित और असंगठित चाहे वह बुनकर हों, मजदूर हों या दिहाड़ी का मजदूर हो, उनकी भी कर्जमाफी की जाय और उनका भी दुर्घटना बीमा 5 लाख किया जाय वह इसलिए आवश्यक है कि किसानों के पास जमीन बची रहती है लेकिन श्रमिकों के पास और कुछ नहीं रहता है सिवाय श्रम के इसलिए अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनका परिवार लावारिश हो जाता है और उनके परिवार के साथ रोजीरोटी की समस्या ज्यादा होती है। ऐसे में उनकी कर्जमाफी और उनका दुर्घटना बीमा कम से कम 5 लाख रुपये का किया जाय क्योंकि वह समाज के अभिन्न अंग हैं और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। मैं इसी के साथ अपना कटमोशन पूरा करता हूँ धन्यवाद।

*श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ आपने श्रम विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी बातों को तीन बिन्दुओं में कहा नम्बर एक श्रम, नम्बर दो सेवायोजन, और नम्बर तीन राज्य कर्मचारी बीमा योजना। माननीय अध्यक्ष जी, हम इन तीनों बिन्दुओं में, इस कटौती के प्रस्ताव में दो बिन्दुओं पर अपनी बात रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी आप इस विभाग को बहुत बेहतर जानते हैं कि गरीबों का विभाग है क्योंकि आप भी श्रम मंत्री रहे हैं। मैं आलोचना ही नहीं समालोचना और उसके बाद सुझाव भी दूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश मे किसानों की गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है। मजदूर चार श्रेणी के हुआ करते हैं कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर, अर्द्धकुशल मजदूर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्रम मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में सच में हम समझते थे ऐसे बड़े सीनियर मंत्री हैं अच्छे मंत्री पर यह विभाग है लेकिन श्रम विभाग के अनुरूप इन्होंने अपना प्रस्तुतीकरण नहीं किया। यह गरीबों का विभाग है इस विभाग में और उस दिन उद्योग का बजट था माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनायेंगे। अब यह कैसा उद्योग प्रदेश है हम यह भी कहना चाहते हैं मान्यवर, यह सरकार जुगाड़ की नहीं है यह सरकार प्रचण्ड बहुमत की है, इस सरकार को किसी का डर भी नहीं है कि बहुमत लाना है तो इस सरकार को गरीबों के हित में खेतिहर मजदूरों के हित में जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता है, जिनका कोई संगठन नहीं है, कोई यूनियन नहीं बनी है उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है ऊपर से अभी इन दस सालों में उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग नहीं लगा और उद्योग बन्द तो हो गये और अभी यह दो तीन महीनों में यह सरकार कोई ऐसा प्रयास नही कर रही है जो उत्तर प्रदेश को लगे कि यह उद्योग लायेंगे, उद्योग लगाने की कोई नीति भी दिखाई नहीं देती। मान्यवर, न्याय के लिए प्रदर्शन करना होता है। मैं जब कभी भी, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही रजिस्ट्रेशन भी हो गये हैं। कोई भी बेरोजगार अब भत्ता लेने नहीं आ रहा है, आप तारीख पर तारीख बढ़ाये चले जा रहे हैं। उसमें इतने प्रतिबन्ध आपने लगा दिये हैं कि किसी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ही नहीं। जब मजदूर अपने न्याय के लिए प्रदर्शन करता है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके ऊपर लाठी चार्ज होता है, गोलियों से मारा जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता, हमें इस पर विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री जी बता दे यदि इन्होंने किसी उद्योगपति को बन्द किया हो, लाठीचार्ज होने वाले किसी व्यक्ति की मदद की हो, क्या आपने कभी किसी मिल-मालिक के खिलाफ कार्यवाही की है, इसका जवाब हमें दे दीजिएगा। मान्यवर, जब खेतिहर मजदूर खेती में काम करता है, काम करते-करते मर जाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। पिछली सरकार ने सब जगह पर इन्स्पेक्शन किये, जहाँ पैसा मिलता था वहाँ इन्स्पेक्शन किया लेकिन खेतिहर मजदूर के लिए कहीं कोई इन्स्पेक्शन नहीं किया और उन्हें किसी तरह का कोई संरक्षण देने का काम नहीं किया। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि कृषि मजदूरों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो झगड़े मिल-मालिकों और मजदूरों में होते हैं, उनमें मिल मालिक ही जीता करता है, मिल मालिक को सरकार संरक्षण देने का काम करती है। मान्यवर, हम लोगों को मिलकर मजदूरों और मालिकों के प्रति सोचना होगा। मान्यवर, श्रम और पूँजी दोनों महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसी के पास पूँजी है लेकिन उसके पास श्रम और श्रमिक नहीं हैं तो वह बाजार में पूँजी रखे रहे बिना श्रमिक के उसकी पूँजी क्रियाशील नहीं बनेगी। इसलिए मान्यवर, इस सरकार को श्रमिकों के बारे में बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए उनकी लाठी गोली से नहीं बल्कि व्यवस्था से मदद करनी चाहिए। मान्यवर, हमें इस औद्योगिक जगत में ऐसी स्थिति लानी होगी, जिसमें तालाबन्दी और हड़ताल की गुंजाइश न हो, हम इसका सुझाव देना चाहते हैं। समय-समय पर चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मजदूर संगठन भले ही अपनी नीतियों के कारण लड़ते रहे हों लेकिन जब राष्ट्रहित और देशहित की बात आई हो तो मजदूरों ने भी अपनी लड़ाई को छोड़कर देश और प्रदेश के हित में, उद्योग के हित में काम करना स्वीकार किया है। हम चाहते हैं कि औद्योगिक मजदूरों के हालात सुधारे जाएं और उसकी जाँच करने के लिए कमेटी बननी चाहिए, उस कमेटी के माध्यम उद्योगपतियों की गलती हो, श्रमिकों की गलती हो, दोनों का बुलाकर त्रिपक्षीय समझौता करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने त्रिपक्षीय समझौते के बारे में कुछ नहीं कहा है, त्रिपक्षीय समझौते में सरकार बैठा करती है, ट्रेड यूनियन के लीडर बैठा करते हैं, मालिक बैठा करते हैं और तब उसमें तय होता है कि मजदूरों की इतनी मजदूरी होनी चाहिए। मजदूर कहता है कि हमारी इतनी मजदूरी होनी चाहिए और मालिक कहता है कि इतनी मजदूरी हम नहीं दे पायेंगे तब सरकार कहती है तुम इतना और बढ़ो और तुम इतना घटो बीच में मजदूरी तय हो जाती है। इस प्रकार से मान्यवर, त्रिपक्षीय वार्ता से उद्योग बढ़ते हैं इसलिए माननीय मंत्री जी त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में भी आपको चिन्ता करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बड़ी उत्सुकता से मा0 सदस्य बैठै हुए हैं, अभी खाद्य एवं रसद तथा गृह विभाग का बजट पास होना है इस लिए कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

*डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, श्रमिक कानून सभी श्रेणियों के मजदूरों को संरक्षण प्रदान करते हैं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष दो करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष दो लाख मजदूर बेरोजगार होते हैं। मान्यवर, इसके लिए न हमारा श्रम निदेशालय कुछ कर रहा है और न ही आई0टी0आई0 की जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं। आई0टी0आई0 ट्रेनिंग के बाद एपरेंटिस देकर उनको रोजगार देने का काम आई0टी0आई0 का था, आप यह भी नहीं कर रहे हैं। जो वेतन पुनरीक्षण होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उसके बारे में भी कुछ नहीं किया जाता है। मान्यवर, मैं बाल श्रम के बारे में भी सरकार को बताना चाहता हूँ, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में खतरनाक और गैरखतरनाक उद्योगों में 97 लाख 651 बाल श्रमिक काम रहे हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। मान्यवर, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है, दस वर्ष की आयु के हमारे और आपके बच्चे हँसते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और बढ़ते हैं, मान्यवर, उस गरीब बच्चे का क्या दोष है। हम और आप मिलकर ऐसे गरीब बच्चों को जो श्रमिक बन गये हैं, बाल श्रमिक हो गये हैं उनके उद्धार की योजना बनानी चाहिए और उनका बचपन खिलखिलाता दिखाई दे इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। मान्यवर, हम अपने बेरोजगार नौजवानों को केवल बेरोजगारी भत्ता देकर उन्हें भत्ते का मोहताज बनाने का काम न करें बल्कि हम उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास करें। ऐसी कई स्वरोजगार योजनाएं हैं हम उन्हें लागू करने का काम करें, उन्हें रोजगार से जोड़े ताकि वह रोजगार कर सकें और उन्हें कम ब्याज पर ऋण देने का काम करें। श्रमजीवी पत्रकार योजना की बात करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पूर्णमासी देहाती-

मान्यवर, हमारे यहाँ कप्तानगंज में मजदूरों के पास खाने की भी दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, कृपया बैठ जाएं।

*डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी विधायक एवं पूर्वमंत्री मा0 धर्मपाल जी ने जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मान्यवर, दो-तीन चीजें हम बताना चाहते हैं, अभी मा0 धर्मपाल जी ने कहा कि खेतिहर मजदूरों के चार वर्गीकरण होते हैं। मैं आपको सूचना दे दूँ कि उसमें कोई वर्गीकरण नहीं होता है और वह 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी पाते हैं। दूसरी बात मान्यवर, असंगठित कर्मकारों सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नियमावली उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सम्बन्धी सुरक्षा नियमावली शासन के समक्ष प्रख्यापन हेतु विचाराधीन है, उसके लागू होने पर अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे रिक्शाचालक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मान्यवर, तीसरी चीज असंगठित मजदूरों के लिए कानून है और उसकी नियमावली अन्तिम चरण में है। हमारे डाक्टर साहब अभी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, आप चिन्तित न हों यह सरकार पूरी तरह से श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए संवेदनशील है और हमारे नौजवान मुख्य मंत्री का प्रयत्न है कि किसी भी मजदूर की आँखों में आँसू न हों। मान्यवर, अब तक 1 करोड़ 58 लाख धन वितरित किया जा चुका है और चेक के द्वारा दिया गया है, अधिकारियों के सामने दिया गया है, इसमें कुछ स्तर पर कार्यवाही बाकी चल रही है और तीसरी बात बेरोजगारी भत्ते के लिए 7 हजार 840 आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। मा0 धर्मपाल जी को तो हमारी सरकार को बधाई देना चाहिए कि हमने पहली बार बेरोजगारों की चिन्ता की है, पहले 500 रुपये दिया था और अब 1000 रुपये देने जा रहे हैं और इसके साथ-साथ हम रोजगार के सारे मौके दे रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसी के साथ हम विपक्ष के साथियों का, अपने पक्ष के साथियों का और खास तौर से आपका तथा अपने विभाग के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने सारी जानकारियाँ उपलब्ध करायी। इसी के साथ डा0 साहब से खासतौर से कहूँगा कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 मोहम्मद अयूब-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव था कि जो असंगठित और संगठित मजदूर हैं, इनको भी जिस तरीके से मा0 मुख्य मंत्री और स0पा0 सरकार ने अपना दिल खोल करके किसानों के हमदर्दी की बात की है उससे बदतर हालत में असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। उसमें विशेषकर जो दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं, बुनकर बीड़ी बनाने वाले, ताला बनाने वाले, कसीदाकारी करने वाले, चिकन का काम करने वाले हैं, इनकी सही मायने में दिहाड़ी मजदूरी 100 या 200 रुपये मिलता है। इनके पूरे घर का काम करने के बाद चाहे वह बीड़ी बनाता हो या बुनाई करता हो, पूरे घर की आमदनी, पूरे दिन का काम करने के बाद 50 से लेकर 80 रुपये तक ही हो पाती है। ऐसी दुर्दशा झेलने वाले हमेशा कर्ज के मोहताज होते हैं। अगर बीमार होता है तो कर्ज लेता है, शादी-व्याह होता है तो कर्ज लेता है, घर गिर जाता है तो कर्ज लेता है। इसीलिए मेरा सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन सभी असंगठित और संगठित श्रमिक हैं इन सभी को उसी तरीके की सुविधायें दी जायं जिस तरह की सुविधायें हमारे किसान बन्धुओं को दी गयी हैं, उनकी कर्ज माफी की जाए। दुर्घटना बीमा जिस तरह से किसान बन्धुओं की दी गयी हैं, उसी तरीके से इनको दुर्घटना बीमा पाँच लाख रुपये की दी जाए। यह हमारा अनुरोध है और हम इस पर मा0 मंत्री जी का विचार जानना चाहते हैं।

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर हैं, वास्तविक जीवन का उनको कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। यह सरकार पूरी तरह से बीड़ी मजदूरों के लिए, गन्ना मजदूरों के लिए और विभिन्न मजदूरों के लिए चिन्तित है और बाकायदा संवेदनशील है। पाँच साल पहले इसी सरकार ने उनका वेतन बढ़ाया था। आपके जो सुझाव हैं उस पर विचार किया जायेगा।

डा0 मोहम्मद अयूब-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि संवेदनशील और चिन्तित हैं। मैं प्रस्ताव दे रहा हूं कि जो कर्ज माफी है, जो सबसे परेशान है हमारे असंगठित और संगठित श्रमिक है इनका जो कर्जा है उनकी माफी और दुर्घटना बीमा का प्राविधान किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी और मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,82,47,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,53,38,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री-(श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,55,80,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन् खाद्य व आवश्यक वस्तुओं को जनसाधारण तक पहुंचाना तथा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी और भरपूर मूल्य दिलाना यह खाद्य व रसद विभाग का दायित्व है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और हम सबके मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह यादव की यह प्राथमिकता में है। चुनाव में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी यह था कि किसानों को उनकी फसल का भरपूर मूल्य उपलब्ध कराना यह हमारी सरकार का लक्ष्य होगा। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। मुझे आपको और पूरे सदन को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सन् 1966 से खरीद की यह प्रक्रिया शुरू हुई है और इस बार रिकार्ड खरीद हुई है। हम लोग जो 42 लाख मी0टन का लक्ष्य है वह भी पार कर गये हैं। लगभग 43 लाख मीट्रिक टन इस समय हम लोग आज की तारीख में पहुंच गये हैं। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद के समय प्रारम्भिक दौर में मैं यह स्वीकार करता हूं कि बोरों की अनुपलब्धता के कारण कुछ समस्यायें आई कई जगह की खरीद बाधित हुई लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि पांच साल से यह तंत्र इतना खराब हो गया है इसका हममें से किसी को अंदाजा नहीं था। 19 या 20 तारीख को हम लोगों को विभाग मिले और 10 दिन बाद से खरीद शुरू हो गई। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने हम सब लोगों को बुलाया और चिन्ता व्यक्त की जिस तरह से बोरों की कमी और अधिकारियों की लापरवाही के कारण खरीद बाधित हो रही थी और उसी दिन उन्होंने तत्काल सभी माननीय मंत्रियों को यह निर्देशित किया कि आप लोग अलग-अलग जिले में जाकर स्वयं निरीक्षण करें स्वयं छापा डालें बिना बताये जाना है कोई कार्यक्रम नहीं जारी करना है और यथा सम्भव निजी गाड़ी से जाना है। पहली बार ऐसी ऐतिहासिक कार्यवाही हुई कि बहुत से माननीय मंत्रीगण अपने निजी वाहनों से बिना प्रोग्राम के प्रदेश के विभिन्न जनपदों में क्रय केन्द्रों का निरीक्षण

करने गये वहां पर जाकर जो अच्छा काम कर रहे थे उनको प्रोत्साहित किया जिनकी शिकायत मिली उनको दंडित किया और इतनी बड़ी कार्यवाही आज तक खाद्य एवं रसद विभाग के इतिहास में नहीं हुई है। जिसमें लगभग 165 लोगों को सस्पेंड किया गया है और लगभग इतनी ही एफ0आई0आर0 हुई हैं। यह सरकार किसानों को उनके फसल का पूरा मूल्य दिलाने के प्रति पूरी तरह गम्भीर है। प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही श्रीमन् हमारे विभाग का एक महत्वपूर्ण बिन्दु पी0डी0एस0 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। काला बाजारी जोरों पर थी। नई सरकार में इस प्रणाली को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत कई कदम उठाये जा रहे हैं। प्रदेश के जनपदों में प्रचलित एक करोड़ 6 लाख 79 हजार बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्डधारक तथा 333.8 लाख ए0पी0एल0 राशन कार्डों के डाटा डिजिटाइजेशन का कार्य एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर के माध्यम से कराया जा रहा है। श्रीमन् अभी तक क्या होता था कि कोटेदार से लाभार्थी को खाद्यान्न मिला या नहीं मिला इसकी कोई पुष्टि हमारे पास नहीं होती थी। कई कोटेदार ऐसे भी हुआ करते थे जो कार्ड को अपने पास रख लेते थे उस पर दस्तखत कर देते थे। लाभार्थी अगर अन्त्योदय का होता था या बी0पी0एल0 का होता था तो उसको उतना ही दबाया जाता था। इन सब चीजों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए और लाभार्थी तक खाद्यान्न और तेल पहुंचे इसको सुनिश्चित कराने के लिए स्मार्ट कार्ड की योजना हमारी सरकार लाई है।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर जिसमें स्मार्ट कार्ड धारक एक हैण्ड मशीन रहेगी हाथ में पकड़ी हुई मिनी कम्प्यूटर की मशीन रहेगी उसमें जैसे ही अपना कार्ड डालेंगे उस मशीन में पूरा अंकित होकर आ जायेगा कि कितना गेहूं कितना चावल आपको खरीदना है उसको पंच करने के बाद कार्ड को बाहर निकाल लिया जायेगा इस तरह से यह सम्भावना समाप्त हो जायेगी कि लाभार्थी को उसका खाद्यान्न मिला या नहीं मिला। श्रीमन् इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवंटित खाद्यान्न का व्यवर्तन रोकने के लिए तथा लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए डोर स्टेप योजना को भी लागू किया जा रहा है। जिसमें प्रथम चरण में प्रदेश के नगरों में, ब्लाक गोदाम से खाद्यान्न उठाकर उचित दर विक्रेता तक पहुंचाये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब उत्तर प्रदेश में आवश्यक वस्तु निगम के 18 जनपदों के मुख्यालय, नगरीय क्षेत्र में डोर स्टेप डिलिवरी प्रारम्भ कर दी गयी है और श्रीमन् जल्दी ही हम इसको उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जहां ब्लाक गोदामों से खाद्यान्न उठा करके कोटेदार के दरवाजे तक पहुंचाना जिसको हम डोर स्टेप डिलिवरी कहते हैं, यह सुनिश्चित किया जायेगा ताकि कई बार ऐसा होता है कि कोटेदार वहां से उठाते नहीं हैं या वहां से उठाने के बाद वहीं पर उसको कालेबाजारी में बेच देते हैं। तो इस चीज का सुनिश्चित कराने के लिए और इसके साथ ही श्रीमन् एस0एम0एस0 एलर्ट भी जारी किया गया है। जिस गांव में कोटेदार अपना खाद्यान्न उठा कर ले जायेगा उस गांव के दस व्यक्तियों को एस0एम0एस0 द्वारा यह सूचित किया जायेगा कि आपके गांव में ये खाद्यान्न पहुंच गया है और आप जाकर उसको उठा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में श्रीमन् कोटेदार की बहुत सी शिकायतें आती हैं और शायद ही कोई ऐसा कोटेदार हो जिसके ऊपर कोई आरोप न लगा हो। कोटेदारों का भी यह कहना था कि हमको फायदा नहीं होता है और जब हम लेकर के आते हैं खाद्यान्न तो उतना तो रास्ते में किराया लग जाता है तो बेईमानी करना हमारी बाध्यता है। ऐसा कई कोटेदारों का बयान होता है। श्रीमन् एक तो डोर स्टेप डिलिवरी में उनका जो किराया लगता है वो बचेगा और इसके साथ ही उनका लाभांश बढ़ा कर 12 रुपये से 17 रुपये प्रति कुण्टल कर दिया गया है जितना भी वो गेहूं और चावल देंगे तो 17 रुपये

प्रति कुण्टल उनको लाभांश मिलेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त श्रीमन् उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, राज्य कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं को वैट रहित दरों पर उपलब्ध कराता है ये विभाग। निगम द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपये के खाद्यान्न की आपूर्ति प्रदेश कारागारों में निरुद्ध बंदियों हेतु की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अब तक 5241 मीट्रिक टन साबुत दाल, 75227 मीट्रिक टन तैयार पीली मटर की दाल एवं 2000 मीट्रिक टन खाद्य तेल की आपूर्ति निगम द्वारा करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त दवा व्यवसाय एवं मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूं, धान खरीद का कार्य किया जा रहा है। श्रीमन् उपभोक्ता को, कन्ज्यूमर को उसका हक मिले, उसको किसी ढंग से छला न जाये इसलिए इसी विभाग से सम्बद्ध है राज्य उपभोक्ता एवं विवाद प्रतितोष आयोग, लेकिन उसमें काम अधिक होने के कारण निस्तारण की गति बहुत धीमी हो गयी थी। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने ये निर्देश दिये हैं कि उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए दो अतिरिक्त पीठ स्थापित करने और 30 पद सृजित करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। इस तरह से श्रीमन् तमाम ऐतिहासिक कार्य इस विभाग ने इतने कम समय में हमारे मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देश में हुए हैं इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं, यह उम्मीद करता हूं कि ये खाद्य एवं रसद विभाग का बजट बिना किसी कटौती के पारित हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

डा0 राधा मोहन दास जी, इसमें थोड़ा संक्षेप में रखियेगा।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, आपके पास तो दो पन्ना भी था, मैं तो खाली हाथ हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना एवं सुझाव देना है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की स्थापना गुलामी के काल में हुई थी। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, विश्व युद्ध चल रहा था और पूरे भारत में अनाज का संकट था और अंग्रेजों ने इस विभाग की स्थापना इसलिए की थी कि वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जितना भी अनाज हो नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। आज परिस्थितियां बदल गयीं हैं। देश आजाद हो गया, वो देश जो खाद्यान्न की कमी से पीड़ित हुआ करता था। आज यहां खाद्यान्न की बहुतायत है। मा0 मंत्री जी ने खुद कहा कि 42 लाख मीट्रिक टन हमने सिर्फ इस प्रदेश से इकट्ठा कर लिया और 47 लाख टन हो जायेगा। अभी मैं आऊंगा बात पर कि इससे भी अधिक होने वाला था। नहीं हो पाया कुछ कमियां रहीं। प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि आज स्थिति गोया उत्तर प्रदेश की यह हो गयी।

आज हमारा नागरिक उत्तर प्रदेश का इतने सारे खाद्यान्न के बीच में भी भुखमरी से मरता है। जब अंग्रेज अनाज नहीं दे पाते थे या उत्पादन कम था तो कोई पेट में अनाज न होने के नाते मरे तो यह बात समझ में आती थी। आज इतनी सक्षम सरकार है और इतना सारा उत्पादन है उसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी आप भी इसको संज्ञान में लेते होंगे। न जाने कितने ऐसे लोग गांव में बैठे हैं जिनके पेट में अनाज नहीं जाता इसलिए कि यह व्यवस्था पहुंचने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं देती है और वह भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी एक अनुभवी मंत्री हैं इसके पूर्व भी आप इस दायित्व को सम्भाल चुके हैं। मैं यह मानता था कि पिछले अनुभव के आधार पर कुछ मौलिक चिन्तन करके यह हमारे बीच में आयेंगे। जो मुझे लगता है वह मैं कहने जा रहा हूं। जो कुछ मैंने क्रय के बारे में देखा उसकी चर्चा आपने करी। मैं उसकी चर्चा कुछ देर बाद करूंगा। हम लोग गेहूं का क्रय कराते हैं ट्रकों में लदवाते हैं और लदवाकर एफ0सी0आई0 के गोदामों में पहुंचा देते हैं। ट्रकों में चढ़ाते समय 6 रुपये क्विंटल, ढुलवाई का 30 रुपये क्विंटल, उतरवाई का 10 रुपये क्विंटल, क्रय अधिकारी को 10 रुपये क्विंटल गोदाम अधिकारी को 30 रुपया क्विंटल यह पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो बहुजन समाज पार्टी के आते बढ़ गया होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिस्टम पूरे देश में कहीं नहीं है। यह उत्तर प्रदेश का सिस्टम नहीं है। यह पूरे भारत का करीब-करीब सिस्टम बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह सारे पैसे जोड़ लिये जायं यह पैसे अगर न खर्च होते तो सरकार के कोष में जा रहे होते या दूसरे काम में खर्च हुआ होता। खाद्य रसद विभाग के प्रमुख सचिव ने गोरखपुर के एक क्रय केन्द्र का निरीक्षण किया, मैं नाम ले रहा हूं और जो उन्होंने छापा मारा जो मैंने अखबारों में पढ़ा। जब उन्होंने छापा मारा तो एक क्विंटल में किसान को 6 किलो कम का भुगतान किया जा रहा था। रंगे हाथ उन्होंने पकड़ा। जब अखबार वाले पहुंचे तो जिस क्रय केन्द्र में पकड़ा था उस क्रय केन्द्र के अधिकारी ने कहा 6 किलो कम न दें तो कहां से दें। यहां से लेकर पूरा गोदाम तक मुझे पैसा देना है इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक एक ट्रक पर 5 हजार रुपया नहीं दिया जायेगा हमारा गोदाम से अनाज उतरेगा नहीं। फल यह होगा कि अगर 6 चक्के का ट्रक होगा तो हजार रुपया रोज और 10 चक्के का ट्रक होगा तो राकेश जी, आप तो जानते होंगे, गर्दन हिला रहे हैं, सहमति दे रहे हैं डेढ़ हजार रुपया रोज। यह खर्चा बचाने के लिए यह खर्चा हमको देना पड़ता है। मैं क्यों इस बिन्दु पर आ रहा हूं इसका कारण है। अध्यक्ष जी दुर्भाग्य है हमारा, हम किसानों से गेहूं खरीदते हैं और एफ0सी0आई0 में पहुंचा देते हैं और फिर हम पी0डी0एस0 के सिस्टम में गेहूं बांटना चाहते हैं उसी एफ0सी0आई0 से गेहूं उठा लाते हैं। एक बार पहुंचाने के लिए हम खर्चा करते हैं और दोबारा वहां से उठाने के लिए खर्चा करते हैं। अगर हम इन दोनों खर्चों को माननीय मंत्री जी रोक सकें तो इस प्रदेश सरकार की करोड़ों रुपये की राशि की बचत होने वाली है और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस राशि का उपयोग करना चाहें तो एक-एक ब्लाक में हम गोदाम सिर्फ इसी राशि से बनवा सकते होंगे। प्रदेश सरकार अपने आप को सक्षम कर लेगी और एक-एक ब्लाक में गोदाम बना दिये जायेंगे। किसानों से क्रय होगा और हम अपने अधीनस्थ उन्हीं गोदामों में धान और गेहूं को रखेंगे और वहीं से उठाकर हम पी0डी0एस0 सिस्टम को सप्लाई कर देंगे। यह जो एफ0सी0आई0 का खेल हमारी अपनी सम्पत्ति को लूट रहा है, इस सम्पत्ति की बचत होगी। अध्यक्ष जी, यह कोई मेरी अपनी सोच नहीं है, साहित्य को पलटते-पलटते मैंने कहीं यह भी पढ़ा कि यह प्रयोग माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में कहीं हो चुका है। 1989 में खाद्य एवं रसद मंत्री हुआ करते थे माननीय नेता भाजपा, हुकुम सिंह जी, उन्होंने यह प्रयोग किया था और जब उन्होंने प्रयोग किया तो सारे अधिकारी उनके सर पर चढ़ गये कि यह आप क्या कर रहे हैं। (शोर) हो सकता है वर्ष में कोई अन्तर हो, मैं नाम ले रहा हूं कि उन्होंने यह किया। यह मेरी जानकारी में है सारे अधिकारी उनके ऊपर चढ़ गये कि अगर विभाग इतनी ईमानदारी से चलने लगा तो हम लोग कहां जायेंगे। शायद 1998 की बात हो। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या क्या है ? उत्तर प्रदेश का गेहूं जैसा मुझे बताया गया है।

आप जानते होंगे गुणवत्ता में बहुत अच्छा होता है। पंजाब का इसके मुकाबले में खराब होता है। हम जब जमा करते हैं तो यह अच्छी गुणवत्ता का हमारा गेहूं होता है। लेकिन हमारे पास इसके बाद की गारण्टी नहीं होती है कि उठाकर जब हम पी0डी0एस0 सिस्टम में भेजते हैं तो वह हमारा अच्छा गुणवत्ता का गेहूं होता है या पंजाब का गेहूं। मुख्य मंत्रियों की बैठक में खुद फारुख अब्दुल्ला ने स्वीकार किया मुझे पंजाब का नहीं मुझे उत्तर प्रदेश का गेहूं चाहिए। हमें अपने किसानों पर गर्व करना चाहिए और हमें अपने सिस्टम पर दुख व्यक्त करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का गेहूं जिसकी अपेक्षा पूरे उत्तर प्रदेश को होती है हम अपने नागरिकों को नहीं खिला पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस सिस्टम पर आपको विचार करने की जरूरत है। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है आपके पास पूरा पांच साल का समय है। आप चाहेंगे, मैं जानता हूं जो आप चाहते हैं, वह होता है, बस आप चाह लीजिए, मुझे लगता है कि सामान्य जनता की और किसानों की बहुत बड़ी मदद होने वाली है। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय इसकी सप्लाई है, देहात में कहा जाता है कि इसका अधिकार गांव में ग्रामीण कमेटियों को दिया गया है। वह नियुक्त करते हैं कि वितरण का कार्य कौन एजेन्सी लेगी। शहर में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है शहर में कोटा कौन लेगा शहर में यह सप्लाई विभाग के अधिकारी तय करते हैं। नंगा नाच होता है, अध्यक्ष महोदय, जिनसे नहीं मिलता है उनसे फर्जी शिकायतें कराई जाती है। दूसरे को देने के नाम पर सुनवाई की जाती है। एक को कैंसिल करके दूसरे को देना और दूसरे को कैंसिल करके वापस उसी को देना, यह होता है। हमने गोरखपुर में देखा है कि हम जैसे लोगों के रहने के बाद अगर गोरखपुर का यह सत्य है तो यह पूरे प्रदेश का सत्य है। कम से कम शहरी क्षेत्र के बारे में मैं इसकी गारन्टी दे सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सप्लाई की सम्पूर्ण व्यवस्था में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज कमेटियों की भूमिका आपने बनाई है शहर के जनप्रतिनिधियों की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि जनता के बीच में हम जाते हैं जनता हमसे सवाल करती है, क्या डाक्टर साहब, इतना विधान सभा में बोलते है। और मिट्टी का तेल नहीं दिला पाते हैं खुले आम ब्लैक हो रहा है। अनाज नहीं दिलवा पाते हैं कोटेदार खुले आम बेचे दे रहे हैं। तो कहीं यह तय होनी चाहिए सप्लाई के सिस्टम में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सुनिश्चित की जाये और उनके अधिकार सुनिश्चित किये जायं। अध्यक्ष महोदय, बात बी0पी0एल0 के कार्ड की आई थी। मैं उसके पहले, मेरा निजी स्वार्थ है, गोरखपुर में गैस की बहुत खराब स्थिति है, नरक हो गया है। इतना भीषण गैस के उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, जिसका कोई इतिहास नहीं। जमाना गुजर गया जब एक दिन पर मिला करती थी, जमाना गुजर गया जब गैस घर में सप्लाई होती थी और जमाना गुजर गया जब सिलेण्डरों में साढ़े 14 किलो गैस हुआ करती थी और जमाना गुजर गया जब 400 रुपये में गैस मिला करती थी। मैं आपके कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि यह सत्य है कि अभी आपका कार्यकाल शुरू हुआ है। मैं आपको उन स्थितियों को बता रहा हूं जिनको आपने विरासत के रूप में पाया है और जिनको आपको ठीक करना होगा। एक गैस का कनेक्शन जो खुले आम उपलब्ध है, अगर आप चूल्हा न लें, तो मैं इसकी गारन्टी लेता हूं कि आप भी कनेक्शन नहीं ले पायेंगे, आज यह भ्रष्टाचार की स्थिति है और अधिकारी रोना क्या रोते हैं इन बेईमान एजेंसी वालों पर कार्यवाही करने के बजाय अधिकारी कहते हैं कि गैस कम आ रही है लेकिन अगर हम चार सौ रुपया की जगह पांच सौ रुपया दे दें तो रात के बारह बजे गैस मिल जाती है। अगर गैस कम आ रही है तो घरेलू उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल रही है और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध हो रही है। इसका अर्थ है यह मामला गैस की कमी का नहीं है। यह गैस वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार का है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बी0पी0एल0 कार्ड की संख्या की चर्चा की यह एक अन्याय है जो उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ आप जैसे मजबूत मंत्री को लड़ना होगा। इसलिए लड़ना होगा कि हमारी 20 करोड़ की जनसंख्या है, अगर गरीबी रेखा के नीचे, हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं, हेड काउण्ट रेशियो के, योजना आयोग के, ग्रामीण क्षेत्रों में 42 परसेंट और शहरी क्षेत्रों में 34 परसेंट। इस आंकड़े को अगर सही मान लें और जो शर्त आपने लगायी है कि 25546 रुपये शहर में एक परिवार की अगर आय है, परिवार माने 5 लोग, अर्थात् एक व्यक्ति की एक दिन की आय 14 रुपया होगी तो वह शहर में बी0पी0एल0 कार्ड होल्डर होगा, 19884 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात् एक व्यक्ति की अगर एक दिन की आय 11 रुपये होगी तो वह बी0पी0एल0 कार्ड का होल्डर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तेन्दुलकर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर न जाने कितने झगड़े हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर में गरीबी 30 रुपये और 28 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में होगी और हम मजबूर कर दिये गये, मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहराता क्योंकि यह तो कोटे का मामला है, यह सत्य है कि 1 लाख 6 हजार का कोटा है, 45 लाख अन्त्योदय का और 60 लाख बी0पी0एल0 का, इसको मैं मानता हूं लेकिन यह कोटा हमारे साथ एक अन्याय के तहत हो रहा है। भारत सरकार इस बात का श्रेय तो लेती है कि हम सारा अनाज दे रहे हैं लेकिन सच्चाई यही है कि वह हमारे प्रदेश के अधिकांश गरीबों तक यह सुनिश्चित करती है कि अनाज न पहुंचने पाये। इसलिए इस सदन से एक्रास दि पार्टी और एक्रास दि फ्लोर बातें तय होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के साथ भारत सरकार द्वारा किया हुआ यह अन्याय, अध्यक्ष जी, अब यह मत कहियेगा कि यह भारत सरकार का मामला है, यहां न बोलियेगा। नहीं तो कुछ बोल ही नहीं पायेंगे। हम इस अन्याय के खिलाफ संगठित होकर लड़ें और हमारे प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक-एक नागरिक को यह कार्ड मिल सके, यह सुनिश्चित करना चाहिए। एक तो कार्ड की कमी है और जो मिलता है, उसकी भी स्थिति क्या है ? जांच करवा ली जाये तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो अट्टालिकाओं में रहते होंगे, 2-4 विधायक भी अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं जिनके पास बी0पी0एल0 के कार्ड होंगे। राशन कार्ड तो है, कार्ड नहीं होगा तो आप इस देश में आप रह ही नहीं पायेंगे, यहां के नागरिक नहीं रह जायेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बी0पी0एल0 कार्ड के योग्य नहीं हैं और वह बी0पी0एल0 कार्ड होल्डर हैं। आपके पास एक मौका है, बी0पी0एल0 सर्वे पुनः शुरू होने जा रहा है। यह जो डाटा, जिस लाइसेंस की बात कर रहे हैं, इसको रोक दीजिये, इसलिए रोक दीजिये क्योंकि यह कार्ड समाप्त हो जायेंगे। नया बी0पी0एल0 सर्वे होगा, नये मानक तय होंगे और नये तरीके से बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड बनने शुरू होने वाले हैं। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, यह सुनिश्चित करिये, सारे जनप्रतिनिधियों की मदद से कि कोई भी ऐसा गरीब नागरिक न हो जिसकी योग्यता बी0पी0एल0 कार्ड की हो और वह बेचारा तरस कर रह जाये, हम लोगों और आप के पास हजारों लोग आते होंगे रोज जिनको देखकर आपको लगता होगा कि इनके पास बी0पी0एल0 कार्ड होना चाहिए। लेकिन आप नहीं दे पाते क्योंकि समस्या यह है कि उस लिस्ट में से एक आदमी जब मरेगा तो दूसरे गरीब को अनाज मिलेगा। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, तीसरी सबसे बड़ी बात आपने स्मार्ट कार्ड की कही। आज की स्थिति यह है कि जितने बी0पी0एल0 होल्डर के कार्ड बनते हैं, बड़ी संख्या में वह कार्ड नागरिकों के पास नहीं होते हैं। आप सब सहमत होंगे, कोटेदार उन पर कब्जा करके रख लेते हैं और कोटेदार ही उससे अनाज ले भी लेते हैं और बेंच भी देते हैं। नागरिकों के पास वह कार्ड पहुंच तक नहीं पाते। इसलिए स्मार्ट कार्ड अगर बनने वाला है तो इसमें यह व्यवस्था

सुनिश्चित होनी चाहिए कि वह स्मार्ट कार्ड नागरिकों तक पहुंच सके और इसलिए स्मार्ट कार्ड का सिस्टम अगर बना है तो कोई न कोई रिकार्ड सिस्टम होगा, दुकानदार पर, अगर उसकी नेटवर्किंग हम लोग कर दें तो हम लोग जान सकेंगे कि किस दुकान से वास्तव में कितने कन्ज्यूमर्स ने अनाज उठाया और कितना अनाज उनके यहां बचा रह गया ? अध्यक्ष महोदय, एक करीब-करीब अन्तिम बात मानिये, मिट्टी के तेल की, बहुत बार मैं इस सदन में इस सवाल को लेकर आया हूं। आपके स्थान पर पहले एक मंत्री बैठा करते थे। मैंने इस बात को तीन बार उठाया, मुझे विश्वास है कि आप जैसा मंत्री इसे अवश्य स्वीकार करेगा। मैं जानता हूं, आपकी प्रकृति इतनी छोटी चीजों पर दिमाग लगाने की फुर्सत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 5 लीटर हम लोग मिट्टी का तेल देते हैं। आज के जमाने पर हम स्टेशन पर जायें तो हम एक लीटर पानी खरीदते हैं, सील्ड पानी मिलता है, सील्ड तेल मिलता है, सील्ड अनाज मिलता है, सील्ड मट्ठा मिलता है। हम यह व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते कि हम नागरिकों को 5 लीटर के सील्ड पैकेट में मिट्टी का तेल देना शुरू कर दें क्योंकि सारा खेल इसी से शुरू होता है। ज्योंही मिट्टी के तेल की उठान होती है पूरा का पूरा ड्रम वहीं बिक जाता है। 20 ड्रम का कोटा है तो बीसों ड्रम बिक जाता है। एक-एक कोटेदार 18-18 सौ रुपये महीने बचाता है। 600 रुपये उसको मिलता है। 600 रुपये कहां जाता है आप जान सकते हैं। एक बार आप सुनिश्चित कर लीजिये कि मिट्टी का तेल अब ड्रम में नहीं आयेगा हमें 5-5 लीटर का पैकेट देना है तो हम 5-5 लीटर की सील्ड पैक बना देंगे तो मिट्टी के तेल का सारा भ्रष्टाचार वहीं खत्म हो जायेगा। मिट्टी के तेल को नीले, हरे और पीले रंग में रंगने की जरूरत नहीं होगी।

*श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे खाद एवं रसद विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खाद्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों के नेता डा0 लोहिया जी ने कहा था कि सरकारें अपने काम से बोला करती हैं। मात्र तीन माह हमारी सरकार को आये हुआ और तीन माह के अन्दर आज तक इस सरकार ने गेहूं खरीद के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसमें यह बात भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसके पूर्व के दो वर्षों में हमारी जो पिछली सरकार थी वर्ष 2010-11 में गेहूं खरीद का लक्ष्य 40 लाख मी0टन था मात्र 16.45 लाख मी0टन की खरीद हुई थी। वर्ष 2011-12 में हमारा लक्ष्य 40 लाख मी0टन था 35 लाख मी0टन से भी कम खरीद हुई। लेकिन इस वर्ष हमने 42 लाख मी0टन के लक्ष्य को प्राप्त किया और वह भी तब प्राप्त किया है जब केन्द्र सरकार की उदासीनता के कारण बोरों की उपलब्धता किसी भी क्रय केन्द्र पर सही ढंग से नहीं हुई है। उसके बावजूद इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। मान्यवर, यही नहीं जब किसानों के शोषण की खबर आयी कि क्रय केन्द्रों पर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के मंत्रियों ने अलग-अलग जनपदों में जाकर छापे मारकर उन क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने का काम किया और यह संदेश देने का काम किया कि अगर किसान का कहीं शोषण होगा तो प्रदेश का मुख्य मंत्री भी अपने ए0सी0 कमरे से निकलकर गांव के गलियारे में घूमने का काम करेगा। मान्यवर, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि अलग-अलग जिलों में जाकर उनकी जांच करने का काम करें। उनको देखने का काम करें। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह सरकार जिस प्रकार से गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध है, अभी तो तीन महीने हुआ है, एक शेर कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां बराबर फिर भी कम निकले। आने वाले समय में जब अगले वर्ष का बजट आयेगा तो माननीय सदस्यों ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह भी सरकार के इस विभाग की सराहना करने का काम करेंगे। यह मेरा विश्वास है। मान्यवर, मुझे कोई लम्बा समय नहीं लेना है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत बोलने वाले हैं।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं 5 मिनट के पहले समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, हम जानते हैं कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम करना चाहती है। गरीबों को उनके हिस्से का राशन सही ढंग से मिले। गरीबों को तेल मिले। हम माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो डोर स्टेप डिलीवरी की बात की है और यह बहुत अच्छी योजना है। मैं खुद भी उस व्यवसाय से जुड़ा हूं और जानता हूं कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं। मान्यवर, मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अगर मिट्टी के तेल को भी आप फुटकर विक्रेता के दरवाजे तक पहुंचने के बारे में कोई व्यवस्था बनायेंगे तो आने वाले समय में प्रदेश की वितरण व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। क्योंकि गोदाम से और मिट्टी के तेल के विक्रेता के यहां तक जाने में भ्रष्टाचार होता है। मान्यवर, पिछले समय में बी0पी0एल0 सूची बनाने से लेकर कार्डों की जांच तक में जिस तरीके की हेरा-फेरी जिस तरीके की बेईमानी हुई है। मान्यवर, यह सही बात है कि आज इस प्रदेश के लाखों गरीब जिनको बी0पी0एल0, अन्त्योदय कार्ड मिलने चाहिए थे उनको कार्ड नहीं मिल सके हैं। उसकी जो जांच होती है। अगर उस जांच को और प्रभावी बनाया जायेगा मान्यवर, तो उससे एक अच्छा संदेश जायेगा और गरीबों को भी उनका अधिकार मिल सकेगा। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं, एक व्यवस्था मान्यवर, चली आ रही थी कि मिट्टी के तेल का जो कोटा केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार को आता था, प्रदेश सरकार उसका जिलावार आवंटन करती थी और जिलों में किसे थोक मिट्टी के तेल विक्रेता को कितना तेल दिया जायेगा, इसका निर्णय आयल कम्पनियां, तेल कम्पनियां करती थीं, लेकिन मान्यवर, पिछली सरकार ने इस निर्णय को बदलने का काम किया है और मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की वजह उस निर्णय को बदला गया है अब वह अधिकार जब से जिले के अधिकारियों को दिया गया है मान्यवर, उस व्यवस्था में न पारदर्शिता रह गई है, मनमाने ढंग से व्यवस्था चलाई जा रही है, मैं मा0 मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर उस अधिकार को पुनः तेल कम्पनियों को देने के बारे में विचार करेंगे तो इससे एक बहुत अच्छा संदेश जायेगा। मा0 मंत्री जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं मिट्टी के तेल के बारे में आपने एक रोस्टर जारी किया है कि 20 तारीख तक सारे थोक विक्रेता अपना तेल, तेल कम्पनियों के डिपो से उठा लें, फुटकर विक्रेताओं का भी रोस्टर निर्धारित है उनमें वितरित हो जाय, लेकिन मा0 मंत्री जी हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं इसमें आपका कहीं से कोई कसूर नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तेल कम्पनियों के गोदामों में मिट्टी का तेल समय से उपलब्ध नहीं होता है, इस माह की यह स्थिति है कि इलाहाबाद टर्मिनल जो इण्डियन आयल कारपोरेशन का है उसने आज 19 तारीख है आज 19 दिन में महीने के आठ से नौ दिन ऐसा है कि जब वहां से मिट्टी के तेल की आपूर्ति नहीं हो पाई है ऐसी स्थिति में रोस्टर का पालन हो पाना सम्भव नहीं हो पायेगा मान्यवर, इस बारे में भी कोई निर्देश जारी करने का विचार

करेंगे तो यह प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में होगा। अन्तिम एक अपनी बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, मान्यवर, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता फोरम के माध्यम से प्रदेश के लाखों गरीब उपभोक्ता जिनके साथ तमाम कम्पनियां शोषण करने का काम करती हैं और उपभोक्ता फोरम में बड़ी आशा के साथ जाते हैं और न्याय भी उनको मिलता है, लेकिन मान्यवर, बहुत से उपभोक्ता फोरमों में अध्यक्षों के पद रिक्त पड़े हैं और बहुत से उपभोक्ता फोरमों में वहां के सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी ही अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर वहां पर आप जल्दी ही नियुक्त करने का काम करेंगे तो उससे भी उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, मैं डा0 राधा मोहन दास जी के खाद्य रसद विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो कुछ भी कटौती प्रस्ताव को रखते समय डा0 साहब ने जितनी बातों को रखा है, उन सभी बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और इसके अलावा मा0 मंत्री जी को इस विभाग से सम्बन्धित परेशानियों को, आम जनता की, गरीब जनता की समस्याओं को उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हालांकि वह स्वयं भिज्ञ होंगे, सदन के सभी माननीय सदस्य, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है चाहे वह इस पक्ष में बैठा हो या उस पक्ष में बैठा हो क्योंकि हमें यह खूब पता है कि आज से चार महीने पहले जब वह लोग यहां थे तो इन्हीं सारी समस्याओं को स्वयं उठाते रहते थे और आज हम यहां हैं यकीनन उठा रहे हैं यानी समस्यायें बराबर हैं स्वाभाविक है कि दलगत परिस्थितियों को लेकर आदमी कह पाता है या नहीं कह पाता है। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चितरूप से सबसे बड़ी जो समस्या गैस आपूर्ति की डा0 साहब ने उठाई, गोरखपुर जनपद को अगर हम माडल के रूप में ले लें, प्रदेश की सारी स्थितियों को देखते हुए, पूरी की पूरी रात किसान अपने गैस सिलेण्डर को लेकर, उपभोक्ता अपने गैस सिलेण्डर को लेकर बैठा रहता है। एजेंसियों के किनारे, सड़कों के किनारे लम्बी लाइन लगी रहती है। एक बार तो रात को ट्रक आया और उस व्यक्ति को कुचल कर चला गया। गैस सिलेण्डर लेकर व्यक्ति सो रहा था कि सुबह लाइन लगेगी और हमको गैस सिलेण्डर मिलेगा, पता लगा कि सुबह उठने पर उसका गैस सेलेण्डर चोरी हो गया। वे गये थे गैस लेने के लिए लेकिन पहुंच गये थाने में एफ0आई0आर0 कराने के लिए कि मेरा तो गैस सेलेण्डर ही चोरी हो गया। तो, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सिस्टम बदलना चाहिए। निश्चित रूप से किसानों को या गैस के उपभोक्ताओं को यह बात निश्चित होनी चाहिए कि आप कितने दिन में गैस देने जा रहे हैं और उस हिसाब से एक दिन या दो दिन के अन्तर पर वह जा करके उसे ले लें। मगर यह नहीं हो पा रहा है, यह स्थिति बहुत ही दयनीय है गैस आपूर्ति को लेकर के। दूसरा मिट्टी के तेल के बारे में जैसा कि इस सदन को विदित है बार-बार सदन को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश यह जानता है और यह सदन भी जानता है कि मिट्टी के तेल की चोरी की परिस्थिति क्या है ? कोई भी उपभोक्ता जो मिट्टी के तेल को लेना चाहता है, कोई भी राशन कार्डधारक हो वह पूरा मिट्टी का तेल तो कदापि नहीं पाता है। कार्ड में चढ़ता कुछ और है तथा मिलता कुछ और है। यह सबको पता है और हम इस आचरण को अपनी संस्कृति में अपने खून में शामिल कर चुके हैं। ऐसा होता है इस नाते कोई इसका प्रतिकार भी नहीं कर पाता है। चाहे वह राजनीति का वक्त हो, वोट का वक्त हो, हम चाहे जितना हल्ला कर लें लेकिन अब इसे समान्य रूप से मान लिया गया है और अब यह हमारे खून में शामिल

हो चुका है कि हमारे सामने भ्रष्टाचार हो रहा है और हम उसे देखते रहते हैं। मिट्टी के तेल की स्थिति यह है कि कोई भी उपभोक्ता मिट्टी का तेल पूरी मात्रा में नहीं पाता है। आप तो भिज्ञ मंत्री हैं, आप मा0 मंत्री जी सक्षम मंत्री हैं, आप उसे कर सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि अभी आपको कुल 97 दिन हुआ है। इन 97 दिन के कार्यकाल में आप बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। अलाउद्दीन के चिराग की तरह से आप जिन्न नहीं ला सकते हैं कि हम एकदम से ठीक कर लेंगे। मान्यवर, मैं समझ सकता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार की बात है आप में से कोई एक माननीय सदस्य बड़ी आसानी से खड़े होंगे और फिर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरफ इंगित करके यह कह देंगे कि मान्यवर, यह आपके काल में हुआ था। यह समस्या का हल नहीं है कि हम केवल दोषारोपण की बात करें। हम बात यह कहना चाहते हैं कि आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। आप अगर इस उम्मीद में हैं कि हम डटकर इसका मुकाबला कर सकते हैं तो आप कोई अच्छा प्रस्ताव लेकर आइये। आप कोई बेहतर स्कीम लेकर आइये। हम भी आपका समर्थन करेंगे क्योंकि यह मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है। जहां तक राशन कार्ड की बात है, बिल्कुल इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अट्टालिका वाले, लग्जरी गाड़ी में चलने वाले लाल कार्ड लेकर चलते हैं, झोपड़ी में रहने वाला 10, 20 तथा 50 रुपये कमाने वाला पीला कार्ड लेकर चलता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें वह भी नसीब नहीं है। वह कहता है कि हमें पीला कार्ड भी नहीं मिला और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भारत सरकार की स्कीम आई हुई है, जितना जल्दी हो सके आप इस सर्वे को करायें और पूरी पारदर्शिता से करायें ताकि पात्र लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हो सके अन्त्योदय कार्ड या सफेद कार्ड उन्हें मिल सके और बहुत सारी चीजों पर अपनी बात कहनी थी पर मान्यवर, आपने हमें समय-सीमा में आबद्ध कर रखा है इस नाते अपने मा0 डा0 साहब की बात पर बल देते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो समस्त सुझाव मैंने दिये उस पर आप विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मा0 अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद।

*श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ "योगेश भैय्या"-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 खाद्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के इस प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी, जिनके दिशा-निर्देशन में यह सरकार चल रही है और अपने खाद्य मंत्री जी को साधुवाद और बधाई देना चाहूंगा कि 42 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने गेहूं खरीद का निश्चित किया था उसको हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुके हैं, जहां तक मैंने आज सुबह आंकड़ों को देखा था। गत वर्षों की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है और यह इस बात का परिचायक है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, जो उसने कहा था उसको करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। यह पहला समय था, जब गेहूं की खरीद को देखने के लिए, हम लोग भी राजनैतिक परिवार से आते हैं, बहुत दिनों से राजनीति में हैं, लेकिन बहुत दिनों से यह देखने को नहीं मिला था। हमेशा गेहूं खरीद में शिकायतों की बात आती थी। शिकायतें होती थी और अधिकारियों को मौका मिलता था शिकायतों को निपटाने का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी को कि वह स्वयं निकले और साथ ही साथ सारे ज्येष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश के जिले-जिले में फैल गये और उन्होंने गेहूं कृषकों की दशा और दिशा को देखने का काम किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कड़ी कार्यवाहियां हुई हैं और काफी लोग निलम्बित हुए, काफी लोगों पर एफआईआर हुई है यह हमारी सरकार की एक नेकनीयती का परिचायक है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्ताव रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि हम स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से जो सूचना की क्रान्ति आई है इसमें कहीं न कहीं बदलाव देख रहा है और खाद्य रसद जैसे विभाग में आपने स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की है, यह एक अभिनवकारी, क्रान्तिकारी कदम है। आपने डोर स्टेप डिलीवरी की बात की। एक बहुत बड़ा गैप था कि गोदामों से निकल करके और राशन दुकानदार के यहां पहुंचने में बीच में गल्ले की गड़बड़ी होती थी अब उस गड़बड़ी को डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आप सीधे दुकानदारों तक कोटेदारों तक पहुंचायेंगे। यह कहीं न कहीं उस दुकानदार को ईमानदारी के लिए बाध्य करेगा और यह बाध्य इसलिए करेगा क्योंकि अभी आपने अपने भाषण में कहा है कि पहले कमीशन कम मिलता था घटतौली भरा गेहूं उनको मिलता था 50 किलो की जगह 45 किलो, 48 किलो की बोरी मिलती थी अब यह व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आपने इस सदन को आश्वासन दिया है कि हम उसको दूर करेंगे, पीडीएस सिस्टम वहीं पर है जहां लोग कमजोर हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने एसएमएस की बात की है कि एसएमएस के द्वारा 10 व्यक्तियों को गांव में सूचना दी जायेगी कि आपके यहां गेहूं गल्ला पहुंच चुका है। यह सारी चीजें जो आपने बदली है इसका असर कुछ दिनों में हमें दिखाई पड़ेगा जैसा भाई राजेश जी ने कहा कभी हम यहां बैठते हैं कभी वहां बैठते हैं, समस्यायें एक है विचार बदला करते हैं। लेकिन उस पर उन्होंने अपनी पीड़ा भी रखी उन्होंने कहा कि हम अपना दर्द नहीं कह पाते हैं हम लोग वह लोग हैं जो अपना दर्द कहीं न कहीं कह लेते हैं। आपके दर्द में दिक्कत है हम अपने दर्दों का इजहार कर पाते हैं सदन में हमको एक लोकतांत्रिक छूट मिली हुई है। अन्त में राज्य उपभोक्ता परिषद् आपने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो नई पीठे गठित हो रही हैं 30 नये सदस्यों का उसमें मनोनयन होना है, हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि काफी पद उपभोक्ता परिषद् में रिक्त पड़े हुए हैं और वह उपभोक्ताओं के हित के लिए बनाई गयी परिषद् है। अतः आपसे अनुरोध है कि मनोनयन करके गतिशीलता को बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ आपको, माननीय मंत्री जी को सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्रीमती सीमा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खाद्य रसद मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव के सापेक्ष माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं। माननीय मंत्री जी ने अच्छा करने का प्रयास किया है, अनुभवी मंत्री हैं, पहले भी काम देखें हैं, यह कहूं कि माहिर आदमी हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा काम किया है अच्छा काम करेंगे। अभी माननीय हमारे अनूप सण्डा जी कह रहे थे कि हमारी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि लक्ष्य से ज्यादा हमने गेहूं की खरीद कर लिया है, आप भ्रम में हैं, बधाई के पात्र आप नहीं हैं। बधाई के पात्र वह बिचौलिये हैं जो व्यवसाइयों से खरीद-खरीद कर वहां पर इकट्ठा किये हैं। मान्यवर, कितनी बड़ी अतिशयोक्ति है कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम बोरे को सही समय पर उपलब्ध नहीं करा पाये, फिर अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने बोरे नहीं दिये तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक गेहूं की खरीद हो गयी। अगर आज भी जो किसान है जो असली किसान है उसकी गेहूं की खरीददारी नहीं हुई है सुजानगंज जहां से मैं जीतकर आती हूं मेरा एरिया बहुत बड़ा एरिया है, किसानों से भरा पूरा एरिया है, बहुत से किसान

हमारे पास आये कि विधायक जी, बिचौलियों की तो खरीददारी हो गयी हमारी खरीददारी नहीं हुई। मैंने अभी आपको लिखकर दिया भी है जब मैंने बात करना चाहा, हर बार बात करना चाहा तो पता चला कि वह कभी भी गोदाम पर नहीं आता वह अपना कोई प्राइवेट आदमी रखा है वह काम देखता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने खरीद भी कर ली है चाहे किसान से खरीदा हो, चाहे व्यवसायी से खरीदा हो, रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है पता लगा कि बारिस हो गयी गेहूं सड़ गया। पता लगा गेहूं बाहर पड़ा हुआ है कोई चोरी ही करके चला जाय तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। दूसरा मान्यवर, हम गैस की बात करना चाहेंगे। यह हम बहनों से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। हम गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी में तेल है कि नहीं, यह मीटर बता देता है कि अब गाड़ी में तेल नहीं है, अब तेल भरा लो। हम लोगों के यहां आधी पकी दाल होती है, पता लगा सिलेण्डर खत्म हो गया और सिलेण्डर समय पर भी नहीं मिलता कि हम अपने घर में सिलेण्डर रखे रहें और दूसरा सिलेण्डर बदल लें। इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था की जाये मैं नहीं जानती कि मेरी बात सही हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन सिलेण्डर में भी ऐसा कोई मीटर लगना चाहिए ताकि वह अहसास करा दे कि अब वह सिलेण्डर खत्म होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहती हूं कि जैसे गांव में किसी कोटेदार का कोटा निरस्त हो जाता है तो पता लगता है कि रोस्टरिंग प्रणाली में उसका कोटा रोस्टर में 15 किमी0 दूर अटैच हो गया, तो जो गांव का व्यक्ति होता है वह 15 किमी0 दूर जाकर अनाज नहीं ले सकता है तो पूरी सम्भावना होती है कि वह अनाज ब्लैक हो जाता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इस व्यवस्था को खत्म करते हुए, अगल-बगल के गांव में कोटे को अटैच किया जाये ताकि उपभोक्ताओं को सहूलियत हो सके। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नूराबादशाहपुर में सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर वहां के लोगों को गैस मिलती है। आपको मान्यवर, विश्वास नहीं होगा, रात को 12 बजे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग आकर लाइन लगाते हैं, रात भर जगे रहते हैं पता लगा कि सुबह गाड़ी आई नहीं। अगर मान्यवर, गाड़ी आ भी गयी तो जो ब्लैकर्स होते हैं, बीच में जाकर गैस लेकर चले जाते हैं और जो रात से लाइन में खड़ा रहता है, वह गैस नहीं पाता है। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जरूर इसकी यहां से जांच करा लें कि सतहरिया में जो गैस की किल्लत हो रही है, वह क्यों हो रही है। हम लोगों से पब्लिक कहती है कि आओ धरने पर बैठो, अनशन करो, आप इस पर जरूर ध्यान देंगे, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

*श्री अभय नरायन सिंह पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझको खाद्य रसद विभाग के बजट पर बोलने का आमंत्रण दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इस बजट पर सरकार के पक्ष में बोलना चाहता हूं, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि खाद्य रसद विभाग में जो दुकानदारों को सामान दिया जाता है, वह वितरण प्रणाली ऐसी है कि पिछली सरकार ने उसमें जिलास्तर पर एक नियम पारित करवा दिया कि जिस ब्लाक में जो सामान वितरित होता है, जिस कोटेदार के यहां वितरित होता है उसके साथ में एक आदमी को बिचौलिया के रूप में लगा दिया गया, जो सरकार का कर्मचारी होता है, वह जब वहां जाता है तो जिस दुकानदार के पास उसका नम्बर लगा रहता है, वह वहां जाकर सिर्फ दस्तखत करता है और वह यह नहीं पूछता कि किस रेट से वह सामान दे रहा है या क्या कर रहा है, वह केवल दस्तखत करके 500 और एक हजार रुपये लेकर चला आता है और दुकानदार घटतौली करके गरीब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता के राशन में कमी कर देता है। मैं यह चाहता हूं कि पिछली सरकार में जो यह बिचौलिया वाला सिस्टम रखा गया है, उसको सबसे पहले निरस्त कर दिया जाये। इन लोगों के माध्यम से चोरी की संख्या बढ़ जाती है और खाद्य रसद विभाग में जो यह ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 कार्ड दिये जाते हैं उसमें अन्त्योदय की जो योजना होती है, उसमें जितनी कीमत लेनी चाहिए उससे 50 गुना बढ़ाकर कीमत ली जाती है, इसका कारण भी वही बिचौलिया होता है जिसको पिछली सरकार कर गयी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बिचौलिया को हटा दिया जाये यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए में हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं बस कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा भारत सरकार के अनुसार बी0पी0एल0 का सर्वे होना है, बी0पी0एल0 के सर्वे में अक्सर यह देखा जाता है कि केवल व्यक्ति का नाम अंकित होता है, उसके पिता और गांव का नाम अंकित नहीं होता है। तो चूंकि भारत सरकार की गाइडलाइन होती है और प्रदेश सरकार को उसका सर्वे करना होता है, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो बी0पी0एल0 का सर्वे हो, उसमें व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और उसका सही पता उस पर अंकित किया जाये जिससे वह व्यक्ति चिन्हित हो सके, जिसका नाम बी0पी0एल0 में है, उसी को उसका लाभ मिल सके। अन्यथा होता यही है कि जिस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, उसकी जगह दूसरा कोई बलशाली व्यक्ति उस पर अपना नाम लेकर बी0पी0एल0 की तमाम सेवाओं का लाभ उठाने का काम करता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2005 से पूरे प्रदेश में नये राशन कार्ड नहीं बने हैं, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो भी लाल, पीला, सफेद कार्ड बनता है, उसको जारी करने के निर्देश देने का कष्ट करें। तीसरी बात जो राशन वितरण प्रणाली व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत मिट्टी का तेल मात्र 5 लीटर दिया जाता है, मैं चाहूंगा कि उसका अनुपात बढ़ाया जाये। साथ ही साथ जो कालाबाजारी की जड़ है, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां जहां से डिपो से तेल उठता है, उसके जो कर्मचारी होते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, वह 300 रुपये ड्रम लेते हैं और 90 लीटर मात्र उस ड्रम में देते हैं, यह गम्भीर विषय है। ऐसे इंस्पेक्टरों को चिन्हित किया जाये, खासकर तमकुहीराज तहसील में 321 विधान सभा क्षेत्र में 300 रुपये ड्रम लिया जाता है और 10 लीटर ड्रम में तेल कम दिया जाता है। क्या करे, मजबूर है वह कोटेदार, इसलिए वह सही ढंग से वितरण नहीं कर पाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करे, आपकी बात आ गयी।

*श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, एक बहुत जरूरी बात है, मैं कहना चाहूंगा। हमारे यहां एक बाबू है महेन्द्र शुक्ला, जो 6 सालों से पूर्ति निरीक्षक के पद पर तैनात है। वह बाबू है और पूर्ति निरीक्षक का पद सम्भाले हुए हैं, वह निहायत ही भ्रष्ट है। मैं उसको वहां से हटाने की मांग करता हूं। जिला पूर्ति अधिकारी हमारे यहां कोई भी नहीं है। इसी तरह पिछले 6 सालों से सुभाष नाम के मार्केटिंग इंस्पेक्टर सेवरही और तमकुहीराज दोनों जगह का पद सम्भाले हुए हैं जो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, 300 रुपया क्विंटल लेते हैं। उसको वहां से हटाया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है, अब जो भी आप बोलेंगे, आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

*श्री सिनोद कुमार शाक्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी के द्वारा कटौती का प्रस्ताव जो इस महत्वपूर्ण विषय पर रखा गया, इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तब इन्होंने एक वायदा किसानों से किया था। किसानों के नेता कहे जाने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों को उसका पूरा हक दिलवाने का भरोसा दिलवाया था, मैं समझता हूं कि यही बात किसानों के मन को भा गयी, उन्होंने प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार को बना दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि बोरियों की उपलब्धता नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत जल्दी बोरियों की व्यवस्था की और गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा किया। इसके लिए वह वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, मुझे अफसोस इस बात का है कि 275 एफ0आई0आर0 क्रय केन्द्रों पर लिखी गयीं, वहां पर घटतौली हुई और किसानों का उत्पीड़न हुआ लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि किसानों को जो नुकसान पहुंचा, उनको उसका पैसा कैसे वापस दिया जायेगा। मान्यवर, उन्हें सजा मिलेगी, वह जेल चले जायेंगे, मगर जो किसान लुट गया, पिट गया, उसको पैसा वापस कैसे मिलेगा। मैं बदायूं जनपद से जीतकर आया हूं, हमारा बदायूं जनपद समाजवादी पार्टी के लिए विशेष है, वह समाजवादियों की कर्मभूमि रही है। वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भारी वोटों से विधान सभा में जिताकर केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, जैसा मुझे अनुमान है उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी, वहां के किसान आज परेशान हैं। आज जितने लोग पक्ष में बोल रहे हैं मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं। जितने भी सदस्य यहां बैठे हुए हैं, एक टीम बना ली जाये और विपक्ष का एक भी सदस्य न लिया जाय। सत्तापक्ष के 5 सदस्य बदायूं जनपद के किसी गांव में, किसी भी जाति के किसान रहे हों चाहे यादव, पंडित, ठाकुर, मौर्या हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी पार्टी के हों, चाहे वह समाजवादी, कांग्रेस, भा0ज0पा0, ब0स0पा0 के हों, किसी भी 05 किसानों के पास जाकर यह पूंछ ले कि 05 किसानों में से कितने किसानों का गेहूं क्रय केन्द्रों पर तौला गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ यह बात बताना चाहता हूं कि उन पांचों में से उत्तर आयेगा कि किसी एक का भी नहीं तौला गया। अगर तौला गया होगा तो एक-आध किसी नेता का भले ही तौला गया हो। एक प्रतिशत मुश्किल से गेहूं तौला गया होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बदायूं जनपद मे कम से कम 20 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। मैं आरोप सरकार पर नहीं लगा रहा हूं, मैं बस इतना चाह रहा हूं कि जो घोटाला हुआ है, जो किसानों की लुटाई हुई है, सरकार इस बात पर गम्भीर है वह कार्यवाही करेगी, उन्हें जेल भेज देगी। मान्यवर, इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। आप कार्यवाही करें, इससे हम सन्तुष्ट हैं, भला तब होगा जो किसान लुटा है उसका 1050 रुपये के भाव से बिचौलियों ने गेहूं खरीदा है, उन्हें 1285 का प्रति क्विंटल का मूल्य दिलाना चाहिए तब यह समाजवादी की कल्याणकारी सरकार जो किसानों की हितैषी कही जाने वाली है, वास्तव में हितैषी कही जायेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अब समाप्त करिये।

श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

मान्यवर, इसी का एक उदाहरण है कुछ सदस्य उधर से बोलकर सरकार की उपलब्धियों में चापलूसी टाइप की बातें करना चाहते हैं। मान्यवर, इसी का एक उदाहरण है हम भी उसी गलती के शिकार हुए थे। मान्यवर, इनके सामने अभी तो कंगन भी नहीं खुला था कि मांट विधान सभा की सीट पर मथुरा की जनता ने इन्हें रिजल्ट दिखा दिया।

(सत्तापक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

(सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि कन्नौज लोकसभा तो हमने निर्विरोध जीता यह सरकार की लोकप्रियता का परिचायक है।)

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

कम से कम सुना तो करो। मान्यवर, मांट विधान सभा में जिस तरह से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी यह सोचने का विषय है। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत संक्षेप में, एक-डेढ़ मिनट में दो सुझाव देने हैं और वह सुझाव मैं अकेले भी दे सकता था क्योंकि हमारे मंत्रि-मण्डल के साथी हैं। लेकिन अकेले इस सुझाव को देने का कोई अर्थ नहीं था। इस मा0 सदन में उन सुझावों को इसलिए दे रहा हूं कि इन सुझावों पर चर्चा हो सके और इस सदन के बाहर भी लोगों के विचार आप जान सकें क्योंकि जो भी सरकार की नीतियां बनायी जाती हैं वह एक दिन में बनती नहीं हैं। दो सुझावों को चर्चा के लिए रखना चाहता हूं कि आप सब इस पर विचार करेंगे। मान्यवर, एक बात जो सबसे पहले डा0 राधा मोहन दास जी ने अपने कटौती प्रस्ताव में गोदामों की बात कही थी, इस सम्बन्ध में सदन के माध्यम से मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और प्रदेश को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिये हैं और बहुत बड़े गोदाम बनाने की दिशा में जितना भी आगे बढ़ना है, जब मा0 मंत्री जी उत्तर भाषण देंगे तो वह बतायेंगे उस पर चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने उस ओर कदम बढ़ा दिया है। खाली नीति सम्मत नहीं और उसके आगे जा करके जमीनों का अधिग्रहण और सारी बातें, कई कदम उठ चुके हैं उस दिशा में। इसे मा0 मंत्री जी बतायेंगे। दो छोटे सुझाव थे, मा0 मंत्री जी ने जिस स्मार्ट कार्ड की बात की और स्मार्ट कार्ड पर चर्चा भी हुई, उसमें मेरा एक सुझाव है कि स्मार्ट कार्ड मात्र होना यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि उस तक पहुंच जाये। क्योंकि कार्ड है तो स्मार्ट कार्ड है जैसे कार्ड की इण्ट्री है वैसे स्मार्ट कार्ड की इण्ट्री है। तो स्मार्ट कार्ड भी कोटेदार अपने पास रख ले तो और ज्यादा आसानी है। क्योंकि कार्ड तो बड़ा होता है स्मार्ट कार्ड और छोटा होता है, एक के बजाये बीस रख लेगा। इसलिए बायोमेट्रिक आइडेन्टीफिकेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इसकी घोषणा मा0 मंत्री जी करेंगे। इसमें अभी हम तैयारी के स्तर पर हैं। जो उससे महत्वपूर्ण बात है, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी हुई नहीं और हम उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम गेहूं, चावल, चीनी और किरोसीन तेल देते हैं और जो देशी अनाज, दूसरे अनाज हैं। अलग-अलग इलाकों में जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार या दूसरे अनाज पाये जाते हैं इन अनाजों की पौष्टिकता गेहूं और चावल से कहीं कम नहीं है। उनकी उपलब्धता अगर हम कम मूल्य पर दिये जाने वाले लोगों को दे सकें तो जिस इलाके में यह अनाज पैदा होता है उस इलाके में इनके खाने वालों की भी तादात है उनको कम मूल्य पर और कम हेरा-फेरी के साथ बिना ट्रांसपोर्टेशन खर्च के अगर इसको हम शामिल करेंगे तो भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और उनको कम मूल्य पर हम दे सकेंगे। श्रीमन् मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे अगर नहीं सहमत होंगे तो मैं सदन में इसलिए रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। सवाल सहमत का नहीं सवाल है कि जल्दी करिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पी0डी0एस0 सिस्टम को पूरे देश में बदलने के लिए गरीबों के लिए अन्त्योदय के लिए जिन लोगों की हम बात करते हैं उनके लिए सिर्फ गेहूं, चावल को खाद्यान्न मानना यह सोच ही अपने आप में सही नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां रागी या दूसरे अनाज होते हैं उन अनाजों की पौष्टिकता भी है हम कम खर्चे में उन्हें दे भी सकते हैं और डिस्ट्रीव्यूसन सिस्टम में उसकी स्मगलिंग भी नहीं होगी कि उसे उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों बिहार या नेपाल उसे भेजा जाय। इसलिए मान्यवर, उन चीजों को भी पी0डी0एस0 सिस्टम में शामिल करने पर विचार होना चाहिए और एक नई नीति उत्तर प्रदेश से बनकर हम देश में नमूना पेश कर सकें इस तरह की योजना पर माननीय मंत्री जी आगे विचार करेंगे। मैं इसे सुझाव के तौर पर दे रहा था ताकि माननीय सदस्यगण भी अपने यहां इस पर विचार रख सकें और सरकार इसमें आगे नीति बना सके। मान्यवर, इसी के साथ माननीय राजा भैया जी ने जो यह बजट रखा है मैं उनको बधाई देता हूं और उनके इन बजट प्रस्तावों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने खाद्य विभाग के बजट पर माननीय राधा मोहन दास जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाह रहा हूं। पिछली बार भी मैंने यह उठाया था आपके संज्ञान में दिया था कि जो गेहूं की खरीद हुई उसमें बोरों की कमी के साथ-साथ जो खरीद की गई उसमें एक-एक डेढ़ किलो अधिक गेहूं लिया। इसकी शिकायत पर एस0डी0एम0, ए0डी0एम0 ने मौके पर पकड़ा लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ वह भी समय बीत गया अभी भी किसान वंचित है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा अभी पिछली सरकार की काफी बातें कही गई मैं इसी सरकार के बारे में एक बात माननीय मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं आज से दस दिन पहले सात तारीख को जनपद मथुरा में थाना फरेह के अन्तर्गत फरेह के सामने 23 बोरी चावल की पकड़ी गई और 23 बोरी पकड़ने के बाद उसको रफा-दफा किया जा रहा था। हम हाउस में बैठे थे यहां पर फोन आया हमने डी0एम0 साहब से कहा मैंने कहा कि यह मामला है हाउस चल रहा है उन्होंने कहा कि इस पर कार्यवाही होगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन 23 में 15 बोरी रह गई। 15 बोरी की एफ0आई0आर0 हुई चार बजे शाम को उसमें भी कहा गया कि 70 हजार ले लो 80 हजार ले लो कैसे भी निपटाओ माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि डी0एस0ओ0 कहते हैं कि विधायक जी इनका रजिस्टर तो पूरा है जब राशन कार्ड पहले से रखे हुए हैं तो पूरा तो हो ही जायेगा। अगर वह पूरा है तो फिर 23 बोरी चावल की कहां से आ गई। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं उसमें मंत्री जी अंकुश लगायें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। मैंने अगले सदस्य का नाम बुला लिया है।

श्री पूरन प्रकाश-

मैंने तो जीता जागता उदाहरण दिया है। मैं डीलर का नाम भी बताये देता हूं। गोपाल प्रसाद है जो टाउन एरिया, फरेह के अन्तर्गत है वहां चावल की बोरी पकड़ी गई।

श्री अध्यक्ष-

सारे तथ्य तो कटौती के प्रस्ताव में आ गये। आप लोग अपने क्षेत्र की बात नहीं करते जो कटौती में आया है उसी को दोहराते रहते हैं।

*श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो गांव में कोटा लोग बांटते हैं वह इतने बेशर्म और बद दिमाग हो गए हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति दुबारा या तीसरी बार बोलता है कि मुझे तो देना ही पड़ेगा तो उसकी पिटाई तक वह लोग कर देते हैं। अगर वह लोग फरियाद लेकर एस0डी0एम0 साहब के पास जाते हैं किसान मजदूर लोग तो वहां से भी हड़काकर वापस भेज दिए जाते हैं। एक हमारे क्षेत्र में बड़ौत विधान सभा का वाकया है। मलकपुर श्रगांव है मा0 अध्यक्ष जी, मलकपुर में कोटा मालिक ने गरीब लोगों की, किसानों की पिटाई तक कर दी, उनका सिर तक फोड़ दिया पर उसका कोटा अभी बरकरार है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राशन कार्ड बनवाने के लिये कई-कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी राशन कार्ड नहीं बनाया जाता है। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो लोग नार्मली राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उनका राशन कार्ड बनवा दिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहता हूं कि जो मा0 मंत्री जी ने बोला कि 42 लाख मीट्रिक टन गेहूं इन्होंने खरीदा है, अगर यह पहले से सचेत हो जाते तो ये 42 लाख की जगह 62 लाख मीट्रिक टन भी हो सकता था। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़ौत कस्बे में 5 गैस एजेंसिया हैं और वो इतने अंधेरे में रहती हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा कि तमाम गैस वो ब्लैक कर देती हैं और जो लेने वाले गरीब लोग हैं, वो सुबह लाइन में खड़े हो जाते हैं, दोपहर तक उनका नम्बर नहीं आता और कह दिया जाता है कि गैस नहीं आई, अब कल आना। गैस का ट्रक शहर के बाहर खड़ा कर दिया जाता है और तमाम लोगों को चकमा दे दिया जाता। मैं मा0 मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन चारों एजेसियों की जांच करायें और ये काम वो कई सालों से कर रहे हैं। ये इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं है। कई सालों से इस धंधे का कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनकी भी तमाम जांच करायें और अगर वो गलत हैं तो उनको बर्खास्त करने की कृपा करें। इसी के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय कुमार मिश्रा-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी खाद्य एवं रसद द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं आपको। महोदय हमारा देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था। आखिर वो किसके दम पर, न उस समय इतना तकनीकी विकास हुआ था, न इतना विज्ञान का विकास हुआ था। केवल और केवल किसानों के दम पर ही हमारा देश इतना साधन सम्पन्न हुआ था कि पूरे विश्व की निगाह हिन्दुस्तान पर रहती थी कि सोने की चिड़िया को कैसे लूट लिया जाये। आज मा0 अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट उसमें प्रमुखता से किसानों की बात रखी गयी और अपने भाषण में उन्होंने जिक्र किया था कि जब यह सरकार बनी थी तब बोरों की उपलब्धता नहीं थी जो पिछली सरकार द्वारा उत्पन्न की गयी स्थिति थी। लेकिन तुरन्त उस पर कार्यवाही करते हुये बोरा उपलब्ध कराना और आने वाले भविष्य में किसानों को खाद का संकट न हो। चुनाव के समय हम लोगों ने देखा था कि दो-दो बोरी खाद के लिये किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थीं। अध्यक्ष जी, किसानों के हित में यह सरकार किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिये यह सरकार और मा0 मंत्री जी द्वारा जो ऐतिहासिक लक्ष्य पूरा किया गया है। वह किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम है। मैं पुनः मा0 मंत्री जी को इस ऐतिहासिक कदम के लिये बधाई देता हूं और मैं बार बार देखता हूं अध्यक्ष जी, मैं बार बार देखता हूं अध्यक्ष जी कि चाहे जितना बढ़िया बजट प्रस्तुत किया जाये। इनका दिल कहता है कि विपक्षियों का दिल कहता है कि यह बजट अच्छा है लेकिन जुबान से नहीं कहते हैं।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये हम आपके आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि आपने क्षेत्रीय समस्याओं पर बात उठाने की बात की हैं मैं नौतनवां विधान सभा का रहने वाला हूं। वहां पर एक गैस एजेन्सी चलाई जाती है। जो गैस एजेन्सी का मालिक है वह विगत सरकार में कहता था कि जो हाथी को वोट देगा उसको गैस दी जायेगी। आज की सरकार में कहता है कि जो साइकिल को वोट देगा उसको गैस दी जायेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर सरकार का क्या अंकुश है ? वहां पर एक ग्राम सभा सिरसिया है और उसके अंदर आज की तारीख में 18 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर मिट्टी का तेल कोटेदार के द्वारा बेचा जा रहा है और महाराजगंज जिले की जितनी सरकारी एजेन्सियां हैं सारी एजेन्सियों में शिकायत की गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरकारें कहती हैं कि हमने अच्छी खरीददारी की। मानता हूं मैं, और इसके लिये खाद्य एवं रसद मंत्री जी बधाई के पात्र हैं लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि एक जमाने में नारा दिया जाता था इन सरकारों को कि किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी लाठी डंडों की यह सरकार नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप किसान हितैषी थे, और किसानों के हितैषीपन की बात की तो आपकी जो खरीददारी की गई, यह जो चार एजेन्सियां हैं उन्होंने बिचौलियों का काम किया है। उन बिचौलियों के माध्यम से अगर गेहूं की खरीददारी हुई है तो मैं चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में अगर बोरे की कमी, इन्होंने बोरा नहीं मांगा, इस कारण आपको बोरे की समस्या झेलनी पड़ी तो आने वाली धान की खरीददारी में आप बोरे की व्यवस्था कर लें ताकि आप धान की खरीददारी कर सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद। डा0 राधा मोहन अग्रवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसी के सन्दर्भ में कुछ जोड़ते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि इस विभाग के जो मंत्री हैं वह जानदार भी हैं, दमदार भी हैं और चमकदार भी हैं और हमेशा पिछले 5 वर्षो में बहिन जी की कृपा से वह बड़े चर्चित भी रहे हैं। इस नाते मेरे जिले की एक घटना है, क्योंकि खाद और रसद के कारण ही मेरे जिले में विवाद हुआ। चूंकि पूर्व की बसपा की सरकार में जनप्रतिनिधियों की स्थिति यह हो गई थी, मेरे जिले में सातों बसपा के विधायक थे। और जो गैस एजेन्सी थी वह 90 प्रतिशत उन जनप्रतिनिधियों के पास हुआ करती थी अर्थात् अगर गैस का सिलेन्डर, मिट्टी का तेल जो कुछ भी मिलेगा वह उनकी संस्तुति से मिलेगा जैसा कि मेरे पूर्व में माननीय सदस्य ने कहा कि जो हाथी की पर्ची दिखायेगा ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन एक गैस एजेन्सी से 4-4 लाख रुपये की इनकम एक एक जनप्रतिनिधि की हुआ करती थी। इसकी जानकारी आप कर सकते हैं पूर्व में जिले के अंदर नूरपुर गैस एजेन्सी या हलदोर गैस एजेन्सी, सिवारा गैस एजेन्सी, सिरकोट गैस एजेन्सी यह किसके पास थी ? यह बसपा के नेताओं के पास हुआ करती थी लेकिन सरकार बदली, मौसम बदला तो चीजें भी स्वाभाविक रूप से बदलना स्वाभाविक था। इसलिये 4 लाख की वह इन्कम जब जाती दिखाई देगी तो दिक्कत तो पैदा होगी ही। ऐसी ही एक दिक्कत धामपुर के एक पूर्व विधायक के साथ आई। खाद्य और रसद के कारण दिक्कत आई और वह दिक्कत इतनी बढ़ गई कि अगला बजट जो आने वाला है माननीय मंत्री जी का जेल का तो वह ऐसी स्थिति बन गई कि मुकदमें वगैरह दर्ज हो गये और पुलिस पर फायरिंग भी हुई। यह सारी चीजें हुई। यह जो चीजें हैं कि आप 2007 में जिसके कारण इधर या बसपा की सरकार आई थी आपके तानाशाही रवैये के कारण। यह लोग आ गये और इनके तानाशाही रवैये के कारण इतना सारा दुष्कर्म और यह गुन्डई प्रदेश के अंदर हुई तो जनता ने आपको यह मौका दिया है। हमारी स्थिति तो वही है। हम पहले भी तीसरे नम्बर पर थे और आज भी तीसरे नम्बर पर हैं। इसीलिये माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इसमें कुछ सुधार करिये क्योंकि जनता सुधार चाहती है। चूंकि हमारे युवा मुख्य मंत्री हैं और एक आशा भरी किरण उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है इसलिये आप ठीक से काम करेंगे तो ठीक रहेगा वरना स्थिति फिर यह हो जायेगी कि इधर खाई और उधर गड्ढा।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

यह बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मदन चौहान-

मान्यवर आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सारी बातें आ गई हैं, लेकिन जब तक मानसिक सोच नहीं बदलेगी तो सुधार कैसे होगा। जिस तरह से गेहूं की खरीद हुई उसमें कौन निलम्बित हुआ, बोरों की कमी थी, एक संदेश सम्मानित जनता में गया कि इतनी जागरुक सरकार अगर पहले होती तो यह स्थिति न आती, जिस तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री जी का दौरा लगा इतिहास गवाह है। माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं और विपक्ष के लोग बैठे हैं तमाम लोग बैठे हैं क्या किसी मुख्य मंत्री जी ने जाकर कभी देखा क्रय केन्द्र पर, तो इससे जनता में एक संदेश गया। मान्यवर, सरकार के साथ कोटेदार भी बदले हैं, पिछली सरकार में हमने देखा अगर हमारे दल का व्यक्ति था जिसके पास कोटा था उसका कोटा या तो बदला या, या उसका पैसा देकर पिंड छूटा है। मान्यवर, जिन कम्पनियों से गैस आती है उनके मैनेजरों और इंस्पेक्टरों का इतना हस्तक्षेप है कि उसके बगैर उस गैस एजेन्सियों का बदलाव नहीं हो पा रहा है। उनका हस्तक्षेप कम से कम हो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

एक सदस्य-

मैं दस दिन से लगातार खड़ा हो रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए समय बरबाद न करिए।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर आपने खाद्य एवं रसद के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, खाद्य एवं रसद के दो मुख्य काम रहते हैं। पहला किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाना। दूसरा आम लोगों की जरूरत का सही वितरण हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा। यह दो मुख्य काम होते हैं। आज जो गेहूं खरीद की बात की जा रही है। यह लक्ष्य से अधिक गेहूं की खरीद हो रही है। वास्तविकता यह है किसानों से 20 प्रतिशत गेहूं खरीदा गया है। 12 जून तक का रिकार्ड है। डेढ़ लाख मीट्रिक टन गेहूं लखीमपुर जनपद में खरीदा गया है जिसमें 80 प्रतिशत खाद्यान्न माफियाओं के द्वारा क्रय एजेन्सियों के प्रभारियों और अधिकारियों से मिलकर यह काम किया गया है। वास्तविकता यह है कि बारदाने में भी बहुत बड़ा घपला अधिकारियों ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो चिन्हित बारदाना है, जितना उनको दिया गया उससे ज्यादा बारदाना उनके गोदाम में हैं, अगर जांच कर ली जाए तो खाद्यान्न माफिया तुरन्त पकड़ में आ जाएंगे। करोड़ों रुपयों का भुगतान छोटी-छोटी बैंकों से किया गया है जहां का टर्न ओवर कभी साल भर में उतना नहीं होता है। अगर माननीय मंत्री जी कहेंगे तो मैं उनको बैंकों का नाम भी दे दूंगा। दूसरी बड़ी समस्या है मैंने उसको नियम 51 में उठाया भी था। मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो यह गोदाम हैं उनके प्राइवेट कर्मचारी गोदाम प्रभारियों के द्वारा बैठाए जा रहे हैं। गोदाम प्रभारी के पास कई-कई गोदामों के चार्ज हैं जो लाखों रुपया डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर को देकर उनको चार्ज मिलता है। माननीय मंत्री जी ने उसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनसे 15 दिन में जांच करने की बात कही। तीन सुझाव मैं देना चाहता हूं मिट्टी के तेल का, जहां तक मामला है वह डिपो से सीधा ब्लैक होता है रास्ते में किसी न किसी पेट्रोल पम्प पर उतर जाता है क्योंकि कोटेदारों से पहले से तय होता है किसी से दस ड्रम, किसी से सात ड्रम किसी से आठ ड्रम, का कोटा होता ऐसी उनकी बात होती है इसको मार्जिन मनी कहा जाता है और कोटेदार उसको मार्जिन मनी कहता है और रास्ते में मार्जिन मनी देकर उतना तेल उतार लिया जाता है। मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल तीन सुझाव देना चाहता हूं। सार्वजनिक प्रणाली चाहे एस0एम0एस0 द्वारा चाहे अन्य प्रणाली या स्मार्ट कार्ड द्वारा आप अपनाने जा रहे हैं उससे फायदा होने वाला नहीं है। एस0एम0एस0 आप भेजेंगे दस लोगों को, पूरे गांव को मालूम होता है कि किस दिन

कोटा उठने वाला है। मैं यह चाहता हूं एस0डी0एम0, डी0एम0, डी0एस0ओ0, सप्लाई इंस्पेक्टर और जो दफ्तर का बाबू होता है और कोटेदार इन सबकी मिली भगत होती है जब तक इस पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक यह खत्म होने वाला नहीं है।

मान्यवर, जब तक इस तन्त्र पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की जायेगी, तब तक इसमें सुधार होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर बहुत बात हो चुकी है, अब समाप्त करिए।

श्री अजय मिश्रा 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत मौलिक सुझाव है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं कि मण्डी समितियां हमारी हर जगह बनी हैं। हम लोग अगर स्वयं खरीद न करके मण्डी समितियों में व्यापारियों को यह अधिकार दे दें कि वह किसानों का गल्ला खरीदें, केवल हम उसका मिनिमम मूल्य निर्धारित करें और जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हमको आवश्यकता हो तो टेण्डर करें। ब्लाक स्तर पर उसका विकेन्द्रीकरण करें तो ब्लाक से वहीं पर कम भाड़े में खाद्यान्न भी पहुंचेगा और किसानों को भी पूरा मूल्य मिलेगा यदि मिनिमम मूल्य किसान को न मिले तो उसके डिफरेंश का सरकार भुगतान करे, इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा लाभ आम जनता को मिल सकेगा, धन्यवाद।

*डा0 मोहम्मद मुस्लिम-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो खरीद होनी थी, जितना खरीदना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में गेहूं, उससे ज्यादा खरीद हुई। मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं लेकिन जो बिचौलिए थे, यह सही है कि केवल 20 परसेंट ही किसान का गेहूं खरीदा गया, बिचौलिए जितने थे, उन्होंने 9-10 रुपये में गेहूं ले करके क्रय केन्द्रों पर उसे 12 रुपये 85 पैसे के रेट बेच दिया और वह माल लिया गया। मैं स्वयं अपने विधान सभा क्षेत्र तिलोई के बारे में कहना चाहता हूं, अमेठी से जिसका ताल्लुक है।

श्री अध्यक्ष-

क्यों नहीं उस सबके खिलाफ मुकदमा लिखाया ?

डा0 मोहम्मद मुस्लिम-

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूं। मैं वहां गया और जो समाई तेज बहादुर सिंह थे, मैंने उनको पकड़ा, वह रात में गेहूं की खरीददारी करा रहे थे, बिचौलियों से, जब उनको मैंने उनको थोड़ा गरम किया और जिलाधिकारी, अमेठी के यहां तक शिकायत गई।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय सदस्य बता दें कि गरम कैसे किया जाता है?

(हँसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 मोहम्मद मुस्लिम-

मान्यवर, जब मैंने उनसे कहा कि आप इतना गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो मानक तय किया है, उसी पर मैंने उनसे कहा कि आपको किसानों का गेहूं खरीदना चाहिए लेकिन वह नहीं माने, मेरी जिलाधिकारी से शिकायत किया, मेरे पास जिलाधिकारी का 10 बजे फोन आता है कि आपने क्या इसको कह दिया तो मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने तो इतना ही कहा कि गेहूं किसानों का खरीदा जाय लेकिन वहां किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया, वहां बिचौलिए आज भी खरीद रहे हैं। मान्यवर, जामो एक जगह है, जहां से हमारे यहां मिट्टी का तेल उठाया जाता था, 10 किलोमीटर से मिट्टी का तेल आकर मिल जाता था लेकिन अब वहां से हटा करके करीब 60-70 कि0मी0 दूर कर दिया गया है, जिसके कारण मिट्टी का तेल वहीं खप जाता है। किसानों को नहीं मिलता है। अध्यक्ष जी एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मान्यवर, मैं अपनी विधान सभा के बारे में बताना चाहता हूं, राइस मिलर के बारे में कहना चाहता हूं। राइस मिलर जो हैं, आपके सभाई और आपके जो और अधिकारी है वह लोग मिल करके, 3-4 लाख सिक्योरिटी जमा होती है, लेकिन उनको करोड़ों रुपये का धान बेच दिया जाता है, वह धान लेवी में वापस होना चाहिए लेकिन वह धान वापस नहीं हो पाता और उसको इधर-उधर कर दिया जाता है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और मैं यह उम्मीद करता हूं कि जब मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा तभी आपकी व्यवस्था आयेगी।

मान्यवर, हम अभी चुनाव से आये हैं और चुनाव में चुनाव आयोग ने हर कंडीडेट के लिए शर्त रखी थी कि जो भी कंडीडेट खड़ा होगा वह अपने एकाउंट में 16 लाख रु0 जमा करायेगा। अभी डा0 अग्रवाल साहब ने अपने कटौती के प्रस्ताव में कहा कि यहां पर दो-तीन विधायक ऐसे हैं जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड हैं अब बी0पी0एल0 कार्ड अगर है तो वहां उन्होंने एफीडेविट दिया है वह झूठा दिया है अगर नहीं है तो इसकी आप सफाई देंगे। आप हमें बताइये। हम उनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव भी लायेंगे और जिस अधिकारी ने इन कार्ड को बनाया होगा उनको दण्डित भी किया जाएगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो 16 लाख का प्रश्न खड़ा किया है। माननीय सदस्य को सही तथ्य जानकारी में नहीं है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए 16 लाख की सम्पत्ति का होना जरूरी नहीं है। इस देश का हर वह आदमी जिसके पास एक रु0 भी न हो।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। आप जल्दी खत्म करिये। बातें तो सब आपकी आ गयी। जल्दी खत्म करिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने आपकी प्रेरणा से इतना अच्छा भोजन हम लोगों को कराया है। मन तो इनके ऊपर कटौती प्रस्ताव रखने का भी नहीं हुआ है।

(मेजें थपथपायी गयीं।)

श्री अध्यक्ष-

वापस ले लिजिए, बहुत अच्छी बात है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

नहीं वापस नहीं लेंगे।

श्री योगेश प्रताप सिंह-

इतना स्वादिष्ट भोजन है तो उसका कम से कम नमक अदा कर दीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

इसलिए मैंने जो खाद्य एवं रसद में कटौती रखी थी वह समझ लीजिए कि ऊंट के मुंह में जीरे की तरह थी। अन्यथा सारी बातें कहता तो 2-4 घण्टे लग जाते। पहली बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कही गयी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं। इसके पहले की सरकारें रही है। कोई निकलकर देखने नहीं गया कि घटतौली हो रही है कि नहीं हो रही है। इस सत्य को स्वीकार करने में हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह काम मननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा देर से किया। हमारे यहां कहावत है का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब एक अप्रैल से शुरू हो रहा था तो अंत में यहां आकर किया। अगर शुरूआत में यह किया होता तो जिस बात को आप कह रहे हैं कि हम 42 लाख मी0 टन गेहूं इकट्ठा कर लिये, मैं सोचता हूं कि अगर शुरूआत में निकल पड़े होते तो शायद इस देश का सारा अनाज हम लोग उत्तर प्रदेश से इकट्ठा कर लेते। दूसरी चीज जो एक माननीय सदस्या सीमा द्विवेदी जी ने आड़तियों को लेकर कहा। आड़तियों को 1285 रु0 में गेहूं लेना था। उनको ढाई प्रतिशत एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा था। सूचना यही है कि बहुत सारे किसानों को वह मूल्य नहीं मिला। इसके लिए एक बयान आपकी ओर से चला जाये कि जो भी किसान यह शिकायत आपसे करें कि आड़तियों ने गेहूं लिया और 1285 नहीं दिया तो उनके ऊपर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। तीसरी चीज बोरे की बात आयी। बोरा पिछली सरकार ने नहीं खरीदा होगा यह सत्य है। बोरे की कमी रही होगी सत्य है। मेरा प्रश्न है कि सरकार के पास बोरे की कमी थी लेकिन सरकारी बोरे आड़तियों के पास काफी संख्या में मौजूद थे। जब सरकार के पास बोरे की कमी थी सरकार की तरफ से क्रय केन्द्रों में वह बोरे नहीं पहुंच पाये। आड़तियों के पास वह सरकारी मोहर लगे बोरे कैसे पहुंच गये। यह बताता है कि आड़तियों और क्रय केन्द्रों के बीच में कोई न कोई अंडरस्टेंडिंग थी और यह खेल चल रहा था। यह मार्केबल हैं हमारे गोरखपुर में भी पकड़े गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट कार्ड की बात मा0 अम्बिका जी ने रखी मुझे खुशी है, मैंने सुबह इस बात को कहा था दस साल में पहली बार हम यह परम्परा देख रहे हैं जब सदन में खुल कर के पक्ष और विपक्ष खुल कर के अपनी बातें कह रहा है किसी पूर्वाग्रह के बिना। बहुत सारे मा0 मंत्रियों को मैंने माध्यमिक और शिक्षा विभाग पर बोलते देखा है और बहुत सारी नीतियों की आलोचना करते देखा है, यही वह लोकतंत्र है जो इस प्रदेश को मिलना चाहिए और मैं मा0 अम्बिका चौधरी जी ने जो बात कही है उस बात पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूं कि यह कार्य अवश्य ही होना चाहिए। आप अभी खड़े होंगे मैंने एक आग्रह आपसे किया था, शील्ड, फ्री शील्ड मिट्टी के तेल के वितरण का, एफसीआई को गेहूं देने की प्रथा बन्द करने का और गोरखपुर की गैस वितरण की जांच कराने का।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अब हमको यह यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि आदरणीय डा0 साहब अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा आगे भी आश्वासन दीजिए बढ़िया भोजन का।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

उसका कारण श्रीमन् यह है कि एक भी सुझाव चाहे वह सम्मानित सदस्य इधर के हों या उधर के हों, एक भी सुझाव ऐसा नहीं है, जिसको हमने गम्भीरता से लिया न हो या उसमें एक भी सुझाव ऐसा नहीं है जो लिखा न गया हो। तभी कटौती के समय यही कहा जाता है कि विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना और इसीलिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि बजट पूरा काट कर के एक रुपया कर दिया जाय। श्रीमन् सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि 155 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई, 107 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, 115 के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की गई, 76 कर्मचारियों का वेतन रोका गया, 48 कर्मचारियों को चेतावनी दी गई। यह कार्रवाई केवल दिखलाती है कि यह सरकार किसानों से खरीद के प्रति कितनी गम्भीर है, कितनी सम्वेदनशील है। अगर ऐसा न होता तो मा0 मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अखिलेश जी हम सब लोगों को बुलाकर के बैठा कर के मीटिंग करने के बाद अलग-अलग दिशाओं में रवाना न करते और खुद भी इन वातानुकूलित कमरों से बाहर निकल कर के किसानों का हाल जानने के लिए न निकलते, लेकिन डा0 साहब अगर आपको आप ही की पेशे की भाषा में अगर समझाया जाय तो आप हमारी जो बात है, उसको बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। आप एक कुशल डा0 हैं बच्चों के डाक्टर हैं और कोई एक मरीज जब आपके यहां आता है आप उसका मर्ज समझ लेते हैं और उसको दवा देते हैं तो कितनी भी बेहतर दवा दी जाय या तिना ही बेहतर डाक्टर उसका इलाज करें, उस बच्चे को स्वस्थ होने में चलने में कूदने-फिरने में, उछलने में एक समय लगता हैं पांच साल में यह जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है कि इसका हम लोगों को अन्दाजा अभी भी नहीं है। इस सदन में बैठ कर के और यही वजह है कि जो शिकायतें आ रही हैं, चाहे वह विपक्ष के सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों जो शिकायतें हैं, काफी हद तक सही हैं, हम उनको खारिज नहीं कर रहे हैं, हम उन शिकायतों को हल्केपन में भी नहीं ले रहे हैं और आप हमारी नजर में इस सदन के सबसे सम्मानित सदस्य और सबसे अच्छे वक्ता हैं विपक्ष के और यह मैं इस लिए नहीं कह रहा हूं कि आपने कटौती का प्रस्ताव लाया है क्योंकि मुद्दों पर अपनी बात तार्किक ढंग से रखना बिना किसी दुर्भावना के रखना और स्वच्छ आलोचना करना और एक सुधार की नीयत से कि सुधार हो जाय ऐसी आपकी इच्छा रहती है और यह हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि मा0 सदस्य आ कर के चाहे यहां, चाहे कार्यालय में कोई भी सुझाव देते हैं एक खुलेपन के साथ उन सुझावों को स्वीकार किया जाता है और यही वजह है, जैसे बहुत से सदस्य तो चले गये, सीमा जी चली गई, गैस के विषय में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि एजेंसियां जो हैं यह केन्द्र सरकार तय करती है, अलग-अलग एजेंसियां है किस एजेन्सी पर कितने सिलेण्डर रहेंगे यह भी वही तय करते हैं इसमें भी हमारा कोई हांथ नहीं, हम सिर्फ घटतौली की जांच करते हैं कि इस सिलेण्डर में गैस की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा है या नहीं हैं यह सही बात है कि अभी व्यापक अभियान इस विषय में नहीं छेड़ा जा सका है इस प्रदेश में और उसके दो

कारण है एक तो हम लोग गेहूं खरीद में ही ज्यादा अपनी ऊर्जा लगाये रहे, इधर ही फंसे रहे और दूसरा खाद्य विभाग में स्टाफ की, जितने भी सरकारी विभाग है सभी में स्टाफ की बहुत कमी है, मात्र 21 प्रतिशत स्टाफ हमारे यहां हैं पिछली सरकार ने अधियाचन तो भेजा लोक सेवा आयोग को, लेकिन उसकी पैरवी नहीं की, वह ठण्डे बस्ते में पड़ा रहा। आप विश्वास करिये आज 75 जिले जो उत्तर प्रदेश में हैं मात्र 11 डी0एस0ओ0, कन्फर्म डी0एस0ओ0 हमारे पास मात्र 11 हैं।

तो इतनी भीषण कमी स्टाफ की है और उसके बावजूद यह लक्ष्य प्राप्त कर लेना। चलिए हम मान ले रहे हैं कि हर जगह किसानों से खरीद नहीं हुई कुछ अड़चने आई। हम स्वीकार करते हैं इस बात को लेकिन इससे पहले पिछली सरकारों में क्या व्यवस्था थी, तो यही मेरा कहना है यही मेरा अनुरोध है कि आप उसकी तुलना तो करो कि हम प्रगति की ओर एक सुधार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर चीज में समय लगता है।

20 तारीख को हम लोगों को, मा0 मंत्री जी को यह विभाग मिला और पहली तारीख से गेहूं खरीद हो गई तो 10 दिन का जो समय मिला। 10 दिन में क्षेत्रवालों का आना-जाना, क्षेत्र में जाना बधाई आदि में निकल गए और सीधे उसके बाद खरीद आ गई। खरीद में जो कमियां हैं, बोरों की जैसे बात है, बोरों के लिए प्रदेश सरकार ने जो पैसा यहां भेजा वह इतना विलम्ब से भेजा। मान्यवर, जूट इण्डस्ट्री एक सिकुड़ता हुआ उद्योग है वह सिकुड़ रहा है, जितनी हम सभी राज्यों को जरूरत है, वह पूरी नहीं कर पा रहा है। स्व0 राजीव गांधी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के वह कभी बंगाल गए थे और उन्होंने यह कहा कि सिर्फ जूट के बोरों में ही खरीद होगी, तब से यह अनिवार्य हो गया। हर राज्य को इसी समय गेहूं और धान की खरीद के समय जूट के बोरों की आवश्यकता पड़ती है, पूरी मारामारी रहती है। हमने एक आर0एफ0सी0 भी कलकत्ता में बैठा रखा है, जो निर्बाध रूप से जूट की सप्लाई होती रहे इस बात का सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके बावजूद जितनी हमारी डिमाण्ड थी, उतने बोरे हमको नहीं मिल पाए। इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की और उसमें निर्देशित किया कि किसानों के बोरों में भी खरीद होगी और आवश्यकता पड़ी तो प्लास्टिक के बोरों में भी खरीद होगी और जब उठान का समय आएगा तो हम उन बोरों को पहले निकाल देंगे, क्योंकि उनमें ज्यादा स्टोरेज क्षमता नहीं होती है और वह ज्यादा दिन तक रखने योग्य नहीं होते हैं, तो यह सारी यथास्थिति जो है, यह हमने आपके समक्ष रखी है और मा0 शाक्य जी आपने भी गैस एजेन्सी की ही बात कही और आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, आपने कहा कि अपना दर्द कह नहीं पाते हैं, तो इस सरकार में पूरी छूट है और हम आपका दर्द इसलिए सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम बेदर्द नहीं हैं और इसीलिए यह सदन चल रहा है। आपने स्वीकार किया डा0 साहब की यह प्रचण्ड बहुमत की सरकार है, फिर मजबूरी क्या है कि हम सदन चलाएं। यह सदन किसी मजबूरी से नहीं चल रहा है। यह सदन इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी, का लोकतंत्र पर विश्वास है। हम लोग जनता को फेस करने वाले लोग हैं। हम लोग विपक्ष का सामना करने वाले लोग हैं। विपक्ष की बात सुनने वाले लोग हैं। इसी सदन में, जितने भी वरिष्ठ मा0 सदस्य यहां पर है, इसी सदन में पिछली बार केवल 15 या 16 मिनट का सदन हुआ था। हो सकता है कि मिनट में एक-आध हम आगे या पीछे कह रहे हों, और उस दिन तो यह हालत थी कि जब तक हम लोग आए और सही बता रहे हैं मा0 अध्यक्ष जी, जब तक दस्तखत किए, जब तक मसाला खाकर जरा सा मुड बनाए कि चलें हाऊस में, तब तक यह हुआ कि

समापन हो गया। क्या हुआ इतनी देर में कुछ समझ ही नहीं पाए। तो, ऐसे भी सदन हमने यहां पर देखे हैं, और उतनी ही देर में यह हुआ कि प्रदेश को चार टुकड़ों में बांट दिया जाए। तो एक वह भी कार्यवाही थी। यहां पर बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। हम अपने नेता से आदरणीय मुलायम सिंह जी से, आदरणीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी से अपनी बात कह सकते हैं, अपने प्वाइंट रख सकते हैं। अपना तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, उनसे बहस कर सकते हैं। यह छूट हमारी पार्टी में है और यह सिर्फ मंत्रियों को ही नहीं है। यह एक-एक विधायक को है। (मेजें थपथपाई गई) और वे सुनते हैं, प्रत्येक विधायक की बात और अगर उचित हुई तो उसे मानते हैं। तो, यह सदन चल ही इसलिए रहा है कि एक लोकतांत्रिक ढंग से यह बजट पारित हो और अलग-अलग विभागों के बजट पिछले 5 साल में पेश नहीं किए गए। एक साथ जोड़कर एक बार में थोक के भाव में पूरा बजट पारित होता था, और न किसी पर चर्चा होती थी। जो मा0 सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर के आएं हैं। भले ही आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका कि इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री हैं, ताकि हर बात पर चर्चा तो हो रही है। जितना आप लोग इतने दिनों में सीख गए हैं सदन की कार्यवाही के बारे में, प्रक्रिया के बारे में कार्य संचालन के बारे में, इतना तो श्रीमन्, पिछले पांच साल पूरी अवधि में लोग नहीं सीख पाए, जो पहली बार आए थे, क्योंकि सदन चला ही नहीं। हम बैठे ही हैं, आपको सुनने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए आपका सुझाव गंभीरता से लेने के लिए। हमारे मुख्य मंत्री जी भी पूरा-पूरा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक समय, वो यहां पर रहें।

तो मान्यवर ऐसा नहीं है, किसान इस सरकार की प्राथमिकता हो। हमने ईमानदारी से यह प्रयास किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद हो, गेहूं खरीदा गया है। कुछ त्रुटियां भी रही है। कमियां इतनी ज्यादा नहीं है। आश्वासन भी देना चाहता हूं मा0 अम्बिका चौधरी जी ने भी कुछ सुझाव रखे हैं कि कोदो, सावा रागी इन सब की भी खरीदारी करायी जा सकती है तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जायेगा। मान्यवर स्मार्ट कार्ड जो हैं उपयोगी है, और उसके आधार पर ही भुगतान होगा ऐसा नहीं होगा कि कोटेदार कार्ड को रख लें और उस पर चढ़ाता रहे। मान्यवर मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें और इस बजट को सर्वसम्मति से पारित करायें और अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,55,80,990000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) एवं अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25, गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,87,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

*स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,24,24,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं कारागार विभाग का बजट एक शेअर के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1930 में (स्वर्गीय) ए0 एन0 मुल्ला साहब ले लिखा था-

"ऊंची दीवारों के पीछे,
लोहे की सलाखों के अन्दर
रहते हैं मुकम्मल कुछ इन्सां
इन्सां जो नहीं एक गिनती है
वो दौर आखिर कब आयेगा
जब बदलेगा ये मौसमे गम
कुछ बेकस रूहें आस लगायें
उमर की घड़िया गिनती हैं।"

मान्यवर उत्तर प्रदेश में जेलों की मुख्य समस्या है भोजन की उपलब्धता और चिकित्सा की व्यवस्था। मान्यवर सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जिस स्थिति में जेलें हमको मिली हैं वह स्थिति लगभग हर विभाग की है।

बंदियों के भोजन के लिए यह सरकार विशेष संवेदनशील है और सभी कारागारों में अधीक्षकों को बैठक में बुलाकर यह निर्देशित कर दिया गया है कि भोजन में कोई कमीं या गुणवत्ता में कोई कमी को बरदाश्त नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही जेलों में जो क्षमता से अधिक बन्दी बन्द हैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके नेता मुलायम सिंह जी ने जिस जेल का शिलान्यास रखा था आज उनके पुत्र मुख्य मंत्री हैं उनके समय में उसका लोकार्पण हुआ है कौशाम्बी में। साथ ही इसी वित्तीय वर्ष में सोनभद्र, बागपत को क्रियाशील कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त चित्रकूट, बरेली, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, गौतमबुद्धनगर, कांशीराम नगर में भी निर्माणाधीन जेलों का जल्दी से जल्दी काम पूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराया जायेगा जिससे लगभग 12000 बन्दी क्षमता की वृद्धि होगी जेलों में। बन्दियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 32 निर्माणाधीन शौचालयों को पूरा कराया जाना तथा 1384 नये शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। इसके साथ ही पेयजल की समस्या जेलों की बहुत बड़ी समस्या है। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नलकूप और जेलों में हैण्डपम्प प्रस्तावित है और इसके साथ ही हर सर्किल में और सर्किल के साथ साथ महिला अहाते में भी पानी पीने के लिए वाटरकूलर की भी व्यवस्था इस बजट में की गयी है ताकि उनको गर्मी के महीने में इस तपते मौसम में शीतल जल मिल सके पीने के लिए। बन्दियों के चिकित्सा सुविधा के लिए श्रीमन्, 6.6 करोड़ रुपये प्रस्तावित है इसके साथ ही बन्दियों को कोर्ट में आने जाने की सुविधा के लिए वीडियो कान्फ्रेन्सिग को उनके मुख्यालयों इन्टरनेट से जोड़े जाने हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। जेलों में पीसीओ लगाने के प्रति सरकार गम्भीरता से प्रयास कर रही है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिनको अपने उत्तर भाषण के समय मैं आपके समक्ष इस सदन के समक्ष रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि कोई जिद की वजह से कोई हठ के कारण कटौती आये तो आये बाकी इस कारागार विभाग में कटौती प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं बनता

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह होमगार्ड विभाग जनता की सुरक्षा से जुड़ हुआ है और हम जगह होमगार्ड सुरक्षा में तैनात किये जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश होमगार्ड एवं स्वयंसेवी संगठन जिसका मूल उद्देश्य निष्काम सेवा है। होमगार्ड संगठन के लिए भारत सरकार द्वारा 1 लाख 17 हजार 9 की संख्या निर्धारित है। संगठन समाज के ऐसे व्यक्तियों को 3 वर्ष के लिए रोल पर लिया जाता है जो अपना कोई व्यवसाय करते हों। उक्त अवधि के पश्चात अगर कोई होमगार्ड स्वयं सेवक के रूप में विभाग में रहना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति पर उसके पिछले 3 वर्ष की सेवा उपलब्धियों के आधार पर विभाग में बनाये रखने का निर्णय लिया जाता है। दिनांक 14.12.2007 से पूर्व प्रदेश में मात्र 25,335 होमगार्ड स्वयं सेवक कानून व्यवस्था की ड्यूटी में प्रतिस्थापित हो रहे थे। मगर माननीय अध्यक्ष जी, इसमें वृद्धि करते हुए वर्तमान में 50 हजार 335 होमगार्ड स्वयं सेवक ड्यूटी पर प्रतिस्थापित किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त कारागारों की सुरक्षा हेतु जुलाई, 2010 तक से 3000 होमगार्ड स्वयं सेवकों को जेल ड्यूटी पर नियोजित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, होमगार्ड स्वयं सेवकों को अधिकाधिक ड्यूटी के अवसर प्रदान किये जाने एवं कामर्शियल संस्थानों में भी प्रतिस्थापित किया जा रहा है। जिसकी संख्या वर्तमान में 4000 है। उक्त के अतिरिक्त विभागध्यक्ष स्तर पर भी जिलाधिकारी, मंडलायुक्त की मांग पर विभिन्न मेलों, त्योहारों।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जो आप पढ़ रहे हैं वह बुकलेट में छपा ही होगा, माननीय सदस्य पढ़ लिये होंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों की मांगों पर होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, पहले इन्हें 140 रुपये प्रतिदिवस दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 160 रुपये प्रतिदिवस कर दिया गया है। दिनांक 12.11.2011 से अन्तर्जनपदीय, दूसरे जिलों में ड्यूटी करने के लिए पहले इन्हें 150 रुपये प्रतिदिवस दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर

170 रुपये प्रतिदिवस कर दिया गया है। इसी तरह से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के पद पर कार्य करते हैं, जब दैवीय आपदा आती है तो जहां भी जिलाधिकारी चाहते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और वह वहां जाकर लोगों की मदद करने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ सरकार उन्हें पुरस्कृत करने का भी काम करती है। यदि किसी होमागार्ड की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उन्हें तीन लाख रुपये देने का काम सरकार करती है तथा अपंग होने पर डेढ़ लाख रुपये की बीमा राशि देने का काम सरकार करती है। नागरिक सुरक्षा में जो इच्छा कार्य करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 2011 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवाओं हेतु श्री वीर सिंह जैन, पोस्ट वार्डेन, नागरिक सुरक्षा, सहारनपुर, श्री रघुवीर सिंह गौतम, डिवीजनल वार्डेन, नागरिक सुरक्षा, गाजियाबाद, श्री अभय मिश्र, सुधीर डिवीजनल वार्डेन, नारिक सुरक्षा, कानपुर , श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पोस्ट वार्डेन, नागरिक सुरक्षा कानपुर आदि लोगों को पुरस्कृत करने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिक सुरक्षा में सम्मानित लोग आ करके भाग लेने का काम करते हैं और इसका ट्रेनिंग सेन्टर बख्शी का तालाब, लखनऊ में है। इस तरह से 17 नगरों में यह कार्य होता है, वर्तमान में नागरिक सुरक्षा संगठन नरौरा, बुलन्दशहर में हैं, बरेली बख्शी का तालाब गोरखपुर, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, कानपुर, सरसावां एवं मुगलसराय कुल 17 नगरों में कार्यरत् हैं। वार्डेन सेवा नागरिक सुरक्षा संगठन की रीढ़ है व इसके सदस्य समाज के प्रतिष्ठित व सम्भ्रान्त व्यक्ति होते हैं। जो निष्काम भाव से संगठन की सेवा करते हैं तथा स्वयंसेवी होते हैं। वर्तमान में उक्त 17 नागरिक सुरक्षा नगरों में वार्डेन सेवा में कुल 9087 सदस्य कार्यरत हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करके वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन कार्य को नागरिक सुरक्षा के कार्य में जोड़ दिया गया है जिसकी महत्ता के दृष्टिगत प्रथम चरण में प्रदेश के अवशेष मण्डल मुख्यालयों पर नागरिक सुरक्षा संगठन के विस्तारीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर विपक्ष आश्वासन दे कि वह इस पर कटौती का प्रस्ताव नहीं लायेंगे तो मंत्री जी अपने भाषण का संक्षेप कर सकते हैं अन्यथा मान्यवर, अभी एक घण्टा और मंत्री जी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य राज नारायण बुधौलिया जी, नेता विरोधी दल की ओर से आया है कि दोनों विभागों पर आप ही कटौती रखेंगे इसलिए एक साथ दोनों पर कटौती रख दें।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष के आदेश से और माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कारागार एवं नागरिक सुरक्षा पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ है।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, नागरिक सुरक्षा पर तय हुआ था कि कटौती नहीं रखी जाएगी तब मंत्री जी बैठे थे।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी चर्चा जारी रखें।

*श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

माननीय राजस्व मंत्री जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहुत वरिष्ठ मंत्री है, हम जैसे नये सदस्यों को आपका संरक्षण चाहिए। महोदय, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मा0 कारागार मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह जी द्वारा कारागार विभाग पर प्रस्तुतीकरण दिया गया है। मैं पहले तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि जेल का अनुभव चाहे कटु हो या अच्छा हो, उनको रहा है और उसी अनुभव के आधार पर आपको कारागार मंत्री का महत्वपूर्ण पद समाजवादी पार्टी ने दिया हैं अब आप कारागार में किन कारणों से रहे यह अलग बात है लेकिन एक बात के लिए आपको बहुजन समाज पार्टी को जरूर धन्यवाद देना होगा कि उसकी ही कृपा से यह पद आपको मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी जेल के अनुभव के आधार पर ही बोलने का मौका मिला है। जेल का अनुभव मा0 मंत्री जी को भी है और कुछ परिस्थितियोंवश मुझे भी उनसे कम जेल जीवन का अनुभव नहीं होगा, लगभग बराबर ही होगा। मैं कहना चाहूंगा कि कारागार बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और कारागार मंत्री द्वारा जो प्रस्तुतीकरण यहां दिया गया, उसमें कारागार के कुछ प्रमुख उद्देश्य बताये गये हैं। मुख्य उद्देश्य में रखा गया कि कारागार में बन्दियों की सुरक्षा का इन्तजाम होगा, उनकी चिकित्सा एवं रहन-सहन की दशा में सुधार होगा अनेक कल्याणकारी और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत बन्दियों का भला होगा। ऐसे ही कार्यक्रमों के तहत कहा गया कि भाई जब बन्दी जेल से छूटकर जाये तो जेल में ऐसा सुधार हुआ हो कि वह बाहर जाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने कटु अनुभव एक दिन इसी सदन में बतलाये थे। कारागार विभाग में क्या होता है यह मंत्री जी अच्छी तरह से जानते होंगे और हमें भी बहुत नजदीक से इसका अनुभव मिला है। यह व्यवस्था अभी की नहीं है बल्कि यह ब्रिटिश शासन की व्यवस्था है, तब जो नियम बनाये गये थे वही व्यवस्था आज भी चल रही है इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी आरोप न लगायें। आजादी के बाद से ही यह व्यवस्था बनी है कि कारागार जैसा भ्रष्ट विभाग, बेईमान विभाग मेरी समझ से कोई और नहीं होगा।...

दूसरा नम्बर पुलिस विभाग को दे सकता हूं। लेकिन कारागार में जो भ्रष्टाचार है, एक-एक बात मैं बता देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कहिये।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी ये कारागार विभाग जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, उस कारागार के बारे में कुछ न कुछ बातें हम जरूर रखेंगे। इस कारागार में बंदियों के हितों में जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम होना चाहिए वह तो कुछ होता नहीं है। जितना भी निरंकुश और अमानवीय व्यवहार बंदियों के साथ होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा टोकने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

जो प्रताड़ना कार्य उत्पीड़न का कार्य बंदियों के साथ, चाहे सजायफ्ता बंदी हों या विचाराधीन बंदी हों, उनके साथ जेल के मुख्य गेट से अन्दर जाते ही उनका शोषण, उत्पीड़न शुरू हो जाता है। एक एक घटना से हम लोग वाकिफ है, उसमें कैसे सुधार हो उस पर चिन्ता करने के लिए हम लोग सदन में बैठे हुए हैं। महोदय, जेल में ऐसा नहीं है कि सभी अपराधी ही रहते हों, तमाम परिस्थितियों के कारण, कही राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कहीं दुर्भावना से ग्रसित हो सकते हैं, किसी साजिश के शिकार के तहत कुछ निरीह, गरीब निर्दोष और कुछ हम जैसे लोग भी साजिश के शिकार के तहत जेल चले जाते हैं। लेकिन जेल का जीवन कैसा होता है, चाहे सम्मानित लोग हैं या अपराधी लोग हों जेल के प्रवेश द्वार पर ही उसको अपराधी मान लिया जाता है, क्रूर अपराधी मान लिया जाता है। उसको बेइज्जत करने का, अपमानित करने का, उत्पीड़न करने का काम जेल में घुसते ही शुरू हो जाता है। मंत्री जी जानते होंगे कि जेल में प्रवेश करते ही कपड़े उतारिये, तलाशी दीजिए, यह शुरू हो जाता है। मा0 आजम खां साहब ने कहा था कि हम इसलिए हवाई यात्रा नहीं करते क्योंकि वहां तलाशी के नाम पर बड़ा अपमानित किया जाता है। आप भी जेल यात्री रहे हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जेल के अनुभव को जानते हैं। यह व्यवस्था हम लोग आज भी खत्म नहीं कर पाये। जेल के अन्दर जाने से लेकर के रहने तक और बाहर निकलने तक, जो उत्पीड़न शोषण और यातना, प्रताड़ना का दौर चलता है। कहने को तो सुधार गृह कहा जाता है कारागार विभाग को। बंदी को सुधरने का वहां मौका दिया जाना चाहिए लेकिन अच्छा-खासा भला इंसान भी जब वहां का अनुभव देखता है उसके साथ जो प्रताड़ना होती है उससे वह सीधा-साधा इंसान भी क्रूर अपराधी बन करके बाहर निकलता है। महोदय, यह जो तमाम व्यवस्थायें जो जेल की हैं, इसके लिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार कोई जेल की है, इसके लिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार कोई जेल चला गया भले ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको दोषमुक्त साबित हो जाए लेकिन उसका एक बार थाने के रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया तो जगह-जगह कितनी दुश्वारियां उसको, उसके परिवार को जीवन भर के लिए भुगतनी पड़ती है। यह भी हमारे न्यायिक प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं। या अपने प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं या राज्य सरकार में बैठे हुए हमारे लोग हैं उनको वह चीज बदलनी होगी कि दोषमुक्त होने के बाद भी उस व्यक्ति को अपराधी ही माना जाता है। थाने में उसका नाम हिस्ट्रीशीटर में लिखा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, सुझाव दीजिए कि कमियां कैसे दूर हों।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव की बात ही मैं कहने जा रहा था। मा0 मंत्री जी उस चीज को जानते है। माननीय मंत्री जी ने जेल जीवन को देखा है, जो प्रताड़ना देखी है उन्होंने कारागार मंत्री बनते ही उन्होंने उस चीज के अनुभव को देखते हुये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात का मैं आभारी हूं कि उन्होंने बंदियों के हितों की रक्षा के लिये सबसे पहले प्रदेश की जेलों का भ्रमण करना शुरू किया कई खामियां उन्होंने पकड़ी। अभी उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वहां मुख्य समस्या भोजन की, रहन-सहन की मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्वक भोजन हो भोजन में कटौती न हो इसके लिये उन्होंने कई छापेमारी का काम किया। तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को निलम्बित करने का भी कार्य किया। कुछ न कुछ अधिकारियों में भय पैदा करने का भी काम किया कुछ सुधार हुआ है मैं आभारी हूं कि पहली बार किसी कारागार मंत्री ने बंदियों के हितों की रक्षा करने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे विभाग पर भी तो कुछ बोलें।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मैं चाहूंगा कि जो जेल की मुख्य समस्यायें हैं जेल की माननीय मंत्री जी आपको धन्यवाद दिया उसके लिये ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। जेलों में प्राथमिक आधार पर जो बंदियों को भोजन की गुणवत्ता मानक और राशन की कटौती पर जो आपने ध्यान दिया उसके लिये धन्यवाद लेकिन खाने की क्वालिटी कैसी है यह मंत्री जी आप भी जानते है हम भी जानते हैं। आपने कभी जेल का बना हुआ खाना नहीं खाया होगा न कभी हम लोगों को खाने का अवसर मिला। हम लोगों की व्यवस्था तो हो जाती है लेकिन आम गरीब बंदियों को हम जैसा भोजन मिले इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विचाराधीन बंदियों के साथ कितनी ज्यादती होती है आप जानते हैं कि वह नियम विरुद्ध है। विचाराधीन बंदियों से काम लिया जाता है सजायाफ्ता कैदी विचाराधीन बंदियों का शोषण करते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सजायाफ्ता कैदियों और विचाराधीन बंदियों को एक साथ न रखा जाय इस पर मंत्री जी को ध्यान देना होगा। शौचालय का निर्माण आपने कहा कि कुछ जेलों में हो रहा है नई जेलों का भी निर्माण हो रहा है। अच्छी बात है लेकिन अभी जेल में शौचालयों की, स्नानघरों की सुविधाओं की कमी है उनके ओढ़ने-बिछाने और बरतन की समस्या है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके अच्छे कपड़े हों ओढ़ने-बिछाने के बंदियों का मसक्कत के नाम पर शोषण होता है। भोजन अच्छा नहीं मिलता चिकित्सा अच्छी नहीं है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डाक्टर जो भोजन देने की संस्तुति करेगा उसमें भी कटौती होती है। दूध मिलेगा वह सप्रेटा का मिलेगा अण्डे सड़े मिलेंगे फल मिलेंगे सड़े मिलेंगे। ऐसे बीमार बंदियों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो जेल में अस्पताल बने हैं तो पैसे वालों का जेल में दाखिला हो जायेगा लेकिन जो गरीब बन्दी होगा उसको आम बैरकों में रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब संक्षिप्त करें।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

यह भी ध्यान दिया जाय जो आम बंदी हैं उनको भी सही इलाज मिले समुचित सुरक्षा मिले। वसूली के नाम पर इतना शोषण होता है बंदियों का इसलिये वसूली पर रोक लगाई जाय। मनोरंजन के

नाम पर हम चाहते हैं कि आम बंदियों को सुविधा मिले। चाहे समाचार-पत्र की बात हो टेलीविजन हो, खेलने-कूदने के सामान हों अच्छा साहित्य मिले धार्मिक और योग शिविर वहां लगाये जायें। मुलाकातियों के साथ भी बहुत अपमानजनक बरताव होता है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाल बंदियों के साथ भी बहुत यौन शोषण की शिकायतें आती हैं। महिला बंदियों के बारे में परेशानी है।

श्री अध्यक्ष-

असीमित समय नहीं है जल्दी करिये।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

अध्यक्ष जी, आपके आदेशों का पालन होगा। मैं चाहूंगा कि इन्हीं सब बातों पर हमारे कारागार मंत्री जी बड़े उत्साही हैं युवा हैं अच्छा कार्य भी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ काम की आवश्यकता है। इसमें सक्रिय भूमिका निभायें। नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में . . . .

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म कर दें। इतना समय कटौती में नहीं होता है।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। नागरिक सुरक्षा के बारे में मा0 मंत्री जी ने बोला है कि जो मुख्य उद्देश्य हैं उसके जैसे हवाई आक्रमण में जन-धन की हानि को कम करना, औद्योगिक उत्पादन बनाये रखना, युद्ध के समय में प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य करना, शान्तिकाल में अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को नागरिकों सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित करना तथा जन कल्याणकारी योजनायें जैसे सफाई अभियान, पल्स पोलियो अभियान, प्रदूषण मुक्त अभियान, वातावरण सुरक्षा प्रचार, आगजनी में सहायता, रक्त दान शिविर, गम्भीर दुर्घटना जैसे बाढ़, चक्रवात आदि। ये नागरिक सुरक्षा के तहत मेरे सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारी इकाईयां हैं शैक्षिक संस्थानों के तहत जो बताया कि एन0 एस0 एस0 के सदस्यों और एन0 सी0 सी0 कैडेटों एवं होमगार्ड्स के जवानों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है तथा जो 17 इकाइयां हैं बताई हैं जिले में, उन इकाईयों को बढ़ाने की आवश्यकता है। मान्यवर, 15 नगरों में सुरक्षा की 17 इकाईयां हैं। मा0 अध्यक्ष जी, इसी के साथ कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके विचार ले लिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये मुख्तार अंसारी को बुला रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत में नहीं, एक एम0 एल0 ए0 की हैसियत में भी अधिकार है मुझे कुछ कहने का। मा0 सदस्य ने बड़े अच्छे सुझाव रखें हैं और बड़ी संजीदगी से रखे हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंतजार में रखें हों।

(सदन में जोरों की हंसी)

ये ऐसी सहूलियतें चाह रहे हैं जैसी बेडरूम की सहूलियतें होती हैं तो बेड रूम में जेल में थोड़ा सा अन्तर होगा। आप लगता है कि तैयारी में हैं, इन्हें लगता है कुछ अन्दाजा हो गया आपको। मान्यवर, मैं ये जानना चाहता हूं मा0 मंत्री जी से कि वो सारी सहूलियतें तो मा0 सदस्य चाहते हैं उनको दी जायें। ये अलग बात कि आपने पांच साल में बहुत टट्टी सुंघाई है हमें वहां। सारे बैरेक्स के बाहर जितने भी होल्स थे, सब भरे रहते थे और कहने भर से सुपरिन्टेन्डेण्ट की डांट मिलती थी सुनने के लिये। खाने का पत्थर थे, बदबू से भरी रोटियां थीं। इतना चाहते थे कि अगर किसी का जन्म-दिन आ जाये तो क्या जन्म-दिन मनाने की व्यवस्था जेल करेगी। ये कोइ हंसी की नहीं, संजीदा बात है। मान्यवर, कब किसको जाना पड़े ये किसी को मालूम नहीं। मैं चाहूंगा कि जेल मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मेरी नहीं लेकिन कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर जन्म दिन आ जाये तो जैसा स्तर हो, उसी हिसाब से जेवर वगैरह हों।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश में लगभग 80 हजार बंदी हैं तो आपके माध्यम से मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जन सामान्य को तो नहीं लेकिन पूर्व विधायक या सांसद इनके विषय में यह भी विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्तार अंसारी जी, आप बोलना है तो बोलिये या लिख के भेज दीजिये। आप बोलते हैं नहीं।

*श्री मुख्तार अंसारी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिये शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जो ये आज जेल बजट आये हैं उसके समर्थन में बोलते हुये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसलिये कि एक अरसे से हम जेल में हैं, लगभग सात सालों से और जेल में जो जेल मैनुअल है, जिस जेल मैनुअल के आधार पर जेल चलाई जाती है, वह 1894 का बना हुआ है और सबसे पहले हम मा0 मंत्री जी से चाहेंगे कि इतने होनहार और समझदार मंत्री हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी विद्वानों की कमी नहीं है। इस मैनुअल को खत्म करके, बैठ करके अपना एक जेल मैनुअल बनाया जाय जो अंग्रेजों के जेल मैनुअल से हटकर हो। मेरा यह सुझाव है। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने भोजन के सम्बन्ध में बंदियों के लिये कहा है तो आज जो महंगाई का दौर है और कारागार के बजट से एक बन्दी को जो भोजन का खुराक का पैसा दिया जाता है, वजन के हिसाब से 44-45 रुपये तीन टाइम का खाना जो बहुत खराब और घटिया है। हमारी रिक्वेस्ट है कि उसमें कुछ सुधार होना चाहिये। जैसे एक छोटी सी मिसाल दे रहे हैं हम, मसाला, एक ग्राम में चौथाई मिलता है मसाला डालने को। एक ग्राम में आठवां हिस्सा जो होता है वह एक बन्दी को डालने को मिलता है। दूसरी बात है जो डालडा घी सप्लाई किया जाता है वह घटिया किस्म का डालडा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घी मंगाया जाता है अगर माननीय मंत्री जी उचित समझे तो उस डालडा घी की जगह रिफाइन्ड तेल को चाहे तो कर सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य के बारे में, कोई बन्दी अगर बीमार हो गया तो उसका टेस्ट डाक्टर लिख देता है लेकिन गार्द जब बाहर से आयेगी तब ही वह बन्दी जायेगा अपना टेस्ट कराने के लिये चाहे एक्स-रे हो, चाहे ब्लड टेस्ट, या छोटी से छोटी जो भी जांच हो। इसके लिये कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। जेल के अस्पतालों में एक्स-रे मशीनें हैं लेकिन वह खराब हैं। जैसे ब्लड का टेस्ट है, यह छोटी सी चीज है यह अगर बजट में उपलब्ध हो जाय और ब्लड टेस्ट वहीं का वहीं हो जाय। आजकल छोटी-छोटी मशीनें आ गई हैं जिससे टेस्ट होकर नमूने से पता चल जायेगा कि इनको शुगर कितनी है, या इनको यह चीज है, टायफाइड है कि नहीं। ऐसे ही शौचालय के बारे में माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं गाजीपुर से 900 किमी0 दूर आगरा के सेन्ट्रल जेल में बन्द हूं। जहां पर शौचालय की बहुत खराब स्थिति है। तकरीबन 26-27 सौ बन्दी हैं। मैं यह बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी एक भी शौचालय के अन्दर पानी का सिस्टम नहीं है। वहां की टंकी साढ़े चार साल पहले खराब हो गई लेकिन जालिम और तानाशाह हुकूमत ने जो पिछली बार हुकूमत थी उन्होंने कई बार लेटर भेजने के बाद भी उस टंकी को नहीं बनवाया। आज 26 सौ बन्दी लोटे में पानी लेकर शौचालय जाते हैं आप समझ सकते हैं कि एक बैरिक में जहां 60 बन्दियों को रखने की क्षमता है। 60 की जगह उसमें 170-180 बन्दी एक बैरिक में रह रहे हैं। एक बैरिक में एक शौचालय में 170 आदमी जब टायलेट को जाते होंगे लोटे में पानी लेकर, वहां कितनी गन्दगी फैलती होगी इसलिये माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि शौचालयों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। वहां टंकी है, दो तीन करोड़ रुपये की टंकी है। वह बन जायेगी 1/2 लाख रुपये में, सिर्फ पानी चूता है, रिपेयर हो जायेगी तो वह ठीक हो जायेगी। इसी तरह पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या आगरा के अन्दर है। वहां का पानी बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में इतना खराब पानी कहीं नहीं है। आम बन्दी हम लोगों को पीने का पानी ऐसा मिलता है टी0 डी0 एस0 जो बोला जाता है मशीन में नाप कर 10 से लेकर 100 तक के अन्दर में। और वहां 3 हजार, 4 हजार टी0 डी0 एस0 पानी है। वहां दो जेल हैं आगरा में। एक है सेन्ट्रल जेल, वहां सरकार की तरफ से आरो मशीन बहुत बड़ा प्लान्ट लगा है और बन्दियों को उससे पानी की सप्लाई दी जाती है और बन्दी पानी पी लेते हैं।

लेकिन दूसरी जेल डिस्ट्रिक्ट जेल जिसमें 3 हजार बन्दी हैं वहां पर यह मशीन लगी है मगर वहां इस मशीन का पानी बन्दियों को पीने को नहीं दिया जाता बल्कि एक लीटर पानी 16 रुपये का खरीद कर बन्दी पीते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने स्तर से इसकी जांच करा लें। और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इसमें कड़ी कार्यवाही करें। आपको मैंने लिखकर भी दिया है। आपने उस अधिकारी को मुख्यालय से अटैच कर दिया है। लेकिन इन सब गल्तियों की जांच होनी चाहिये। एक गरीब बेसहारा बन्दी जो तीन हजार टी0 डी0 एस0 का पानी मजबूर होकर पीता है तो बीमार होगा वरना वह खरीदे। सरकारी पैसे से वह मशीन लगी है और वह खरीद कर पानी पी रहा है। बहुत सी बातें हैं जो मैं लिखकर आपको दे दूंगा आप उसकी जांच करा लें। इसी तरह से माननीय मंत्री जी जिन बन्दियों को आप न्यायालय भेजते हैं तारीख पर, अदालत की पेशी के दौरान उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस आती है उसमें सौ, सवा सौ, डेढ़ सौ आदमी जानवरों की तरह ठूंस दिये जाते हैं। मेरा अनुरोध है जैसे अन्य प्रदेशों में बस जाती है अगर 55 सीटें हैं बस में, तो 55 बन्दी उस बस में बैठेंगे वह अदालत जायेंगे और आयेंगे। अगर हो सके तो आप

इसकी व्यवस्था कराने के बारे में जरूर सोचियेगा। साथ ही साथ बन्दियों को जो नाश्ते के नाम पर दिया जाता है वह इतना घटिया और खराब होता है जिसे ज्यादातर बन्दी खाकर नहीं जाते हैं और अगर लेकर जाते हैं तो वहां हवालात का यह हाल है कि वहां वह खा नहीं सकते हैं इसलिये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जेलों में जो कैन्टीन चलाते हैं। वहां यह व्यवस्था बना दें कि बन्दी के पास जो पैसा है वह कैन्टीन में पूड़ी, सब्जी, समोसा, जलेबी खरीदकर नाश्ता करे और चला जाये। यह सब जो बात मैं बता रहा हूं यह आलरेडी तिहाड़ जेल में लागू है। वहां जिस तरक ही सब्जी खरीदना चाहें, पनीर की सब्जी भी मिल जायेगी, मशरूम की सब्जी भी मिल जायेगी और आलू की सब्जी भी मिल जायेगी। दस रुपये से लेकर चालीस रुपये तक की थैली वह बेचते हैं। बन्दी पैसा इस व्यवस्था के बारे में भी आप जरूर सोचियेगा। माननीय मंत्री जी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मुलाकात के बारे में, बन्दियों के लिये, एक दिन मैंने पेपर में पढ़ा था कि जाली हटवा देंगे। कितनी अच्छी बात है। बहुत से बन्दियों के ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से जेल में बन्द हैं। जिनके परिवार के लोग आते हैं और जाली से दूर रोते रहते हैं। कम से कम वह अपने परिवार के बच्चों को गोद में लेकर खिला सकते हैं। पूरे प्रदेश में 90 परसेन्ट जेलों में जालियां नहीं हैं, तो जो दस पांच परसेन्ट बची हैं उनको हटवा दें।

जैसे कि आपने आगरा में तो हटवा दी है। मैं लखनऊ में रह रहा हूं लखनऊ में नहीं हटी है। पूरे प्रदेश में एक दो जगह बची है तो मान्यवर, अगर आप उन जालियों को हटवा देंगे तो अपने परिवार के लोगों के साथ दादा, नानी के साथ मिल सकते हैं। इसी तरह से मान्यवर, जो मुलाकाती आते हैं परिवार के लोग बाहर उनके लिये शौचालय होता है हमने कई बार ऐसा देखा है पुरुष तो कहीं भी जाकर पेशाब कर लेते हैं लेकिन महिलायें परेशान होती हैं तो जहां ज्यादा संख्या में महिलायें आती हैं वहां एक छोटा सा शौचालय भी बन जाये ताकि महिलाओं को सुविधा हो सके। इस पर भी आप आपना विचार रखियेगा। इसी तरह से मान्यवर, हिन्दुस्तान के बीसियों सूबों में व्यवस्था की गई है कि 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन तक कोई सजायाफ्ता कैदी पैरोल मांगकर, किसान अपनी खेती चलाने के लिये, अपने परिवार को जिलाने के लिये, रोजी रोटी चलाने के लिये, रिश्ते नातों को निभाने के लिये साठ दिन या पैंतालिस दिन, बहुत से स्टेटों में हो गया है आप इसकी जांच करा लें, पैरोल दी जाती है साल में अगर वह 45 दिन के लिये चला गया, 15-15 दिन के लिये पैरोल पर, तो वह अपने समाज से जुड़ा रहेगा। उसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं इसका उसको पता रहेगा। यह गम्भीर विषय है। इस पर आप जरूर ध्यान दीजिये और एक बहुत बड़ी समस्या है जो आप कह रहे हैं। जेलें बना रहे हैं इसी से सम्बन्धित मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान की बहुत सी स्टेटों में 14 साल के बाद, 16 साल के बाद सजायाफ्ता कैदियों को फार्म-ए जमा कर लिया जाता है, उसकी सजा पूरी मान ली जाती है तो उन्हें छोड़ने का प्राविधान बनाया गया है और एक जी0 ओ0 जारी कर दिया है, मध्य प्रदेश ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, आन्ध्र प्रदेश ने, हैदराबाद ने कि उनको 14 या 16 साल के बाद राज्य सरकारें, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी लेटेस्ट तीन जजों ने रूलिंग भी दे दी है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो ऐसे लोगों को दया-याचिका के रूप में उन्हें छोड़ सकती है। तो अगर माननीय मंत्री जी, इस तरह के कैदियों को जो सजा काट चुके हैं, 14 साल और 16 साल, अगर छोड़ते हैं तो उन लाखों परिवारों को फिर से जिन्दगी जीने का एक अवसर मिलेगा, साथ ही साथ जेलों में जहां 60 की जगह पौने दो सौ बन्द हैं, उसमें भी कमी आयेगी। शुरू में तो लगेगा कि 2-3 हजार छूट रहे हैं लेकिन जब वह रूटीन में आ जायेगा तो हर साल 300-400 आदमी छूटेंगे

और जहां 80 हजार आदमी बन्द हैं, उसमें से 300-400 आदमी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जेल से छूट जायेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय मंत्री जी, आप इसके लिये जरूर विचार करियेगा। मान्यवर, जैसे तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में आतंकवादियों तक को पीसीओ तक की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। सूडान, कश्मीर और अफगानिस्तान तक के आतंकवादी पीसीओ पर जाते हैं, जेल के अन्दर ही पीसीओ लगा होता है, जैसे रेलवे स्टेशन पर टंगा होता है, उसकी सारी रिकार्डिंग होती है, उसमें वह पैसा डालते हैं और अपनी बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जेलों में भी माननीय मंत्री जी अगर यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो इससे एक फायदा यह होगा कि वह बन्दी अपने परिवार से जुड़ा रहेगा। साथ ही साथ अपने मुकदमों की पैरवी भी कर सकेगा। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत यह अनुरोध करना चाहता हूं, मैं चौथी बार विधायक बना हूं और जेल मैनुअल के पैरा-287 में यह साफ-साफ लिखा है। मान्यवर, जेल मैनुअल होगा, अध्याय -13 पर यह साफ-साफ लिखा है कि उच्चतर श्रेणी के बन्दियों को, कौन सा बन्दी उच्चतर श्रेणी का माना जायेगा, इसमें साफ लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, सेशन जज अथवा सहायक सेशन जज के आदेशों के अन्तर्गत उच्चतर श्रेणी में भर्ती किया जायेगा।

मान्यवर, 5 साल पहले 2007 से मुझे उच्चतर श्रेणी की न्यायालय ने अनुमति दी और मुझे यह लिखकर आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी की शिक्षा, उनकी बीमारी, उनकी सुरक्षा और चूंकि वह प्रदेश के विधायक है, इन्हीं कारणों को देखते हुये मुख्तार अंसारी को उच्चतर श्रेणी की सुविधा दी जाये जो 5 साल तक उस तानाशाह हुकूमत ने जो इसके पहले थी, उन्होंने हमारे उस आदेश को नहीं माना, फिर दूसरा आदेश कोर्ट ने किया, तब भी नहीं माना बल्कि उस आदेश के खिलाफ यह लोग हाईकोर्ट गये और सुप्रीम कोर्ट गये कि मेरा आदेश खारिज कराया जाये। साथ ही साथ इसी जेल मैनुअल में 432 एक पैरा है। 432 पैरे में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत श्रोतों से भोगने वाली प्रत्येक विचाराधीन कैदी को निम्नलिखित सामानों को जो जेल में एलाउ है, वह अपने पैसे से चाहे पानी का बोतल हो, चाहे खाना, चाहे कोई अन्य अनुमन्य चीजें वह खरीद कर मंगा सकता है और जेलर उसकी तलाशी करके जो लीगल चीजें हैं, वह बन्दी को उपलब्ध करा देगा। माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जेल मैनुअल है जिसके पैरा-432 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और जिसके लिये हाईकोर्ट की भी रूलिंगें हैं, इसको लागू कराने की कृपा करें क्योंकि कम से कम कोई इस लायक है कि वह पनीर का सब्जी खाना चाहता है और पैसा देकर के आपके द्वारा मंगाना चाहता है तो 432 मैनुअल वाला पैरा लागू कराने की कृपा करें। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, मऊ से विधायक हूं। और आज 900 किमी0 दूर मथुरा जेल में भेजा गया ढाई साल पहले। वहां ले जाकर मुझे तनहाई में बन्द कर दिया गया। आरोप नहीं बताया गया। तानाशाह हुकूमत के हुकुमरानों ने रात के दो बजे गाजीपुर जेल पर छापा डाला और मेरा ट्रांसफर कर दिया कि आपको बहन जी ने फलां जगह भेजने का आदेश कर दिया। मथुरा जेल में मैं 15 दिन था उसके बाद एकाएक रात के 1 बजे 4-5 सौ की संख्या में पुलिस आयी और मुझे लादकर सेन्ट्रल जेल में तनहाई में जहां आतंकवादी बन्द हैं उनके साथ ढाई साल से अकेला मुझे तनहा बन्द रखा गया है। आपकी सरकार आयी है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद मुझे एक उम्मीद जागी है। मैंने कसम से ढाई साल में कोई प्रार्थना-पत्र भी नहीं दिया कि मुझे हटाया जाये। लेकिन मुझे एक विश्वास, एक उम्मीद जागी है, माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी

पर भरोसा है और कारागार मंत्री जी पर भरोसा है कि वह इस बारे में सोचेंगे। क्योंकि उनके एक सपा के विधायक हैं जैसे अभय सिंह थे यह दूसरे जेल में तानाशाहों ने भेजा था, सरकार बनते ही इनको वापस कर दिया गया। विजय मिश्रा जी मेरठ में थे वह विधायक हैं चुनाव जीते, मेरठ से हटाकर इलाहाबाद उनको अपने गृह जनपद भेज दिया गया। और मैं भी गाजीपुर से आगरा की तनहाई में बन्द हूं क्या मुझे भी भेजे जाने के लिये सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर लेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर शोर।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, श्री विजय मिश्रा जी को बोल लेने दीजिये। बाद में बोल लीजियेगा।

श्री विजय मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय कारागार मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने विचार रखे उस बजट पर मैं अपना बल देते हुये कहना चाहता हूं। जैसा कि अभी भाई मुख्तार अंसारी जी ने कहा, जेल मैनुअल भी आपने दिखाया। पहली बात तो कि जेल मैनुअल कोई कानून नहीं है। यह एक व्यवस्था है। जिस व्यवस्था से यह चल रहा है। और जेल जैसे चलती है। सबसे पहले जैसे आपका जेल मैनुअल हो चाहे माननीय जिले का न्यायलय हो चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, कभी भी बन्दी हित को देखते हुये रात में यात्रा करने को मना करता है लेकिन पुरानी सरकार ने जब भी किसी का ट्रान्सफर किया ठीक 12 बजे रात में उन्होंने भेजा। कोई नियम-कानून नहीं है रात में 12 बजे जाने का। और एक हमारे साथी इलाहाबाद में भी बन्द थे इस विधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनको इलहाबाद से उन्नाव ट्रान्सफर कर दिया। ट्रक वापस लौट रही थी। वापसी में एक्सीडेन्ट हो गया एक दारोगा, एक सिपाही सो रहे थे मर गये। जिस जेल में ट्रान्सफर किया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में पांच सेन्ट्रल जेल हैं। जहां अतिसुरक्षा मानी जाती है। उसकी सुरक्षा की तीन दीवारें होती हैं। जनपद कारागार होता है उसकी एक दीवार की इकहरी सुरक्षा होती है। नैनी में रात को इन्होंने मुझे उठा लिया। हमने नानुकुर नहीं किया। रात में किसी को सूचना नहीं, घर को सूचना नहीं, कहां ले जाया जा रहा है, मेरठ। जेल से शासन यह लिखा लिया जाता है कि श्री विजय मिश्रा को केन्द्रीय कारागार नैनी में जान का खतरा है। जहां से चार्ल्स शोभराज नहीं भाग सका, भागा तो तिहाड़ जेल से। वहां मुझे कोई खतरा नहीं था लेकिन यातना देने के लिये नैनी से मेरठ जिला कारागार स्थानान्तरण कर दिया गया। जिससे घर के लोगों से भी मुलाकात न हो। लेकिन मेरठ में विजय मिश्रा सुरक्षित रहेंगे जहां खुदाई में मा0 नेता प्रतिपक्ष 40 फिट सुरंग मिली, बम मिला, कट्टा मिला, आपकी ही सरकार में मिला तो वह जेल हमारे लिये सुरक्षित कर दी गई जहां से 9 बन्दी निकल गये, भागते तीन चार सौ बन्दी, उसी में एक बन्दी छूट गया, 40 फिट सुरंग निकली एक फुट पहले दीवाल पर न निकली होती तो नौ सौ से एक हजार बन्दी वहां से भाग गये होते। यह समाचार मैंने पूना में पढ़ा वहां हमको संवेदनशील जेल में सुरक्षित जान कर भेज दिया गया, वहां डिप्टी जेलर मारे गये, डाक्टर मारे गये और वहां भेजने के बाद इतनी तलाशी ली गई, 40-45 लम्बरदारों से और तन्हाई में बन्द कर दिया गया। 12 साल सन् 98-99 से मैं शुगर का, स्लिमडिस्क का मरीज था यह नहीं कि मैं जेल गया तो बीमार हो गया।

सारे डाक्टर चाहे गांव के नीम हों, चाहे हकीम हों, चाहे जनपद के हों, चाहे अपोलो के हों, चाहे एम्स के हों कोई भी स्लीपडिस्क होता है तो सीधे-सीधे वह हार्डबेड लिख देते हैं, कोई दवा का जानकार हो चाहे नीम-हकीम हो वह भी लिखता है कि हार्डबेड पर सोइये। वहां जाने पर जमीन पर सुला दिया गया, एक कम्बल दे दिया गया, घनघोर ठण्डी फरवरी में दो कम्बल ओढ़ने को दे दिया गया। जेल मैनुअल में व्यवस्था है, भाई मुख्तार जी 432 पढ़ रहे थे, 435 में है कि सीधे-सीधे बन्दी अपना खाना बना सकता है, उसी जेल मैनुअल में है अपना बिस्तरा ले जा सकता है, वहां कम्बल भी नहीं ले जाने दिया गया ओढ़ने की शाल नहीं ले जाने दी गई। हमारे गैंगेस्टर कोर्ट से जहां से हमको मिली 23 फरवरी को उच्च श्रेणी मिल गई, दो श्रेणी होती है जेल की एक उच्च एक सामान्य, उच्च श्रेणी गैंगेस्टर कोर्ट ने लिख दिया जिलाधिकारी ने 23 फरवरी, 2011 को दे दिया। सात-आठ दिन में नैनी जेल में रुका रहा, पहली तारीख को वहां पहुंचा, जेल अधीक्षक ने कहा उच्च श्रेणी इसको मिल गई है, इसको ताला बन्द कर रखें, चौकी-औकी तो देना नहीं है, वही जिलाधिकारी इलाहाबाद जिन्होंने उच्च श्रेणी जारी की थी को उन्होंने सीधे बात किया आई0 जी0 जेल से कोई गुप्ता जी थे, अब गुप्ता जी के बारे में नहीं कहूंगा, उसी जिलाधिकारी ने जिसने उच्च श्रेणी दी थी, 19 फरवरी को, तीन फरवरी को उसने खारिज कर दिया। पानी का नल तोड़ दिया गया, माननीय अध्यक्ष जी पानी प्रदूषित, हर महीने, हफ्ते में वहां से रिकार्ड मंगवा लें, महीने में पम्प तीन दिन मशीन जली रहती है और मेरठ का पानी 60 फिट हैण्ड पम्प बोर है जहां पशु ज्यादा कटते हैं, चूंकि लाइसेंस मिला हुआ है उन लोगों को, जिसका खून जाता है, 60 फिट का पानी आप पी सकते हैं वह भी लाल रंग का होगा जहां सुपरबग रोग है, मैं हार्ट का रोगी, पानी के बारे में अभी मुख्तार भाई ने कहा आप भाग्यशाली हैं जहां 16 रुपये लीटर मिला, यहां मा0 मंत्री जी शायद कैलाश चौरसिया भी मौजूद हों, यह पानी, फल भी लेकर के गये मुलाकात पर एक किलो बादाम चना तो वह भी उस जेल अधीक्षक ने वापस रख लिया। माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी गये एक बार मुलाकात के लिये इनका फल वापस रख लिया, पानी की आप बात छोड़ दीजिये। गैंगेस्टर कोर्ट ने पानी का आर्डर दिया कि इनको मिनरल वाटर दिया जाय, उसने कहा आई0 जी0 ने रोका है फिर मैंने हाई कोर्ट में अर्जी किया कि पानी दिया जाय जेल अधीक्षक ने मा0 न्यायालय से कहा कूपन छः सौ रुपये का मिलता है एक बन्दी को भाई मुख्तार जी कूपन छः सौ रुपये का मिलता है तो चार पेटी इनको पानी, डेढ़ सौ का पानी 1 पेटी 12 बोतल 160 रुपये है तो महीने में 48 बोतल मिलेगा जो पर्याप्त नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी कौन पी लेगा, मा0 हाईकोर्ट ने कहा यह छः पेटी पानी छोड़ दो अगर विजय मिश्रा पानी दस हजार लीटर मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा, एफीडेविट जेल अधीक्षक आर0 के0 केशरवानी को दिया उन्होंने दिया हाई कोर्ट को, तब किसी तरह मिनरल वाटर पानी मिला। माननीय मंत्री जी उस दिन आप कह रहे थे कि हमको खाना बनाने का समय मिल जाता था, आप खाना की बात करते हैं, इतना तानाशाही सरकार नेता शत्रुदल जी आप बैठे हैं चाय तो साढ़े ग्यारह बजे सुबह मिलती थी वह भी चीनी की मा0 अध्यक्ष जी चार बजे उठ जाऊं सौगन्ध खा कर कहता हूं जिसमें लोग लैटरिन बैठते हैं उसी में साबुन के सहारे कटोरी में काफी चोरी से बनता तब मैं उठता था पांच बजे। वह भी तीन-तीन लम्बरदार छः बाई आठ की कोठरी में दो लम्बरदार जबरदस्ती कमरे में लगाये जाते थे। जेल अधीक्षक यातना के लिये अपराधी कौन इसको मारे सजायाफ्ता ओमकार सिंह आप रिकार्ड दिखवा लीजियेगा मा0 नेता प्रतिपक्ष शर्म और अफसोस के साथ कहता हूं एक बन्दी उस आर0 के0 केशरवानी जो जेल अधीक्षक था उसने ले आकर गाजियाबाद से जिसको मिर्गी का दौरा आता था, बल्ले जिसका नाम था,

उसको हमारे कमरे में कर दिया और दिन में उसको दो बार मिर्गी दौरा आता तो टट्टी पेशाब कर देता था हम तो कभी मिर्गी का दौरा आने वाले को देखे नहीं थे, मैंने कहा इसको हटाया जाय, उसने कहा यहीं रहेगा, फिर उसकी मैंने दवा वगैरह रात भर कराया उसके बाद मैंने उससे कहा कि एक चिट्ठी लिख दे उसने चिट्ठी लिखा कि जेल अधीक्षक मुझे मारना चाहता है, घर पर कह दो लेकिन वह चिट्ठी कैसे जायेगी मुश्किल था वहां पर तो सुई का नोंक भी जाना मुश्किल था।

सिगरेट का भी उन्होंने बन्दी करा दी, वह भी कोर्ट का आदेश गया। दवा का आदेश गया हाईकोर्ट से लेकिन आज तक मा0 मंत्री जी, उन्होंने मेडिकल कालेज के बाहर जांच नहीं करायी, जांच वहीं करा देते थे और यहां तक की दवा की गोलियां भी बन्द कर देते थे। कभी-कभी सत्तू जाता था, तो उसमें हमारी दवा की गोलियां जाती थीं। और कभी मेडिकल नहीं कराई जेल के अन्दर ही जांच हो गयी, लिख दिया जाता हाईकोर्ट में फर्जी एफीडेविट दे देते थे। सारी इन्होंने हमारी पत्रावली एक-एक महीने, दो-दो महीने, मा0 अध्यक्ष जी अगर आप गये होंगे एम्स हास्पिटल में तो जो भी हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग वहां जाते हैं, 25 से 30 दिन उनको इस बात पर जमीन पर लेटना होता है कि कार्ड उनका बन जाये। 10 रुपया कार्ड केवल 100-200 लोगों का लिमिट लोगों का बनता है। 15-15, 20-20 दिन लाइन लगाकर तब उसका एम्स हास्पिटल का कार्ड बनता है। वह भी हमारा कार्ड उनके पास था सब उन्होंने फाड़ दिया। आज तक वापस नहीं दिया है कोर्ट ने उन्होंने एफीडेविट भी दिया है, व्यवस्था दी है। जेल मैनुअल में है कि रात की यात्रा नहीं करायी जायेगी। मा0 मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका कड़ाई से पालन हो। भोजन के लिये कह ही दिया गया है। जेल विभाग तो हमारे मा0 श्री रघुराज प्रताप सिंह के पास है यह देखेंगे, उस समय 5 साल किसके पास जेल विभाग रहा मैं नहीं जानता। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी एक से डेढ़ करोड़ रुपये की कमाई प्रतिदिन हो रही थी। अब क्या हमारे पास आ रहा था, मा0 रघुराज प्रताप सिंह जी यह बता दें। डेली की कमाई एक से डेढ़ करोड़ रुपये। जेलों में 40 से 50 प्रतिशत अन्न में कटौती होती थी, बन्दी जाता था 1400 रुपये महीना, जो सजायाफ्ता है, उसके लिये 1000 महीना। यहां तक की शर्म की बात कह रहा हूं कि जेल में लेटने के लिये, उस नर्क में भी एक-एक हजार रुपया मांगा जाता था, तब उनको सोने के लिये जगह मिल पाती थी। मान्यवर, सोने के लिये ओटा बिकता था और जिस बन्दी ने अगर 1400 रुपये काम कराने का नहीं दिया। मुझे पहली बार मेरठ में पता लगा कि कुछ बन्दी का दौरा खुला है। मैंने सोचा कि दौरा जेल के किनारे दौड़ रहे होंगे। दौरा यह लगता है कि सुबह से शाम जितने कमरे जेल के हैं आप अपना बिस्तर और तकिया लेकर घूमते रहिये वह दौरा लगता है, जब पांच और दस हजार रुपये घर वाले देते हैं। बगल से फोन जाता है कि आपका लड़का मरणासन्न है आइये और पैसा 5 से दस हजार लेकर दौरा बन्द किया जाता है। मान्यवर, यह व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करिये।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, 9 अप्रैल, 1986 का जी0 ओ0 है कि बन्दी के मनोरंजन हेतु एवं सामाजिक धार्मिक फिल्में देखने हेतु उस समय डी0 वी0 डी0, टी0 वी0 का आदेश हुआ था। लेकिन हर जेल में हर बन्दी को यह सुविधा नहीं उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। अब व्यथा सुनाने से क्या मतलब है। यह कोई व्यथा सुनाने की जगह थोड़े न है कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ?

श्री विजय मिश्र-

मा0 मुख्तार साहब आप तो उच्च सुरक्षा में रहे जहां पर आतंकवादी रहे थे लेकिन मेरठ जेल से चार आतंकवादी बन्द थे, दो कश्मीर के और दो अगल-बगल के और चारों को निकाल दिया वहां से। और मुझे कभी सजायाफ्ता के साथ कभी तनहाई में बन्द रखा गया।

(कई मा0 सदस्यों के बोलने के प्रयास के कारण व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें, टाइम भी तो देखें।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, हम मंत्री जी से निवेदन करेंगे, एक तो हर जेल वहां पर कैंटीन लगती है और कैंटीन में यह व्यवस्था नहीं है कि पैसा कहां से आयेगा। मुख्तार भाई ने कहा तिहाड़ जेल में कि वहां पर पैसे से सब खरीद लिया जाता है। दिल्ली की जेल में आपने कहा कि पैसे से फोन हो जाता है, पैसे से खाना भी लिया जाता है। यहां तो तलाशी में अंडर बियर के अन्दर से 5 रुपया भी निकाल लिया जाता है। वहां दिल्ली में जेल मैनुअल में है कि एक बन्दी से मुलाकात के लिये जब कोई आयेगा तो बन्दी के पास प्रति मुलाकात 150 से 250 रुपये तक आप उसकी जेब में रख सकते हैं। इसलिये आप दिल्ली में खरीद सकते हैं। यहां तो पांच रुपया भी निकाल लेते हैं लम्बरदार अन्दर-बाहर जहां पर भी रखे रहते हैं। पैसा भी ले लेता है और पिटाई भी करता है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी व्यथा सुना रहे हैं, बजट पर बोलें।

श्री विजय मिश्र-

जब तक मुलाकाती पैसा नहीं देगा, तो कैंटीन से मा0 मंत्री जी आपको कोई फायदा नहीं होगा। जहां एक-एक लाख रुपये प्रतिदिन हर जेल कैंटीन इनकम होती थी, 5 साल में कितना रुपया लूटा गया होगा। बन्दियों के कल्याणार्थ वह कैंटीन खोली गयी है। आप जेलों में पता लगा लें 5 रुपये का कहीं एक ईंट का काम नहीं हुआ है, आपके यहां 80 साल के बन्दी से काम कराया जाता था। मा0 अध्यक्ष जी मेरठ से जनपद-भदोही की दूरी 800 के लगभग है जहां से ट्रक से रात दिन यात्रा कराई जाती थी एक-एक बार मा0 न्यायालय में आने जाने में मेरठ से 60 से 70 घंटे लगते थे 3 दिन बराबर जागना पड़ता था जिससे गर्दन की नसें दब गई हैं (सरवाइकल्स) हो गया है बायें हाथ में भयंकर दर्द रहता है और हाथ सुन्न रहता है जिसकी आज भी अस्पताल में थेरेपी चल रही है। पूरा का पूरा ठीक होना मुश्किल है यह ब0 स0 पा0 की जालिम एवं लुटेरी सरकार की देन है। अब मा0 श्री मुख्य मंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूर्व की सारी समस्या दूर की जायेगी। ऐसा विश्वास है, धन्यवाद।

मा0 मंत्री जी जेलों में 24 घण्टे डाक्टर रहते हैं और सभी चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध हैं इन्हें आप सुनिश्चित करा दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अभय सिंह-

मान्यवर, मैं कारागार मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर बोलना चाहता हूं। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के जुल्म और तानाशाही के बारे में बताना चाहता हूं कि किस प्रकार जेलों को यातना शिविर में परिवर्तित कर दिया गया था। यह अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ जेल मैनुअल है। जो आजादी के दीवानों को सताने और तड़पाने के लिये बनाया गया था। बहुजन समाज पार्टी बिलकुल अंग्रेजों की तरह काम कर रही थी जिस प्रकार डा0 राम मनोहर लोहिया को मुम्बई में गिरफ्तार करके लाहौर की जेल में भेजकर प्रताड़ित किया गया था उसी प्रकार बहुजन पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के लोगों को फर्जी मुकदमों में बन्द करके इधर-उधर दूसरे जिलों की जेलों में भेजकर प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ित करने के लिये यहां तक जेलों के लिये आई0 जी0 जेल पद जो कि आई0 ए0 एस0 के लिये आरक्षित होता था उस स्थान पर आई0 पी0 एस0 को बिठा दिया गया ताकि वह बर्बरतापूर्वक बहुजन समाज पार्टी के इशारे पर लोगों को प्रताड़ित कर सके। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जेलों में जब बन्दी जाता है तो उससे पहले दस दिनों में काम नहीं कराया जाता है लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जेलों में पहुंचते ही उसे बड़ी झाड़ू पकड़ा दी जाती थी। और काम न करने के लिये बन्दी की हैसियत के हिसाब से एक हजार से लेकर दख लाख रु0 तक गाजीपुर से गाजियाबाद की जेलों में लिया जाता था। माननीय अध्यक्ष जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कारागार विभाग में ऐसा भ्रष्टाचार फैला हुआ था कि जेलों में डिप्टी जेलरों और जेलरों को अधीक्षक और वरिष्ठ अधीक्षक तक का चार्ज दे दिया जाता था जिससे उनकी अवैध कमाई हो और उसका हिस्सा ऊपर के अधिकारियों तक जाता था। माननीय बधौलिया जी सदन के सदस्य हैं मैं 15 महीनों तक हमीरपुर कारागार में रहा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने के लिये वह खड़े हुये लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वह किसी गरीब या कमजोर या निर्दोष बन्दी का हाल चाल लेने वहां पर आये हों। जेलों में सुधार के लिये बीच-बीच में कई बार मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्देश जारी हुये व शासन द्वारा भी निर्देश जारी हुआ कि इन नियमों को खत्म कर दिया जाय और इन नियमों को जोड़ दिया जाय। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तानाशाही सरकार ने मानवाधिकार आयोग और अपने ही सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया और अपने हिसाब से माननीय विजय मिश्र जी का माननीय मुख्तार अंसारी का स्थानान्तरण बिना न्यायालय की अनुमति के कर दिया गया। पूर्व में 2002 में राजा भइया जी का भी स्थानान्तरण कर दिया गया। उसके लिये रात में शासनादेश जारी किया गया कि न्यायालय से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बस सूचनार्थ न्यायालय में भेज दिया जाय। जबकि जेल मैनुअल में यह व्यवस्था की गयी कि न्यायालय की अनुमति के बाद किसी का स्थानान्तरण किया जाय। इस संदर्भ में 2005 में जगजीत सिंह जी प्रमुख सचिव कारागार द्वारा पुनः शासनादेश जारी किया गया कि न्यायालय की अनुमति के उपरान्त ही किसी का स्थानान्तरण किया जायेगा। वह हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में वह शासनादेश जारी हुआ था।

मान्यवर, मैं वहां पर जेल में रहा। और हमको तन्हाई में बन्द किया गया तन्हाई में हमें पंखा नहीं लगाने दिया गया कहा गया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा जबकि मैं पढ़ा लिखा हूं मानसिक स्थिति मेरी ठीक-ठाक है और कोर्ट के आदेश के बाद फिर पंखा लगा। मान्यवर, जेलों में इस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ था कि जो दाल थी वह खिसारी की दाल होती थी अरहर की जगह और उसका साइड एफेक्ट इतना होता है कि आदमी की तबियत बुरी तरीके से खराब हो जाय। रोटी कच्ची रहती थी। जेल मैनुअल के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं 1996 में कमेटी द्वारा नया जेल मैनुअल उत्तर प्रदेश सरकार में सौंपा जा चुका है जो कि बजट की कमी की वजह से लागू नहीं हो पाया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एवं कारागार विभाग आदरणीय राजा भइया जी को दिया गया है उसी दिन अधिकारियों की मानसिकता में परिवर्तन हो गया है। और काफी कुछ परिवर्तन उसमें दिखायी पड़ने लगा। खाने में सुधार हो गया है अधिकारियों की वसूली लगभग बन्द हो गयी है। मा0 कारागार मंत्री जी ने कई जिलों में आकस्मिक छापा मारा और खाने की गुणवत्ता एवं बन्दियों की सुविधाओं के प्रति ध्यान दिया है।

मान्यवर, अभी जेलों की स्थिति के बारे में काफी बोला गया है। आज भी बहुत से अधिकारी हैं जो जेल की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं और कहते हैं कि यह अधिकारियों को नेताओं का संरक्षण नहीं मिल रहा है। शासन कायदे से संरक्षण नहीं दे रहा है बन्दियों को सुविधाएं देने के लिये इस तरीके से उपद्रव कराता है वह चाहते हैं कि बन्दी बवाल करें बन्दियों को नाजायज सुविधायें दी जायें। इस तरह के अनावश्यक आरोप जो इनके आफिसर इनके एजेन्ट आफिसर हैं बहुजन समाज पार्टी के आज भी जेलों में कार्यरत हैं। आदरणीय विजय मिश्रा जी वह जेल में बन्द थे उनसे कितनी बदतमीजी की गयी, हर कोई जानता है। वही अधिकारी बस्ती में गया जाते ही वहां गोली चलवा दी, निलम्बित भी किया गया। इस तरह से इनके पास एक नहीं अफसरों की पूरी फौज है जो इनके एजेन्ट के रूप में काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये, सब मंत्री जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हम जानते हैं, हम लोग भी आन्दोलनों में जेल जाते हैं, जानते हैं क्या है।

*श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कारागार मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि मेरी नजर में यह संवेदनशील सरकार है, मैं समझता था और कारागार मंत्री जी कारागार के विषय में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं क्या इस सरकार के दोहरे मापदण्ड हैं। सत्ता पक्ष के विधायक रातों-रात अपने जिले में ट्रांसफर कर दिये जाते हैं और वहीं पर विपक्ष के विधायक मुख्तार अंसारी साहब 7 सालों से आगरा जेल में हैं तो हम जानना चाहते हैं इस सरकार से कि क्या इसके दोहरे मापदण्ड हैं एक सत्ता पक्ष के लिये और एक हम विपक्ष के विधायकों के लिये। यह घोषणा कीजिये सदन में कि आप मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं।

(सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं, यह बजट है, कुछ नहीं। बुधौलिया जी, आपको जो कुछ कहना है आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें।

नहीं, कुछ नहीं, और बजट नहीं है, यह जेल ही बजट है, लिखकर अपना सुझाव माननीय मंत्री जी को दे दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू भइया-

आज बहुत सारी बातें हमारे माननीय सदस्यों ने कही।

श्री अध्यक्ष-

कौशल जी, आप मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं आपका लिखा नहीं जायेगा, कोई का नहीं लिखा जायेगा, बुधौलिया जी आप बोलिये।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू भइया-

अध्यक्ष महोदय, सारे सदस्यों की पीड़ा को मैंने भी देखा और माननीय कारागार मंत्री ने भी आदरणीय साथियों के विचारों को जाना। आदरणीय विजय मिश्रा जी हों, आदरणीय मुख्तार अंसारी साहब हों, अभय सिंह हों इन्होंने वही बातें दोहराईं जो मैंने पूर्व में अपने भाषण में कहीं। अव्यवस्थायें हैं जेलों में बन्दियों के साथ परेशानियां हैं। आज तीन महीने की सरकार आपकी हो गयी है तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो भी जेल के नियम हों उसके अनुसार अपनी व्यवस्था बनायें। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये इस बजट पर बल प्रदान करता हूं।

*श्री जमीर उल्ला खां-

मान्यवर, जेल के अन्दर सभी ऐसे लोग हेते हैं जो बुरा काम करके पहुंचते हों कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि जेल में जाना पड़ता है। मैंने देखा है कि वहां इबादत के लिये खासकर जुमे की नमाज के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और बहुत जेलों के अन्दर काफी बड़ी तादाद में नमाजी परेशान रहते हैं। मेरा सुझाव है कि मस्जिद एक होनी चाहिये जेल के अन्दर ताकि लोग वहां नमाज पढ़ सकें।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, हमें मजबूर न करिये।

श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहते हैं, इससे तमाम प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, 5 वक्त की नमाज तो अपनी-अपनी बैरकों में बन्दी पढ़ते हैं लेकिन खासतौर से जो हमारी जुमे की नमाज होती है और हिन्दुस्तान के 90 प्रतिशत सूबों में यह व्यवस्था है कि इमाम आते हैं और जुमे की नमाज बाकायदा बजमात पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में माननीय मंत्री जी यह फार्मूला लागू कर देंगे तो तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमान इसके लिये इनके आभारी होंगे।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यों के सुझावों को मैंने बड़े ध्यान से सुना और इनमें अधिकांश सुझाव ऐसे थे, जिन पर विभागीय अमल किया जा चुका है। भोजन का महत्व हम सब लोग जानते हैं और जेल में भोजन का क्या स्तर है श्रीमन् आप भी जेल में लम्बी अवधि तक रह चुके हैं और यहां पर सभी माननीय विधायक और माननीय मंत्रीगण संघर्षों के कारण जेल में रह चुके हैं, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह सब जानते हैं। इस सरकार का निरन्तर प्रयास रहेगा कि जेल में भोजन का जो स्तर है, वह सुधारा जाये, भोजन मानक के अनुसाार हो और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त न की जाये, वह इसलिये भी कि हम सभी लोग जीवन में इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं। शौचालय, पानी व्यवस्था और कैन्टीन व्यवस्था के सम्बन्ध में जितने भी सुझाव आये हैं और शिकायतें आई हैं, उन सबको हम नोट कर लिये हैं और इस बजट को पेश करने के करीब डेढ़-दो महीने पहले ही इन पर निर्णय लिया जा चुका है। श्रीमन् सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि साढ़े 4 अरब का जेल विभाग का बजट है, पिछली बार भी कमोबेश यही था। आज जेलों में बैरकें टूटी-फूटी हैं, पानी की सुविधा नहीं है, टंकी नहीं है। तमाम कमियां हैं लेकिन पिछला जो बजट बीता है, मुझको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार ने एक अरब 88 करोड़ 17 लाख 87 हजार रुपये सरेंडर कर दिया, वापस कर दिया, बजट मिलने के बावजूद उसका उपयोग नहीं हुआ, जेलों को सुधारने में, उनकी इमारत को रंगरोगन कराने में, प्लास्टर कराने में। यह इसलिये हुआ श्रीमन्, कि उस तरफ कभी इनकी नजर नहीं गयी, जेल का क्षेत्र एक ऐसा काला अध्याय होता है, ऐसा ब्लैक एरिया होता है कि जहां लोग देखना नहीं पसन्द करते हैं। तो पिछली सरकार में इसे पूरी तरह से उपेक्षित किया गया चाहे वह पानी की सुविधा हो या बैरकों का निर्माण। श्रीमन्, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं जिन जेलों का निर्माण हो रहा है और पुरानी जेलों में नई दो मंजिला बैरकों का निर्माण हो रहा है जिससे जो बन्दियों की भीड़ है, क्षमता से अधिक उनको बन्द करना पड़ता है, यह हमारी मजबूरी है। नई बैरकों के बन जाने के बाद काफी स्थान हो जायेगा और इससे बन्दियों की असुविधा भी काफी कम होगी। आज मुझको यह माननीय सदन को सूचित करते हुये बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जेलों में तमाम ऐसे बन्दी हैं जो अपनी अधिकतम सजा के आधे से ज्यादा समय काटने के उपरान्त भी कानूनी सहायता के अभाव में जमानत से वंचित हैं। यह उन बन्दियों की बात है, जिनको सजा नहीं हुयी। उन्हें अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके रिहा कराने की कार्यवाही की जायेगी, जिससे वे जेल के बाहर अपने परिवार के साथ रह सकें। मान्यवर, सी0 आर0 पी0 सी0 में उल्लेख भी है कि आधे से अधिक सजा जब जेल में हो जाये और बेल उनको न मिले तो वह आवेदन कर सकते हैं और उसमें माननीय न्यायालय विशेष संज्ञान लेकर उनको राहत दे सकते हैं। आज उम्र कैद के 17,985 बन्दी बन्द हैं और उम्रकैद की कोई व्याख्या हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। उम्रकैद का मतलब ऐसा लगता है कि जो बन्दी उम्रकैद में गया, वह आखिरी सांस तक जेल के अन्दर ही रहेगा। इस समय 80 साल, 90 साल के कई ऐसे बन्दी हैं जो 25 और 30 से भी अधिक वर्षों से जेल में बन्द हैं। कई ऐसे बन्दी श्रीमन् हैं, जिनको उठाने-बैठाने के लिये श्रीमन् सहारा देना पड़ता है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, हाथ पैर नहीं चलते हैं। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 432(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये समय पूर्व रिहाई पर विचार किया जा रहा है ताकि उनको एक निश्चित समय सीमा पर, जिसकी संभवतः मियाद 14 वर्ष की होगी, उन उम्रकैद के बन्दियों को रिहा करने पर हमारी सरकार विचार कर रही है। माननीय सदस्य विजय मिश्रा जी ने जो कहा कि जेल ट्रांसफर रात मे नहीं होना चाहिये, यह सही बात है कि जेल ट्रांसफर रात में नहीं होना चाहिये। हमारा भी जब ट्रांसफर हुआ तो रात में ही हुआ। जब जेल ट्रांसफर रात में होता था उसकी वजह यह होती थी कि किसी को भनक न लग जाये और लोग रास्ता रोक करके मौजूदा सरकार का मुर्दाबाद न लगाने लगें। दो-दो बजे, तीन-तीन बजे रात में चुपके से इस रास्ते, उस रास्ते, रास्ता बदल-बदल करके, गाड़ियां बदल करके चोरों की तरह हमको ले जाया जाता था। पहले तो हम

लोग समझ नहीं पाते थे कि कहां ले जा रहे हैं, किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, कौन सी जेल जा रहे हैं। बता रहे हैं कि फतेहगढ़ सेन्ट्रल ले जा रहे हैं और मोड़ दिया कहीं हरदोई की तरफ, कहीं उन्नाव की तरफ, तमाम नये-नये रास्त ईजाद किये गये थे। यह जो सरकार थी, यह भयाक्रान्त सरकार थी, भयभीत सरकार थी, पूर्ण बहुमत था लेकिन उसी भय की वजह से इस सरकार ने कभी हाउस नहीं बुलाया, क्योंकि सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। सरकार के जो कृत्य हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वह पत्रकारों के माध्यम से जनता के बीच में जायेंगे और वह उजागर होंगे।

लेकिन यह सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जेल के जो भी सुधार हैं, वह हमने आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के सामने रखे और श्रीमन् मुझको प्रसन्नता होगी, अगर उत्तर प्रदेश के कैदियों के स्तर को ऊपर उठाने के लिये, उनको मानक के अनुसार सुविधायें देने के लिये कोई भी काम हो, दिन हो या रात हो, मैं हर समय उपलब्ध रहता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ कारागार विभाग का एक और हिस्सा है, वह है उसके अधिकारीगण, उसके कर्मचारीगण बन्दीरक्षक। आज बन्दीरक्षकों के आवास बहुत जर्जर अवस्था में हैं और बन्दीरक्षकों की बहुत दिनों से यह मांग है कि पुलिस के सिपाही को जिस प्रकार पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है, उस तरह से उनको भी वह भत्ता दिया जाये जिसके कि वह हकदार हैं। इस विषय में भी जल्दी ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है। इसके साथ ही कई छोटी-मोटी समस्यायें हैं, जिस तरह से हमारी सरकार के मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश जी ने यह निर्णय लिया है कि जो पुलिस के सिपाही प्रदेश के दूसरे कोने में भेज दिये गये हैं, एक तुगलकी फरमान पिछली सरकार ने लागू किया था कि अपने मंडल में कोइ नहीं रह सकता, बलिया का पुलिस का सिपाही उसको भेज दिया गया सहारनपुर। मेरठ का सिपाही भेज दिया गया गाजीपुर। इसकी वजह से छोटे वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी ही तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसी तरह जेल विभाग के सिपाहियों को भी मंडल स्थानान्तरण के नाम पर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने भेज दिया गया। पिछली सरकार ने यह नियम लागू कर दिया था कि वह अपने मंडल में नहीं रह सकते हैं। एक तो भाषा का अन्तर, भोजन का अन्तर और कम वेतन पाले वाले हमारी जो बन्दीरक्षक हैं, तो इस व्यवस्था को भी समाप्त करके बन्दीरक्षकों की उनके गृह मंडल में तैनाती हो सकती है, इस बात का निर्णय इस सरकार ने लिया है और मैं समझता हूं कि जितनी भी आपत्तियां थीं, उनका निस्तारण हो चुका है। मान्यवर, आदरणीय बुधौलिया जी, आदरणीय मुख्तार अंसारी भाई, अभय सिंह जी, आदरणीय विजय मिश्र जी और तमाम साथियों के जो सुझाव आये, एक-एक सुझाव पर गौर करके उनको पूरा करने का यह सरकार प्रयास करेगी और माननीय बुधौलिया जी ने कहा कि बसपा की वजह से ही जेल मंत्रालय का विभाग मुझको मिला है तो मैं वाकई आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हालांकि आपका इरादा यह नहीं था कि आगे चलकर इनको मंत्री बनाया जाये लेकिन न चाहते हुये भी हमारा भला हुआ, यह ईश्वर की कृपा थी। फर्क सिर्फ एक है कि हम तो जिनके सताये हैं, उनके सामने बैठे हुये हैं लेकिन आप जिनके सताये हैं, उन्हीं के साथ बैठे हैं। यह दुविधा आपको जरूर कचोटती होगी। क्योंकि हम तो इनके शासनकाल में भेजे गये और हम तो बराबर संघर्षरत रहे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिये जिन्होंने आपको भेजा, आप उन्हीं के साथ जा करके खड़े हो गये, यह हमको जरूर तकलीफ है। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि इस कटौती प्रस्ताव में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक-एक सुझाव को पूरे ध्यान से उसको समाहित किया गया है, उस पर गौर किया जायेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

(श्री मुख्तार अंसारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्या बाकी रह गया ?

श्री मुख्तार अंसारी-

एक सेकेण्ड का सुझाव है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जेलों में लगभग 80 हजार बन्दी हैं और नाई नहीं है, बाल काटने के लिये। दूसरा, माननीय मंत्री जी सफाई कर्मचारी नहीं है। बाथरूमों को बन्दी साफ करता है, नाली को बन्दी साफ करता है। अगर सरकार की तरफ से उनको नौकरी दी जाये तो बेरोजगारी भी खत्म होगी और यह काम भी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,87,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,24,24,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 जून, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री मदन चौहान की पंचशील नगर में हापुड़ से मोदीनगर के बीच मार्ग के निर्माण में किये गये घोटाले की जांच कराये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना-(1) श्रीमती हेमलता

चौधरी तथा (2) श्री लोकेश दीक्षित की बागपत स्थित ग्राम सुभानपुर में लगी फैक्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के संबंध में है, तीसरी सूचना-श्रीमती रजनी तिवारी की हरदोई के चार नग ग्रामों में अलग से 11 के0वी0 फीडर लगाये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की मिर्जापुर के ग्राम सेमरा में हुई नाव दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना-श्री विजय कुमार की सिद्धार्थनगर के पिठानी में लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, छठी सूचना-श्री तेज नारायण पाण्डेय (पवन पाण्डेय) की जनपद फैजाबाद की विकास खण्ड मसौधा में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना-श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना-श्री अखिलेश सिंह की प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु आधुनिक स्तर के स्टेडियम, एथेलेटिक स्ट्रोक व शूटिंग रेंज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना-श्री अलगू प्रसाद चौहान की जनपद सन्त कबीर नगर के ग्राम पंचायत महुली में दिनांक 02 अप्रैल, 2010 को बिजली का जर्जर तार टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं जलकर राख हो जाने के अपराध में किसानों को अज्ञात में गंभीर धारा लगाकर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है तथा दसवीं सूचना-श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखंड, फैजाबाद द्वारा पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजनान्तर्गत झरना नाले पर पुलिया का निर्माण व कतिपय मार्गों के अपूर्ण रहने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में प्राप्त सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना-श्री शारदा प्रताप शुक्ला की उ0प्र0 के पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को गृहकर व जलकर जमा करने से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में है तथा बारहवीं सूचना-श्री प्रमोद तिवारी जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास से होकर गुजरने वाले सिंचाई खण्ड सगरा रजबहा की सर्विस रोड को पक्का किये जाने के संबंध में है तथा प्राप्त सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। तेरहवीं सूचना-श्री अजय मिश्रा 'टेनी' की विधान सभा क्षेत्र निघासन के ग्राम सभा खैरीगढ़ में सड़क पाटने व खड़ंजा लगाने से वन प्रभाग उत्तर खीरी द्वारा रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना-श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगर में बिजली की आपूर्ति रोजा थर्मल पावर से पांच किलोमीटर एरिया में विद्युत आपूर्ति 24 घन्टे सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना-श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत सिधुआ स्केप एवं मंझरिया स्केप के द्वारा काफी मात्रा में पानी छोड़ दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में है तथा सोलहवीं सूचना- श्रीमती सीमा द्विवेदी की उ0प्र0, समाज कल्याण विभाग में मृतक आश्रित की नियुक्तियों आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में, ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

1-श्री सन्त प्रसाद,

2-ठा0 दलवीर सिंह,

3-डा0 धर्मपाल सिंह,

4-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,

5-ठा0 सूरज पाल सिंह,

6-श्री मुकेश श्रीवास्तव,
7-श्री जगन प्रसाद गर्ग,
8-श्री राधे श्याम सिंह,
9-श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
10-श्री काली चरन सुमन,
11-श्री रामहेत भारती,
12-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
13-श्री दलजीत सिंह,
14-श्री पंकज मलिक,
15-श्री अनूप संडा,
16-श्री विजय कुमार दुबे,
17-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
18-श्री विजय बहादुर यादव,
19-श्री लोकेश दीक्षित,
20-श्री गया चरण दिनकर,
21-श्री विवेक कुमार सिंह,
22-श्री ममतेश शाक्य,
23-श्री गायत्री प्रसाद,
24-श्री अगयश राम सरन वर्मा,
25-श्री सतीश महाना,
26-श्री मदन गोपाल वर्मा,
27-श्री सुलतान बेग,
28-श्री गंगा सिंह कुशवाहा,
29-श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय,
30-श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
31-श्री पूरन प्रकाश,
32-डा0 पूर्णमासी देहाती,
33-श्री आलमबदी,
34-श्री प्रदीप माथुर,
35-श्री उमेश पाण्डेय तथा
36-डा0 धर्म सिंह सैनी।

जनपद मथुरा के वृन्दावन में उपमण्डी समिति शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा, श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि . . . .

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[''जनपद मथुरा का जगप्रसिद्ध वृन्दावन, श्री भगवान कृष्ण की क्रीड़ास्थली है तथा यहां प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री आते हैं। वृन्दावन शहर में बीचोंबीच अनाज मण्डी का सब्जी मण्डी स्थित है जिसके कारण हर समय जाम लगा रहता है तथा गंदगी का साम्राज्य बना रहता है तथा वृन्दावन में आने वाले तीर्थ यात्रियों जो कि देश विदेश से आते हैं इन कारणों से छवि धूमिल होती है।

अतः वृन्दावन की अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी व फल मण्डी प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित होनी (वृन्दावन शहर के बाहर) अति आवश्यक है। गत सरकार में इस हेतु बहुत प्रयास किए गये। स्थानीय स्तर पर वृन्दावन में उपमण्डी समिति बनाने के प्रस्ताव भी भिजवाए गए तथा वृन्दावन पुल के पास भूमि भी चिन्हित कर ली गयी थी परन्तु पिछली सरकार की पहल न होने के कारण वृन्दावन में उपमण्डी समिति का निर्माण नहीं हो पाया।

जनहित में उपमण्डी समिति का वृन्दावन जनपद मथुरा में निर्माण तत्काल होना आवश्यक है। नगर विकास विभाग व जिलाधिकारी मथुरा द्वारा भू-उपयोग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) जनहित पर मंगवाकर शीघ्र निर्माण करने हेतु शासन से इस ज्वलन्त मुद्दे पर तत्काल वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2-मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के संबंध में निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी मथुरा को सम्बोधित एवं मण्डी परिषद् को पृष्ठांकित नगर पालिका परिषद् के पत्र दिनांक 12-7-2011 द्वारा सूचित किया गया है कि वृन्दावन में उपमण्डी स्थल निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद् के बोर्ड के प्रस्ताव संख्या-8, दिनांक 01-08-2009 के क्रम में एवं जिला भूमि चयन समिति के पारित प्रस्ताव दिनांक 14-06-2011 के क्रम में नगर पालिका परिषद् की गाटा संख्या-217 (ख) व 220 (ख) की उपलब्ध भूमि, जो कृषि योग्य नहीं है तथा निष्प्रयोज्य है, में से 10 एकड़ भूमि वृन्दावन उपमण्डी स्थल निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाती है।

जिलाधिकारी मथुरा द्वारा परिषद् के पत्रांक-58, दिनांक 25-5-2011 के क्रम में अपने पत्र दिनांक 16-7-2011 द्वारा गाटा संख्या-217 (ख) व 220 (ख) की 10 एकड़ भूमि को उपमण्डी स्थल वृन्दावन के निर्माण हेतु मण्डी परिषद् से स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। भूमि चयन का अनुमोदन प्रदान करने हेतु परिषद् के पत्र दिनांक 29-7-2011 द्वारा निर्धारित बिन्दुओं की सूचना

उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद्, आगरा से उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, जिसके अनुक्रम में सूचना प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त भूमि चयन की स्वीकृति परिषद् के पत्रांक-173, दिनांक 30-8-2011 द्वारा प्रदान की गयी।

मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद् के अनुमोदन दिनांक 24-8-2011 के अनुपालन में कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त 10 एकड़ भूमि मण्डी समिति मथुरा के पक्ष में हस्तान्तरित करने हेतु नगर विकास विभाग से अनुरोध किया गया। नगर विकास अनुभाग-8 ने अपने पत्र दिनांक 18 मई, 2012 में यह अवगत कराया है कि ''नगर पालिका परिषद् वृन्दावन की 10 एकड़ भूमि मण्डी परिषद् को निःशुल्क आवंटित करने में काफी राजस्व की हानि होगी साथ ही आगामी वर्षों में जनसंख्या में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत भविष्य में पालिका की योजनाओं के संचालन हेतु भूमि की उपलब्धता की आवश्यकता भी है। ऐसी स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त पालिका हित में मण्डी परिषद् को निःशुल्क भूमि दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।''

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र के क्रम में जिलाधिकारी मथुरा ने निदेशक, मण्डी परिषद् को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 14-06-2012 से नगर पालिका परिषद् वृन्दावन स्थित खसरा संख्या-217 (ख) एवं 220 (ख) में से 10 एकड़ भूमि उपमण्डी स्थल निर्माण हेतु सशुल्क मण्डी समिति के पक्ष में हस्तान्तरित हेतु विचार करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तावित भूमि को सशुल्क क्रय करने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14 जून, 2012 पर मण्डी परिषद् द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा व भूमि प्राप्त होने पर यथाशीघ्र नियमानुसार उपमण्डी स्थल का निर्माण कराया जायेगा।]

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय मंत्री जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस बात पर अपनी सहमति दी कि हम इसे मण्डी समिति से क्रय कर लें। पर मान्यवर, आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आप कोई सुनिश्चित तारीख बता दें एक महीने के अन्दर जिससे वृन्दावन शहर बहुत खराब है इसे जल्दी से जल्दी करा दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब देखिये मान्यवर, ये उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना चाहते हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

वह तो हम पकड़ेंगे ही, आप बड़े भाई हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यूं ही एक दिन तस्करा हो रहा था मैंने विभाग में बात कर ली है अधिकारियों से मैंने विभाग में बात कर ली है कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाय। लेकिन पैसा लेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

पैसा तो शासन से मिलेगा। वृंदावन के पास कहां है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या आप भारत सरकार से दिलवायेंगे।

जनपद श्रावस्ती में अपराधिक तत्वों द्वारा अनुसूचित जाति के जोगी पुत्र दूबर पर जानलेवा हमला करने वालों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया नहीं है। इसलिए यह वक्तव्य लैप्स हो जायेगा।

(सदस्य की अनुपस्थिति के कारण वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद फतेहपुर में स्थित उपकेन्द्रों की विद्युत क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, फतेहपुर में स्थित उपकेन्द्रों की विद्युत क्षमता बढ़ाए जाने . . . .

राजस्व आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र 238 जहानाबाद फतेहपुर में जहानाबाद के अन्तर्गत निम्नलिखित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि 2012-13 में प्रस्तावित है-

(1) 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र अमौली-वर्तमान में उपकेन्द्र की क्षमता (1 x 8+1 x 10 एम0वी0ए0) है, जिसे वित्तीय वर्ष 2012-13 में 8 एम0वी0ए0 के स्थान पर 1 x 10 एम0वी0ए0 प्रस्तावित किया जा रहा है, जिससे उपकेन्द्र की कुल क्षमता 2x 10 हो जायेगी।

(2) 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र कशियापुर-वर्तमान में उपकेन्द्र की क्षमता (1 x 5 + 1 x 5 एम0वी0ए0) है जिसे वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2 x 5 एम0वी0ए0 से (1 x 5 + 1 x 10 एम0वी0ए0 प्रस्तावित किया जा रहा है, जिससे उपकेन्द्र की कुल क्षमता 15 एम0वी0ए0 हो जायेगी।

(3) 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र देवरी (डिघरुवा)-वर्तमान में उपकेन्द्र की क्षमता 2 x 5 एम0वी0ए0 है। यहां अभी क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

(4) 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जहानाबाद-वर्तमान में उपकेन्द्र की क्षमता 3 x 5 एम0वी0ए0 है। एक 5 एम0वी0ए0 परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे ओवरलोडिंग हो गयी थी। माह अप्रैल, 2012 में पुनः परिवर्तक लगाया जा चुका है। इसके स्थापित होने के बाद ओवरलोडिंग समाप्त हो गयी है।

(5) 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बड़ाहार (दुर्गागंज)-वर्तमान में उपकेन्द्र की क्षमता 1 x 5 एम0वी0ए0 है, जिसे वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2 x 5 एम0वी0ए0 प्रस्तावित किया जा रहा है, जिससे उपकेन्द्र की कुल क्षमता 10 एम0वी0ए0 हो जायेगी।

(6) 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बबई-वर्तमान में उपकेन्द्र की क्षमता 1 x 5 एम0वी0ए0 है, जिसे वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2 x 5 एम0वी0ए0 प्रस्तावित किया जा रहा है, जिससे उपकेन्द्र की कुल क्षमता 10 एम0वी0ए0 हो जायेगी।]

जनपद गाजियाबाद के पटेलनगर एवं अन्य क्षेत्रों में सीवर के जाम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-51 में . . .

राजस्व आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि ''विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के पटेल नगर, नेहरूनगर-III राकेश मार्ग एवं रमतेराम रोड पर सीवर जाम की भीषण समस्या बनी हुई है, जिसके कारण सीवर का पानी उल्टे घरों में और सड़क पर पानी भर रहा है। इस समस्या से वहां की जनता में आक्रोश है। मा0 मैं सदन के माध्यम से जनहित में इस विषय पर वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूं।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि गाजियाबाद के पटेल नगर, नेहरूनगर-III राकेश मार्ग एवं रमतेराम रोड पर सीवर जाम की समस्या के कारण घरों और सड़कों पर पानी भरा था। चोक सीवर लाइन को खुलवाकर उक्त जल भराव की समस्या का समाधान करा दिया गया है। निकट भविष्य में सीवर जाम की शिकायत के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद लखनऊ मध्य क्षेत्र के नाले लबालब भरने एवं चोक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा यह सूचना दी गई कि हमारे विधान सभा क्षेत्र . . . .

राजस्व आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[लखनऊ मध्य क्षेत्र में अधिकांश नाले लबालब भरे हैं तथा चोक हैं कई स्थानों पर नालों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। आये दिन इन नालों में बच्चों एवं बुजुर्गों के गिरकर मृत्यु होने की घटनायें होती हैं। इन भरे नालों को तली तक साफ कराकर घनी बस्ती में इन नालों को ढकने का कार्य करना अति आवश्यक है ताकि बच्चों एवं बुजुर्गों की मौतों को रोका जा सके घनी आबादी से पहले और बाद में नाले में जाली लगा दी जाय, जिससे ढके हुए स्थान पर मलबा न आ सके तथा आबादी से पहले जाली में मलबा रुक जाये और वहां नाला खुला हो जिससे उसकी सफाई हो सके। लखनऊ मध्य क्षेत्र में गौस नगर, मौलवीगंज, राजेन्द्रनगर सी0एम0 स्कूल के पीछे, मशकगंज, वजीरगंज, प्रताप नगर कालोनी के पीछे, रीवर बैंक कालोनी, राजाबाजार कैसरबाग, पीर जलील खटिकाना घसियारी मण्डी, कैन्ट रोड, ख्यालीगंज काकोरी कोठी के पीछे, कालीदास मार्ग चौराहे के पास सहित कई स्थानों पर घनी आबादी है और यहां नाले पूरी तरह साफ नहीं हुए और खुले हुए हैं बरसात में इन जगहों पर 08-10 फुट तक पानी घरों में भर जाता है और स्थिति बहुत गम्भीर हो जाती है। लखनऊ में अतिशीघ्र मानसून आने वाला है और नालों की सफाई कार्य पूरा होकर घनी आबादी पर नाले को ढकने का कार्य शुरू नहीं हुआ। जिस कारण वर्षा होने पर बच्चों एवं बुजुर्गों की मौते होंगी तथा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। यह अत्यधिक लोकमहत्व का अविलम्बनीय विषय है। जिस पर वक्तव्य की मांग के साथ-साथ नालों को तली तक साफ कराकर जहां घनी आबादी है वहां यथाशीघ्र नाले ढकने का कार्य शुरू कराने की मांग करता हूं जिससे भविष्य में बच्चों एवं बुजुर्गों की मौते ना होने पायें।''

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ नगर निगम द्वारा मध्य क्षेत्र में नालों की सफाई कराने का कार्य मई, 2012 के प्रथम सप्ताह से शुरू करा दिया गया था। मध्य क्षेत्र में गौस नगर, मौलवीगंज, राजेन्द्रनगर सी0एम0 स्कूल के पीछे, मशकगंज, वजीरगंज, प्रतापनगर कालोनी के पीछे, राजाबाजार रिवर बैंक कालोनी, कैसरबाग, पीर जलील खटिकाना घसियारी मण्डी, कैन्ट रोड, ख्यालीगंज काकोरी कोठी के पीछे, कालीदास मार्ग चौराहे के पास जिन स्थानों पर घनी आबादी है, में नाला साफ करने एवं साफ रखने का कार्य किया जा रहा है जिससे बरसात में अतिवृष्टि से यदि पानी भर जाये तो तीव्र गति से निकल जाये एवं जन हानि न हो। शहर के बीच जा रहे नालों पर जहां पर जाली आवश्यक है, जाली लगाने का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ मध्य क्षेत्र के नालों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए यथा आवश्यकता ढकने की योजना पर वर्षा के पश्चात् प्रोजेक्ट बनाया जायेगा। लखनऊ मध्य क्षेत्र जोन-1 व 2 की घनी आबादी से गुजरते नालों का निर्वाध फ्लो बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा निरन्तर सफाई एवं आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं। दुर्घटना को रोकने हेतु जोनल स्तर पर आवश्यक प्रबन्ध किये गये हैं। वर्षाऋतु में नगर निगम द्वारा नालों की देख-रेख करने हेतु कंट्रोल रूम, पम्पों एवं सफाई श्रमिकों की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है।]

जनपद अमेठी स्थित टिकरिया सीमेण्ट फैक्ट्री से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में श्री गायत्री प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना पर अवगत कराना है कि मैं . . . .

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ए0सी0सी0लि0 (सीमेन्ट निर्माण इकाई), टिकरिया सीमेन्ट वर्क्स गौरीगंज, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में स्थापित एवं संचालित है। उद्योग द्वारा क्लिकर, फ्लाई ऐश एवं जिप्सम आदि का मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर वर्तमान में प्रतिदिन 7000 टन सीमेन्ट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में जल का प्रयोग मात्र घरेलू प्रयोजन हेतु किया जाता है जिसके शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। उद्योग में वायु प्रदूषण कच्चे माल की हैंडलिंग, क्लिंकर की क्रसिंग, ग्राइडिंग, कच्चे माल की ट्रान्सफरिंग स्टोरेज एवं पैकिंग सेक्शन से जनित होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीमेन्ट मिल, क्लासीफायर एवं एलीवेटर से डस्ट इमीशन की निकासी हेतु संयुक्त चिमनी स्थापित है जिसकी ऊंचाई भूतल से 36.5 मीटर है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीमेन्ट मिल क्लिंकर, फ्लाई ऐश फिडिंग, क्लिंकर, जिप्सम फिडिंग सेक्शन में निर्धारित ऊंचाई की चिमनी एवं पर्याप्त क्षमता के बैगफिल्टर स्थापित हैं। उद्योग में सीमेन्ट प्लान्ट में सभी सेक्शन में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्यरत पायी गयी है। उद्योग में स्थापित चिमनियों से उत्सर्जित प्रदूषकों एवं परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण कराया गया है जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

उद्योग को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सशर्त सहमति प्रदान की गयी है।

सीमेन्ट फैक्ट्री में किये गये वेलफेयर कार्य के बारे में अवगत कराया गया है कि फैक्ट्री के कर्मचारियों, उनके परिवारों और कारखाने के आस-पास के समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सतत् आजीविका जेन्डर सुधार, महिला सशक्तिकरण, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सामाजिक कार्य किया गया है और किया जा रहा है। इसी क्रम में एसीसी टिकरिया सीमेंट द्वारा 3 गावों में कम्प्यूटर लर्निंग सेन्टर की स्थापना कर कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आस-पास के समुदाय के स्वास्थ्य सुधार के लिए निरन्तर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन तथा परामर्श एवं मुफ्त दवाइयां समुदाय को प्रदान की जा रही हैं। चूंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है अतः इसके लिए किसान गोष्ठी, किसान मेला का आयोजन व किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण की सुविधा, विभिन्न कृषि और बागवानी गतिविधियों व उन्नत किस्म के बीजों को उपलब्ध कराने में भी एसीसी टिकरिया सीमेन्ट फैक्ट्री सहयोग प्रदान करती है।

ग्राम पंचायत टिकरिया, विकास खण्ड गौरीगंज द्वारा एसीसी टिकरिया सीमेन्ट वर्क्स के उक्त सामाजिक कार्यों की सराहना भी की गयी है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चित्रकूट के मऊ मानिकपुर में तेज तूफान आने के कारण विद्युत पोल एवं तार टूटने के कारण विद्युत आपूर्ति बन्द होने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से . . . .

राजस्व आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-

विधान सभा क्षेत्र 237 मऊ मानिकपुर जनपद चित्रकूट के अंतर्गत कुछ दिन पहले तेज तूफान आने के कारण बिजली के खम्भे एवं तार टूट गये हैं, जिसके कारण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता एवं छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त विद्युत पोलों एवं तार लगवाये जाने एवं विद्युत चालू किये जाने हेतु उच्च अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया गया है। लेकिन अभी तक उन विद्युत पोल एवं तारों को ठीक नहीं कराया जा सका है, जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि बांदा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र 237 मऊ, मानिकपुर में कुछ दिन पहले तेज तूफान एवं चक्रवात आने के कारण 132 के0वी0 के 2 टावर, 33 के0वी0 के लगभग 20 पोल तथा 11 के0वी0 के लगभग 200 पोल क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिसके कारण जनपद चित्रकूट की विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई थी। 132 के0वी0 के दो टावर, 33 के0वी0 के 20 पोल एवं अन्य 80 पोल बदली करके क्षेत्र के अधिकतर स्थानों की विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी है। अभी भी क्षेत्र के कुछ स्थानों के पोल एवं तार टूटे हुए हैं, जिनके बदलने की कार्यवाही की जा रही है एवं उपरोक्त कार्य दिनांक 30.06.2012 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम टैनी में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बहादुर सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

निर्वाचन क्षेत्र 349 फूलपुर पवई में माहुल कस्बे के बगल ग्राम टैनी में . . .

राजस्व आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है। इस उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु इस माह के अन्त तक बनाकर इनर्जी टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा। स्वीकृति तथा धन की व्यवस्था होने के उपरान्त उपकेन्द्र का को निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।]

प्रदेश में उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी को समयबद्ध रूप से पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत . . .

राजस्व आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि ''प्रदेश में उच्च शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में बाधा बनी हुई है। डिग्री कालेजों में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग ने खाली पदों पर विज्ञापन तो दे रखा है लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हो पायी है तथा एकल शिक्षा की तबादले की नीति पर भी अमल नहीं हुआ है। इसकी वजह तबादले के लिए बनी नियमावली में संशोधन न हो पाना है। राज्य सरकार ने एकल शिक्षा तबादले के लिए मोहलत देने का एलान तो कर रखा है लेकिन 2004 की नियमावली में संशोधन नहीं हो पाया। इसमें आंशिक संशोधन न होने से विज्ञापित पदों पर आयी अर्जियों पर भी निर्णय नहीं हो सका है। वर्ष 2004 में अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए एकल ट्रांसफर सुविधा प्रदान की गयी थी। इसके लिए उच्चतर सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम लागू किया गया। लेकिन आयोग से विज्ञापित पदों को इसके बाहर रखने पर स्थिति गम्भीर हो गयी और शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल सका। वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा नियमावली को संशोधित करते हुए 15 फरवरी, 2006 तक विज्ञापित पदों पर चयन न होने की स्थिति में ट्रांसफर करने की सुविधा दे दी। इसकी वजह से प्रदेश भर में बड़ी संख्या में शिक्षक लाभान्वित हुए और डिग्री कालेजों में खाली पदों को शिक्षकों के तबादले से भरा गया। वर्ष 2006 के बाद एक बार फिर अघोषित रोक लग गयी और सिर्फ आयोग से ही शिक्षकों के चयन पर अमल करने का निर्णय हुआ। 2007 से 2012 के बीच में एकल तबादला नीति से केवल कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ मिला। इस समय एकल शिक्षक ट्रांसफर के लिए 300 से ज्यादा प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं तथा 500 से ज्यादा विज्ञापित पद अभी तक खाली है, जिन्हें नहीं भरा जा सका है। वर्ष 2006 की तरह कट-आफ डेट की छूट मिलनी चाहिए तथा विज्ञापित पदों पर तत्काल शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 2947 पद रिक्त हैं। इसमें से 1119 प्रवक्ता के पद वर्ष 2003 में ही आयोग का अधियाचित कर दिये गये थे, जिन्हें आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-37 एवं 38 के अन्तर्गत विज्ञापित कर चयन की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली गयी, परन्तु उक्त दोनों विज्ञापन के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में एक याचिका योजित की गयी तथा दिनांक 20-04-2009 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनों विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20-04-2009 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुज्ञा याचिका 11119/2007 राज्य सरकार द्वारा योजित की गयी जो कि अद्यतन लम्बित है। इसी प्रकार विज्ञापन संख्या-42 के कुल 337 विज्ञापित पदों में से 152 पद भी मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 1051 प्रवक्ता के पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को क्रमशः दिनांक 8-5-2008 एवं दिनांक 10-12-2009 को भेजा जा चुका है, जिन्हें आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 44 एवं 45 में विज्ञापित किया जा चुका है तथा जून 2009 से जून 2011 तक के 625 प्रवक्ताओं के रिक्त पद एवं जून 2012 तक के रिक्त प्रवक्ताओं के पदों को संकलित कर अधियाचन हेतु उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इसी बीच उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद अधिनियम, 1980 में वर्ष 1990 में एक संशोधन जारी किया गया जिसमें आयोग द्वारा चयन किये जाने वाले प्रवक्ताओं की लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी गयी।

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के एकल स्थानान्तरण के संबंध में एक अध्यादेश संख्या-363/सत्तर-2-2005-4(40)/2004, दिनांक 09-3-2005 निर्गत किया गया, जिसमें अविज्ञापित पदों पर एकल स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य की गयी। तत्पश्चात् अध्यादेश संख्या 478/सत्तर-2-2006-04(40)/2004, दिनांक 15-02-2006 द्वारा उक्त शासनादेश में संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार ''एकल स्थानान्तरण सुविधा ऐसे पद के सापेक्ष भी उपलब्ध होगी, जिसे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया हो किन्तु ऐसे पद पर चयन न किया गया हो।'' तद्नुसार उक्त व्यवस्था वर्तमान में लागू नहीं है। विज्ञापित पदों के सापेक्ष एकल स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं पाया गया क्योंकि ऐसे विज्ञापित पदों के विरुद्ध एकल स्थानान्तरण द्वारा पद भरे जाने के कारण आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ता संस्तुत महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाता एवं अनावश्यक रूप से माननीय न्यायालय में वाद संस्थित हो जाते हैं।

वर्तमान में प्राप्त प्रस्तावों पर एकल स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रचलित है। एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप शिक्षकों की कमी एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एक महाविद्यालय में शिक्षक स्थानान्तरित होकर आता है तो उसका पद पूर्व के महाविद्यालय में पुनः रिक्त हो जाता है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नया मास्टर प्लान न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख . . .

राजस्व आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण के नागरिक 36 वर्ष पूर्व बने मास्टर प्लान के कारण अनियमित निर्माण व अनधिकृत कालोनियों में अपना जीवन-यापन करने को अभिशप्त है। नये मास्टर प्लान की सार्थकता भी जमीनी हकीकत व सम्भावित विकास के क्षेत्रों के गलत निर्धारण के कारण दिखाई नहीं देती है। नये मास्टर प्लान पर की गयी आपत्तियों पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। भू-उपयोगों का मनमाना निर्धारण भविष्य में भी अनियमित व अनधिकृत विकास को ही जन्म देगा। जब एक तरफ राजस्व विभाग सड़क की चौड़ाई व उससे दूरी के अनुसार स्टाम्प का निर्धारण करता है, तब इसी तरह इसी मापदण्ड पर पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में भू-उपयोग भी वाणिज्यिक अथवा आवासीय होना तर्कसंगत व न्यायसंगत होगा।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह भी कहा गया है कि अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र की आबादी व शहर के वर्गीकरण के अनुरूप मॉल, मल्टीप्लेक्स व होटलों के लिए अपेक्षित भूखण्ड के आकार को भी कम किया जाना व्यावहारिक होगा जिससे निवेशकों द्वारा इस छोटे शहर में भी नये निवेश हो सकें। फैजाबाद शहर के वाणिज्यिक केन्द्र चौक व इर्द-गिर्द की यातायात समस्या व जाम को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं से विचार-विमर्श कर नये उप नगर केन्द्रों को चिन्हित किया जाना आवश्यक है। पार्किंग के निमित्त बने बेसमेन्टों व जगहों पर हो रहे अतिक्रमण व व्यावसायिक उपयोगों को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाना चाहिए अन्यथा यातायात की समस्या बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ती रहेगी। प्राधिकरण को चाहिए कि नियोजक के रूप में जनाकांक्षाओं के अनुरूप पारदर्शी, तर्कसंगत व समयाचीन नीतियों का निर्माण करें, न कि एक वाणिज्यिक इकाई की तरह सिर्फ अपने विकास व लाभ के विषय में ही कार्य करती रहें।

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना में उल्लिखित समस्या के निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए जनापत्तियों को ध्यान में रखते हुए नये संशोधित मास्टर प्लान को जनहित में जारी कराया जाना आवश्यक बताते हुए लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र की घोषणा वर्ष 1979 में शासनादेश संख्या 2816, दिनांक 17-12-1979 द्वारा की गयी थी। विनियमित क्षेत्र की घोषणा के उपरान्त तत्समय तैयार की गयी अयोध्या-फैजाबाद महायोजना-1983-2001 की स्वीकृति दिनांक 05-12-1984 को प्रदान की गयी। वर्ष 1985 में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र की घोषणा करते हुए शासनादेश दिनांक 02-11-1985 द्वारा अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण की 31वीं बैठक दिनांक 28-12-1999 में अयोध्या-फैजाबाद की पुनरीक्षित महायोजना तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित महायोजना-2021 का प्रारूप तैयार कर अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण की 51वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12-05-2008 में प्रस्तुत करते हुए इसे शासन को परीक्षण हेतु दिनांक 26-05-2008 को भेजा गया।

शासन स्तर पर गठित महायोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 11-07-2008 में महायोजना-2021 प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा पत्र दिनांक 28-07-2008 के माध्यम से उक्त समिति द्वारा कतिपय सुझाव दिए गये जिन्हें समावेशित कर महायोजना प्रारूप को पुनः प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 18-11-2008 एवं 22-02-2009 में रखते हुए प्राधिकरण के पत्र दिनांक 13.08.2008 द्वारा शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। तत्क्रम में पत्र दिनांक 06-05-2010 द्वारा अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को यह निर्देशित किया गया कि अयोध्या-फैजाबाद महायोजना-2021 पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानानुसार जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर उनका निस्तारण करते हुए प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध करायें।

तत्क्रम में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये, जिनकी सुनवाई शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 22-03-2011 से 24-03-2011 तक की गई। तत्पश्चात् प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19-05-2012 में कतिपय संशोधनों के साथ प्रश्नगत महायोजना अनुमोदित की गयी। प्रश्नगत महायोजना को प्राधिकरण द्वारा शासन की स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की जानी है।

जहां तक मा0 सदस्य द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दु की जब राजस्व विभाग, सड़क की चौड़ाई व उससे दूरी के अनुसार स्टाम्प का निर्धारण करता है तब इसी तरह इसी मापदण्ड पर पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में भू-उपयोग भी वाणिज्यिक अथवा आवासीय होना तर्क संगत होगा, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महायोजना में आवासीय एवं वाणिज्यिक भू-उपयोग का निर्धारण नियोजन की दृष्टि से उपयुक्त स्थानों पर नियोजन मानकों के अनुरूप किया जाता हैं अतः स्टाम्प निर्धारण हेतु राजस्व विभाग के मानकों के अनुसार महायोजनान्तर्गत भू-उपयोगों का निर्धारण व्यवहारिक नहीं होगा।

फैजाबाद शहर के वाणिज्यिक केन्द्र चौक व इर्द-गिर्द की यातायात समस्या व जाम को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं से विचार-विमर्श कर नये उप नगर केन्द्रों को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा उठाये गये बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फैजाबाद शहर के वाणिज्यिक केन्द्र चौक व इर्द-गिर्द की यातायात समस्या के दृष्टिगत महायोजना-2021 में बाईपास के रूप में नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि की उपलब्धता एवं स्थल की उपयुक्तता के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर, दो नगर केन्द्र, केन्द्रीय क्रियायें, नॉलेज पार्क इत्यादि हेतु भू-उपयोग के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिससे कि भविष्य में इन भू-उपयोगों के अन्तर्गत सुगमता से विकास किया जा सके।

अतः मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के क्रम में उपरोक्त वस्तुस्थिति से मा0 सदन/मा0 सदस्य अवगत होने का कष्ट करें।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 09 बजकर 50 मिनट पर बुधवार दिनांक 20 जून, 2012 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 19 जून, 2012

(प्रदीप कुमार दुबे),
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-196 विधान सभा(358)-28-09-2012-813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।